Friday, 23 November, 1973

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची / CONTENTS

अंक 10, शुक्रवार, 23 नवम्बर, 1973/2 अग्रहायण, 1895 (शक)

No. 10, Friday, November 23, 1973/Agrahayana 2, 1895 (Saka)

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
184	बन्दरों का निर्यात	Export of Monkeys	1
185	पी० एल० 480 फंड को समाप्त करने के उपाय	Measures to liquidate PL-480 Funds	3
187	रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों के साथ आयात एवं निर्यात व्यापार	Imports and Exports to Russia and other Communist Countries . . .	6
190	गैर-सरकारी बैंकों में जमा राशियां	Amount of Deposits in Private Banks .	9
193	गैर-निवासी भारतीयों को विदेशी मुद्रा और मशीनें भारत में लाने की अनुमति	Amount of Foreign Exchange and machinery allowed to be brought in India by Non-resident Indians . . .	12
194	आयकर-छूट की सीमा में वृद्धि	Raising of Income Tax Exemption Limits	14
195	अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में भारतीय पटसन वस्तुओं के मूल्य	Price of Indian Jute Goods in International Markets	16
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
181	एकाधिकार गृहों द्वारा की गई आयकर और धनकर सम्बन्धी गलतियों के बारे में जांच करना	Inquiry into Income Tax and Wealth tax Lapses of Monopoly Houses . .	18
182	अखबारी कागज के आयात के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल का अमरीका तथा कनाडा का दौरा	Visit of a Delegation to USA and Canada for Import of Newsprint . . .	18
183	जर्मन जनवादी गणतंत्र द्वारा भारतीय कच्चे माल का आयात	Import of Indian Raw Materials by GDR	19

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

42 LSS/73—1

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
186	दिल्ली के निकट 31 मई, 1973 को हुई बोइंग विमान दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को दिया गया मुआवजा	Amount of Compensation given to Victims of Boeing Air Crash on 31st May, 1973 near Delhi	19
188	पांचवीं योजना में मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करने की कार्यवाही	Steps to deal with Inflation in Fifth Plan	20
189	भारतीय पटसन निगम द्वारा उत्पादकों की उपेक्षा कर उद्योग की सहायता करने संबंधी समाचार	Jute Corporation of India reported to be Serving Industry and not Growers .	20
191	फ्लाइंग क्लबों की बन्द होने की स्थिति	Flying Clubs facing closure .	20
192	छठे वित्त आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Sixth Finance Commission	21
196	चालू वर्ष के दौरान अमरीका को कपड़े के निर्यात में वृद्धि	Increase in the Export of Cloth to US during the Current Year . . .	21
197	पंजाब में औद्योगिक कारखानों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वित्तीय सहायता	Financial assistance by IDBI to Industrial Units in Pubjab	21
198	खाद्यान्न व्यापार के लिए बैंकों द्वारा ऋण	Bank credit for food trade .	22
199	'विग इंडिया' को हुई हानि	Loss suffered by 'Wig India' .	24
200	अनुवादकों के वेतनमानों में विषमता	Disparity in Pay scales of translators .	24
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
1803	कलकत्ता में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा छोटी टक्साल पर छापा	Mini Mint raided by Officers of CBI in Calcutta	24
1804	प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में वृद्धि	Increase in production of Natural Rubber	25
1805	1973 के कपड़े के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य	Target fixed for the export of cloth in 1973	25
1806	वसंत विहार, नई दिल्ली स्थित दुकान में आयातित वस्तुओं की बिक्री	Sale of Imported articles in shop in Vasant Vihar, Delhi	26
1807	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्ता के कार्यालय, नई दिल्ली में वस्तुओं की नीलामी	Auction of Articles in the Office of Collector of Central Excise and Customs, New Delhi	26
1809	सुपारी के मूल्य में गिरावट को रोकना	Checking fall in prices of Arecanut	26
1810	नगरीकरण परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank under Urbanisation Project . . .	27

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1811	संघीय विकास बैंक (फेडरल डिवैल्पमेंट बैंक) का बनाया जाना	Creation of Federal Development Bank .	28
1812	राजस्थान में सूखे-राहत व्यय के लिये वित्तीय सहायता	Financial assistance towards drought relief expenditure in Rajasthan . .	28
1813	दिल्ली में आने वाले कम आय वाले पर्यटकों के लिये आवास	Accommodation for Low Income Tourists visiting Delhi	28
1814	खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Foodgrains and other essential Commodities . . .	29
1815	टोकियो में भारत-जापान व्यापार सम्मेलन	Indo-Japan Business Convention in Tokyo	30
1816	व्यक्तिगत आय और व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling on Individuals Income and Expenditure . . .	30
1817	डाक्टरों, इंजीनियरों और भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के वेतन-मानों में समानता	Parity in Pay Scales of Doctors, Engineers, and I.A.S. Officers	30
1818	हथ करघों एवं विद्युत चालित करघों के लिये उत्पादन की विभिन्न मदों का आरक्षित किया जाना	Reservation of various line of production for Handlooms and Powerlooms .	31
1819	विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से भारत को ऋण	Loan to India from World Bank and I.D.A.	32
1820	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिये उपाय	Measures to bring down prices of essential Commodities . . .	32
1821	जापान को निर्यात किये गये भारतीय कच्चे लोहे और लौह-अयस्क की लागत में कमी	Reduction in cost of Indian Pig Iron and Iron Ore exported to Japan .	33
1822	तांबे के मूल्यों में वृद्धि	Rise in price of copper . . .	33
1823	तांबे के आयात और राज्यों में उसके वितरण की प्रक्रिया	Mode of Import and distribution of Copper among states . . .	33
1824	अविभाजित भारत के आंतरिक ऋण में से पाकिस्तान के भाग को उससे वसूली	Recovery from Pakistan of her share of Internal Debt of undivided India .	34
1825	सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में अर्जित अवकाश के बदले में वेतन दिया जाना	Encashment of earned Leave in Public Sector Undertakings	34
1826	बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिये समयोपरि भत्ते को समाप्त करना	Stoppage of payment of overtime allowance to provide new Employment .	35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1827	जीवन बीमा निगम द्वारा अपने एजेंटों और विकास अधिकारियों के लिये आयोजित प्रतियोगिता के परिणाम घोषणा	Announcement of results of Competition organised by LIC for its agents and development officers	35
1828	विदेशों में बिक्री (मार्कीटिंग एब्रोड) पर दिल्ली में सम्मेलन	Conference in Delhi on Marketing Abroad	36
1829	"कट थ्रोट टेंडरिंग अमेंग स्टेट कंसट्रक्शन एजेंसी"	"Cut Throat Tendering among State Construction Agencies" . . .	36
1830	सब्जी का निर्यात	Export of Vegetables . .	36
1831	सी०सी०आई० और केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध केरल उच्च न्यायालय में काजू व्यापारियों द्वारा दायर किया गया मुकदमा	Suit filed Cashew Nut Traders against CCI and Central Government in Kerala High Court	37
1832	बाढ़ग्रस्त तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश के लिए पूर्वी जिलों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Eastern Districts of U.P. for areas affected by Floods and Drought	37
1833	गुजरात में 1973-74 में गिरफ्तार किये गये तस्कर व्यापारी	Smugglers arrested in Gujarat in 1973-74	38
1834	सितम्बर, 1973 तक आयात लाइसेंसों का बम्बई में दुरुपयोग करने वाली फर्मों को दण्डित किया जाना	Firms in Bombay prosecuted for misuse of Import licences unto September, 1973	38
1835	गुजरात में चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का पकड़ा जाना	Smuggled Goods sei: ed in Gujarat	39
1836	चौथी पंचवर्षीय योजना में मंजूर किये गये विद्युतचालित करघे	Powerlooms sanctioned in Fourth Five Year Plan	39
1837	केनिया के साथ संयुक्त उपक्रम	Joint Venture with Kenya	41
1838	महाराष्ट्र के इमारत तथा संचार मंत्री के विरुद्ध आरोप	Charges against Maharashtra Minister of Buildings and Communications .	41
1839	केरल में चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Tea Industry in Kerala	41
1840	वर्ष 1972-73 में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई सहायता	Assistance provided by IFC in 1972-73 .	42
1841	कृत्रिम रेशे बनाने का प्रस्ताव	Proposal to make man made fibre	43
1842	नार्वे से तेज गति से चलने वाली नौकाओं (लांचिस) की खरीद	Purchase of high speed launches from Norway	44

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
1843	गुजरात में सरकारी उपक्रमों में स्थानीय लोगों के लिए नियत पद	Jobs earmarked for Local People in Public Sector Undertakings in Gujarat.	44
1844	भारत-रूस समझौते के अधीन कच्चे माल का आयात	Import of Raw Materials under Indo-Soviet Treaty	45
1845	अरब-इसराइल युद्ध का आयात-निर्यात व्यापार पर प्रभाव	Effect of Arab Isreal War on Import-Export Trade	45
1846	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से लौह अयस्क तथा बिलेटों के निर्यात में गिरावट	Decline in the Export of Iron Ore and Billets through MMTC . . .	45
1847	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम	Foreign Exchange Regulation Act . .	46
1848	राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य प्रबंधकों के साथ वित्त मंत्री की बैठक	Meeting of Finance Minister with Chief Executives of Nationalised Banks .	46
1849	राज्य सरकारों को दिये गये ऋण	Loans given to State Governments .	46
1850	मांस निर्यातकर्ताओं द्वारा कम मूल्य के बीजक बनाया जाना	Under invoicing by Meat Exporters	47
1851	विश्व बैंक से प्राप्त विदेशी सहायता	Foreign Aid received from World Bank	47
1852	पालम हवाई अड्डे पर यात्री सामान घर का अभाव	Lack of Clock Room at Palam, Airport .	47
1853	निर्यातकर्त्ताओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये अंतर्विभागीय और अंतर्मंत्रालय निकाय	Inter Ministerial and Inter Departmental Body to Study Problems faced by Exporters	48
1854	उज्जैन में एक मकान पर मारे गये छापे के दौरान बरामद की गई अफीम	Seizure of Opium during Raid on a House in Ujjain	48
1855	कर्णाटक में तस्करी की वस्तुओं की बरामदगी	Seizure of Smuggled Goods in Karnataka	49
1856	वाणिज्य मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारी	Temporary Employees in Ministry of Commerce	50
1857	भारतीय रुई निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में रुई की वसूली तथा परिष्करण व्यवस्था	Cotton Procurement and Processing Arrangements by CCI in Andhra Pradesh	50
1858	श्री एम० जी० रामचन्द्रन के विरुद्ध बकाया आयकर	Arrears of Income Tax against Shri M. G. Ramachandran	51
1859	सहकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी-निवेश	L.I.C's investment in Co-operative Sector	51
1860	जीवन बीमा निगम के प्रीमियम की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to enhance the premium rates of Life Insurance	53

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1861	विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण	Indianisation of Foreign Companies .	53
1862	गुजरात निर्यात निगम और गुजरात लघु उद्योग निगम में राज्य व्यापार निगम की इक्विटी भागिता	Equity participation of STC in Gujarat Export Corporation and Gujarat Small Industries Corporation . . .	53
1863	रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने हेतु श्रम-प्रधान उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देना	Fiscal Incentives to labour oriented Industries for stimulating additional Employment	54
1864	मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के लिए होटल बनाना	Setting up of Hotels for Middle Class Tourists	54
1865	विभिन्न देशों से अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint from various countries	55
1866	भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पटसन तथा तकनीकी संस्थान की स्थापना	Setting up of Jute International and Technical Institute in India . .	55
1867	आयात लाइसेंसों की शीघ्रता से मंजूरी देना	Steps for quicker clearance of Import Licences	55
1868	हथकरघे से बनी वस्तुओं पर नकदी निर्यात प्रोत्साहन को समाप्त करना	Abolition of Cash Export Incentives on Handloom Goods	56
1869	जूट, चाय और नारियल-जटा की वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ करार	Agreement with EEC for Tariff Cuts on Jute, Tea and Coir Goods . . .	57
1870	राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य निष्पादन	Performance of Nationalised Banks	58
1871	काफी के छोटे उत्पादकों द्वारा अधिक मूल्य की मांग	Demand for a better price by Small Coffee Growers	58
1872	भारत और टर्की के बीच व्यापार समझौता	Trade Agreement between India and Turkey	58
1873	इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष द्वारा बुलाया गया प्रेस सम्मेलन	Press Conference held by the Chariman of Indian Airlines	59
1874	प्रोत्साहनों को फिर से चालू करने के बारे में होटल उद्योग से अभ्यावेदन	Representation from Hotel Industry for Restoration of Incentives . . .	59
1875	आंध्र प्रदेश के लिये मंजूर पर्यटन बंगले	Tourist Bungalows Sanctioned in Andhra Pradesh	60
1876	सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि	Increase in Export of Textiles	60
1877	आंध्र प्रदेश में निर्मित निर्यात की जाने वाली वस्तुएं	Export Commodities Manufactured in Andhra Pradesh	61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1878	नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Controlled Cloth	62
1879	परिवर्धित यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार-वार्ता	Trade Talks with Enlarged EEC . .	62
1880	मारुति लिमिटेड के अंशधारियों के विरुद्ध करापवंचन अथवा करों के अदा न किये जाने के मामले	Cases of Evasion of non payment of taxes against Share Holders of Maruti Limited	63
1881	पूर्वोत्तर भारत में राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुभव की गयी परिवहन और संचार संबंधी कठि-नाइयां	Transportation and Communication Difficulties Experienced by the States and Union Territories in North Eastern India	63
1883	'फिक्स्ड डिपाजिट' पर बीमा सुरक्षा प्रदान करना	Extension of Insurance Cover for Fixed Deposits	64
1884	औद्योगिक ऋण संबंधी नीति को उदार बनाना	Relaxation in Policy on Industrial Loan .	64
1885	औद्योगिक वित्त निगम और कृषि पुर्नवित्त निगम द्वारा पंजाब की सहायता	Assistance to Punjab by IFC and ARC .	66
1886	बाजार से ऋण लेने की सीमा को बढ़ाने के लिये पंजाब सरकार द्वारा किया गया अनुरोध	Request made by Punjab Government to raise limit of Market Borrowings .	67
1887	रक्षा कार्मिकों के लिए ग्रुप बीमा योजना लागू करना	Extension of Group Insurance to Defence Personnel	67
1888	छोटी सादड़ी सोना कांड	Chhoti Sadari Gold Scandal .	67
1889	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे यात्री लौंज और रेस्टोरेंट	Traveller's Lounges and Restaurants being run by ITDC	68
1890	राष्ट्रीयकृत बैंकों में अदा किया गया समायोपरि भत्ता (ओवर टाइम अलाउंस)	Overtime paid in Nationalised Banks	69
1891	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समायोपरि भत्ते का भुगतान	Payment of Overtime Allowance to Central Government Employees . .	70
1892	कपड़े के मूल्य में वर्ष 1971 की तुलना में वृद्धि	Increase in price of cloth as compared to that on 1971	70
1893	होशंगाबाद स्थित 'सिक्योरिटी पेपर मिल' में हड़ताल	Strikes in Security paper Mill, Hoshangabad	71

अ०ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1894	केरल के पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना	Opening of Branches of Nationalised Banks in backward Areas of Kerala .	71
1895	केरल राज्य के शक्ति चालित करघा के बुनकरों को 4-1/2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान करना	Assistance to the Powerloom Weavers at 4½ percent interest in Kerala State .	72
1896	बुनकर सेवा केन्द्र आरम्भ किये जाने के लिये केरल सरकार द्वारा कन्नानूर में एक भवन नियत किया जाना	Allocation of a Building at Cannanore by Kerala Government for starting a Weavers Service Centre	72
1897	वीटा मर्चेंटस कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड वीटा. जिला सांगली, महाराष्ट्र, द्वारा भेजा गया प्रस्ताव	Proposal sent by Vita Merchants Co-operative Bank, Limited, Vita, District Sangli, Maharashtra	73
1898	पांचवी योजना में हवाई अड्डों संबंधी सुविधाओं के लिए 45 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव	Proposal to spend Rs. 45 crore for Air-port facilities during Fifth Plan . .	73
1899	काले धन का पता लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार को अधिकार	Powers to Tamil Nadu Government to unearth Black Money . . .	73
1900	पलाई सेन्ट्रल बैंक (दिवालिया) के निदेशकों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाई	Action proposed to be taken against the Directors of Palai Central Bank (in liquidation)	74
1901	सबरीमाला (करल) में व्यापक पर्यटन विकास योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal for undertaking a comprehensive tourism development Scheme at Sabarimala (Kerala)	74
1902	हथकरघा बुनकर उद्योग का पुनर्गठन	Reorganisation of Handloom Weaving Industry	75
1903	भारत और रुमानिया के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and Rumania	76
1904	गत तीन वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारत द्वारा भाग लिया जाना	India's participation in International Trade Fairs during the last three years.	76
1905	केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों की ओर आयकर की बकाया राशि	Arears of Income Tax against Ministers of Central Government . . .	77
1906	1972-73 में भारतीय विदेशी व्यापार में कमी	Decline in India's Foreign Trade during 1972-73	77
1907	गत 6 महीनों में पकड़ी गई तस्करी की वस्तुएं	Smuggled articles seized during last six months	77

ता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1908	निरीक्षण के लिए उतारे गये सुधरे एवरों विमानो में पाये गये दोष	Defects detected in rectified Avro Aircraft grounded for inspection . .	78
1909	बीमा शुदा मामलों तथा भुगतान न क्रिये गये दावों के व्यपगत के अनुपात में वृद्धि	Increase in the lapse ratio of insured cases and outstanding claims . .	79
1910	जीवन बीमा निगम द्वारा सामूहिक बीमा योजना आरंभ करना	Introduction of Group Insurance Scheme by LIC	80
1911	अत्यावश्यक वस्तुओं के बारे में समिति	Committee on Essential Commodities .	81
1912	बिहार में किसानों के लिये संस्थागत ऋण में वृद्धि करने के लिए अंतर्राष्टीय विकास एसोसियेशन से ऋण	Loan from International Development Association to expand Institutional Credit for Farmers in Bihar . . .	82
1913	यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में भारतीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपभोक्ताओं द्वारा अधिक ग्राह्यता	High Consumer acceptability of Indian consumer goods in EEC . . .	82
1914	दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें	Complaints of alleged irregularities against Delhi Gliding Club	83
1915	नायलान और रेयन यार्न के उत्पादन के लिए कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material for Production of Nylon and Rayon Yarns . .	83
1916	पलाई सेन्ट्रल बैंक (परिसमापनाधीन) के खातेदारों को लाभांश	Dividends to Creditors Palai Central Bank (in liquidation) . . .	84
1917	छोटी बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यवाही	Steps to encourage small savings . .	85
1918	राष्ट्रीकृत बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण	Reservation made for ex-servicemen in Nationalised Banks	85
1919	सामान्य उड़ान गति से अधिक तेज उड़ान न भरने के लिए एवरों विमान चालकों को आदेश	Directive to Avro Pilots not to exceed normal operating speed . . .	85
1920	पांच कम्पनियों को पूंजी में वृद्धि करने की मंजूरी	Permission to Five Companies to raise Capital	86
1921	पूर्वी यूरोपीय देशों में भारत में बने टायरों को पसंद किया जाना	Popularity of Indian Tyres in EEC	87
1922	रक्षित स्वर्ण से अधिक मूल्य के छापे गये तथा परिचालित करेंसी नोट	Currency Notes printed and circulated in excess of Gold reserves . . .	87

ता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1923	अपरिष्कृत ऊन के निर्यात की नीति में घोषित परिवर्तन का सौराष्ट्र और कच्छ की अर्थव्यस्था पर प्रभाव	Impact of change in Export Policy on raw wool announced on Saurashtra and Kutch	87
1924	विकलांग लोगों को ऋण देने के लिए स्टेट बैंक द्वारा आरंम्भ की गयी योजना	Scheme launched by State Bank to Provide credit to physically handicapped .	88
1925	विश्व मंडियों में पटसन के सामान की प्रतियोगिता बढ़ाने के लिये पटसन उद्योग पर विकास उपकर लगाया जाना	Imposition of Development Cess on Jute Industry to increase competitiveness of jute Goods in World Market . .	88
1926	चाय और पटसन के मूल्यों में कमी	Fall in Price of Tea and Jute	89
1927	आयकर अधिकारियों द्वारा कानपुर में छापा मारा जाना	Raid by Income Tax Authorities in Kanpur	89
1928	दिल्ली हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय स्वागत हाल की क्षमता को दुगना करने का प्रस्ताव	Proposal to Double the Capacity of International Arrival Hall at Delhi Airport	90
1929	नारियल जटा के निर्यात को क्षति	Loss of International Markets for Coir	90
1930	अमरीकी ऋण की बकाया राशि	Outstanding Amount of US Loan .	91
1931	प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्यात में कमी	Decline in Export of Plastic Goods .	91
1932	नागर विमानन के क्षेत्र में भारत--रूस व्यापार	Indo-Soviet Trade in the Field of Civil Aviation	91
1933	विदेशी चाय बागानों का भारतीयकरण	Indianisation of Foreign Tea Plantations	91
1934	पलाई सैन्ट्रल बैंक (परिसमापन की स्थिति में) के सरकारी परिसमापक द्वारा एकत्र की गई राशि	Amount Collected by Official Liquidator of Palai Central Bank (in liquidation)	92
1935	ऋण विस्तार की वृद्धि दर	Rate of Increase in Credit Expansion	92
1936	पांचवीं योजना के निर्यात लक्ष्य का पुनरीक्षण	Revision of Export Target in Fifth Plan .	94
1937	"ईलायची व्यापार की डांवाडाल स्थिति" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	Newsitem captioned Caradamon Trade in Disarray	94

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1938	बंगला देश से कच्चे पटसन का आयात	Import of Raw Jute from Bangladesh	94
1939	दिल्ली के जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	Building of Staff Quarters for LIC employees in Delhi	95
1941	विदेशों में भारत निर्मित फर्नीचर का प्रचलित होना	Popularity of Indian Furniture in Foreign Countries	95
1943	राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज का आयात करने में विलंब	Delay in Importing newsprint quota by STC	96
1944	जीवन बीमा निगम अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Officers of LIC . .	96
1945	अक्तूबर 1973 में अकबर होटल, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of Akbar Hotel, New Delhi in October, 1972 . . .	97
1946	चोरी छुपे लायी गयी वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled articles . . .	97
1947	राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट	Overdrafts by States . . .	97
1948	कलकत्ता में पटसन उत्पादकों का सम्मेलन	Conference of Jute Growers in Calcutta .	99
1949	अत्याधिक आधुनातन मशीनरी तथा भारी इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातक के रूप में भारत	India as an Exporter of highly sophisticated machinery and Heavy Engineering Products	99
1950	अपरिष्कृत तम्बाकू के निर्यात में वृद्धि	Increase in Export of unmanufactured tobacco	100
1951	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जीवन निगम द्वारा किया गया व्यापार	Business completed by LIC during the current Financial year . . .	100
1952	दिल्ली-लखनऊ-पटना कलकत्ता विमान सेवा की सुबह की दिल्ली से उड़ान तथा कलकत्ता से शाम की उड़ान का वाराणसी हवाई अड्डे पर रुकना रद्द करने के बारे में किए गए निर्णय पर पुनर्विचार	Reconsideration of decision regarding cancellation of stop over of morning flight from Delhi Lucknow Patna Calcutta and afternoon flight from Calcutta	101
1953	विश्व के बाजारों में रेश्मी वस्त्रों का लोकप्रिय होना	Popularity of silk garments in World markets	101

अता० ० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1954	कच्चे रेशम का और निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए हथ-करघा बुनकरों तथा निर्माता निर्यातकों से अभ्यावेदन	Representation from handloom weavers and manufacturing exporters to ban further export of raw silk . . .	101
1955	गुजरात में पर्यटन आकर्षण केन्द्र	Places of Tourist Attracation in Gujarat .	102
1956	सूती धागे और हौजरी की वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि	Continuous increase in Prices of Cotton Yarn and Hosiery Goods . . .	102
1957	गुलाब का निर्यात गैर-सरकारी फर्मों को सौंपना	Handing over of Rose Export to Private firms	103
1958	देश में फ्लाईंग क्लबों और नागर विमानन केन्द्रों की संख्या	Number of Flying Clubs and Civil Aviation Centres in the country . .	103
1959	पांचवी योजना में तकुओं के लिए लाइसेंस देना	Grant of licences for spindles in Fifth Five Year Plan	105
1960	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व	Representation to employees on the Board of Directors of Nationalised Banks	106
1961	स्वतः रोजगार संबंधी योजनाओं के लिए ऋण सहायता	Loan assistance for self employment schemes	106
1962	'सोशल्ली परपजिव सेक्टर्स' में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश	Investment of LIC in Socially Purposive Sectors	106
1963	स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाहपुर शाखा द्वारा मैसर्स जोली ब्रादर्स को दी गई अग्रिम राशि	Advances given by SBI Branch of Shahpur to M/s. Jolly Brothers . . .	107
1964	भारत-बंगलादेश सीमा क्षेत्र पर मुद्रा (करंसी) की तस्कारी	Smuggling of currency on India-Bangladesh Border	107
1965	सामान्य बीमा कर्मचारियों की मांगें	Demands made by employees of General Insurance	108
1966	भारत और जापान के बीच आर्थिक मामलों पर बातचीत	Talks between India and Japan on Economic Matters	108
1967	भारत और रूस के बीच रुई का दूसरा सौदा	Second Indo-Soviet Cotton Deal . .	109
1968	सूती धागे के वितरण पर नियंत्रण में ढील देना	Relaxation in control over distribution of cotton yarn	109
1969	पांचवीं योजना में मूल्य नीति	Price policy in Fifth Plan	110
1970	जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध पर व्यय	Expenses on Management in LIC .	110
1971	लद्दाख को पर्यटक यातायात के लिये खोलना	Proposal to open Ladakh for Tourist Traffic	111

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1972	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों को मिलावट हीन, खाद्य. सामग्री उपलब्ध कराने के लिये स्टोरों की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up stores by ITDC for making available unadulterated foodstuffs to tourists	112
1973	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित कच्चे माल का अधिक मूल्य लिया जाना	High Prices for Imported Raw Materials charged by STC	112
1974	भारत की विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि में कमी	Decline in India's Foreign Exchange Reserves	113
1975	इण्डियन एयर लाइंस के यात्रियों से रात्रि का घटिया भोजन दिये जाने संबंधी शिकायतें	Complaints from Passengers Travelling by Indian Airlines regrading Poor quality of Food served at Dinner . . .	113
1976	गत तीन महीनों में इण्डियन एयर लाइंस की उड़ानों में विलम्ब	Delay in the flights of Indian Airlines during the last three months . .	113
1977	सूती कपड़ा निर्यात के लिये प्रोत्साहन कम करना	Slashing of incentives for Textile Export	114
1978	उत्तर प्रदेश की निजी कम्पनी को विशेष मार्गों पर उड़ान करने की अनुमति	Private Company of U.P. Awarded permission to Fly on certain Routes. .	114
1979	आयात लाइसेंसों से लाभ उठाने वाली पार्टियों द्वारा निर्यात संबंधी दायित्वों का पूरा किया जाना	Fulfilment of Export Obligations by the beneficiaries of Import Licences . .	114
1980	निर्यात के लिये नगद प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाओं का पुनर्विलोकन	Review of Schemes to provide cash incentives to Exports	116
1981	केन्द्रीय राजस्व, महालेखाकार, नई दिल्ली द्वारा सरकारी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि खातों की स्लिप जारी करना	Issuing of GPF Accounts slips by AGCR New Delhi to Government Servants .	116
1982	वर्ष 1972-73 में मध्य प्रदेश से निर्यात किया गया 'कोसा' कपड़ा	Export of 'Kosa' Cloth from Madhya Pradesh during 1972-73 . . .	117
1983	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय बिक्री कर की बकाया राशि	Outstanding Amount of Central Sales Tax in Madhya Pradesh	117
1984	"साइज्ड बीम्जडिमांड फार प्रीमिया एलेज्ड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार	News report entitled "Sized Beams Demand for Premia Alleged" . .	118

ता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1985	निगमित गैर-सरकारी क्षेत्र और कम्पनियों को जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance granted by LIC to corporate Private Sector and Companies	118
1986	जीवन बीमा निगम द्वारा आवास योजनाओं के लिये पूंजी निवेश	Investment by LIC for Housing Schemes	120
1987	बंगला देश के साथ किये गए व्यापार करार	Trade Agreements signed with Bangladesh	120
1988	डाक-खानों बचत बैंक खाताधारियों के लिये पुरस्कार योजना	Prize Scheme for P.O. Saving Bank Account Holders	121
1989	उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये वित्तीय सहायता का अनुरोध	Request for Financial Assistance for U.P. for Economic Development .	121
1990	तम्बाकू के क्रय, वितरण और निर्यात के प्रबन्ध के लिये पृथक निगम	Separate Corporation to Manage Purchase, Distribution and Export of Tobacco	121
1991	स्टेट बैंक आफ इंडिया में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लिये आरक्षित पदों को अनारक्षित बनाना	Treatment of Reserved Vacancies as Unreserved for S.C. and S.T. in State Bank of India	122
1992	स्टेट बैंक आफ इंडिया में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता	Percentage of employees of S.C. and S.T. in State Bank of India . .	122
1993	स्टेट बैंक आफ इंडिया में अनुसूचित जातियों के लिये पदों के आरक्षण की जांच	Enquiry made in regard to reservation of posts for Scheduled Castes in State Bank of India	123
1994	वस्त्र उद्योग में निर्यात प्रधान क्षेत्र की स्थापना	Setting up of an Export Oriented Sector in Textile Industry	123
1995	अखबारी कागज की सप्लाई के लिये कनाडा से करार	Agreement with Canada for the Supply of Newsprint	123
1996	हथकरघा उत्पादों के निर्यात में संकट	Crisis in Handloom Export .	124
1997	गत तीन वर्षों के दौरान सी० सी० आई० एण्ड ई० के कार्यालय से त्याग-पत्र देने वाले/सेवानिवृत्त होने वाले/बर्खास्त किये गए अधिकारियों की संख्या	Number of officers resigned/retired/dismissed from CCI and E. during the last three years	124
1998	राज्य व्यापार निगम में ड्राइवरों के वेतनमान	Pay Scales of Drivers in S.T.C.	125

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1999	"यूथटु इण्डिया" कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी नवयुवकों द्वारा पहलगांव का भ्रमण	Visit of Youths from Abroad to Pahalgam under Youth to India Progaramme .	125
2000	राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये दिल्ली में फ्लैटों का निर्माण	Flats constructed by STC/MMTC for their Employees in Delhi . . .	126
2001	मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा द्वारा बीमा प्रीमियम का भुगतान	Payment of Insurance Premium by M/s. Mahindra and Mahindra . . .	126
2002	स्टेट बैंक आफ इंडिया, आंध्र प्रदेश के एडोनी शाखा को कमराशि के ऋणों के लिये आवेदन पत्र	Application submitted to Adoni Branch of SBI Andhra Pradesh for Small Loans	126
	अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance	127
	अखिल भारतीय पैट्रोल व्यापारी संघ द्वारा अपने सदस्यों को तेल कम्पनियों से पैट्रोल न खरीदने के संबंध में दिये गए कथित निदेश	Reported directive to petroleum Traders by their Federation not to purchase petrol from Oil Companies . .	127
	श्री आर० के० सिन्हा	Shri R.K. Sinha	127
	श्री देवकांत बरुआ	Shri D.K. Borooah	127
	विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege .	133
	श्री शिव शंकर प्रसाद यादव संसद सदस्य, की गिरफ्तारी और रिहाई की सूचना अध्यक्ष को न दिया जाना	Non-intimation to the Speaker of arrest and release of Shri Shiv Shankar Prasad Yadav, M.P.	133
	सभा पटल पर रखे गए पत्र	Paper Laid on the Table	134
	सभा का कार्य	Business of the House . .	135
	प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक	Direct Taxes (Amendment) Bill	138
	वाद-विवाद पुन: आरम्भ करने का प्रस्ताव	Motion to resuming Debate . .	138
	प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Select Committee .	138
	अलीगढ़ जेल में हरियाणा के हरिजन सत्याग्रही की मृत्यु के बारे में वक्तव्य	Statement re. Death of a Harayana Harijan Satyagrahi in Aligarh Jail .	138
	श्री एफ० एच० मोहसीन	Shri F.H. Mohsin	138
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Reports of University Grants Commission	141

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री अनन्त प्रसाद धूसिया	Shri Anant Prasad Dhusia .	141
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh .	142
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate . .	143
श्री दिनेश गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami .	145
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolution	146
33वां प्रतिवेदन	Thirty-Third Report	146
ऐसी परम्परा डालने के बारे में प्रस्ताव जिसमें सरकार को त्यागपत्र देना चाहिये।	Resolution Re. Establishment of Convention when Government should resign.	146
सरकार द्वारा त्यागपत्र देने की परम्परा डाले जाने के बारे में प्रस्ताव-अस्वीकृत	Resolution Re-Establishment of Convention when Government should resign-negatived	160
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	146
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	149
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	150
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	150
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	151
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh .	151
श्री आर० वी० बड़े	Shri R.V. Bade	152
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	152
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	153
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P.R. Shenoy	154
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E.R. Krishnan .	154
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla	155
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar .	156
श्री नाथूराम अहिरवा	Shri Nathu Ram Ahirwar .	156
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	156
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao .	157
श्री आनदि चरण दास	Shri Anadi Charan Das .	157
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh	158
एशिया में सामूहिक सुरक्षा के बारे में संकल्प	Resolution Re. Collective Security in Asia	160
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	160
दिल्ली में जल-पूर्ति की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Water Supply position in Delhi	160
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion . . .	161
खाद्यानों का वसूली और वितरण मूल्य	Procurement and Distribution Price of Foodgrains	161
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	162
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde .	165

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बासिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडाला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेनु (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरेना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन् (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम्)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णसिंह, डा० (उधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी० आर० (नाशिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगाव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोपा, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव (बड़ौदा)
गायत्री देवी श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनोराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)

गोयेन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा बीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगय्या, श्री० के० (मांड्या)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बराहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (हौशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जूल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तिरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री के० एन० (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रणुपद (कृषनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच विहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)

देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूमिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (केथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एम० टी० (भीर)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंडुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (वलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पस्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय (राजनंद गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाज़ीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दोली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० बी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एम० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रमिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन (मावलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एम० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढवाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली, बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एम० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह (भीरवाड़ा)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)

वसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
वसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
वाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा श्री (झालावाड़)
ब्रह्मनन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन, श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीमराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैट्टूर)
भौरा, श्री मानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाड़ा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरुलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री० के० डी० (डुमरियागन्ज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्मु, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)

मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मादी, श्री पोलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदा बख्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेंद्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिंधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादूर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एम० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्रीनागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिम्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी श्री बी० एन० (निरायलगूडा)
रोहतगी, श्रीमति सुशीला (बिल्हौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)

लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडि-वनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफल हक श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री रामसिंह भाई (इंदौर)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुद्दूकोटै)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुबय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफकत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज़ खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चंद्र (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना, श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री बसन्त (अकोला)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एम० सी० (तामलुक)
सामिनाथन्, श्री पी० ए० (गोबीचे टिट्टपलयम)
साल्व, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आवला)

साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपूर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिन्हा, श्री० आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्यन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेलु, श्री (मयुरम)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोमचंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंदर)
स्वमीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिल)

ह

हसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलोर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरी सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एम० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी

नरेन्द्र कुमार साल्वे

श्रीमती शीला कौल

डा० सेरदीश राय

श्री इरा सेझियान

महा सचिव

श्री शयामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री	श्री मती इन्दिरा गांधी
कृषि मंत्री	श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वित्त मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
विदेश मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री देवकान्त बरुआ
योजना मंत्री	श्री डी० पी० धर
गृह मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
रेल मंत्री	श्री ललित नारायण मिश्र
भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री	श्री टी० ए० पाई
संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
निर्माण और आवास मंत्री	श्री भोला पसवान शास्त्री
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नौवहन और परिवार मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहन धारिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी
संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरूल हसन
सिंचाई और विद्युत मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० बी० राना
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० शेर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

उप-मंत्री

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री कोंडाजी बासप्पा
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री सुबोध हंसदा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० किस्कु
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री एफ० एच० मोहसिन
औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री जे० बी० पटनायक
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री .	श्री बी० शंकरानन्द
भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 23 नवम्बर, 1973/2 अग्रहायण, 1895 (शक)
Friday, November 23, 1973/Agrahayana 2, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[**Mr. Speaker in the Chair**]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Export of Monkeys

*184. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the number of monkeys exported during 1970-71, 1971-72 and 1972-73;

(b) the amount of foreign exchange earned therefrom during these years; and

(c) the estimated number of monkeys likely to be exported during the year 1973-74 and the amount of foreign exchange expected to be earned therefrom?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए बन्दरों की संख्या और मूल्य नीचे दिए गये हैं :—

1970—71		1971—72		1972—73	
सं०	मूल्य (लाख रु०)	सं०	मूल्य (लाख रु०)	सं०	मूल्य (लाख रु०)
36408	26.41	53170	37.96	34724	35.23

42 LSS/73—2.

(ग) 1973–74 के दौरान जितने बंदर निर्यात करने की अनुमति दी जायेगी उनकी संख्या 30,000 बन्दरों से अधिक नहीं होगी । प्रचलित एकक मूल्य के आधार पर, इस समस्त अधिकतम सीमा का उपयोग किये जाने के लगभग 30 लाख रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, the hon. Minister in his reply has said that they will allow export of 30,000 monkeys during 1973-74. May I know the estimated number of additional monkeys and their species likely to be exported at present? May I also know the names of the countries to which export is made and whether the monkeys have to suffer physical hardships during their transit?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : बन्दरों का निर्यात बहुत नियंत्रित है । जिन जातियों के बन्दरों का निर्यात किया जाता है उन्हें रसिस (छोटा बन्दर) कहा जाता है । कुछ लंगूरों का निर्यात भी किया जाता है । निर्यात मुख्य रूप से ब्रिटेन और रूस के लिये किया जाता है । पहले हमने अधिक निर्यात किया था परन्तु वर्ष 1973–74 में हम 30,000 बन्दरों का निर्यात कर रहे हैं । गत वर्ष हमने 49,000 बन्दरों का निर्यात किया । अतः इस वर्ष हम कम बन्दरों का निर्यात कर रहे हैं । 1972–73 के निर्यात से 30,23,000 रुपयों की आय हुई और 1971–72 में निर्यात से हमें 30,96,000 रुपये की आय हुई थी ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, Monkeys have a historical importance and they have been held in high esteem in the Ramayana. May I know whether the Government propose to stop the export of monkeys? May I also know whether it is fact that the bones, flesh and blood of these monkeys is utilized for medical purposes which hurts the feelings of the countrymen and whether in view of the feelings of Indian citizens the Government propose to ban money export in future?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : बन्दरों के बारे में मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूं । परन्तु इस प्रश्न में दो भावनायें दीख पड़ती हैं । एक भावना जानवरों के प्रति तथा दूसरी पीड़ित मानव जाति के प्रति सहानुभूति की भावना है । चिकित्सा उद्देश्यों के लिए बन्दरों का निर्यात किया जाता है परन्तु हम इस बात की ओर भी ध्यान देते हैं कि उन्हें कोई कठिनाई न हो । उनके साथ कोई निर्दयता न दिखाई जाये । इसलिये हमने यह निर्णय किया है कि निर्यात करने के लिये विशेष पिंजड़े बनाये जायें और विमान द्वारा निर्यात किया जाये, अन्य किसी प्रकार नहीं ।

श्री बी० आर० शुक्ल : क्या यह सच है कि प्रश्न पूछने वाले सदस्य जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वह नटखट बन्दरों से भरपूर है, जो लोगों के लिये उत्पात तथा खीज का कारण हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दूं ।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : मुझे विश्वास है कि वानर जाति, जो हमारे देश के लिये इतनी अधिक विदेशी मुद्रा का आय करती है, के प्रति आभार प्रकट करने में सदन मेरा साथ देगा । इसके साथ ही मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या निर्यात के इस मामले में उनके मंत्रालय ने वन्य जीवन के भारतीय बोर्ड तथा इंडियन नेशनल अपील फार वर्ड लाइफ फंड के विशेषज्ञों से परामर्श किया है कि क्या निर्यात से बन्दरों की संख्या सदैव के लिये तो कम नहीं हो जायगी और यदि हां, तो क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात पर ध्यान दिया गया है कि यह जाति जिससे काफी विदेशी मुद्रा की आय होती है पूर्णतया समाप्त न हो जाये ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : निर्यात करने का यह निर्णय कृषि मंत्रालय और विशेषतया स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से लिया गया है । दूसरे, हमने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि बन्दर जाति पूर्णतया समाप्त न हो जाये । वास्तव में आंकड़ों से पता चलता है कि अब पहले की अपेक्षा बहुत कम बन्दरों का निर्यात किया जा रहा है । उदाहरण के लिये वर्ष 1957–58 में हमने 2 लाख बन्दरों का निर्यात किया, 1962–63 में 79,000 का तथा अब 34,000 बन्दरों का निर्यात किया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभी बन्दर नर हैं अथवा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : दोनों प्रकार के ।

अध्यक्ष महोदय : वानर जाति को बनाये रखने के लिये कुछ मादा बन्दर सुरक्षित रखे जाने चाहिये ।

पी० एल० 480 फण्ड को समाप्त करने के उपाय

*185. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** :

श्री एन० एम० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पी० एल० 480 में रुपयों में जमा राशि को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अमरीकी रुपया निधियों के निपटान के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच विचार-विमर्श चल रहा है ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : इस सम्बन्ध में अमेरिका सरकार ने क्या प्रस्ताव रखे हैं और उन पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सारा मामला विचाराधीन है । जब तक कोई न्यायोचित स्थिति नहीं आती जिसके बारे में सूचना दी जा सकती है, तब तक इस समय चल रही बातचीत के हित में कोई विवरण देना उचित नहीं होगा ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मंत्री महोदय ने अभी अभी जो बताया है कि भारत में अमरीका के रुपये से यहां हमारी अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रास्फीति की स्थिति आती है । क्या इस शेष राशि का हाल ही में कोई ऐसा प्रभाव देखा गया है और इस पर विचार करते हुए इस सम्बन्ध में निर्णय होने तक सरकार का विचार इस शेष राशि में से रुपया निकालने की अनुमति न देने का है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इन कुछ राशियों से मुद्रास्फीति बढ़ती है परन्तु ये राशियां कई दशाब्दियों से चल रही हैं । हमारी इच्छा और प्रयास यही है कि इस प्रश्न को अमरीका सरकार के साथ समझौता करके हल किया जाये । इन राशियों में से रुपया निकालने की अनुमति न देने का कोई विचार नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह बात सदन में कई बार कही गई है कि 4,000, 5,000 करोड़ रुपये के लगभग की यह विशेष निधि राजनैतिक उद्देश्यों से राजनैतिक दलों को नष्ट करने के लिये प्रयोग की जाती है जिससे देश के प्रतिक्रियावादी तत्व भारत सरकार की प्रगतिवादी नीतियों के विरुद्ध लड़ सकें। यह प्रमाणित हो गया है कि निर्वाचन में इस निधि का उपयोग किया गया। इस समय उनका कितना रुपया शेष है, क्या इसके संचालन पर हमारा कोई सीधा नियंत्रण है, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका संचालन किस प्रकार होता है और क्या इस सम्बन्ध में कोई निदेश दिये गये हैं ? हमें आश्वासन दिया गया था कि उद्देश्य बनाये बिना वे इस राशि का उपयोग नहीं कर सकते।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: इस प्रश्न पर सदन में कई बार चर्चा हुई है और हमने इस राशि की मात्रा तथा जिन स्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है उस के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। परन्तु इस समय मेरा अनुरोध है कि...

श्री एस० एम० बनर्जी : कुल राशि कितनी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने आपको जानकारी दे दी है। परन्तु यदि आप चाहते है तो मैं इस समय भी जानकारी दे सकता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : अब तक इसमें और वृद्धि हो गई होगी।

एक माननीय सदस्य : ब्याज बढ़ रहा है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सच है कि ब्याज बढ़ रहा है। इसी कारण हमें इस प्रश्न को पूर्णतया तय करने के लिये उपाय खोजना पड़ता है।

वर्ष 1956 से 30 जून, 1973 तक पी० एल० 480 के आयातों की रुपयों में कुल जमा राशि 2,243.08 करोड़ रुपये थी। इसी अवधि में पी० एल० 480 का 355.24 करोड़ रुपया ब्याज और मूल जमा हो गया।

इन दोनों मदों को जोड़कर अमरीका की पी० एल० 480 की कुल जमाराशि 2598.32 करोड़ रुपया हो गई।

निश्चित ही इससे व्यय होता है। इसमें भारत सरकार के ऋण की 1,423.05 करोड़ रुपये की राशि है, भारत सरकार के लिये अनुदान की राशि 388.64 करोड़ है। भारत-अमरीका उद्यमों के लिये 141.73 करोड़ रुपये की राशि हैं। अमरीकी उपयोग के लिये 644.90 करोड़ रुपये की राशि है। यह 2500 करोड़ रुपये की जमाराशि का ब्यौरा है।

1956 से अमरीका की गैर-पी० एल० 480 निधि की जमाराशि इस प्रकार है, : विकास सहायता के लिये 31.53 करोड़, गैर-पी० एल० 480 विकास सहायता ऋणों के लिये भारत सरकार द्वारा भुगतान की गई ब्याज तथा भुगतान की राशि 371.94 करोड़ रुपये, विशेष प्रतिभूतियां तथा प्रकीर्ण के लिये भारत सरकार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि 148.28 करोड़ रुपये, अमरीका की कुल अप्रयुक्त गैर-पी० एल० 480 की राशि 520.22 करोड़ रुपये है। 30 जून, 1973 तक भारत में अमरीका की बैंक खातों में, रिजर्व बैंक में इस समय कुल राशि 711.91 करोड़ है। इसके अतिरिक्त ऋणों के भुगतान तथा ब्याज की राशि हमें देनी है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। अर्थात् जो निधि उनकी हमारे यहां है वे उसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। उस पर क्या हमारा कोई नियंत्रण है ? क्योंकि मेरी सूचना यह है कि वे उसे राजनैतिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर देंगे। आप यह प्रश्न पहले ही पूछ चुके हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राशि के प्रयोग पर हमारा कुछ नियंत्रण है।

श्री एस० एम० बनर्जी : कुछ नियंत्रण से उनका क्या तात्पर्य है। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने इसका प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों के लिये किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मंत्री महोदय इस विषय पर सदन में बहुत से विवरण दे चुके हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: अपने दूतावास के लिये। जब वे इस राशि को दूतावास के प्रयोग, के लिये निकालते हैं तो यही समझा जाता है कि राशि दूतावास के उचित उपयोग के लिये ही निकाली जाती है। इसमें अविश्वास का कोई कारण नहीं है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखिये। यह वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है। परन्तु माननीय सदस्य इसमें बहुत सी बातें जोड़ रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरी जानकारी के अनुसार इसका प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों के लिये होता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

Dr. Kailas : May I know the expected time by which this issue is likely to be settled, and it will take time, the main reasons therefor?

Shri Yeshwantrao Chavan : We have undertaken it in the month of July. I do not agree that it is taking much time. To tell you the exact time is not possible for me. But I agree that it will not take much time.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, It appears that the hon. Minister is not prepared to take the House into confidence on this issue. I can appreciate his difficulties. But, may I know, whether it is a fact that there has been a satisfactory talk with U.S. Ambassador in New Delhi and an agreement has been reached but it was not acceded to in Washington?

Shri Yeshwantrao Chavan : There is no such thing. Negotiations are going on but no agreement has been reached so far, we are at the stage to reach it.

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने जो बात कही है मैं उसे भली प्रकार समझता हूं कि वार्ता चल रही है, अतः विवरण नहीं बताया जा सकता। फिर भी क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय जो बातचीत चल रही है उससे पी० एल० 480 निधि का यह सम्पूर्ण मामला सदैव के लिये तय हो जायेगा, अथवा क्या सरकार थोड़े समय के बाद फिर कोई समझौता करने का विचार रखती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : एक दृढ़ समझौता हो जाने के बाद मैं ब्यौरा बता सकूंगा । इस समय इसका ब्यौरा बताना कठिन है ।

डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या सरकार अन्य देशों के ऋणों को समाप्त करने के लिये ऐसे ही कदम उठाने का विचार कर रही है और क्या इस दिशा में ऐसा कोई कदम उठाया गया है, और यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस समय कोई दूसरा ऐसा प्रस्ताव नहीं चल रहा है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है, मंत्री महोदय इस समय बातचीत का विवरण नहीं बताना चाहते हैं । बातचीत में निधि से राशि निकालने पर प्रतिबन्ध लगाने का हमारी ओर से एकपक्षीय प्रस्ताव नहीं है । क्या सरकार का विचार है कि जब तक बातचीत चलती है तब तक निधि से कोई राशि न निकालने के बारे में सहमति हो जायेगी ? क्या सरकार ने यह सुझाव दिया है कि इस अवधि का ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि ब्याज की राशि 5 करोड़ बनती है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कुछ सप्ताह पहले ही बात-चीत आरम्भ हुई है और मुझे आशा है कि कुछ ही सप्ताहों में निर्णय हो जायेगा और कोई जटिलता पैदा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । यह ना ही बातचीत के हित में है और ना ही देश के हित में ।

Imports and Exports to Russia and other Communist Countries

*187. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the value of the articles exported to and imported from Russia and other Communist Countries during such of the last three years; and

(b) the value of the raw material exported by India to these countries during the period?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों को हुए भारतीय निर्यात :

(करोड़ रु० में)

देश	1970–71	1971–72	1972–73
सोवियत संघ	210	209	305
अन्य साम्यवादी देश	152	135	165
योग . . .	362	344	470

रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों से भारत में हुए आयात

देश	1970-71	1971-72	1972-73
सोवियत संघ	106	87	106
अन्य साम्यवादी देश . . .	122	122	112
योग:	228	209	218

(ख) साम्यवादी देशों को हुए कच्चे माल के भारतीय निर्यात

(करोड़ रु० में)

1970-71	1971-72
103	111

Shri Phool Chand Verma : In comparison with the year 1971-72, this statement shows that this year the import value is to the time of nine crores. I want to know what are the reasons for its increase?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमने अनेक नई वस्तुएं खरीदी हैं। यह भी एक कारण हैं कि वस्तु की प्राप्ति कीमत में वृद्धि हुई है।

Shri Phool Chand Verma : The hon. Minister has stated that there is increase in new items. But is it not a fact that particularly for our country. This step is harmful and in an obstruction on the way of achieving self-sufficiency? Will he review this matter so that our imports remain at the minimum level? May I know whether any scheme to this end is under consideration and what steps is he going to take in future?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें औद्योगिक अधिस्थापना, अधिरचना और मध्यम रचना का निर्माण करना पड़ेगा। इस समय हमें कुछ वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा ताकि हम ऐसे ढांचे का निर्माण कर सकें जिसके आधार पर हम आत्म निर्भर बन सकें।

प्रो० मधु दंडवते : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब भारत से रूस को मूंगफली का निर्यात करने के लिए उस देश के साथ करार हुआ था तब बंदरगाह तथा पत्तन कर्मचारी संघ ने यह निर्णय किया था कि जहाजों द्वारा निर्यात के कार्य का बहिष्कार किया जाये, तब रूस के प्रतिनिधियों ने यह घोषणा की थी कि भारत में मूंगफली के उत्पादन में कठिनाइयों के कारण, चाहे अच्छी फसल होने से वे बाद में मूंगफली भेज सकते हैं, रूस इस देश को खाद्य तेल पर्याप्त मात्रा में भेजने को तैयार है। इस बारे में क्या किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : यह एक आम प्रश्न है और आप किसी विशेष वस्तु के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : प्रत्येक वस्तु समूह का अभिन्न अंग होती है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय :यह सच है कि एक समय मूंगफली की कठिन स्थिति के कारण हम न्यूनतम से अधिक निर्यात नहीं कर सके थे ।

प्रो० मधु दंडवते : रूस ने अपेक्षित खाद्य तेल भेजने की जो पेशकश की थी, उसका क्या हुआ ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए । वह अचानक पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं । श्री इन्द्रजीत गुप्त । क्यूबा से वापिस आने पर स्वागतम् ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आंकड़े क्यूबा के साथ हमारे व्यापार के बारे में भी हैं और यदि हां, तो क्यूबा के साथ कितने मूल्य का आयात तथा निर्यात हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न में 'रूस होते हुए' जोड़ सकते हैं क्योंकि प्रश्न रूस के बारे में है ।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : प्रश्न अन्य साम्यवादी देशों से संबंध रखता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :—माननीय सदस्य क्यूबा से आए हैं इसलिए मंत्री महोदय को सावधानी बरतनी चाहिए ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय :—ये आंकड़े रूस तथा अन्य पूर्वी योरुपिय देशों से संबंधित हैं । भौगोलिक रूप से क्यूबा उस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है : क्यूबा के साथ हुए व्यापार के आंकड़े इसमें नहीं दिए गए हैं । मैं क्यूबा के साथ हुए व्यापार के आंकड़े दे सकता हूं बशर्ते कि यह प्रश्न अलग से पूछा जाए ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा भी पहले यह विचार था कि यह रूस से संबंधित है परन्तु यह अन्य देशों से भी संबंधित है । भविष्य में आपको सावधान रहना चाहिए। मंत्री महोदय क्यूबा के साथ हुए हमारे व्यापार के आंकड़े बाद में सभा-पटल पर रख सकते हैं ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं ऐसा ही करूंगा ।

श्री वयालार रवि : इस विवरण से स्पष्ट है कि हमारा निर्यात बढ़ कर 470 करोड़ रुपये का हो गया है जबकि आयात केवल 280 करोड़ रुपये का हुआ है। क्या इस अन्तर का कारण यह है कि हमने उन देशों द्वारा पेश की गई कुछ वस्तुओं को लेने से इन्कार कर दिया है अथवा अन्य देशों ने वे वस्तुएं हमें देने से इन्कार किया है जो हम चाहते हैं ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमारा पूर्वी योरुपिय देशों के साथ व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। जैसा कि आंकड़े बताते हैं, रूस के साथ यह व्यापार सबसे अधिक होता है । यह सच है कि आयात तथा निर्यात व्यापार का अन्तर महत्वपूर्ण है, इसका कारण यह है कि देश में प्रौद्योगिकीय तथा औद्योगिक विकास के कारण हमने अब उन वस्तुओं का आयात बन्द कर दिया है जो हम पहले किया करते थे। इस समस्या पर विचार किया जा रहा है। हम अपने व्यापार का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं और आशा है कि आगामी वर्षों में ये आंकड़े बराबर हो जायेंगे । हम तदनुसार योजना बना रहे हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच है कि रूस को हम अधिकांश कच्चा माल भेजते हैं और उस देश से अधिकांश तैयार माल आता है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सच नहीं है। हमारे कुल निर्यात में कच्चे माल का प्रतिशत केवल अट्ठाईस है। शेष माल बनाया गया तथा तैयार माल होता है।

गैर-सरकारी बैंकों में जमा राशियां

*190. **श्री सी० के चन्द्रप्पन† :**

श्री दिनेश सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हमारे देश में किन 15 गैर-सरकारी बैंकों के पास सबसे अधिक राशियां जमा हैं और इनमें से प्रत्येक बैंक के पास सन् 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में कितनी राशि जमा थी;

(ख) इसी अवधि में भारत स्थित प्रत्येक विदेशी बैंक में कितनी राशि जमा थी;

(ग) इसी अवधि में प्रत्येक वर्ष उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक बैंक को कुल कितना लाभ हुआ; और

(घ) इसी अवधि में प्रत्येक वर्ष विदेशी बैंकों को कितना लाभ हुआ और उन्होंने विभिन्न मदों के अन्तर्गत कुल कितनी राशि विदेश भेजी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5782/73]

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विवरण से पता चलता है कि हमारे देश में गैर-सरकारी बैंकों तथा विदेशी स्वामित्व वाले बैंकों की संख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। कठिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन सभी गैर-सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेगी अथवा कम से कम 50 करोड़ रुपये से अधिक जमा राशियों वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का पुराना मापदंड अपनायेगी? इस तरह चार बैंक पहिले ही ऐसी स्थिति में आ गये हैं और पांचवां बैंक इस स्थिति के निकट है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने यह नहीं पूछा था कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है। मेरा प्रश्न था कि यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है तो इसके क्या कारण हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : क्योंकि सरकार ने ऐसा करने का निर्णय नहीं किया है। यही एक कारण है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं इस उत्तर के प्रति गहरा विरोध प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। वह दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। वह मंत्री महोदय को कोई विशेष कदम उठाने के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : अध्यक्ष महोदय को मेरा मार्ग निर्देशन करने का पूरा अधिकार है। उसी प्रकार वह मंत्री महोदय का भी मार्ग निर्देशन कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस प्रश्न पर उन्हें अधिक मार्ग-निर्देशन की आवश्यकता है। वह अपना दूसरा प्रश्न अच्छे तरीके से पूछें ताकि उन्हें अपेक्षित जानकारी मिल सके।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जिस प्रकार से ये बातें हो रही हैं, उससे मैं अप्रसन्न हूं। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। इस बात को मैं समझ सकता हूं कि सरकार भारतीय एकाधिकारियों के बारे में मौन रहना चाहती है क्योंकि वे उनकी सहायता करना चाहती है। परन्तु हम देखते हैं कि विदेशी एकाधिकार वाले बैंकों की जमा राशि की वृद्धि दर में तेजी के साथ बढ़ोत्तरी हो रही है। इतना ही नहीं वे विभिन्न तरोकों से देश से बाहर धन को भेज रहे हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को हानि पहुंच रही है। इस सत्य को देखते हुये मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा इन विदेशी स्वामित्व वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के मार्ग में कोई अड़चन है? मेरा प्रश्न यह नहीं है कि क्या सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है अपितु मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार ने जानबूझ कर ऐसा निर्णय लिया है कि इस देश में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों की शाखाओं को अपने नियंत्रण में न लिया जाये। उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता है क्योंकि वे इस देश से बाहर बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं इसका तात्पर्य उन बैंकों की भारतीय शाखाओं को बन्द करना होगा। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारे अधिकांश बैंकों की शाखाएं बाहर कार्य कर रही है। हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हमें अन्य देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी मुद्रा का संबन्ध जारी रखना है। इसलिये हमने विदेशी बैंकों की इन शाखाओं के काम में हस्तक्षेप न करने का जानबूझ कर निर्णय लिया है। मेरे विचार में मैंने पूरा उत्तर दे दिया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह पूर्णतया संतोषजनक उत्तर नहीं है।

श्री दिनेश सिंह : जो प्रश्न मैंने पूछा था वह जरा इससे अधिक विस्तृत है।

मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित 38 भारतीय बैंकों का लाभ वर्ष 1971 से वर्ष 1972 के दौरान 20 प्रतिशत तक गिर गया है यथा वर्ष 1971 में उनका लाभ 15.2 करोड़ रुपये था जबकि वर्ष 1972 में यह 12.9 करोड़ था और इसी अवधि में 11 विदेशी बैंकों का शुद्ध लाभ 38 प्रतिशत तक बढ़ा था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आंकड़े दिये गये हैं और माननीय सदस्य का निष्कर्ष इन पर आधारित है।

मेरे विचार में इसका स्पष्ट कारण यह है की अधिकांश बैंकिंग कार्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया जाता है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने प्रारम्भिक वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी नई शाखाएं खोली हैं और उन्हें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने सम्बन्धि सुविधायों का एक व्यापक कार्यक्रम अपनाना

पड़ा। निश्चय ही लाभ की दर पर इसका प्रभाव पड़ा है। विदेशी बैंक शहरी क्षेत्रों में अपना कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि वे आरम्भ से ही वहां है, शहरी क्षेत्रों में जमा राशि कुछ अधिक है। चूंकि वे अधिकांश विदेशी कारोबार कर रहे हैं। इसलिये मेरे विचार में ऐसे बैंकों की लाभ दर संतोषजनक है। मेरे विचार में यह भी एक कारण है।

श्री दिनेश सिंह : यदि मैं ठीक समझा हूं तो वित्त मंत्री महोदय ने पहला कारण यह बताया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्य आरम्भ किया है जहां कि लाभ की दर कम है और दूसरा, विदेशी बैंक इसलिये अधिक लाभ कमा रहे हैं कि विदेशी कंपनियों के साथ उनका बड़े पैमाने पर कारोबार चल रहा है।

क्या वित्त मंत्री महोदय सभा-पटल पर इन आंकड़ों को रखेंगे ताकि हमें यह पता लग सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी धन राशि दी जा रही है। लाभ की दर कम क्यों है और विदेशी कंपनियां अधिक लाभ क्यों अर्जित कर रही हैं। बैंकों द्वारा विदेशी कंपनियों अथवा भारतीय कंपनियों को दिये जाने वाले ऋण की दर समान हैं। तब यह अन्तर कैसे आया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसा कि मैंने कहा है, बैंकों के मुख्यालयों से बाहर बड़ी संख्या में उनकी शाखाएं खोली गई हैं और शहरों में कार्य कर रहे बैंकों, जहां उनके मुख्यालय हैं, की अपेक्षा उन पर व्यय बहुत अधिक आता है।

जहां तक जानकारी देने का सम्बन्ध है, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। गत एक वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए लेखों की संख्या, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गए ऋण आदि के बारे में सभी जानकारी दी गई है। जहां तक विदेशी बैंकों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि हमने ब्यौरेवार सूचना दी है। मैं उनको इस बारे में सूचना देने का प्रयास करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : आज की प्रश्न-सूची में श्री दिनेश सिंह का नाम श्री चंद्रप्पन के साथ रखना यह बताता है कि उनकी विपक्षी सदस्यों के साथ गुपचुप चल रही है ।

Shri Nathuram Ahirwar : I want to know the proportion of credits given in urban and rural areas ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में यह सूचना मैंने दे दी है। इस समय मेरे पास पूरी सूचना नहीं है। मैंने यह सूचना बहुत बार दी है।

श्री जगन्नाथराव : विवरण यह बताता है कि गैर-सरकारी तथा विदेशी बैंकों में जमा राशि लगभग 500 करोड़ रुपये है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमा राशि को शामिल करके यह और भी अधिक है। इस समय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बैंकों में जमा राशि पर व्यक्तियों द्वारा प्राप्त ब्याज, लाभांश आदि पर 3000 रुपये की छूट दी गई है। पूंजी निवेश तथा जमा राशि को बढ़ाने और पांचवीं योजना के लिये संसाधन जुटाने के लिये क्या सरकार 3000 रुपये की छूट सीमा में वृद्धि करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न के भाग (घ) के संबंध में दिये गए ब्यौरे, जो 11 विदेशी बैंकों द्वारा लाभ की प्रेषित रकम के बारे में है, से पता चलता है कि लाभ की प्रेषित रकम की राशि अर्जित शुद्ध लाभ के बराबर है अथवा कुछ मामलों में यह उससे अधिक है। उदाहरण के लिये वर्ष 1970 में नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेस बैंक की शुद्ध आय 0.91 करोड़ रुपये थी परन्तु उसकी प्रेषित रकम 1.53 करोड़ रुपये थी। मैं उनसे जानना चाहता हूं, यद्यपि उन्होंने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करने के कारण बताए हैं, कि लाभ की प्रेषित रकम की अधिकतम सीमा निर्धारित करने में क्या बाधा है? हम देखते हैं कि न केवल समूचा लाभांश प्रेषित किया जा रहा है अपितु कुछ मामलों में शुद्ध लाभ से अधिक राशि प्रेषित की जा रही है। मैं जान सकता हूं कि सरकार का इस बारे में क्या स्पष्ट विचार है तथा रिज़र्व बैंक को क्या अनुदेश दिया गया है? कम से कम प्रेषित किये जा रहे लाभांश की अधिकतम सीमा लागू न करने के क्या कारण हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने भी उन आंकड़ों को देखा है और मुझे आशा थी कि कुछ सदस्य इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे। जिन आंकड़ों का हवाला दिया गया है वह वर्ष 1970 के हैं.........

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अन्य मामले भी हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं। अधिकतर इस धनराशि को लाभ के खाते में रखा जाता है और आगामी वर्ष में दोनों तरीकों से समायोजन कर लिया जाता है। परन्तु हाल ही में रिज़र्व बैंक ने कुछ अनुदेश जारी किये हैं। रिजर्व बैंक ने वर्ष 1973 में अनुदेश जारी किये हैं कि वर्ष 1974 के आरम्भ से भारत में काम कर रहे विदेशी बैंक वर्ष में केवल एक बार वर्ष के पूर्वार्ध के अन्त में अर्थात् 30 जून को खाते में धनराशि जमा करके भेज सकते हैं और इस आशय की अनुमति दिये जाने से पूर्व इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि खाते में जमा करवा करके भेजी जाने वाली राशि पिछले तीन वर्षों में भेजे गये लाभ की अर्धवार्षिक औसत की तुलना में अधिक न हो। अनुदेशों में इस बात का भी उल्लेख है कि इन वर्षों के लाभ की शेष राशि को बैंक के खातों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद और बैंक विनियमन अधिनियम की धारा 29 के संदर्भ में तैयार किये गए संतुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखा विवरणों की लेखा परीक्षा के बाद प्रस्तुत किये जाने पर भेजने की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अनुदेश ये हैं कि भेजी जाने वाली राशि लाभ के अनुपात में अधिक नहीं होनी चाहिये। इसका अर्थ यह है कि लाभ की पूरी राशि भेजी जा सकती है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या लाभ की शत् प्रतिशत राशि, जितनी बैंकों द्वारा बताई गई हो, भेजी जा सकती है अथवा इसपर किसी हद तक कोई रोक लगाने का विचार है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य देश क्या करते हैं। हमारे बैंक भी अन्य देशों में काम कर रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाना है।

गैर-निवासी भारतीयों को विदेशी मुद्रा और मशीनें भारत में लाने की अनुमति

*193. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-निवासी भारतीयों द्वारा भारत में उद्योग स्थापित करने के लिये लाई जा सकने वाली विदेशी मुद्रा और मशीनों की सीमा में छूट देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कितने व्यक्तियों ने उद्योग स्थापित करने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं, कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा उनके द्वारा कुल कितनी पूंजी लगायी जायेगी ?

वित मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) विदेशों से वापस आने वाल लोगों द्वारा देश में विदेशी मुद्रा लाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जहां तक आयातों का सम्बन्ध है तकनीकी योग्यता प्राप्त लोगों को भारत वापस लौटने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सार्वजनिक सूचना संख्या 182-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73 दिनांक 31 अक्टूबर, 1973 द्वारा तथा संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण नीति-(1973-74) का एक उद्धरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें विशिष्ट सुविधाओं का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5783/73]

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिय गया है।

विवरण

1. उदार योजना के अन्तर्गत मशीनों के आयात के लिये विदेशों से लोटने बाले भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा दिये गये आवेदन-पत्रों की कुल संख्या . .	250
2. जारी किये गए लाइसेंसों की कुल संख्या	113
और लागत बीमा भाड़ा मूल्य . . .	3,46,60,437 रुपये
3. उन क्षेत्रों के नाम जिनके संबंध लाइसेंस दिये गये हैं	क्रिम्पिग मशीनें, निटिंग और रेशल मशीनें, छपाई की मशीनें, बिजली के उपकरण मोटर गाडियों के उपकरण और कतिपय अन्य बिविध उद्योग।

टिप्पणी:– उपर्युक्त आंकड़े मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा 17 नबम्वर, 1973 तक प्राप्त आयात आवेदनों पत्रों के संदर्भ में इकट्ठे किये गये हैं।

श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : विवरण से यह पता चलता है कि केवल लघु क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिये आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि केवल लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिये ही आवेदन-पत्र क्यों स्वीकार किये गये ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसका कारण यह है कि केवल पांच लाख रुपये लगाने की अनुमति दी गयी है और इसके फलस्वरूप उन्हें केवल लघु क्षेत्र में लगाया जा सकता है। अब हम ने 25 लाख रुपये तक देने की अनुमति दे दी है और यह सम्भव है कि भविष्य में कुछ बड़े उद्योगों के लिये भी ये सुविधाएं दी जा सकें।

श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : जो लाइसेंस दिये गये हैं उनमें से कितने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिये दिये गये हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उद्यमकर्त्ताओं को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिये वित्तीय तथा कर सम्बन्धी रियायतें दी जाती हैं। यदि ये लोग उन क्षेत्रों में जायें तो निश्चय ही इनका स्वागत किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye : Sir, the hon'ble Minister will perhaps be aware that in the past 10—12 years the income of Indians in England, U.S.A., Canada and Australia etc. has increased manifold but the foreign exchange repatriated by them is not proportionate to the increase in their income and it is rather less than the amount they used to send back to India. I would like to know whether the hon'ble Minister would formulate any scheme under which that foreign exchange which is being sold in blackmarket could come to this country so that we are benefited?

Shri Yeshwant Rao Chavan : This is our intention and with a view to this we have raised the limit of Rs. 5 lakhs to Rs. 25 lakhs. This is one of the ways to ensure that.

Shri Madhu Limaye : In view of the fact that Pound and Dollar are selling in black market will these people be given some facilities? Will they be given something more than the exchange rate. So that smuggling is stopped?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बात को स्वीकार करना कठिन है। नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Many countries have done like this.

Shri Yeshwant Rao Chavan : We have not agreed to it as yet.

आयकर छूट की सीमा में वृद्धि

*194. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये की क्रय शक्ति में भारी कमी को देखते हुए सरकार ने हाल में आय-कर छूट की सीमा में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् रुपये की क्रय शक्ति में कितनी कमी हुई है तथा जब छूट की सीमा प्रति वर्ष 4,000 रुपये निर्धारित की गयी थी तथा जब इसे बढ़ाकर 5,000 रुपया किया गया था तबसे रुपये की क्रय शक्ति में कितनी कमी हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) आयकर से छूट की सीमा को बढ़ाने के सुझावों पर हाल के वर्षों में अनेक बार विचार किया गया है, लेकिन उनको स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : मेरे प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछने से पूर्व मैं भाग (ख) का उत्तर जानना चाहता हूं।

श्री के० आर० गणेश : भाग (ख) को भाग (क) के साथ जोड़ दिया गया है क्योंकि सरकार ने उस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है। परन्तु यदि माननीय सदस्य आंकड़े जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं।

भारतीय रुपये की क्रय शक्ति को सामान्यतः श्रमजीवी वर्ग के उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक के हिसाब से मांका जाता है। पहले श्रमजीवी वर्ग का सूचकांक 1949-100 था। अब इसकी 1960-100

माना जाता है। इस आधार पर अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक—वर्ष 1965-67 में भारतीय रुपये की क्रय-शक्ति 59.17 थी और सितम्बर, 1973 में 33.22 थी।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या सरकार इस स्थिति का समय समय पर पुर्नविलोकन करना उचित नहीं समझती? मैं यह नहीं कहता कि हर वर्ष पुर्नविलोकन किया जाये परन्तु सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार मूल्य सूचकांक में केवल गत वर्ष में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो लोग 450 रुपये तक की आय वाले हैं और जिन्हें आय-कर देना पड़ता है, उनका यही तर्क है। क्या सरकार कम आय वाले इस वर्ग के संबंध में विचार करना उचित नहीं समझती?

श्री के० आर० गणेश : इस संबंध में विभिन्न समितियों ने भी विचार किया है और सरकार भी समय समय पर विचार करती रही है। प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने, जिसे वांचू समिति कहा जाता है, इस मामले पर विचार किया था और उन्होंने छूट की सीमा बढ़ाने की सिफारिश नहीं की है। वर्ष 1965-66 में छूट की सीमा 3,000 रुपये थी। वर्ष 1970 के वित्त अधिनियम में, वर्ष 1970-71 के मूल्यांकन से लेकर, छूट की सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई थी। इस पर जो छूट दी गई है उससे वास्तव में सीमा लगभग 6,000 रुपये हो जाती है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : मेरा प्रश्न सीधा सा है। क्या सरकार मूल्य सूचकांक वृद्धि को देखते हुए इस सीमा पर समय समय पर पुनः विचार करना उचित नहीं समझती? 450 रुपये प्रति मास पाने वाले व्यक्ति को भी इन सब विनियमों का पालन करना पड़ता है और इसी लिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सीमा को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है?

श्री के० आर० गणेश : जब मैंने आंकड़े दे दिये हैं कि वर्ष 1965-66 में छूट की सीमा 3,000 रुपये थी . . .

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उनका सीधा सा प्रश्न यह है कि क्या सरकार कोई ऐसा सिद्धान्त बनाने पर विचार कर रही है जिसमें समय समय पर पुर्नविलोकन किया जा सके?

श्री के० आर० गनेश : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सरकार द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद मूल्यों में कमी नहीं बल्कि वृद्धि हो रही है क्या सरकार का केन्द्रीय और राज्य सरकारों के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में यदि वे उन्हें अधिक वेतन नहीं दे सकती तो छूट की सीमा 10,000 रुपये करने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय : परन्तु आप को आशा है कि उनकी इतनी आय होगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : वे अच्छा वेतन नहीं देते तो छूट की सीमा ही बढ़ा दें।

श्री के० आर० गणेश : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में भारतीय पटसन वस्तुओं के मूल्य

*195. **श्री मधु लिमये :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में सभी वस्तुओं और उत्पादों के मूल्यों में 7 से 10 प्रतिशत प्रति-वर्ष के हिसाब से वृद्धि हुई है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में हमारे पटसन की वस्तुओं को भी इन बढ़े हुये मूल्यों पर बेचा जा रहा है ;

(ग) क्या कम मूल्य के बीजक बना कर निर्यातकर्ता बिदेशी मुद्रा की आय में हो रही बृद्धि के अधिकांश भाग को स्वयं ही हथिया लेते हैं तथा उसे विदेशों में रखते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो हमारी विदेशी मुद्रा की आय को अन्य देशों में जाने से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का बिचार है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) हाल के महीनों में पटसन निर्मित माल की कीमत में थोड़ी वृद्धि हुई है।

(ग) तथा (घ) निर्यातों के कम मूल्य के बीजक बनाने को रोकने के लिये विदेशी मुद्रा विनियमय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत पहले से उपलब्ध अधिकारों में भी वृद्धि कर दी गई है।

Shri Madhu Limaye : Sir, we have our embassies in U.S.A., Britain, and other countries and our commercial attaches are also there and I want to know whether figures pertaining to marginal increase have been obtained from embassies or from the exporters? If there is marginal increase, what are the details?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं अभी सम्पूर्ण ब्यौरा नहीं दे सकता। परन्तु इतना बता सकता हूं कि समय-समय पर बाजार में मूल्यों में घटबढ़ होती रही है। तेल के संकट से पूर्व एक प्रकार के आंकड़े थे। योरोपीय आर्थिक समुदाय में एक प्रकार के आंकड़े होते हैं तो अमरीका में दूसरे प्रकार के। अतः केवल थोड़ी सी वृद्धि हुई है। आंकड़ों के घटने-बढ़ने और अलग-अलग होने के कारण मैं बिशिष्ट आंकड़े नहीं बता सकता। यदि वह कोई अन्य प्रकार के आंकड़े चाहते हैं तो मैं उन्हें वे भेज दूंगा।

Shri Madhu Limaye : I had asked whether figures have been collected from our embassies or . . .

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या आपने आंकड़े अपने साधनों से लिये हैं या अन्य देशों के साधनों से।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमने अपने साधनों से आंकड़े एकत्र किये हैं--अपने दूतावासों से।

Shri Madhu Limaye : They had reduced or abolished export duty so that the mill owners may purchase jute at the price fixed by the Government and will maintain the prices at such a level by which export may increase. Is the hon'ble Minister aware that his hopes have not been fulfilled? The prices of jute have been increased by 20 percent and may I know its effect on the exports?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमने उतनी राहत नहीं दी थी जितनी मांगी गई थी। परन्तु हमने आंशिक रूप से राहत दी थी और उससे प्राप्त लाभ ने उसे उचित सिद्ध कर दिया है। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। विद्युत की भारी कमी के कारण उत्पादन में 20 प्रतिशत की कमी हुई है। उत्पादन में कमी के कारण हमने जो आंकड़े दिये हैं उनसे निर्यात की आय का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि उद्योगों में उत्पादन इतना नहीं बढ़ा जितनी हमें आशा थी।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं मंत्री महोदय से पूंछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में भारी वृद्धि के साथ-साथ मूल्यों में भी भारी वृद्धि हुई है और इस कारण अन्य देशों में जूट और जूट के सामान की मांग भी अत्यधिक है ? इसलिये इन वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। मैं पूंछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने किस साधन से सूचना एकत्र की है ? क्या उन्होंने हमारे दूतावासों से प्राप्त की है या किसी अन्य साधन से ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मेरे पास जानकारी है।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या मूल्य में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं हुई है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मूल्य में वृद्धि अवश्य हुई है परन्तु 50 प्रतिशत तक नहीं। मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे जूट के सामान के लिये अब तक स्थिति अनुकूल नहीं है। अब कुछ ही अनुकूल है। मेरे पास कई प्रकार के आंकड़ें हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनमें से कुछ बता सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने संशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के कुछ उपबन्धों का उल्लेख किया है जो कम राशि के बीजक बनाने को किसी हद तक रोक पायेंगे। क्या यह सच नहीं है कि इस अधिनियम के नये उपबन्धों के बावजूद इस अधिनियम में या अन्य कहीं ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अनुसार निर्यातकर्ता प्रत्येक सौदे के वास्तविक बीजक—बीजकों की प्रतियां —और लदान-पत्र रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकार के पास जमा करवा दें यदि यह बात ठीक है तो कम राशि के बीजक बनाने की इस बुराई को जिससे निर्मित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है, किस प्रकार दूर करने का विचार है ? तैयार वस्तुओं के मूल्य में पहले ही वृद्धि हो गई है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस संबंध में माननीय सदस्य विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के खंड 18 को पढ़ें जिसमें इस प्रकार की आकस्मिक स्थिति का मुकाबला करने की व्यवस्था है। इस खंड में निर्यातित वस्तुओं के लिए भुगतान की व्यवस्था है और उसमें लिखा है कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की रोक लगा सकती है कि निर्यातकर्ता रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना परेषित माल के आधार पर निर्यातित वस्तुओं को उस मूल्य से कम पर बेचने की अनुमति नहीं देगा जो उसने निर्यात के समय घोषित की थी। अन्य बातों के साथ साथ इसमें यह सुनिश्चित करने के लिये, ऐसी वस्तुओं को परेषित माल के आधार पर निर्यात रोकने की भी व्यवस्था की गई है, कि निर्यात से प्राप्त राशि उचित समय पर और बिना विलम्ब वसूल हो जाये और इस प्रयोजन के लिये निर्यातकों को उचित प्राधिकार के साथ उल्लेख किया जायेगा, जिसका विक्रय संविदा पंजीकृत कराने होंगे।

कौल समिति द्वारा इस संबंध में की गई सिफ़ारिशों के अनुसार पहले से स्वीकृत कुछ प्रक्रिया के फलस्वरूप कुछ ठोस परिणाम निकले हैं जिनसे ये बातें काफ़ी हद तक रुक गई हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

एकाधिकार गृहों द्वारा की गई आयकर और धनकर संबंधी गल्तियों के बारे में जांच करना

*181. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एकाधिकार गृहों के नाम क्या हैं जिनकी आय-कर और धन-कर संबंधी गल्तियों के बारे में जांच वित्त मंत्रालय का एक विशेष सैल कर रहा है ; और

(ख) ये जांच कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) निरीक्षण निदेशालय (जांच-पड़ताल) में एक विशेष एकक को बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा कर-अपवंचन/कर-परिहार के लिए अपनाए जाने वाले तकनीकों का अध्ययन न करने का काम सौंपा गया है। इस समय इस विशेष एकक ने बिड़ला समूह और बाजोरिया-जालान समूह की विस्तृत जांच-पड़ताल का काम हाथ में लिया हुआ है।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता। विशेष एकक का क्षेत्राधिकार भारत भर में है और यह इन समूहों के कर-निर्धारण के मामलों में आवश्यक जांच करके संबंधित आयकर अधिकारी की सहायता करने की स्थिति में होगा। कर-निर्धारणों को आयकर अधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार पूरा किया जायेगा।

अखबारी कागज के आयात के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल का अमरीका तथा कनाडा का दौरा

*182. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अखबारी कागज की भारी कमी को देखते हुए अधिक से अधिक अखबारी कागज प्राप्त करने के लिये एक प्रतिनिधि मंडल अमरीका तथा कनाडा गया था ; और

(ख) जितने अखबारी कागज का करार किया गया था, देश को उसका कुछ भाग ही प्राप्त होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) अखबारी कागज की सप्लाइयां कनाडा में कागज मिलों में तथा रेल-मार्गों में हड़ताल, स्कैंडीनेविया से जहाजों में स्थान प्राप्त करने में कठिनाइयों और बगंला देश में अपेक्षाकृत कम उत्पादन होने के कारण संविदागत मात्राओं से कुछ कम रही हैं।

जर्मन जनवादी गणतंत्र द्वारा भारतीय कच्चे माल का आयात

*183. **श्री पी० वेंक्टासुब्बया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणतंत्र ने अधिक भारतीय कच्चे माल का आयात करने में रुचि दिखाई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त वस्तुओं के नाम क्या हैं तथा उनकी मात्रा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य का एक प्रतिनिधि मंडल अक्तूबर, 1973 में भारत आया तथा उसने यह विचार प्रकट किया कि परम्परागत वस्तुओं में व्यापार का विस्तार दोनों देशों के बीच व्यापार विस्तार की नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिये। इसने भारत से आयात बढ़ाने में जिन परम्परागत वस्तुओं में दिलचस्पी प्रकट की वे थीं, खली, हड्डियों का चूरा, अर्ध तैयार खालें तथा चमड़ियां, मसाले, काफी, अभ्रक आदि। जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल को यह बता दिया गया था कि इन वस्तुओं में निर्यातों के बिस्तार का क्षेत्र सीमित है। इस बात पर सहमति थी कि दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार तथा बिविधीकरण के लिये भारत तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य दोनों प्रयास करेंगे तथा दोनों देशों की आयात आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

दिल्ली के निकट 31 मई, 1973 को हुई बोईंग विमान दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को दिया गया मुआवजा

*186. **श्री जी० विश्वनाथन :**

श्री मोहन राज :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के निकट 31 मई, 1973 को हुई बोईंग विमान दुर्घटना के पीड़ितों को कुल कितना मुआवजा दिया गया ; और

(ख) प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कितना मुआवजा दिया गया ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) एक बिवरण लोक सभा पटल पर रखा है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी० 5784/74]।

पांचवीं योजना में मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण करने की कार्यवाही

***188. श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त तथा योजना मंत्रालयों ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिये की जाने वाली कार्यवाही को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण रखना पांचवीं आयोजना की विकास संबंधी नीति का मुख्य तत्व होगा। इस नीति को मोटे तौर पर "पांचवीं आयोजना के मसौदे की रूप-रेखा" में बताया जायेगा, जिसे अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

भारतीय पटसन निगम द्वारा उत्पादकों की उपेक्षा कर उद्योग की सहायता करने संबंधी समाचार

***189. श्री रानेन सेन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अक्तूबर, 1973 के "दि इकोनोमिक टाइम्स" में "जे सी आई सर्विंग इन्डस्ट्री-नाट ग्रोअर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इकोनोमिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार में व्यक्त किये गये विचारों से सहमत नहीं है।

फ्लाईंग क्लबों की बन्द होने की स्थिति

***191. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावी पायलटों को प्रशिक्षण देने वाले देश के फ्लाइंग क्लब बन्द होने की स्थिति में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) विमानन इंधन के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि के कारण क्लबों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ गया है, और उन्होंने आवेदन किया है कि यदि सरकार उनकी सहायता नहीं करेगी तो उन्हें अपने परिचालन बंद करने पड़ सकते हैं। मामले की जांच की जा रही है।

छठें वित्त आयोग की सिफारिशें

*192. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठे वित्त आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसार वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश, उस पर की गई कार्रवाई से सम्बद्ध व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित, संसद् के प्रत्येक सदन के सम्मुख प्रस्तुत करनी होती है।

उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और उनके संबंध में "की गई कार्रवाई की रिपोर्ट" शीघ्र ही संसद् के प्रत्येक सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दी जायेगी।

चालू वर्ष के दौरान अमरीका को कपड़े के निर्यात में वृद्धि

*196. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अमरीका को कपड़े के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) अन्य कौन-कौन से देशों को भारत कपड़े का निर्यात करता रहा है; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और भारत ने विदेशों को कपड़े का निर्यात करना कब से आरंभ किया है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) भारतीय सूती वस्त्रों का आयात करने वाले अन्य देशों में, ब्रिटेन, सोवियत संघ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देश, नाडिके देश, कनाडा, पोलैंड, आस्ट्रेलिया, सूडान, सिंगापुर, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी के पत्तन, सऊदी अरब, बंगलादेश, मलेशिया, स्वीडन, चैकोस्लोवाकिया तथा न्यूजीलैंड शामिल हैं। भारत इन देशों को विगत कई दशाब्दियों से परम्परागत रूप से सूती वस्त्रों का निर्यात करता रहा है। 1973 में जापान तथा हांगकांग भी भारतीय सूती वस्त्रों के आयातकों के रूप में प्रकट हुए हैं। जनवरी-अक्तूबर, 1973 की अवधि के दौरान सूती वस्त्रों का निर्यात 155,15.9 लाख रु० के होने का अनुमान है जबकि 1972 के पूरे वर्ष में 150.1 करोड़ रुपये और 1971 में 109.3 करोड़ के निर्यात हुए थे।

पंजाब में औद्योगिक कारखानों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वित्तीय सहायता

*197. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पंजाब के औद्योगिक कारखानों को बहुत थोड़ी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश को इस बैंक से पर्याप्त सहायता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अगस्त, 1973 के अंत तक पंजाब राज्य में स्थित विभिन्न औद्योगिक एककों को कुल 7.90 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की है। इसी अवधि के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को क्रमशः 205.49 करोड़ रुपये, 94.37 करोड़ रुपये, 102.55 करोड़ रुपये, 83.04 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गयी।

विकास बैंक अपेक्षाकृत बड़ी परियोजनाओं को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है कि उपयोगी प्रयोजनाओं को संस्थागत वित्त के अभाव में हानि न हो। सभी मामलों में, परियोजना की तकनीकी आर्थिक सक्षमता के संबंध में संतुष्ट होने के पश्चात् स्थान की उपयुक्तता के संबंध में जांच की जाती है, लेकिन परियोजना के स्थान के संबंध में उद्यमकर्ता द्वारा स्वयं ही निर्णय किया जाता है। अन्य बातें समान होने पर, विकास बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है कि, यथासंभव, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहायता का रूप सभी राज्यों में समान हो।

खाद्यान्न व्यापार के लिये बैंकों द्वारा ऋण

*196. **श्री इन्द्र जीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को खाद्यान्न व्यापार के लिये ऋण न देने के लिये कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण के बाद बैंक अब तक खाद्यान्न व्यापार के लिये कितना ऋण दे चुके हैं; और

(ग) वर्ष 1970-71, 1971-72 में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खाद्यान्न व्यापार के लिये कितना ऋण दिया था।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खाद्यान्न व्यापार के लिये ऋण की मंजूरी रिज़र्व बैंक द्वारा लागू कठोर चयानात्मक नियंत्रण उपायों की शर्तों के अनुसार दी जाती है। इन नियंत्रणों के ढांचे से संबंधित तीन मुख्य बातें यह हैं, (1) ऋणों के स्तर के लिए अधिकतम सीमा; (2) ब्याज की न्यूनतम दर ; और (3) न्यूनतम मार्जिन।

ऋण का अधिकतम स्तर : धान/चावल और अन्य खाद्यान्नों (गेहूं को छोड़कर जिसके संबंध में रोक लगी हुई है) पर ऋण पिछले तीन वर्षों, 1972-73, 1971-72 और 1970-71 में ऋण के अधिकतम स्तर पर आधारित पार्टीवार अधिकतम सीमा की शर्तों के अनुसार दिये जाते हैं, वर्ष नवम्बर से अक्टूबर तक माना गया है।

ब्याज की न्यूनतम दर : 17 नवम्बर, 1973 से अनुज्ञेय ऋणों के संबंध में ब्याज की न्यूनतम दर पहले की 12 प्रतिशत के बजाय 13 प्रतिशत निश्चित की गयी है।

न्यूनतम मार्जिन : न्यूनतम मार्जिन निश्चित करने के प्रयोजन से (1) व्यापारियों और (2) चावल मिल दाल मिल आदि जैसे प्रक्रिया एककों में भेद किया जाता है। व्यापारियों के लिए निश्चित किया गया

न्यूनतम मार्जिन 60 प्रतिशत है। अन्य शब्दों में, व्यापारियों द्वारा बैंकों के पास बंधक या दृष्टिबंधक के रूप में रखे गये माल के मूल्य का केवल 40 प्रतिशत तक ही ऋण ले सकते हैं।

गेहूं का थोक व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिये जाने के कारण गेहूं के संबंध में थोक व्यापारियों को बैंक ऋण नहीं दिया जा सकता लेकिन खुदरा व्यापारियों और अन्य अधिकृत व्यापारियों (जिनमें रोलर आटा चक्की शामिल हैं) को ऋण मंजूर किया जा सकता है बशर्ते कि उनके द्वारा रखे गये स्टाक पर राज्य सरकारों ने रोक न लगाई हो। गेहूं के थोक व्यापार को राज्य सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने की घोषणा के तत्काल बाद रिज़र्व बैंक ने मई, 1973 में वाणिज्यिक बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि उन व्यापारियों को छोड़कर जिन्हें सम्बद्ध राज्य सरकार से खुदरा व्यापारी के रूप में स्टाक रखने के लाइसेंस प्राप्त हों, जहां कहीं ऐसे लाइसेंस निर्धारित किये गये हों, किसी भी थोक व्यापारी या खुदरा व्यापारी पर गेहूं की प्रतिभूति पर कोई ऋण बकाया न रहे।

असम में धान और चावल का थोक व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के बाद रिजर्व बैंक ने असम राज्य में धान और चावल का काम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यापारियों को छोड़कर धान और चावल पर व्यापारियों को ऋण दिये जाने पर रोक लगा दी है।

रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए हिदायत दी हैं कि ऋण नियंत्रण ठीक-ठीक और प्रभावकारी ढंग से लागू किए जायें और खाद्यान्नों और आवश्यक अन्य वस्तुओं पर सभी अनुज्ञेय ऋणों पर कड़ी नजर रखें, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पार्टियां बैंक ऋण से अधिक स्टाक न रख सकें, विशेष रूप से उन ऋणों पर नजर रखें जो 20,000 रुपये से अधिक के हों। बैंकों से पार्टियों द्वारा ऋण के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है और यह सलाह दी गई है कि अलग-अलग मामलों में, यदि ऋणकर्ता के आचरण के कारण ऐसे उपाय आवश्यक समझे जायें तो उन्हें खाद्यान्न पर दिये गये ऋणों में कटौती कर देनी चाहिए या उन्हें वापस ले लेना चाहिए।

(ख) और (ग) खाद्यान्न पर दिये जाने वाले बैंक ऋणों के संबंध में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है, जिसमें खाद्यान्न प्राप्ति अभिकरणों को दिये गये ऋण शामिल नहीं हैं।

खा न्न पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल हैं) द्वारा दिये गये बैंक ऋणों की बकाया रकम

को बकाया	(करोड़ रुपयों में)
11 जून, 1971	86.30
29 जून, 1972	98.00
29 जून, 1973	42.10

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

ऊपर दिये गये आंकड़े केवल थोक और खुदरा व्यापारियों को दिये गये ऋणों से ही संबंधित नहीं हैं बल्कि किसानों, चावल मिलों, दाल मिलों, और अन्य प्रक्रिया एककों तथा औद्योगिक प्रयोक्ताओं से भी संबंधित हैं।

Loss suffered by Wig India

*199. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Wig India has suffered a loss of about rupees 1.5 crores as a result of decline of sale in international markets; and

(b) the facts of the matter and remedial measures taken in this regard?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) Yes, Sir. The Wig India of the S.T.C. has suffered a loss of Rs. 173.45 lakhs in the last five years from 1968-69 to 1972-73.

(b) The Wig India after it was set up in 1965, made profits in the first two years 1966-67 and 1967-68 but since 1968-69, it has been incurring losses on account of severe competition from synthetic products and consequent steep fall in demand for human hair goods. Steps have been taken to diversify the production with a view to making this factory a viable unit. Eye lashes and cowboy uppers are now being made at the factory and a proposal for setting up a leather development unit in the factory is under active consideration. As a result of these steps the losses incurred by the factory are decreasing year by year.

अनुवादकों के वेतनमानों में विषमता

*200. **श्री मूल चन्द्र डागा :**

डा० गोबिन्द दास रिछारिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुवादकों की समान योग्यताओं और कार्यभार को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अनुवादकों के वर्तमान वेतनमानों और गृह मंत्रालय (केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो) के वरिष्ठ अनुवादकों के वेतनमानों में विषमता है; और

(ख) यदि हां, तो उनके वेतनमानों में विषमता को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ अनुवादक का कोई पद नहीं है, इसलिए दो वेतनमानों के बीच तुलना का प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा छोटी टकसाल पर छापा

1803. **श्री वरके जार्ज :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अक्टूबर, 1973 को कलकत्ता के निकट किसी छोटी टकसाल पर केंद्रीय जांच ब्यूरो, कलकत्ता के अधिकारियों ने छापा मारा था; और

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच कराई थी, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के

अधिकारियों ने, कलकत्ता के निकट बरासत पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में विवेकानन्द नगर (करवला) नामक स्थान पर 15 नवम्बर, 1973 को एक कमरे पर छापा मार कर, जिसमें विजय सरकार नामक एक व्यक्ति रहता था, 1.5 लाख रुपये के अंकित मूल्य की भारतीय मुद्रा तथा 3.5 लाख रुपये के अंकित मूल्य की बंगलादेश की मुद्रा बरामद की थी। इसके अलावा, इन नोटों के निर्माण के प्रयोजन से इस्तेमाल किये गये मेटल ब्लाक, हैण्ड प्रेस तथा आटोनम्बर जैसी अन्य गैर-कानूनी वस्तुएं भी बरामद की गयीं। मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच चल रही है। संबन्धित व्यक्ति को गिपतार कर लिया गया है।

प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में वृद्धि

1804. श्री एम० कत्तामुतु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 सितम्बर, 1973 के 'पेट्रियाट' में प्रकाशित रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का भविष्य उज्जवल है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार रबड़ के उत्पादन में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति उत्साहवर्धक है। रबड़ बागान उद्योग के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना की प्रस्थापनाओं के प्रारूप में, रबड़ बोर्ड ने प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिये बहुत सी योजनाएं शामिल की हैं। इन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

Target fixed for the export of Cloth in 1973

1805. Shri Shiv Kumar Shastri:

Shri G. P. Yadav:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the target fixed by India for the export of cloth in 1973;

(b) the extent to which it was higher in comparison to the target for the year 1973; and

(c) the extent to which success is being achieved in achieving that target?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) and (b) The export target for cotton textiles for the year 1973-74 is Rs. 175,00.00 lakhs as against the export target of Rs. 133,15.00 lakhs for 1972-73.

(c) Exports of cotton textiles during April-October, 1973 are estimated at Rs. 10902.50 lakhs and should present export trends continue, the target for 1973-74 is likely to be attained.

बसंत बिहार, नई दिल्ली स्थित दुकान में आयातित वस्तुओं की बिक्री

1806. **श्री राम धन** : क्या **वित्त** मंत्री 24 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4233 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसंत बिहार, नई दिल्ली में माडर्न बाजार में कोई अन्य छापा मारा गया है और यदि हां, तो कितने मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई हैं ; और

(ख) इन वस्तुओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। दिल्ली सीमाशुल्क विभाग द्वारा 27 अगस्त, 1973 को बसन्त बिहार स्थित माडर्न बाजार के परिसर में फिर छापा मारा गया था और लगभग 12,000 रु० के मूल्य की विदेशी वस्तुएं पकड़ी गई।

(ख) जिन दुकानों पर संदेह होता है उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, गुप्तसूचना एकत्रित की जाती है तथा जब कभी यह विश्वास करने का कारण होता है कि किसी स्थान में तस्करी की वस्तुएं गुप्त रूप से रखी गई हैं, तो वहां छापे मारे जाते हैं।

केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्ता के कार्यालय, नई दिल्ली में वस्तुओं की नीलामी

1807. **श्री भागीरथ भवंर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्ता के कार्यालय में 31 अक्तूबर, 1973 से 6 नवम्बर, 1973 तक विभिन्न वस्तुओं की नीलामी रोक दी गई थी ;

(ख) क्या नीलामी के दौरान उन वस्तुओं का जो मूल्य मिला वह बाजार में विद्यमान मूल्यों की तुलना में अधिक था ; और

(ग) क्या उक्त कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों अथवा उनके रिश्तेदारों को नीलाम में भाग लेने की मनाही है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। जब्त किया गया माल सीमाशुक्ल तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय, दिल्ली द्वारा 31 अक्तूबर, 1973 से 6 नवम्बर, 1973 तक आयोजित सार्वजनिक नीलामी के जरिय बेच दिया गया था।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नीलामी में बोली बोलना निषिद्ध है। परन्तु उनके रिश्तेदारों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है, क्योंकि नीलामी आम जनता के लिए खुली होती है और बोली बोलने वाले के पूर्ववृत्त अथवा विभाग के किसी कर्मचारी से उसकी रिश्तेदारी के बारे में जानकारी प्राप्त करना व्यवहार्य नहीं है।

सुपारी के मूल्य में गिरावट को रोकना

1309. **श्री के० मालन्न** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) सुपारी के मूल्य में गिरावट को रोकने और फफूंदी को घटाने की दिशा में क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ख) भारतीय सुपारी विकास परिषद् की सिफारिशों के अनुसार सुपारी तथा इसके उत्पादों के वैकल्पित उपयोगों का पता लगाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सुपारी की कीमतों में गिरावट को रोकने के लिये उठाये गये कदम ये हैं :—

(1) विपणन सुविधाओं के सुधार के लिये तथा इस प्रकार उपजकर्ताओं को पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करने के लिये केरल तथा कर्नाटक में, जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, सैन्ट्रल मार्किटिंग एण्ड प्रोसेसिंग फैडरेशन की स्थापना की गई है ।

(2) सुपारी की खपत बढ़ाने के लिये इसके नये उपयोगों का पता लगाया जा रहा है ।

(3) सुगन्धित सुपारी के लिये नये निर्यात बाजार स्थापित किये जा रहे हैं ।

(4) प्रति एकक क्षेत्र उत्पादकता बढ़ाने हेतु खेती गहन के लिये उदार ऋणों की व्यवस्था की जा रही है ।

फफूंदी के फैलाव को रोकने के लिये अनेक रोग निरोधक उपाय भी किये गये हैं।

(ख) सुपारी के लिये जिन नये उपयोगों की सिफारिश की गई है वे हैं :

(1) टुथ-पैस्ट के विनिर्माण में ।

(2) पैकिंग पेपर, इन्सुलेशन पैड तथा पोलट्री लिटर के विनिर्माण में सुपारी के छिलकों का उपयोग ।

(3) खाद्य तथा श्रृंगार सामग्री उद्योग में सुपारी फैट का उपयोग।

(4) सुगन्धित सुपारी तैयार करने के फैट रहित की गई सुपारी का उपयोग।

(5) जूतों तथा सैंडलों के तले तथा एड़ियों के तथा बिनोला निकालने की मशीनों में उपयोग आने वाली जिन-वाशर्स के विनिर्माण के लिये सुपारी के पत्तों के ऊपरी भाग का उपयोग सुपारी के औषधीय उपयोगों पर भी गवेषणा की जा रही है ।

नगरीकरण परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक से सहायता

1810. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आवास की भारी कमी को दूर करने और अन्य सुविधाएं जुटाने के लिये नगरों में रहने वाले गरीब लोगों को "स्थान और सेवाएं" उपलब्ध कराने के लिए एक नई नगरीकरण परियोजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में भारत को क्या सुविधाएं दिये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) विश्व बैंक, कुछ समय से, नगर विकास परियोजनाओं की वित्त प्रबन्ध कर रहा है । इनमें से बहुत सी परियोजनाओं में नगरों में रहने वाले गरीबों के रहने के स्थानों और सेवाओं को सुधारने के कार्यक्रम शामिल हैं।

(ख) भारत ने, केवल नगरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए स्थान और सेवाओं की व्यवस्था करने की किसी परियोजना के लिए अभी तक विश्व बैंक से सहायता नहीं मांगी है। परन्तु विश्व बैंक समूह द्वारा कलकत्ता नगर विकास परियोजना की वित्त व्यवस्था की जा रही है। इस परियोजना के एक अंश का संबन्ध कलकत्ता के दक्षिण-पूर्व में स्थानों और सेवाओं का विकास करने से है। कुल 350 लाख डालर (लगभग 26 करोड़ रुपये) की परियोजना में से 23 लाख डालर (लगभग 1.7 करोड़ रुपये) स्थान और सेवाओं के विकास पर खर्च किये जायेंगे।

संघीय विकास बैंक (फडरल डिवैल्पमेंट बैंक) का बनाया जाना

1811. **श्री सी० के० जाफरशरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक ऋण संबन्धी एक सम्मेलन हुआ है जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों की बड़ी विकास परियोजनाओं को वित्त देने हेतु संघीय विकास बैंक बनाने की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) और (ख) जी हां। ऐसा बताया जाता है कि सितम्बर 1973 में, मद्रास में, भारतीय औद्योगिक तथा राजस्व विषयक अर्थशास्त्र समिति द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में इस बारे में एक सुझाव दिया गया था।

समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, सम्मेलन में दिये गये सुझावों का संबन्ध योजना आयोग के निर्देशन के अन्तर्गत एक संघीय विकास बैंक की स्थापना करने से है जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व भी होगा, तथा इस बैंक पर देश की मुख्य विकास परियोजनाओं, खासकर बिजली और सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण करने की जिम्मेदारी होगी। इस सिफारिश के सम्बन्ध में और आगे विस्तृत विवरण की कोई जानकारी नहीं है।

राजस्थान में सूखे-राहत व्यय के लिये वित्तीय सहायता

1812. **श्रीमती कृष्णा कुमारी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से सूखा-राहत कार्यों पर व्यय के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने संबन्धी अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार समय-समय पर सूखा सहायता मांगती रही है। राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय और सूखा सहायता के संबन्ध में केन्द्रीय दल द्वारा की गयी समीक्षा के आधार पर राज्य सरकार को सूखा सहायता व्यय के विभिन्न केन्द्रीय सहायता के रूप में 1973-74 में अब तक 13 करोड़ रुपया दिया जा चुका है।

Accommodation for Low Income Tourists Visiting Delhi

1813. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is under Government's consideration to construct some residential accommodation for low-income tourists visiting Delhi ;

(b) if so, the number of persons likely to be accommodated thereby ; and

(c) the expenditure to be incurred and the income to be earned thereby ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) to (c) The Department of Tourism have at present no such proposal. A grant in aid of Rs. 3 lakhs was given to Vishwa Yuvak Kendra for providing inexpensive accommodation in the Youth Hostel portion of their project. In the Fifth Plan period, Delhi Administration proposes to put up a Traveller's Lodge with a bed capacity of 100 at a cost of Rs. 20 lakhs, and the India Tourism Development Corporation will put up a large three-star hotel in New Delhi, which will be suitable for middle-income group foreign tourists (the cost of which has not yet been estimated).

Rise in Prices of Foodgrains and other Essential Commodities

1814. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether prices of foodstuffs and essential commodities have registered steep rise during the last few months ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to arrest the increasing prices ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) The wholesale Price Index (1961-62 = 100) for the food articles group for the week ended October 27, 1973 (the latest available) has shown a marginal decline as compared to the week ended July 28, 1973. The indices for foodgrains and industrial raw materials have decreased by about 1.3 per cent and 3.9 per cent respectively during the same period. The All Commodities Index has, however, moved up by about 1.5 per cent, mainly due to increases in the group indices for manufactured articles.

(b) The principal factor responsible for the general pressure on prices has been the set-back in agricultural production during 1971-72 and 1972-73. The other main contributory factor has been large expansion in money supply resulting from expenditure on relief and the emergency agricultural production programme.

(c) The Government has been taking all possible measures to keep inflationary pressures under check. Credit controls have been tightened up further, and reliance on deficit financing is being reduced through economies in Government's expenditure and resort to market borrowings. Along with this, larger imports of foodgrains and edible oilseeds/oils have been arranged to augment the supplies available from indigenous sources. The Government has been operating a public distribution system for sale of major foodgrains at reasonable prices ; prices and distribution of some other essential commodities such as sugar, coarse varieties of cotton cloth and kerosene are also being regulated. The extension of the public distribution system to cover more commodities is also under examination.

टोकियो में भारत जापान व्यापार सम्मेलन

1815. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :**

श्री वी० मायावन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छटा भारत-जापान व्यापार सम्मेलन 25 सितम्बर, 1973 को टोकियों में शुरू हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गई ; और

(ग) उसमें क्या निर्णय किये गये ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) बैठक की कार्यसूची तथा बैठक के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की एक एक प्रति संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखी मई। **दखिये** संख्या एल० टी०—5785/73]

व्यक्तिगत आय और व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

1816. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री वेकारिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यक्तिगत आय और व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और उक्त प्रस्ताव कब से क्रियान्वित किया जायेगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

डाक्टरों, इंजीनियरों और भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के वेतन-मानों में समानता

1817. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक्टर और इंजीनियर भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के समान वेतन-मानों की मांग कर रहे हैं ;

(ख) क्या प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से इंजीनियरों और डाक्टरों ने अपनी हड़ताल वापिस ले ली है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पूरे मामले पर विचार किया है और वह इस संबन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंची है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का उक्त निर्णय के अनुसरण में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) बिजली इंजीनियरों द्वारा, उपस्थित-रहो-काम-न-करो हड़ताल के दौरान और कुछ डाक्टरों की, विशेषत: बम्बई के डाक्टरों की हड़ताल के दौरान प्रधान मंत्री ने अभिमत व्यक्त किया था कि हड़ताल असायमिक थी और उन्होंनें इंजीनियरों तथा डाक्टरों को हड़ताल नहीं करने की सलाह दी थी।

(ग) समानता की मांग की जांच की जा रही है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

हथकरघों एवं विद्युत चालित करघों के लिये उत्पादन की विभिन्न मदों का आरक्षित किया जाना

1818. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हथकरघों एवं विद्युत चालित करघों के लिये उत्पादन की विभिन्न मदों को आरक्षित करने के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा क्षेत्र के लिये उत्पादन की निम्नलिखित मदें पहले से ही आरक्षित हैं ;

1. पूरी तरह से हथकरघा क्षेत्र के लिये :

(1) पीस-डाइस साड़ियां

(2) लुंगियां, सरोंग तथा

(3) पीस डाइड अथवा यार्न डाइड रंगदार सूती साड़ियां।

2. हथकरघा तथा चार शक्तिचालित करघों तथा शक्तिचालित करघा एककों के लिये :

(क) यार्न-डाइड धोतियां

(ख) चादरें, पलंग बिछावन, बैड कवर्स तथा काउंटर पेन्स ;

(ग) लो रोड पिक क्लाथ ;

(घ) विरंजित क्वालिटी के अतिरिक्त टेवल क्लाथ तथा नेपकिन्स ;

(ङ) 22 से अधिक चौड़ी बार्डर वाली सूती रंगीन साड़ियों के अतिरिक्त साड़ियां अथवा जरी बार्डर में असली जरी की नकल करना ;

(च) हनी-कूम्ब बुनाई में तोलिये अथवा इर-थोरथू ।

(छ) झाड़न, तथा

(ज) सादी बुनाई का कपड़ा ।

विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से भारत को ऋण

1819 **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी देश के औद्योगिक विकास के लिए भारत को कुछ ऋण देने के बारे में सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस की राशि कितनी हैं और इन ऋणों का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1973 में भारत को उसके औद्योगिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से जो उदार शर्तों पर ऋण देने वाली विश्व बैंक से संबद्ध संस्था है, 13.30 करोड़ अमरीकी डालर के ऋण प्राप्त हुए हैं । ये ऋण (क) कतिपय बुने हुए प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए कच्चे माल, उपकरणों तथा अतिरिक्त पुर्जो के संबन्ध में विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुरक्षण आयातों के वास्ते, (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से, लघु उद्योगों के लिए आवश्यक पूंजी उपकरणों के आयात के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा के वास्ते जिसकी वित्त व्यस्वथा राज्यों के वित्त निगमों द्वारा की जानी है और (ग) सरकारी क्षेत्र में नांगल उर्वरक विस्तार परियोजना के वास्ते हैं । इसके अतिरिक्त विश्व बैंक ने, गैर सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक एककों द्वारा आयात किए जाने वाले पूंजीगत सामान के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की पूर्ति करने के प्रयोजन से भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को 7 करोड़ अमरीकी डालर का ऋण दिया है ।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करनें के लिए उपाय

1820. **श्री शंकर राव सांवत**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ।

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ग) इन उपायों को लागू करने के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए राजस्व, मुद्रा तथा प्रशासन संबन्धी विभिन्न उपाय कर रही है । मुख्य अनाज उचित दर की दुकानों/राशन की दुकानों की मार्फत निर्धारित मूल्यों पर बेचा जा रहा है । चीनी, मोटा सूती कपड़ा तथा मिट्टी के तेल जैसी अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर मूल्य और/अथवा वितरण संबन्धी नियंत्रण लागू है । देशी उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए अनाजों और खाद्य तिलहनों/तेलों का पहले से ही अधिक आयात करने की व्यवस्था की जा रही है । वर्ष के दौरान, मुद्रा संबन्धी नीति को और कठोर बना दिया गया है तथा ऋण नियंत्रणों को और अधिक कड़ा कर दिया गया है । उदाहरणार्थ बैंक दर 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक और प्रारक्षित निधि का अनुपात 3 से 7 प्रतिशत तक बढ़ा दिया

गया है तथा नकदी या नकदी जैसी परिसंपत्तियों का शुद्ध अनुपात भी बढ़ा दिया गया है जो इस समय 40 प्रतिशत है। प्रारक्षित निधियों के अनुपात में वृद्धि कर दिये जाने के परिणामस्वरूप 400 करोड़ की राशि बैंकों के हाथ से निकल जाएगी। साथ ही सरकार ने 1973-74 के अपने बजट परिव्यय में 400 करोड़ रुपये तक की किफायत करने का निर्णय किया है। बाजार ऋणों का भी अधिक सहारा लिया गया है ताकि घाटे की वित्त-व्यवस्था पर निर्भरता को कम किया जा सके। ये उपाय इस उद्देश्य से किये गये है कि कुल मांग और कुल पूर्ति के बीच बेहतर सन्तुलन स्थापित किया जा सके और इस प्रकार मूल्यों में स्थिरता लाने में सहायता मिल सके। किन्तु बहुत कुछ उत्पादन में वृद्धि होने पर निर्भर करता है। ऐसा दिखाई देता है कि अच्छी फसल की संभावनाओं तथा बिजली की सप्लाई की स्थिति में सुधार को देखते हुए ऐसा संभव हो सकेगा।

जापान को निर्यात किये गये भारतीय कच्चे लोहे और लोह अयस्क की लागत में कमी

1821. श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जापान को निर्यात किये गये भारतीय कच्चे लोहे और लोह अयस्क की लगान में कमी करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो ऐसे निर्णय के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तांबे के मूल्य में वृद्धि

1822. **श्री बेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तांबे का मूल्य दिन प्रति दिन बढ़ रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ख) देश की तांबे की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तांबे की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने के कारण, जो तांबे के विश्व-उत्पादन के उसकी मांग से पीछे रहने के कारण बढ़ती रही हैं, देश में तांबे की कीमत बढ़ती रही है।

(ख) अनुमान लगाया गया है कि तांबे की वार्षिक आवश्यकता 80,000 मे० टन है, जिसमें से 50,000 मे० टन का आयात होता है।

तांबे के आयात और राज्यों में उसके वितरण की प्रक्रिया

1823. **श्री बकरिया :**

श्री अरविन्द्र एम० पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

42 LSS/73—4

(क) क्या तांबे का आयात कुछ सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है अथवा व्यक्तियों द्वारा ; और

(ख) अगर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है तो राज्यों में इसका वितरण किस प्रकार किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तांबे का आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया जाता है ।

(ख) आयातित तांबे का वितरण विभिन्न राज्यों में वास्तविक प्रयोक्ताओं को लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा जारी किये गये रिलीज़ आर्डरों के आधार पर किया जाता है ।

अविभाजित भारत के आन्तरिक ऋण में से पाकिस्तान के भाग की उससे वसूली

1824. श्री रण बहादुर सिंह :

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अविभाजित भारत के आन्तरिक ऋण में से अपना भाग अभी भी भारत को देना है; और

(ख) क्या भारत ने पाकिस्तान से वह धन मांगा है, और यदि हां, तो पाकिस्तान की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां । पाकिस्तान की भारत के प्रति विभाजन सम्बन्धी देनदारी 300 करोड़ रुपये की है, लेकिन सही-सही रकम के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। विभिन्न अवसरों पर प्रयत्न किये जाने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अदायगी नहीं की है ।

सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में अर्जित अवकाश के बदले वेतन दिया जाना

1825. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के संस्थानों ने अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के बदले वेतन लेने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों के नाम क्या हैं और अर्जित छुट्टी के बदले वेतन किन-किन शर्तों के अन्तर्गत दिया जाता है ; और

(ग) इस सुविधा के प्रति कर्मचारियों का रवैया क्या रहा है और इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) यद्यपि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अधिकांश उद्यमों ने अर्जित छुट्टी के बदले वेतन लेने की कोई योजना लागू नहीं की है फिर भी कुछ उद्यमों ने इस योजना को लागू किया है ।

(ख) ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—5786/73]

(ग) कुछ कम्पनियों में कर्मचारियों से अनुकूल उत्तर प्राप्त हुआ है और कर्मचारियों के काम के दिनों में वृद्धि हुई है। परन्तु दो महत्वपूर्ण उद्यमों, अर्थात् हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और बोकारो स्टील लिमिटेड में छुट्टी के बदले वेतन देने की लागू की गई योजना बाद में असन्तोषजनक पाये जाने के कारण वापस ले ली गई है ।

बेरोज़गारों को रोज़गार प्रदान करने के लिये समयोपरि भत्ते को समाप्त करना

1826. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के संस्थानों के कर्मचारियों का समयोपरि भत्ता समाप्त करने का है और इस प्रकार से बचाई जाने वाली धनराशि को शिक्षित लोगों में बेरोजगारी को दूर करने की दृष्टि से उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिये लगाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लागू होती हैं और सरकारी क्षेत्र के स्वायत्तशासी उपक्रमों के कर्मचारियों को प्रत्यक्षतः लागू नहीं होती । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते के मामले में यह निर्णय किया गया है कि गैर-औद्योगिक संस्थानों में समयोपरि भत्ता देने की व्यवस्था चालू रहेगी परन्तु इस भत्ते को देने की शर्तों को काफी सख्त कर दिया जायेगा । औद्योगिक संस्थापनों में समयोपरि भत्ता देने की वर्तमान व्यवस्था, तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर ऐसे संस्थानों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लेने तक चालू रहेगी ।

जीवन बीमा निगम द्वारा अपने एजेंटों और विकास अधिकारियों के लिये आयोजित प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा

1827. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने फरवरी-मार्च 1973 में अपने एजेंटों और विकास अधिकारियों के लिये आयोजित प्रतियोगिता के परिणाम की अब तक घोषणा नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं बावजूद इसके कि सभा को सूचित किया गया था कि परिणाम की घोषणा अगस्त 1973, के अन्त तक कर दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) परिणाम 8 नवम्बर 1973 को घोषित कर दिय गये थे ।

(ख) विलम्ब इस लिये हुआ कि :

(i) प्रतियोगिता नियमों के अनुसार फलाप्ति आंकड़ों का पुनर्संकलन किया गया, और

(ii) इस बीच प्रभागीय कार्यालय नयी इमारत में चला गया ।

विदेशों में बिक्री (मार्किटिंग एब्रोड) पर दिल्ली में सम्मेलन

1828. **श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में दिल्ली में विदेशों में बिक्री (मार्केटिंग एब्रोड) पर हुए सम्मेलन की कार्यवाही की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत के विदेश व्यापार में बाधाओं को कम करने के लिये आवश्यक कानून बनाने पर जोर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित "विदेशों में विपणन" पर कार्यकारी सम्मेलन में देश के विदेश व्यापार के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं तथा उनके सम्भव समाधानों पर जिनमें विदेश व्यापार के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिये विधान सम्बन्धी उपाय भी शामिल हैं, सामान्य रूप में विचार-विमर्श किया गया था ।

(ख) सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचारों तथा सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

'कट थ्रोट टेन्डरिंग एमंग स्टेट कन्सट्रक्शन एजेन्सी'

1829. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

श्री वाई ईश्वर रेड्डी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अक्तूबर 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित 'कट थ्रोट टैन्डरिंग एमंग स्टैंट कन्स्ट्रक्शन एजेन्सीज' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) जैसा कि समाचार पत्र की रिपोर्ट में सुझाया गया है सरकारी उद्यम कार्यालय प्रतियोगिता 'को कम करने के लिये' सरकारी क्षेत्र के निर्माण और गठ्ठाई उपक्रमों की एक नियंत्रक कम्पनी बनाने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है । यद्यपि विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के निर्माण संठगनों के कुछ परस्पर विरोधी स्वार्थ हो सकते हैं किन्तु उन के बीच किसी गंभीर अवस्था प्रतियोगिता के होने की शिकायत नहीं मिली है 1972-73 के अनन्तिम आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि इन नियमों ने लाभ कमाया है और उनके कार्य पिछले वर्ष की तुलना में अच्छे रहे हैं ।

सब्जी का निर्यात

1830. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेशों में भारतीय सब्जियों की मांग बहुत बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार का विचार भारतीय किसानों को क्या प्रोत्साहन देने का है ; और

(ग) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में भारतीय सब्जियों के विदेशों को निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सब्जियों का निर्यात निम्नोक्त मूल्य का रहा :

1971-72	379.41 लाख रु०
1972-73	409.65 लाख रु०

सी सी आई और केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध केरल उच्च न्यायालय में काजू व्यापारियों द्वारा दायर किया गया मुकदमा

1831. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि केरल में काजू व्यापारियों के एक वर्ग ने सी सी आई और केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध केरल उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वाद पत्र का सार क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) से (ग) केरल के काजू साधित कर्ताओं ने भारतीय काजू निगम के माध्यम से आयातित काजू की वितरण नीति को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकायें केरल उच्च न्यायालय में फाइल की हैं। केरल उच्च न्यायलय ने इन रिटों को इस आधार पर मन्जूर किया कि आयातित काजू के आवंटन की पात्रता के लिये सी० सी० आई० द्वारा अपनाए गये मानदण्ड घोषित आयात नीति से भिन्न हैं।

इस सम्बन्ध में संशोधित आयात नीति अनुदेशों को जारी करके इस कठिनाई को दूर कर दिया गया है।

Financial Assistance to Eastern Districts of U. P. for Areas Affected by Floods and Drought

1832. **Shri Chandrika Prasad: Will the Minister of Finance be pleased to state:**

(a) the assistance provided during this year to the eastern Districts, especially Ballia, on account of devastating rains, floods and drought in these areas and the amount of aid given by Central Government during the last year;

(b) whether nominal aid has been given this year and if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to give more assistance to these areas this year?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) and (b) The Central Government provides financial assistance towards the relief and rehabilitation measures undertaken by the State Government in the State as a whole and not with reference to any particular area in the State. The assistance given during 1972-73 and 1973-74 so far to the State Government for the purpose is Rs. 5.65 crores and Rs. 5 crores respectively.

(c) Further assistance will be given to the State Government towards the relief measures in this year on the basis of the progress of expenditure and the recommendations of the Central teams.

गुजरात में 1973-74 में गिरफ्तार किये गये तस्कर व्यापारी

1833. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में गुजरात राज्य में कितने तस्कर व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ख) कौन-कौनसा और कितने मूल्य का सामान पकड़ा गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1973-74 में सितम्बर तक गुजरात राज्य में कुल 34 तस्कर व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान पकड़ी गयी वस्तुओं तथा माल का लगभग मूल्य इस प्रकार है :—

वस्तुएं	मूल्य (भारतीय बाजार दरें)
1. सोना	1 लाख रुपये
2. चांदी	2.8 लाख रुपये
3. घड़ियां	7.5 लाख रुपये
4. संश्लिष्ट धागा तथा वस्त्र	116 लाख रुपये
5. वाहन तथा जलयान	18.3 लाख रुपये
6. भारतीय फिल्में	1 लाख रुपये
7. विविध वस्तुएं	45.8 लाख रुपये

Firms in Bombay prosecuted for misuse of Import Licences upto September, 1973

1834. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the total number of firms in Bombay whose owners have been prosecuted for misusing the import licences during the year 1973 upto the end of September and the names thereof; and

(b) the action being taken or proposed to be taken by Government to check the misuse of import licences?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in the Library. *See* No. L.T.—5787/73].

(b) In so far as cases where prosecution has been launched the Courts' decision has to be awaited. Under the IMPEX Act and Orders issued thereunder, there are adequate provisions to check the misuse of import licences. There are sponsoring authorities like the Directors of Industries, Directorate General, Technical Development etc. who keep a close watch on the utilisation of import licences. Wherever cases of misutilisation of import licences by any person comes to notice of the authorities, suitable action either through Departmental action or prosecution is taken against him depending upon the gravity of the offences.

गुजरात से चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का पकड़ा जाना

1835. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में गुजरात राज्य में कितने तस्कर व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ख) कुल कितने मूल्य का तस्करी का सामान पकड़ा गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1972-73 के दौरान गुजरात राज्य में 80 तस्कर व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान गुजरात राज्य में पकड़े गये तस्कर आयात के माल का कुल मूल्य 2.75 करोड़ रुपये है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में मंजूर किये गये विद्युतचालित करघे

1836. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में, राज्यवार, कुल कितने विद्युतचालित करघे मंजूर किये गये;

(ख) क्या राजस्थान के लिये 7,000 विद्युतचालित करघों की मांग काफी समय से भारत सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हां ।

(ग) शक्तिचालित करघा क्षेत्र के विस्तार के लिये जो नीति अपनाई जाने वाली है उसे ध्यान में रख कर ही अगर आवश्यक हुआ तो पांचवीं योजनावधि के दौरान कोई विनिश्चय लेना सम्भव होगा । यह नीति अभी भी विचाराधीन है ।

विवरण

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्यवार, आवंटित शक्तिचालित करघों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शक्तिचालित करघों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	12,400
2.	असम	10,250
3.	बिहार	7,005
4.	गुजरात	3,200
5.	हरियाणा	1,400
6.	हिमाचल प्रदेश	600
7.	जम्मू तथा काश्मीर	1,800
8.	कर्नाटक (मैसूर)	4,300
9.	केरल	3,900
10.	मध्य प्रदेश	4,700
11.	महाराष्ट्र	7,300
12.	मणिपुर	1,500
13.	नागालैंड	1,000
14.	उड़ीसा	4,250
15.	पंजाब	2,150
16.	राजस्थान	3,350
17.	तमिलनाडू	12,500
18.	त्रिपुरा	800
19.	उत्तर प्रदेश	10,325
20.	प० बंगाल	6,000
21.	अण्डमान निकोबार	100
22.	चण्डीगढ़	50
23.	दादर और नागर हवैली	250
24.	दिल्ली	500
25.	गोआ	100
26.	लक्षदीप	50
27.	माही	50
28.	पांडिचेरी	600

केनिया के साथ संयुक्त उपक्रम

1837. श्री मोहम्मद शरीफ :

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय सिनथेटिक फर्म ने केनिया सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में नैरोबी के निकट थीका में एक नायलोन पोलिस्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) मैसर्स जे० के० सिनथेटिक्स लि० कानपुर ने कीनिया में सिनथेटिक फिलामेंट यार्न प्लांट स्थापित करने के लिए प्रस्थापना की है। कीनिया के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक विकास निगम से सहयोग की प्रस्थापना है तथा बातचीत चल रही है। परियोजना के ब्यौरे भारत तथा कीनिया की पार्टियों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र के इमारत तथा संचार मंत्री के विरुद्ध आरोप

1838. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के इमारत तथा संचार मंत्री, श्री अंतुले के विरुद्ध तस्करी और सीमा-शुल्क अधिकारियों के कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपों की जांच करने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह जांच शुरू हो गई है; और

(ग) इस जांच को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) स्वयं मंत्री के विरुद्ध तस्कर-व्यापार करने अथवा सीमा-शुल्क अधिकारियों के कार्य में बाधा डालने का कोई आरोप नहीं है और इसलिए मंत्री के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता। जैसा कि 31-8-73 को लोक सभा में पूछे गये प्रश्न सं० 5121 के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, आरोप यह था कि ड्यूटी पर तैनात सीमा-शुल्क विभाग के कर्मचारियों को, महाराष्ट्र के विधि तथा न्यायपालिका मंत्री श्री अंतुले के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा पहचान के लिये ले जाया गया था और यह प्रश्न विचाराधीन है कि इस आरोप की जांच केन्द्रीय जांच ब्यरो द्वारा की जाय अथवा नहीं।

केरल में चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण

1839. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता और श्रम संगठन केरल राज्य में गैर-सरकारी चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की निरन्तर मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण का सुझाव कुछ अवसरों पर दिया गया है। परन्तु, सरकार फिलहाल चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं समझती ।

वर्ष 1972-73 में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई सहायता

1840. **श्री अशोक बाकुला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर किये गए 44 प्रतिशत ऋण देश के पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित करने के लिये दिये गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस सहायता से अब तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है और वे कहां-कहां पर स्थापित की गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अपने 1972-73 के लेखा वर्ष के दौरान 21 अधिसूचित पिछड़े ज़िलों में स्थित 30 परियोजनाओं के सम्बन्ध में कुल मिला कर 20.36 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की थी। यह सहायता उक्त वर्ष के दौरान सारे देश की परियोजनाओं के लिये स्वीकृत की गई 46.15 करोड़ रुपये की कुल सहायता के 44.1 प्रतिशत के बराबर थी।

(ख) निगम की स्थापना से लेकर और 30 सितम्बर 1973 तक निगम ने विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में 74 अधिसूचित पिछड़े ज़िलों में स्थित 180 परियोजनाओं के लिये 130.57 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता मंजूर की। परियोजनाओं का स्थान बताते हुए इस सहायता का राज्यवार वितरण सलंग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली (आई० एफ० सी०) 30 सितम्बर 1973 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अधिसूचित पिछड़े ज़िलों में स्थापित किये जाने वाले परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृत वित्तीय सहायता का राज्यवार वितरण

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य	उन अधिसूचित ज़िलों के नाम जहां सहायता से परियोजनाएं स्थापित की गई हैं	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत (शुद्ध) कुल सहायता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर, कुडापाह, परीमनगर, कुर्नूल, महमब नगर, नेलौर, निज़ामाबाद, श्रीकाकुलम	11	552.93
2.	असम	गोलापुरा, कामरूप, नवगांव	5	341.79
3.	बिहार	चम्पारन, दरभंगा, पूर्णिया	5	621.47

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	अम्रेली, भावनगर, भड़ोंच, जूनागढ़, कच्छ, महसाना, सुरेन्द्रनगर	16	1015.69
5.	हरियाणा	हिसार, जींद	3	159.09
6.	कर्नाटक	बेलगांव, बिदार, बीजापुर, धारवार, गुलबर्ग, उत्तरीय कनारा, रायचूर, दक्षिणी कनारा, तमकुर, अल्लेयी,	24	1572.54
7.	केरल	कन्नानोर, त्रिचूर, त्रिवेन्द्रम	5	258.69
8.	मध्य प्रदेश	बिलासपुर, शीउ मुरेना, सिहोर	5	570.85
9.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, वलथाना, चन्द्रपुर, कोलाबा, धुलिया, जालगांव, नानदद, उसमानाबाद, यौतमल	25	1948.93
10.	मेघालय	युनाइटेड खासी एण्ड जयंतिया हिल्स	1	95.00
11.	नागालैण्ड	कोहिमा	1	50.00
12.	उड़ीसा	कयोंनेझार, कोरापुर	5	516.60
13.	पंजाब	गुरदासपुर	1	90.00
14.	राजस्थान	झीलवाड़ा, उदयपुर	5	922.35
15.	तमिलनाडु	धर्मपुरी, मुयरै, नार्थअर्काट, रामनाथपुरम, साउथ अर्काट, तिरुचिरापल्ली	23	1504.09
16.	उत्तर प्रदेश	बारांबकी, बुलंदशहर, इटावा, मुरादाबाद, पीलीभीत, उन्नाव	11	557.74
17.	पश्चिम बंगाल	वीरभूम, वर्द्धवान, हुगली, नदियां, पुरुलिया	29	1883.51
संघीय राज्य क्षेत्र				
18.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह		1	11.00
19.	गोग्रा, दमन, दीव		3	2325.00
20.	पाण्डिचेरी		1	60.16
		जोड़	180	13057.23

कृत्रिम रेशे बनाने का प्रस्ताव

1841. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृत्रिम रेशों को लोकप्रिय बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) भारतीय अर्थ-व्यवस्था कृत्रिम रेशों के कारण किस सीमा तक सुधर जाएगी और जनता को कितना रोज़गार मिलेगा; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय अर्थ-व्यवस्था तथा रोजगार की संभावना पर मानव-निर्मित रेशा उद्योग के प्रभाव के सम्बन्ध में उसके विकास की गुंजाइश पर पांचवीं योजना में उपलब्ध तथा अपेक्षित अन्तर्निदेशों के अनुसार यथोचित ध्यान दिया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नार्वे से तेज गति से चलने वाली नौकाओं (लांचिस) की खरीद

1842. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

प्रो० आर० स्वामीनाथन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तस्करी रोकने के काम को तेज करने के लिये नार्वे से तेज गति चलने वाली 20 नौकाएं खरीदने का निणय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या लागत आएगी और उनकी गति कितनी होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सामान्य आधार पर निश्चिय किये गए लगभग 31 समुद्री-मील की गति वाली लांच खरीदने का अस्थाई निर्णय किया गया है। अन्तिम वार्ता जल्दी ही होगी जिसमें मूल्य के साथ-साथ अन्य विवरणों के बारे में भी निर्णय किया जाएगा।

गुजरात में सरकारी उपक्रमों में स्थानीय लोगों के लिये नियत पद

1843. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात स्थित सरकारी उपक्रमों में गुजरात राज्य की जनता के लिये, उपक्रमवार 500 रुपये प्रतिमास से कम वेतन वाले कुल कितने पर नियत किये गए हैं; और

(ख) प्रत्येक सरकारी उपक्रम में कुल कर्मचारियों का यह कितने प्रतिशत है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एकीकरण के व्यापक हित की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र निगम के कर्मचारी के मूल क्षेत्र के बारे में सूचना नहीं रखी जाती। तथापि सरकार की नीति, केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के अन्तर्गत छोटे पदों पर स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक अवसर देना है। इसका सुनिश्चयन करने के लिये सरकार ने सरकारी उद्यमों को आदेश जारी कर दिये गए हैं कि वे अपने छोटे पदों, जिनका वेतन 500/- रुपये या उससे कम हो की भर्ती स्थानीय नियोजन केन्द्र के द्वारा करें, अन्य साधन तभी अपनाए जाएं यदि नियोजन केन्द्र 'अप्राप्यता प्रमाणपत्र' जारी कर दे। सामान्यतः राज्य सरकार को भी वैद्य हित की रक्षा के लिये ऐसे पदों के लिये चुनाव समिति में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है।

भारत-रूस समझौते के अधीन कच्चे माल का आयात

1844. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रूस के साथ कोई व्यापार समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत-रूस समझौता के अन्तर्गत रूस से उपकरणों का आयात करने के बजाए कच्चे माल का आयात करने का विचार कर रही है; और

(ग) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) हाल ही में सोवियत संघ के साथ किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। 1973 के लिये व्यापार संलेख पर नवम्बर 1972 में हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

अरब-इसराइल युद्ध का आयात-निर्यात व्यापार पर प्रभाव

1845. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के आयात एवं निर्यात व्यापार पर विशेषकर, तेल की सप्लाई पर, अरब-इसराइल युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : अक्तूबर 1973 में हाल का अरब-इसराइल युद्ध अल्प कालीन था। इस युद्ध के फलस्वरूप यदि विदेशी व्यापार में कोई अव्यवस्था आई है तो अक्तूबर तथा बाद वाले महीनों के लिये देश के विदेश व्यापार आंकड़ों से स्पष्ट होगा। अक्तूबर 1973 मास के लिये भारत से निर्यात तथा भारत में आयात से संबंधित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। संबंधित आंकड़ो के न होने से भारत के निर्यातों तथा आयातों पर विशेष रूप से तेल की सप्लाई पर अरब-इसराइल युद्ध के प्रभाव को दर्शाना संभव नहीं है। तथापि सरकार को आश्वासन दिया गया है कि इस कारण से भारत को कच्चे तेल की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से लौह-अयस्क तथा 'विलेटों' के निर्यात में गिरावट

1846. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से लौह अयस्क तथा विलेटों के निर्यात में भारी गिरावट आने के कारण में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) खनिज व धातु व्यापार निगम विलेटों का निर्यात नहीं करता। चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान लौह अयस्क का निर्यात विगत वित्तीय वर्ष से इन्हीं महीनों के दौरान निर्यातों से लगभग 16 प्रतिशत अधिक रहा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम

1847. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, जिसे पिछले महीने राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई थी, को लागू करने में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त अधिनियम को लागू करने में क्या कठिनाइयां हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : 27 अक्तूबर, 1973 के भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 (II) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का०आ० 3043 के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 पहली जनवरी, 1974 से लागू हो जाएगा। यह तारीख नए अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये वैधानिक, प्रशासनिक आदि प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिये जाने में लगने वाले आवश्यक समय को ध्यान रखते में हुए अधिसूचित की गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य प्रबंधकों के साथ वित्त मंत्री की बैठक

1848. **श्री देवेन्दर सिंह गर्चा :**

श्री मुहम्मद शरीफ़ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कुछ महत्त्वपूर्ण नीति संबंधी मामलों की समीक्षा करने के लिये हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य प्रबन्धकों के साथ भेंट की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का व्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या निर्णय किये गए?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशकों की एक सभा 1 नवम्बर 1973 को हुई थी। यह सभा उन सामयिक सभाओं में से एक थी जो आम तौर पर वित्त मंत्री बैंकों के मुख्य कार्यकारियों के साथ करते रहते हैं। इस सभा में शाखा विस्तार, सामान्य रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और विशेष रूप से आत्म नियोजित योजनाओं के सम्बन्ध में बैंक का कार्य, विभेदी व्याज दर योजना, बैंक की परीक्षाओं में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति, बैंकों में सतर्कता मशीनरी को सुदृढ़ करने से सम्बन्धित विषयों की समीक्षा की गई थी।

राज्य सरकारों को दिए गए ऋण

1849. **श्री देवेन्दर सिंह गर्चा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्य केन्द्र से वर्ष-प्रतिवर्ष लिये जाने वाले ऋणों का केवल भुगतान करने के लिये ही उससे ऋण ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इस वित्तीय वर्ष के दौरान कितना ऋण लिया गया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

मांस निर्यातकर्त्ताओं द्वारा कम मूल्य के बीजक बनाया जाना

1850. **श्री देवेन्दर सिंह गर्चा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांस के निर्यातकर्ता कम मूल्य के बीजक बनाकर विदेशी मुद्रा के मामले में सरकार से धोखा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1972-73 और 1973-74 में अब तक इस प्रकार सरकार को अनुमानतः कितनी हानि; और

(ग) ऐसी प्राथाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विश्व बैंक से प्राप्त विदेशी सहायता

1851. **श्री देवेन्दर सिंह गर्चा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा विश्व बैंक और इससे संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक से लिए जाने वाले ऋण में वर्ष 1969 से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है और इस वर्ष उसे सबसे अधिक ऋण तथा सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपयोग में लाए गए ऋण का क्षेत्र-बार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 1969 से भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिलने वाले ऋणों में काफी वृद्धि हुई है। गत चार वर्षों से भारत को विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सबसे अधिक ऋण मिला है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5788/73]

पालम हवाई अड्डे पर यात्री समानघर का अभाव

1852. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **पर्यटन और नागर** विमाननमंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोई यात्री सामानघर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं दिल्ली विमानक्षेत्र पर "क्लोक रूम" (अमानती समान) सुविधा उपलब्ध है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

निर्यातकर्त्ताओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अन्तर्विभागीय और अन्तमंत्रालय निकाय

1853. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता ;

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात-कर्ताओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक अन्तर्विभागीय एवं अन्तमंत्रालय निकाय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह मामला अब किस अवस्था में है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) पांचवीं पंजवर्षीय योजना तथा उसके बाद के लिये एक दीर्घावधि नीति की सिफारिश करने के लिये सरकार द्वारा एक दल स्थापित किया गया है।

(ख) दल के अध्यक्ष प्रो० एस० चक्रवर्ती सदस्य, योजना आयोग हैं तथा इसमें दस अन्य अधिकारी और गैर-सरकारी सदस्य भी हैं। अन्य बातों के साथ-साथ दल के विचारार्थ विषयों में निम्नोक्त शामिल हैं :—

(1) समुचित उत्पादन आधार तथा निर्यातों के लिये अधिक माल तैयार करने के लिये क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहियें;

(2) निर्यात नीति संकल्प की समीक्षा करना तथा उसमें संशोधन करना;

(3) सरकार में निर्यातों से संबन्धित कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए एक समुचित अन्तः मन्त्रालय मन्च अथवा मन्चों की व्यवस्था करना। इसमें रुपया वित्त, विदेशी मुद्रा तथा इससे सम्बन्धित मामलों के बारे में वाणिज्य मंत्रालय तथा इसके अभिकारिणों को समुचित शक्तियों का दिया जाना भी शामिल है।

(ग) दल औपचारिक रूप से अपने विचार विमर्श कर रहा है।

Seizure of Opium during Raid on a House in Ujjain

1854. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether opium in large quantity was recovered in a raid carried out on a house in Ujjain in October, 1973;

(b) the value thereof in Indian currency; and

(c) the number of persons against whom action has been taken in this regard indicating the nature of action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) On 19th October 1973 the Madhya Pradesh Police seized 110.7 kgs. of opium from a house in Ujjain.

(b) The seized opium is worth about Rs. 60,000/- as per the prices prevailing in the illicit market.

(c) Five persons have been arrested in this regard and they have been challanged by the Police under the Opium Act, 1878.

Seizure of Smuggled Goods in Karnataka

1855. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Finance be pleased to** state :

(a) the quantity of smuggled goods recovered in Karnataka during the last three years;

(b) the number of persons against whom action has been taken in this regard indicating the action taken; and

(c) out of the recovered goods the value of gold in Indian currency ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) The quantity of smuggled goods seized in Karnataka State during the last three years is as follows :—

	1971
Gold :	49,100 gms.
Watches :	3,857
Synthetic Yarn :	4,102 Kgs. & 46,737 Reels
Fabrics :	1,09,000 Metres
Other goods :	Rs. 25 lakhs
	1972
Gold :	1,50,400 gms.
Watches :	5,760
Synthetic Yarn :	3,933 Kgs, and 863.31 Reels
Fabrics :	58,775 Metres
Other goods :	Rs. 19 lakhs
	1973 (Upto September)
Gold :	39,500 gms.
Watches :	3,345
Synthetic Yarn :	24,891 eels
Fabrics :	417124 Metres
Other Goods :	Rs. 12 lakhs

42 LSS/73--5

(b) The number of persons arrested in connection with the above-mentioned seizures is:

1971	78
1972	90
1973 (Upto Sept.)	58

Criminal prosecution and/or Departmental action for imposition of personal penalties against these persons is taken having regard to the evidence available.

(c) The approximate value of the seized gold at the Indian Market rate is as follows:

1971	Rs. 10 lakhs.
1972	Rs. 37 lakhs.
1973 (Upto Sept.)	Rs 11 lakhs.

Temporary Employees in Ministry of Commerce

1856. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of employees in his Ministry who are still temporary even after putting in five years of service; and

(b) the action being taken by Government to make them permanent?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) 83.

(b) Cases of confirmation of 56 persons are under processing. The remaining persons will be confirmed as and when permanent vacancies become available.

भारतीय रुई निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में ई की वसूली तथा परिष्करण व्यवस्था

1857. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी: : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे कोई अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें भारतीय रुई निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में रुई की पर्याप्त और प्रभावी वसूली तथा परिष्करण व्यवस्था के लिये अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में समय पर पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : प्राप्त सुझाव ऐसी उपयुक्त कार्यवाही के लिये कृषि मंत्रालय त.ा भारतीय रुई निगम को भेजे जा रहे हैं जो उन के द्वारा की जानी है।

श्री एम० जी० रामचन्द्रन के विरुद्ध बकाया आयकर

1858. **श्री जी० विश्वनाथन :**

श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के चलचित्र कलाकार, श्री एम० जी० रामचन्द्रन के साथ आयकर के बकाया की वसूली के संबंध में कोई रियायत बरती गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य निर्धारितियों को भी वही रियायतें दी जाती हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) श्री एम० जी० रामचन्द्रन को, उनकी तरफ बकाया आयकर की रकम की अदायगी, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 220(3) के उपबन्धों के अनुसार, किस्तों में करने की अनुमति दी गई है।

(ख) कानून के उपयुक्त उपबन्ध को उन सभी मामलों में लागू किया जाता है जिनमें कर दायित्वों को किस्तों में पूरा करने की अनुमति दी जाती है।

सहकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी-निवेश

1859. **श्री जी० विश्वनाथन :**

श्री सेझियान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल 1973 को सहकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के पूंजी निवेश का राज्यवार ब्यौरा क्या था;

(ख) 30 अप्रैल 1973 को गैर-सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा के पूंजी निवेश का राज्यवार ब्यौरा क्या था, और

(ग) जीवन बीमा निगम से गत दो वर्षों के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक का ऋण गैर-सरकारी क्षेत्र के किन-किन उद्योगों ने लिया?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम द्वारा सहकारिता क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में किये गए निवेश और दिये गए ऋणों की बकाया की 31 मार्च 1973 की स्थिति के अनुसार खाता मूल्य का विवरण-पत्र।

(लाख रुपयों में)

राज्य	सहकारिता क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	2528.98	460.70
असम	3.48	80.70
बिहार . .	290.03	3831.85
दिल्ली	6.30	477.04

1	2	3
गोवा	27.00	74.85
गुजरात	6463.14	2115.37
हरियाणा	249.73	40.25
हिमाचल प्रदेश	14.45	18.49
जम्मू तथा कश्मीर	31.05	..
केरल	261.56	356.95
मध्य प्रदेश	349.65	506.83
महाराष्ट्र	6848.65	7318.08
कर्नाटक	828.68	390.18
उड़ीसा	342.67	358.66
पांडिचेरी	7.81	3.24
पंजाब	651.75	41.51
राजस्थान	247.23	167.87
तमिलनाडु	2211.98	2097.68
उत्तर प्रदेश	1247.33	1220.57
पश्चिम बंगाल	290.60	6814.77
जोड़	22902.07*	25575.59**

(ग) 31 मार्च 1973 को समाप्त अन्तिम दो वर्षों की अवधि में जीवन बीमा निगम ने गैर-सरकारी क्षेत्र म निम्नलिखित पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये से अधिक रकमों के ऋण दिये हैं--

(1) प्लास्टिक, रेज़िन और केमिकल्स लिमिटेड . 35 लाख
(2) नागपाल अम्बाड़ी पैट्रो-केमिकल्स रिफाइनिंग लिमिटेड 50 लाख
(3) स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड . . . 100 लाख
(4) स्ट्रा प्रोडक्टस लिमिटेड . . . . 75 लाख
(5) सिम्पोरेक्स इंडिया लिमिटेड . . . . . 20 लाख

ये आंकड़े 31 मार्च 1973 की स्थिति के अनुसार हैं क्योंकि जीवन बीमा निगम अपने खाते प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बन्द करता है। 30 अप्रैल 1973 को वर्तमान स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

*सहकारी समितियों को गृह निर्माण के लिये दिये गए बंधक ऋणों की रकमें इन आंकड़ों में शामिल नहीं हैं।

**(क) पालिसीधारकों को "अपनी मालिकी का मकान बनाओ" योजना के अधीन और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को "अलग-अलग कर्मचारियों को मकान" योजना के अधीन दिये गए ऋण।

(ख) गृह निर्माण के लिये दिये गए बन्धक ऋणों की रकमें, इन आंकड़ों में शामिल नहीं

Proposal to enhance the premium rates of Life Insurance

1860. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to enhance the rates of premium of Life Insurance; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtgi)

(a) No, Sir

b) Does not arise

विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण

1861. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्तुओं का निर्माण करने वाली विदेशी कम्पनियों के विदेशी पूंजी निवेश को कम करके 40 प्रतिशत करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने व्यापारिक गतिविधियों में लगी हुई विदेशी कम्पनियों को भारतीय कम्पनियों में बदलने का भी निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा 29 के अनुसार विदेशों में निगमित कम्पनियों की शाखाओं और 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी शेयर धारिता वाली भारतीय कम्पनियों को, भारत में अपनी मौजूदा व्यावसायिक गतिविधियां जारी रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करनी होगी । इस धारा के प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने के प्रयोजन से, उचित मामलों में जिनमें निर्माता कम्पनियां भी शामिल हैं, विदेशी शेयरधारिता को कम करने तथा विदेशी व्यापारिक कम्पनियों को भारतीय कम्पनियों में बदलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। जब इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तब उनकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात निर्यात निगम और गुजरात लघु उद्योग निगम में राज्य व्यापार निगम की इक्विटी भागिता

1862. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य व्यापार निगम से अनुरोध किया है कि वह गुजरात निर्यात निगम और गुजरात लघु उद्योग निगम में प्रत्येक में कम से कम 5 लाख रुपये की इक्विटी पूंजी लगाये ;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य व्यापार निगम की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय०) : (क) से (ग) गुजरात लघु उद्योग निगम तथा गुजरात निर्यार निगम ने राज्य व्यापार निगम को इक्विटी साझेदारी के लिये आमन्त्रित किया है। मामला राज्य व्यापार निगम के विचाराधीन है जो कि गुजरात सरकार से परामर्श करके ब्यौरा तैयार कर रहा है।

रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने हेतु श्रम-प्रधान उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देना

1863. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रम-प्रधान उद्योगों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन देने संबंधी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णाय कब तक किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) कई योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं और इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के लिए होटल बनाना

1864. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री बी० मायावन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के लिये होटल स्थापित करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ये होटल कहां-कहां पर स्थापित किये जाने है; और

(ग) उन पर कुल कितना व्यय होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र में ऐसे होटलों के निर्माण के प्रस्ताव पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में सम्मिलित कर दिये गये हैं जिनके लिये अनन्तिम रूप से 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जांच-पड़ताल संबंधी कार्य चल रहा है। इन होटलों के स्थानों और आकारों का अभी अंतिम रूप से निर्धारण नहीं किया गया है।

विभिन्न देशों से अखबारी कागज का आयात

1865. **श्री रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समझौते के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान विदेशों से कितना अखबारी कागज प्राप्त हुआ है

(ख) क्या किसी देश से करार के अन्तर्गत शेष अखबारी कागज भेजने में विलम्ब के बारे में कोई सचना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 46,336 मे० टन।

(ख) जी हां।

(ग) कनाडा में अखबारी कागज मिलों में हड़ताल तथा जहाजों में जगह प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयां और बंगलादेश में अखबारी कागज का कम उत्पादन होने की वजह से विलम्ब हुआ।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पटसन तथा तकनीकी संस्थान की स्थापना

1866. **श्री रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सम्मेलन में भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय पटसन तथा तकनीकी संस्थान की स्थापना करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हा, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) पटसन के निर्यातों को बढ़ाने के लिये उपजकर्त्ता तथा निर्यातक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से सम्मेलन में, भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय पटसन तथा ढाका (बंगला देश) में एक क्षेत्रीय विकास तकनीकी केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है। प्रस्थापना, संबंधित सरकारों के साथ परामर्शों की अन्तिम अवस्था में है।

आयात लाइसेंसों को शीघ्रता से मंजूरी देना

1867. **श्री रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात लाइसेंसों की शीघ्रता से मंजूरी दिये जाने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) आयात लाइसेंसों को शीघ्रता से मंजूरी दिये जाने के वास्ते विभिन्न उपाय किये गये हैं। वे प्रमुखतया ये हैं:—

(1) आयात-लाइसेंसों के आवेदन पत्रों के निपटान के लिये समय-सीमा निर्धारित की गई है।

(2) पंजीकृत निर्यातकों से प्राप्त आयात-प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आवेदन पत्रों की मंजरी के लिये एक सरलीकृत क्रियाविधि आरंभ की गई है।

(3) पंजीकृत निर्यातकों को अग्रिम लाइसेंस जारी करने के लिये क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को और अधिक शक्तियां सौंपी गई हैं ।

(4) लाइसेंसिंग प्राधिकारियों तथा पूंजीगत माल संबंधी तदर्थ समिति को और अधिक शक्तियां सौंप कर तथा लघु उद्योगों के आवेदन पत्रों से संबंधित विभिन्न चरणों को कम कर के पूंजीगत माल का आयात करने के आवेदन पत्रों पर विचार करने की क्रियाविधि को सुप्रवाही कर दिया गया है।

(5) वास्तविक उपयोक्ताओं को उनकी वार्षिक आवश्यकतायें पूरी करने हेतु इस्पात की मार्गीकृत किस्मों के लिये निकासी आदेश प्राप्त करने के संबंध में प्रायोजन प्राधिकारियों के माध्यम से अपने आवेदन पत्र नहीं भेजने पड़ते और उन्हें सीधे लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को अपने आवेदन-पत्र भेजने की अनुमति दे दी गई है ।

(6) गैर-इस्पाती मदों के मार्गीकृत लाइसेंसों के संबंध में भी, तकनीकी विकास महानिदेशालय की पुस्तकों में उल्लिखित वास्तविक उपयोक्ताओं को उनकी वार्षिक आवश्यकता की 25% पूर्ति करने के लिये सीधे लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को अपने आवेदन पत्र भेजने की अनुमति दी गई है।

(7) अनेक मदों के मामले में इस्पात के स्वदेशी उत्पादकों से "अनुपलब्धि प्रमाण पत्र" की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है ।

(8) निर्यात हकदारियों के आधार पर जितने मूल्य-सीमा तक सैम्पल आयात करने की अनुमति करने की अनुमति लाइसेंसिंग प्रतिकारी दे सकते हैं, उसे 2,000/– रु० से बढ़ाकर 5,000/– रु० तक कर दिया गया है। विनिर्माता-निर्यातकों को बिना आयात लाइसेंसों के 500/– रु० तक के सैम्पल आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

(9) पंजीकृत निर्यातकों को बिना आयात लाइसेंसों के लेबलों तथा कीमत-टिकटों के आयात की अनुमति दे दी गई है ।

(10) अनिर्णीत आवेदन पत्रों की छानबीन करने और जैसा भी मौके पर अपेक्षित हो, नीति संबंधी स्पष्टीकरण करने के लिये, मुख्यालय से अधिकारियों का एक दल क्षेत्रीय कार्यलयों के लिये प्रतिनियुक्त किया गया है।

हथकरघे से बनी वस्तुओं पर नकदी निर्यात प्रोत्साहन को समाप्त करना

1868. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघे से बनी वस्तुओं पर नकदी निर्यात प्रोत्साहन को पूर्णतया समाप्त करने अथवा इसे कम करके न्यूनतम बनाने के लिय कोई प्रस्ताव मंत्रालय के समक्ष है;

(ख) यदि हां, तो यह नई नीति अपनाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को केरल हथकरघा विशेषज्ञ संगठन, फोर्ट रोड कन्नानोर-1 से ज्ञापन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो ज्ञापन में जिन शिकायतों का उल्लेख किया गया है; उन्हें दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यावाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) भारतीय सूती मिल संघ वापिस न किये जाने वाले करों के प्रभाव की क्षतिपूर्ति करने के लिये अपनी संग्रहित राशि में से, जिसमें सरकारी अनुदान भी शामिल है, स्वैच्छिक योजना के माध्यम से हथकरघा वस्तुओं के निर्यातों पर नकद सहायता देता है। नकद सहाता की दरें समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है तथा प्रत्येक छः महीनों के बाद उनकी समीक्षा की जाती है। मूल्य प्राप्ति में सुधार तथा बाजार में तेजी को देखते हुये अक्तूबर, 1973 मार्च 1974 की अवधि में अन्य बातों के साथ-साथ नकद सहायता की दरें घटाई गई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) ज्ञापन पर विचार किया गया है तथा यह पाया गया है कि जो दरें निश्चित की जा चुकी हैं, उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है।

जूट, चाय और नारियल-जटा की वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ करार

1869. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट, चाय और नारियल जटा की वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती करने के बारे में भारत, यूरोपिय आर्थिक समुदाय के साथ समझौता कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बातें क्या हैं ; और

(ग) करार के कब तक होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) पटसन तथा कयर की वस्तुओं के बारे में समुदाय के साथ सिद्धांत रूप में करार हो गया है। इस करार की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-

(1) कालीन अस्तर पर साझां विदेशी टैरिफ जो कि इस समय 22 प्रतिशत है दो बार में 50 प्रतिशत घटा दिया जायगा। 40 प्रतिशत की पहली कटौती 1-1-1974 को होगी तथा 10 प्रतिशत की शेष दूसरी कटौती 1-1-1975 को होगी।

(2) अन्य पटसन उत्पादों पर साझां विदेशी टैरिफ (जो कि इस समय धागे पर 8 प्रतिशत तथा हेसियन एवं टाट पर 15-20 प्रतिशत है) दो अवस्थाओं में 60 प्रतिशत घटा दिया जायगा। 40 प्रतिशत की पहली कटौती 1-1-1974 को तथा 20 प्रतिशत की शेष कटौती 1-1-1975 को होगी।

(3) कयर निर्मित वस्तुओं पर साझां सीमा शुल्क टैरिफ जोकि इस समय 23 प्रतिशत है, घटाकर 1-1-1974 को 16-2 प्रतिशत तथा 1-1-1975 को 12.8 प्रतिशत कर दिया जायगा।

(4) विस्तृत समुदाय को कालीन अस्तर के निर्यातों की उच्चतम सीमा वर्ष 1973 के लिये 7670 मीं० टन होगी। प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष के लिये यह सीमा 10 प्रतिशत तक बढ़ा दी जायगी। आगामी वर्ष के आरम्भ से साझां सीमा शुल्क टैरिफ की प्रतिशतता के शुरु होने की संभावना के कारण नये सदस्य राज्यों (अर्थात ब्रिटेन, डेनमार्क तथा आयरलैण्ड गणराज्य) को भारत के पटसन तथा कयर उत्पादों के निर्यातों के लिये उठने वाली समस्या पर समुदाय की समुचित शाखा द्वारा अभी विचार किया जा रहा है।

समुदाय में बल्क चाय पहले ही शुल्क मुक्त जाने दी जाती है। पैक्टों में चाय (3 कि० ग्रा० तथा कम) के संबंध में हम शुल्क पूर्णरूप से समाप्त कराने के लिय समुदाय के साथ अपने प्रयास जारी रख रहे हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य निष्पादन

1870. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमा राशि, मुनाफा शाखाओं के विस्तार आदि के क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य निष्पादन वर्ष 1971-72 वर्ष की तुलना में वर्ष 1972-73 में कम सफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 1972-73 (जुलाई-जून) के दौरान 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 920 कार्यालय खोले जबकि 1971-72 के दौरान 821 कार्यालय खोले गये थे। जून 1973 के अन्तिम शुक्रवार को 12 महिनों की अवधि में इन बैंकों में जमा राशि में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले 12 महीनों की अवधि में 20.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1972 में कैलेन्डर वर्ष के दौरान इन बैंकों का प्रकाशित शुद्ध लाभों की कुल रकम 7.52 करोड़ रुपये (बोनस की अदायगी का समायोजन करने के पश्चात्) थी जबकि 1971 में लाभ की रकम 8.50 करोड़ रुपये थी।

(ख) 1971 के मुकाबले 1972 में लाभ में जो कमी हुई है उस का अपेक्षाकृत कारण ऋण-जमा रकम अनुपात में कमी और नयी खोली शाखाओं में प्रारम्भिक दौर में अधिक व्यय होना है।

काफी के छोटे उत्पादकों द्वारा अधिक मूल्य की मांग

1871. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काफी के छोटे उत्पादकों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें मांग की गई है कि उनके उत्पादों के लिये उन्हें अधिक मूल्य दिया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या निर्णय है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) केरल राज्य काफी लघु उपजकर्ता संगम तथा दक्षिण भारत लघु उपजकर्ता संघ से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) सरकार के लागत लेखा अधिकारी द्वारा काफी उत्पादन की लागत में जांच किये जाने पर सरकार ने उत्पादन लागत 3.48 रु० प्रति प्वांइट निर्धारित की और काफी बोर्ड ने सरकार के अनुमोदन से जून 1972 से इसे स्वीकार कर लिया है। यह तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और इसके बाद इसका पुनरीक्षण किया जाएगा।

भारत और टर्की के बीच व्यापार समझौता

1872. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में टर्की के साथ व्यापार समझौता किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां । भारत तथा तुर्की के बीच 19 सितम्बर, 1973 को एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ख) करार का उद्देश्य भारत तथा तुर्की के बीच सामान्य रूप से व्यापार को बढ़ाना है । इसके अंतर्गत मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में व्यापार की व्यवस्था है तथा व्यापार संवर्धन, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने, दोनों देशों के व्यापारी संगठनों के बीच संबंध स्थापित करने तथा वैध/अनुमेय वाणिज्यिक कार्यवाहियों करने के लिए अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था है । करार को कार्यान्वित करने में यदि कोई समस्याएं हों तो उन्हें सुलझाने के लिए तथा दोनों देशों के बीच व्यापार विस्तार के ठोस उपाय एवं साधन अधिज्ञात करने के लिए दोनों देशों के बीच समय-समय पर विचार विनिमय की भी करार में व्यवस्था की गई है ।

इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष द्वारा बुलाया गया प्रेस सम्मेलन

1873. श्री कमल मिश्र मधुकर :

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल श्री पी० सी० लाल द्वारा दिल्ली में हाल ही में किये गये उस प्रेस सम्मेलन के बारे में समाचार देखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा बताया जाता है कि एवरो (एच० एस० 748) विमान की परीक्षण उड़ानों में नियंत्रण समस्या आ गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) दिनांक 27-10-1973 को इंडियन एयरलाइन्स का एच० एस०–748 विमान वी० टी०–ई०ए०टी० एक जांच उड़ान के दौरान हैदराबाद में एक घटना का शिकार हुआ था जिसमें उड़ान करते समय निर्धारित आवश्यकताओं व प्रक्रियाओं के अननुरूप चालन के कारण दायीं ओर के 'एलरीन' में रचनात्मक खराबी उत्पन्न हुई थी । विमान ने सुरक्षित रूप से अवतरण किया । इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अब अपने विमान-चालकों को इस प्रकार की संभावित घटनाओं से निपटने के लिये उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ।

प्रोत्साहन को फिर से चालू करने के बारे में होटल उद्योग से अभ्यावेदन

1874. श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी : क्या **पर्यटन और नागर** विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रोत्साहनों को फिर से चालू करने के बारे में होटल उद्योग ने उनके मंत्रालय से अभ्यावेदन किया है ;

(ख) उनके अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जी, हां । भारतीय होटल और रेस्टोरेंट संगठन के महासंघ ने होटल में धन-विनियोजन पर विकास-छूट को फिर से बहाल करने की मांग की है, अथवा उसके बदले में मशीनरी और उपकरण पर प्रारंभिक मूल्य-ह्रास छूट प्रदान करने को कहा है । महासंघ ने यह भी मांग की है कि होटलों को उन उद्योगों की सूची में सम्मिलित किया जाये जिन्हें कतिपय विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों म लागने पर धन-विनियोजन ग्रांट मिल सकती है ।

(ग) होटल उद्योग के लिये माली एवं अन्य प्रोत्साहनों पर पुर्नविचार करने तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में होटल उद्योग के यथेष्ट प्रकार के विाकस के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक प्रोत्साहनों की समुचित प्रणाली के बारे में सिफारिश करने के लिये एक समिति के गठन का प्रस्ताव है । पांचवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिनि ने भी इस प्रकार की समिति के गठन की सिफारिश की हैं ।

आन्ध्र प्रदेश के लिये मंजूर पर्यटन बंगले

1875. **श्री के० कोडण्डा रामी रड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के लिये कितने पर्यटन बंगले मंजूर किये गये हैं ; और

(ख) वे कहां-कहां बनाये जाने है ; उनकी अनुमानित लागत क्या है और प्रत्येक के कार्य की प्रगति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) दो।

(ख) स्थान	मंत्रालय	वारंगल
अनुमानित लागत	5.27 लाख रुपये	8.07 लाख रुपये
कार्य की प्रगति	निर्माण कार्य प्रगति पर है । 1974 के मध्य तक तैयार हो जाने की आशा है ।	इस प्रायोजना पर कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि

1876. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल के कुछ महीनों में सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी मूल्य का व्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कुछ नई मण्डियों में माल भेजा गया है ;

(ग) यदि हां, तो नई मण्डियों के नाम क्या हैं और उन मण्डियों को कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ; और

(घ) इस वर्ष निर्यात किये गये कुल सूती कपड़े में हथकरघे के सूती कपड़े का प्रतिशत कितना रहा ।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां। जनवरी-अक्तूबर, 1973 के दौरान मिल निर्मित सूती वस्त्रों का निर्यात 15,515 रु० के होने का अनुमान है जबकि वर्ष 1972 की उसी अवधि में 12,304 लाख रुपये का निर्यात किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) जापान तथा हांगकांग दो नये प्रमुख बाजार हैं तथा 1973 के दौरान जापान तथा हांग-कांग को सूती वस्त्रों के निर्यात का क्रमश: 21 लाख रु. तथा 1,008 लाख रु० के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है।

(घ) जनवरी-अक्तूबर, 1973 की अवधि के दौरान हथकरघा वस्त्रों का निर्यात वस्त्रों के कुल निर्यातों का 12.6 प्रतिशत है।

आन्ध्र प्रदेश में निर्मित निर्यात की जाने वाली वस्तुयें

1877. श्री के० कोडण्ड रामी रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में निर्यात की जाने वाली कौन-कौन सी वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण होता है;

(ख) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में उपरोक्त वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ और राज्य से कितना निर्यात किया गया; और

(ग) राज्य में इन परम्परागत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने और काली मिर्च, लवंग और इलायची आदि जैसी निर्यात करने योग्य नई वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कोई नये उपाय करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) भारत से निर्यातित विभिन्न वस्तुओं के संबंध में जानकारी राज्यवार संकलित नहीं की जाती है।

(ग) जी हां। किए जाने वाले कुछ उपाय निम्नोक्त प्रकार हैं:—

(1) फ्लू क्योर्ड विर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन, विपणन तथा निर्यातों के विभिन्न पहलुओं की देखभाल करने के लिए सांविधिक तम्बाकू बोर्ड स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

(2) विभिन्न विकासात्मक उपाय करके राज्य में काजू के उत्पादन को बढ़ाने की प्रस्थापना है।

(3) पांचवीं योजना के दौरान राज्य में चार हेक्टेयर भूमि में काली मिर्च की अधिक उपज देने वाली संकर किस्म को बढ़ाने की प्रस्थापना है।

(4) पांचवी योजना में केन्द्रीय नर्सरी में उपलब्ध सुविधाओं से लौंग के उत्पादन के लिए रोपण सामग्री को बढ़ाने तथा इस प्रकार पैदा की गई पौदों को रियायती कीमत पर बांटने की प्रस्थापना है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह कृषि पुनवृत्ति निगम से वित्तीय सहायता ले कर लौंग के विकास के लिए एक योजना बनाये।

नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में वृद्धि

1878. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में 25 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) मई 1968 में नियंत्रित कपड़े की कीमतों में जो अंतिम संशोधन किया गया था तब से नियंत्रित कपडे के उत्पादन की लागत में वृद्धि को देखते हुए कीमतों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

परिवर्धित यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार-वार्ता

1879. डा० हरि प्रसाद शर्मा :

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवर्धित यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हाल ही में बातचीत हुई है ;

(ख) इन वार्ताओं के दौरान भारत की ओर से क्या क्या मांग की गई ; और

(ग) उक्त वार्ता का संक्षिप्त परिणाम क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) भारत की ओर से उठाये गये महत्वपूर्ण मामले थे :--

(1) हमारे पटसन तथा कयर उत्पादों के प्रवेश के विषय में सुधार ; जिसमें इन उत्पादों के लिए ब्रिटेन के वर्तमान शुल्क-मुक्त व्यवस्था को बनाये रखना शामिल है ;

(2) वाणिज्यिक सहयोग करार (सी सी ए) का शीघ्र सम्पन्न किया जाना ;

(3) यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश के संदर्भ में भारत के निर्यातों के लिए रक्षात्मक व्यवस्था ; और

(4) समुदाय की अधिमानों की सामान्यीकृत योजना में सुधार ।

(ग) पटसन तथा कयर संबंधी करार सिद्धांत रूप में अब तय हो गये हैं । जनवरी, 1974 के बाद ब्रिटेन में इन दो उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त प्रवेश को जारी रखने के प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है ।

1974 के लिये समुदाय की अधिमानों की सामान्यीकृत योजना में भी कुछ सुधार होने की संभावना है ।

वाणिज्यिक सहयोग करार पर वार्ताएं अभी जारी हैं।

मारुति लिमिटेड के अंशधारियों के विरुद्ध करापवंचन अथवा करों के अदा न किये जाने के मामले

1880. श्री मधु लिमये : क्या वित्त मंत्री 3 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1922 के उत्तर के संबंध म यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड के प्रमुख अंशधारियों तथा निदेशकों द्वारा निगम कर, व्यक्तिगत आयकर, धन कर तथा उत्पा-शुल्क के अपवंचन अथवा गैर-अदायगी से संबंधित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) मैसर्स मारुति लिमिटेड में 10,000 रू० अथवा उससे अधिक के शेयर रखने वाली तीन कंपनियों की ओर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की तथा अन्य रकमें बकाया हैं । ये रकमें इसलिए बकाया हैं कि या तो वर्गीकरण के संबंध म अथवा कर-निर्धारण योग्य मूल्य के संबंध में विवाद है अथवा पार्टियों ने अपीलें अथवा नजर-सानी की दरख्वास्ते दायर कर रखी हैं।

प्रत्यक्ष करों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी ।

पूर्वोत्तर भारत में राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुभव की गयी परिवहन और संचार सम्बन्धी कठिनाइयां

1881. श्री मधु लिमये : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर भारत में राज्यों और संध राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुभव की गई परिवहन और संचार संबंधी कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) क्या इम्फाल तथा अन्य स्टेशनों पर पर्याप्त विश्राम कक्ष (लाऊंज) तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ;

(ग) क्या इम्फाल हवाई अड्डे पर नैवीगेशन संबंधी ऐसे पर्याप्त उपकरण नहीं हैं जिनसे इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों को बादल छाये रहने पर तथा तूफानी मौसम में उतरने में मदद मिल सके ;

(घ) क्या इम्फाल, सिलचर और अगरतला के 'रनवे' इतने लम्बे और मजबूत नहीं हैं कि वहां वोइंग-737 और कैराविले विमान उतर सकें और वहां से उड़ानें भर सकें ; और

(ङ) यदि हां, तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में विमान सेवाओं में सुधार करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां, इंडियन एयर लाइंस के विमान-बेड़े की तंग स्थिति के कारण, निकट भविष्य में पूर्वी क्षेत्र में विमान परिवहन व्यवस्था में सुधार करना संभव नहीं है। इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को इंडियन एयरलाइंस के विमान-बेड़े की स्थिति में सुधार होने पर ध्यान में रखा जायगा।

(ख) से (घ) तुलिहाल (इम्फाल) विमानक्षेत्र पर यात्री सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं तथा एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य को अगले वित्तिय वर्ष में हाथ में लिया जायेगा। दिक्चालन उपकरणों सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये अधिकतर सिविल विमान-क्षेत्रों पर उपलब्ध हैं, परन्तु, विमानक्षेत्रों का सुधार करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा इन्हें जब भी आवश्यक होता है, परिचालनात्मक आवश्यकताओं तथा साधनों की उपलब्धता के अनुरूप कर दिया जाता है। तुलिहाल (इम्फाल) विमानक्षेत्र का धावन-पथ कारत्रेत्र तथा बोइंग 737 विमानों के लिये उपयुक्त है, परन्तु सिल्चर तथा अगरतला के विमानक्षेत्र फिलहाल इन विमानों के लिये उपयुक्त नहीं हैं।

(ङ) गोहाटी में सुविधाओं में सुधार कर दिया गया है।

मोहनबाड़ी के विमानक्षेत्र का बोइंग 737 परिचालनों के लिए विकास किया जा रहा है। वारा-पानी (शिलांग) में एक नए विमानक्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है।

अगरतला विमानक्षेत्र के धावन-पथ का, उसे बोइंग 737 परिचालनों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, विस्तार करने एवं उसे मजबूत करने पर विचार किया जा रहा है।

जोरहाट, तेजपुर तथा दीमापुर (मणिपुर रोड) में उपयुक्त सिविल एन्कलेव बनाने का प्रस्ताव है जबकि पाँचवीं योजना में कमालपुर तथा कैलाशहर के विमानक्षेत्रों का विकास करने के लिये व्यवस्था की जा रही है।

'फिक्स्ड डिपाजिट' पर बीमा सुरक्षा प्रदान करना

1883. श्री मोहम्मद शरीफ: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या व्यक्तियों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को 'फिक्सड डिपाजिट' के रूप में दी गई राशि पर बीमा सुरक्षा प्रदान करने के सुझाव को सरकार ने स्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जमा बीमा निगम बीमा योजना के अन्तर्गत इस समय सभी वाणिज्यिक तथा पात्र सहकारी बैंक आते हैं। अतः सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के व्यापक नियंत्रण और विनियम के अधीन हैं। लेकिन बैंक भिन्न संस्थाओं के क्रियाकलापों पर रिजर्व या किसी अन्य अधिकरण का ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है। बैंकिंग आयोग ने, बैंक-भिन्न संस्थाओं की गतिविधियों के विनियमन की एक व्यापक योजना की स्थापना और जमा बीमा की सुविधा का विस्तार उन बैंक भिन्न संस्थाओं के लिए भी करने की सिफारिश की है जिनकी गतिविधियां कुछ स्वीकृत मानकों के अनुरूप हैं तथा जिनके कारोबार के संचालन की प्रणाली जमा बीमा निगम की शर्तों के अनु-सार है। बैंकिंग आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

औद्योगिक ऋण संबंधी नीति को उदार बनाना

1884. श्री मोहम्मद शरीफ :

श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में औद्योगिक ऋण संबंधी नीति को उदार बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की गई उदारता की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) औद्योगिक ऋण नीति यह है कि छोटे पैमाने के उद्योग-धन्धों, अर्हता प्राप्त उद्यमकर्ताओं द्वारा स्थापित उद्योगों और निर्धारित किए गए पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के संबंध में उदारीकरण जारी रखा जाय। छोटे उद्योगों को परियोजनाओं की क्षमता के आधार पर और ऋणकर्त्ता द्वारा दी जा सकने वाली ठोस प्रतिभूति की अपेक्षा आवेदक की योग्यता और अनुभव के आधार पर ऋण दये जाते हैं। अधिकांश बैंकों तथा राज्य वित्त निगमों ने अर्हता प्राप्त उद्यमकर्ताओं को ऐसी उदार शर्तों पर अर्थात उचित मामलों में बिना किसी मार्जिन के आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण के अनुसार अग्रिम देकर उनकी सहायता करने के लिए विशेष योजनाए बनाई हैं।

हाल ही में, भारत सरकार ने शिक्षित बेकारों की योजनाओं के वितपोषण की योजनाओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धात निर्धारित किये हैं। इन सिद्धान्तों के अन्तर्गत, वित्तीय संस्थाओं द्वारा 20,000 रुपये तक के ऋण सामान्यतः 5 प्रतिशत से कम मार्जिन पर दिये जाते हैं। सरकार बीज धन के रूप में पूंजी के 10 प्रतिशत से अनधिक राशि के नरम ऋण भी स्वीकार कर सकती है।

निर्धारित किये गये पिछड़े हुए क्षेत्रों में शीघ्रता से औद्योगीकरण करने की सुविधा के लिये भारतीय औद्योगिक बैंक ने हाल ही में पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्रत्यक्ष और पुनर्वित सहायता की रियायती योजना के संबंध में कुछ छूटों की घोषणा की है। जून 1973 से पूर्व, ऐसी नयी परियोजनाओं के लिए जिनकी पूंजीगत लागत 3 करोड़ रुपये तक है, और 3 करोड़ रुपये तक के कुल पूंजी निवेश वाले विद्यमान एककों की विस्तार विविधीकरण योजनाओं के लिये रियायती सहायता उपलब्ध थी। जून 1973 में भारतीय औद्योगिक बैंक ने निर्धारित पिछड़े हुए क्षेत्रों में जाने वाली परियोजनाओं के लिए चाहे परियोजना लागत कितनी भी क्यों न हो। अन्य सावधि वित्त प्रदान करने वाली संस्थानों के सहयोग से 2 करोड़ रुपये तक 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर रुपया ऋण सहायता देने और करोड़ रुपये तक के ऋण की हामीदारी भरने का फैसला किया। रियायती दर पर पुनर्वित प्रदान करने की योजना को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने फरवरी 1973 में उदार या बना दिया था और अब यह निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों में छोटे और मध्यम आकार की परियोजनाओं को राज्यीय वित्त निगमों और बैंकों द्वारा दिये गये 30 लाख रुपये तक के सभी अर्हता प्राप्त ऋणों के संबंध में 4 प्रतिशत की दर से पूरी सीमा तक रियायती पुनर्वित सहायता प्रदान करता है बशर्ते की सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों की चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि की राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो और प्राथमिक ऋण दाता संस्था औद्योगिक उपक्रम के लिए स्वीकृत किये गये ऋण पर 7.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज न लेती हो। विस्तार और/या आधुनिकीकरण के प्रयोजनार्थ पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विद्यमान एककों एवं नयी परियोजनाओं को दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में भी रियायती पुनर्वित सहायता उपलब्ध है।

सरकार ने चुने हुए पिछड़े हुए क्षेत्रों/जिलों में स्थापित ऐसे औद्योगिक एककों को, जिनमें किया गया पूंजीनिवेश 50 लाख रुपये से अधिक न हो, 10 प्रतिशत अनुदान या राजसहायता प्रदान करने के लिये अगस्त 1971 में एक योजना बनायी थी। जून 1973 से, राजसहायता 15 प्रतिशत तक बढ़ा दी गयी, है और अब वह 50 लाख रुपये की बजाय 1 करोड़ रुपये की स्थिर पूंजी वाले उपक्रमों को प्राप्त होगी।

42 LSS/73—6

औद्योगिक वित्त निगम और कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा पंजाब को सहायता

1885. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम और कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मैसूर और राजस्थान की तुलना में पंजाब को कम लाभ दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन निकायों द्वारा पंजाब राज्य को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्हाण): (क) और (ख) औद्योगिक वित्त निगम ने पंजाब राज्य में स्थित विभिन्न औद्योगिक एककों के लिये सितम्बर 1973 के अंत तक कुल 8.52 करोड़ रुपय की कुल सहायता स्वीकार की है। उसी अवधि के लिए महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मैसूर (अब कर्नाटक) और राजस्थान को क्रमशः 101.50 करोड़ रुपये, 42.54 करोड़ रुपये, 38.64 करोड़ रुपये, 30.67 करोड़ रुपये और 17.41 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकार की गयी थी।

जून, 1973 के अन्त तक स्वीकृत योजनाओं के संबंध में पंजाब में कृषि वित्त निगम द्वारा किय गये भुगतान अधिकतम अर्थात 28.55 करोड़ रुपये थे जबकि इसकी तुलना में यह राशि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मैसूर, (कर्नाटक) और राजस्थान के संबंध में क्रमशः 19.60 करोड़ रुपये, 0.21 करोड़ रुपये, 24.28 करोड़ रुपये, 14.32 करोड़ रुपये और 3.79 करोड़ रुपये थी।

किसी भी राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए स्वीकृत सहायता की मात्रा, उस राज्य में उद्यमकर्त्ताओं से सहायता के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या पर निर्भर करती है। 30 जून 1973 को समाप्त हुए पिछले तीन लेखा वर्षों के दौरान, औद्योगिक वित्त नियम को पंजाब के उद्यमकर्त्ताओं से केवल चार आवेदन पत्र प्राप्त हुए जबकि इसकी तुलना में महाराष्ट्र से 55, पश्चिम बंगाल से 21, उत्तर प्रदेश से 34, मैसूर (कर्नाटक) से 18 और राजस्थान से 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। प्राप्त 4 आवेदन पत्रों और 30-6-1970 को विचाराधीन एक आवेदन-पत्र में से निगम ने 3 आवेदन पत्रों के लिए स्वीकृति दी। निगम एक आवेदन पत्र पर स्वीकृति नहीं दे सका क्योंकि वह आयोजक की स्थिति और क्षमता से संतुष्ट नही था और दूसरे मामले में निगम ने कम्पनी को एक नयी कम्पनी शुरू करने का परामर्श दिया और आवेदन पत्र को वापिस लिया गया माना गया।

जहां तक कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा दी गई सहायता का संबंध है, पंजाब राज्य का हिस्सा उपर्युक्त अन्य राज्यों को दी गयी सहायता के मुकाबले अधिक अच्छा है।

दोनों निगम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करते हैं कि कोई भी महत्वयोग्य परियोजना पर संस्थागत वित्त के अभाव से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अन्य बातें समान होने पर, निगम जहां तक व्यवहार्य हो इस बात को सुनिश्चयन करने का प्रयत्न करते हैं कि उनकी सहायता इस ढंग की रखी जाय कि संभव सीमा तक सभी राज्यों को व्यापक रूप से मिले।

बाजार से ऋण लेने की सीमा को बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किया गया अनुरोध

1886. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह लिखा था कि बाजार से ऋण लेने की सीमा 6.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये कर दी जाये।

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या पंजाब की तुलना में हरियाणा को बाजार से अधिक ऋण लेने की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) पंजाब राज्य का आवेदन स्वीकार करना संभव नहीं हुआ।

(ग) हरियाणा की चौथी आयोजना के बाजार ऋणों (राज्य सरकार और राज्यीय बिजली बोर्ड) की राशि 51.31 करोड़ रु० है जो पंजाब राज्य के बाजार ऋणों अर्थात् 49.58 करोड़ रुपये से थोड़ी सी अधिक है। राज्यों को बाजार ऋणों का आवंटन बाजार की विद्यमान स्थितियों राज्य की आवश्यकताओं और बकाया ऋणों की परिपक्वता पर विचार करने के बाद किया जाता है।

रक्षा कार्मिकों के लिए ग्रुप बीमा योजना लागू करना

1887. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :

श्री बनमाली पटनायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम रक्षा कार्मिकों के लिये "ग्रुप बीमा योजना" लागू करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) यह मामला सभी प्रस्ताव की स्थिति में है।

Chhoti Sadari Gold Scandal

1888. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**

Shri Birender Singh Rao:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the date on which his attention was first drawn in Parliament to the Chhoti Sadari Gold Scandal; and

(b) the action taken in the matter so far and the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) On 17-2-1966, an Unstarred Question No. 369 regarding recovery of undeclared gold at Chhoti Sadri in Rajasthan was answered in the Lok Sabha by the Finance Minister.

(b) (i) In the searches made by the Central Excise Officers 241.589 Kgs. of gold was seized from Shri Chhaganlal Godavat and his mother. In the Departmental adjudication the gold has been confiscated absolutely and personal penalties of Rs. 25,09,000 have been imposed on them. The appeals have been rejected and the revision applications are under consideration of the Government of India.

Prosecution launched against Shri Chhaganlal Godavat under the Defence of India Rules is pending decision in the Court of the City Magistrate Ajmer. Shri Chhaganlal Godavat expired on 8-7-1973 and his Counsel has made a prayer to the Court for dropping the proceedings against him. The Court's decision is awaited.

Action taken by the Department for recovery of penalty was challenged by Shri Godavat in the Delhi High Court, who had ordered that the recovery could be made from the silver belonging to Shri Chhaganlal Godavat detained by the Department or from any other property belonging to Shri Godavat. This silver is being held by the Rajasthan Government under the Treasure Trove Act and the matter is being pursued with the State Government authorities.

(ii) In December, 1965, the Rajasthan Police had recovered 56.863 Kgs. of gold at the instance of Ganpatlal and later seized a further 9.575,1/2 Kgs. in Chhoti Sadri. This gold is in the custody of the Rajasthan Government. It could not be taken over so far because this gold at present is case property in the matter which is subjudice in a Rajasthan Court on a Challan filed by the State Police against Shri Ganpatlal with reference to a complaint lodged by Shri Gunwantlal, son of Shri Chhaganlal Godavat. Consequent on certain allegations, and on the request of the then Chief Minister of Rajasthan, an enquiry was instituted through the CBI, and as the Court case relating to the gold is still pending, the enquiry is being conducted with due regard to the provisions of the law.

Traveller's Lounges and Restaurants being run by I.T.D.C.

1889. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the number of Traveller's Lounges and Restaurants being run by India Tourism Development Corporation and the amount of profit earned by each during 1970-71 and 1972-73, respectively, and the profit expected to be earned this year; and

(b) whether these Traveller's Lounges and Restaurants are more used by the Indian or by foreigners?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shrimati Sarojini Mahishi) : (a) The India Tourism Development Corporation is operating 18 Travellers' Lodge and 10 Restaurants. A statement showing profits/losses of each of the unit for the year 1970-71, 71-72, 72-73 and forecast for the year 1973-74 is enclosed. **[Placed in the Library. See No. LT-5789/73].**

(b) The Travellers' Lodges at Bodhgaya, Kushinagar, Mahabalipuram, Khajuraho are extensively used by foreigners. Whereas at rest of the places the majority of tourists utilising them are Indians.

Overtime paid in Nationalised Banks.

QUESTION

1890. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of Overtime Allowance given in the nationalised banks during the last four months and the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : A statement showing the information available in regard to the overtime allowance paid in the nationalised bank during the first six months of the current year is attached.

The main reasons given by the banks for payment of overtime are :—

(i) the augmentation of staff not keeping pace with work requirements as recruitment formalities take time,

(ii) seasonal nature of certain type of work,

(iii) work flow not being even and the need for each day's work to be finished on the same day,

(iv) more than normal absenteeism,

(v) agitations by employees during working hours.

(vi) non-cooperation on the part of employees,

(vii) time taken by the newly appointed staff to acquire proficiency ; and

(viii) insistence on the part of employees to do certain types of work only on payment of overtime.

Statement

S. No.	Name of the Bank	Overtime allowance paid during January-June, 1973 (Provisional figures) (Rs. in lakhs)
1	2	3
1.	Central Bank of India	55.50
2.	Bank of India	51.47
3.	Punjab National Bank	52.73
4.	Bank of Baroda	61.00
5.	United Commercial Bank	37.95
6.	Canara Bank	20.25
7.	United Bank of India	25.00
8.	Dena Bank	24.26

1	2	3
9.	Syndicate Bank	7.98
10.	Union Bank of India	21.72
11.	Allahabad Bank	20.20
12.	Indian Bank	12.58
13.	Bank of Maharashtra	10.68
14.	Indian Overseas Bank	14.00

Payment of Overtime Allowance to Central Government Employees

1891. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the total amount of Overtime Allowance paid to the Central Government employees during the year 1972-73 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The amount paid to Central Government employees in Secretariat offices by way of overtime allowance during 1972-73 was Rs. 90.29 lakhs. The total amount of overtime allowance in respect of employees in all Central Government establishments during 1972-73 was about Rs. 51.13 crores.

कपड़े के मूल्य में वर्ष 1971 को तुलना में वृद्धि

1892. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 की तुलना में इस समय कपड़े के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ कार्यवाही करने का है कि गरीब जनता को मोटा कपड़ा उचित दर पर सप्लाई किया जा सके ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 2 मई, 1968 से नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दिसम्बर 1971 के मूल्यों की तुलना में अक्टूबर 1973 में अनियंत्रित कपड़े के मल्यों में प्रतिशत वृद्धि कुछ मीडियर्मा किस्मों के संबंध में 12½ प्रतिशत से लेकर कुछ सुपर इन किस्मों के संबंध में 72.2 प्रतिशत के बीच रही।

(ख) अनियंत्रित कपड़े के मूल्य अन्तनिवेशों की लागत में वृद्धि और पूर्ति तथा मांग के बीच कुल संतुलन पर निर्भर करते हैं। चालू वर्ष में रूई की लागत तथा मंजूरी में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा घरेलू बाजार में कपड़े की कुल उपलब्धि पर वर्ष के पूर्वार्द्ध में बिजली की कटौतियों के कारण प्रतिकूल प्र ाव पड़ा है।

(ग) जी हां, नियंत्रित ूलों पर मोटे तथा मीडियम कपड़े की सप्लाई बढ़ाने की संभाव्यता पर सरकार ध्यान दे रही है।

होशंगाबाद स्थित 'सिक्योरिटी पेपर मिल में हड़ताल

1893. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशगांबाद स्थित भारत सरकार की सिक्योरिटी पेपर मिल में श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के खराब संबंधों के कारण मार्च, अप्रैल, सितम्बर और अक्टूबर, 1973 में हड़तालें हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या काम रुक जाने के कारण देश में करेंसी नोटों की छपाई करने के लिये सिक्योरिटी पेपर का आयात करने की स्थिति पैदा हो गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में 29 मार्च, से 4 अप्रैल 1973 तक तथा 8 अप्रैल से 17 अप्रैल 1973 तक "औजार छोड़ो" हड़ताल रही थी। 17 अप्रैल 1973 को एक समझौते के परिणामस्वरूप हड़ताल वापस ले ली गयी थी लेकिन 10 सितम्बर से 9 अक्टूबर तक मिल के 84 कामगारों ने फिर से संयुक्त रूप से काम बंद कर दिया यह हड़ताल 10 अक्टूबर 1973 को बिना शर्त वापिस ले ली गयी थी। अब स्थिति सामान्य है।

(ख) कुछ करेंसी नोट पेपर के आयात के लिये आर्डर दे दिया गया है। इस आयात की आवश्यकता केवल इन हड़तालों के कारण नहीं बल्कि जनवरी 1972 के मध्य से कामगारों द्वारा लगातार "धीरे काम करो" की नीति अपनाने के कारण हुई है, जिसके परिणामस्वरूप नासिक प्रैस में छापे जाने वाले करेंसी नोट कागज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिल में उत्पादन कम हुआ था किन्तु अक्टूबर के मध्य से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि यह प्रवृति चलती रही तो और आगे आयात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

केरल के पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

1894. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अब तक केरल राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई :

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित अवधि के दौरान देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखायें खोली गई और इनमें से कितनी शाखाएं शहरी क्षेत्रों में खोली गई और कितनी शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गयी ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कितने व्यक्तियों के ऋण संबंधी आवेदन पत्रों पर मंजूरी दी गयी और ऋण संबंधी कितने आवेदन-पत्र अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) चालू वर्ष के दौरान अर्थात् 30-9-74 तक 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने योजना आयोग द्वारा चुने गये औद्योगिक रूप से पिछड़े केरल के पांच जिलों अर्थात् अल्लेप्पी, कन्नानूर, मलापुरम, त्रिचूर और त्रिवेन्द्रम में 7 कार्यालय खोले।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उपर्युक्त (क) में वर्णित अवधि के दौरान देश में 530 शाखें खोली हैं। इन शाखाओं की जनसंख्या समूहों के आधार पर वर्गीकरण नीचे दिया गया है :—

ग्रामीण	188
अर्ध शहरी	115
शहरी	104
नगर परिषद	123
	530

(ग) बैंकों की वर्तमान सूचना प्रणाली में स्वीकृत किये गये अथवा बकाया (अनिर्णीत) पड़े आवेदन पत्रों की संख्या सूचित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

केरल राज्य के शक्ति चालित करघा के बुनकरों को 4–1/2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान करना

1895. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य के शक्तिचालित करघा के बुनकरों को 4–1/2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करने संबंधी कोई योजना भारत सरकार को प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) शक्ति चालित करघा सहकारी संस्थाओं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की योजना लागू करने के लिये केरल राज्य से एक प्रस्थापना प्राप्त हुई थी ताकि वे 4-1/2 प्रतिशत की रियायती व्याज दर से ऋण प्राप्त कर सकें।

(ख) इस मामले पर वस्त्र आयुक्त तथा वित्त मंत्रालय से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

बुनकर सेवा केन्द्र आरम्भ किये जाने के लिये केरल सरकार द्वारा कन्नूर में एक भवन नियत किया जाना

1896. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के निदेशानुसार केरल सरकार ने बुनकर सेवा केन्द्र चलाये जाने के लिये कन्नूर में एक भवन नियत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र को चलाने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने केरल राज्य की परामर्श से एक भवन किराए पर लिया है। केन्द्र ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। 37 स्वीकृत पदों में से 15 पद भर लिये गये हैं। भर्ती नियम में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार शेष पदों पर आदमी भर्ती करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

वीटा मर्चेन्टस कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीटा, जिला सांगली, महाराष्ट्र, द्वारा भेजा गया प्रस्ताव

1897. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या **वित्त** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या वीटा में स्थापित की जाने वाली एक सरकारी कताई मिल के शेयरों की खरीद के लिये शक्तिचालित करधा, बुनकरों को इस बैंक द्वारा दिये जाने वाले मध्यावधि ऋण की प्रतिपूर्ति के लिये वीटा मर्चेन्ट्स कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीटा जिला सांगली, महाराष्ट्र ने कोई प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकार किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) वीटा मर्चेंट्स कोआपरेटिव बैंक लि० की ओर से अगस्त 1973 में भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उसकी वर्तमान योजना में केवल कृषि ऋण समितियों के कृषक सदस्यों को उत्पादक सरकारी कताई मिलों में शेयरों की खरीद के लिए मध्यावधि ऋण देने की व्यवस्था है और सरकारी कताई मिलों के कृषकभिन्न सदस्यों को यह सुविधा देने का प्रश्न विचाराधीन है।

पांचवी योजना में हवाई अड्डों संबंधी सुविधाओं के लिए 45 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव

1898. **श्री पी० ए० सामिनाथन** :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **पर्यटन और नगर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना में हवाई अड्डे संबंधी सुविधाओं के लिए 45 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) पांचवीं योजना से संबधित प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

काले धन का पता लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार को अधिकार

1899. **श्री पी० ए० सामिनाथन** :

श्री वी० मयावान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कालेधन का पता लगाने के लिए तमिलनाडु ने केन्द्रीय सरकार से अधिक अधिकार देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अधिकार दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार को तमिलनाडु सरकार से ऐसा कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पलाई सेंट्रल बैंक (दिवालिया) के निदेशकों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही

1900. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**
श्री ई० आर० कृष्णन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाई सैन्ट्रल बैंक (दिवालिया) के संबंध में केरल उच्च न्यायलय के डिगरी के फैसले का सरकार ने अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये डिगरी के फैसले में बैंक की असफलता के लिये दोषी ठहराये गये निदेशकों के विरुद्ध सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो बैंक के निदेशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) अप्रैल 1963 में बैंक के सरकारी परिसमापक ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 543 के अन्तर्गत बैंक के कुछ निदेशकों, लेखापरीक्षकों और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध एक अपकरण आवेदक पत्र दायर किया था जिस में बैंक को उनकी असफलताओं के कारण हुये 2,88,72,260 रुपये की कुल रकम के घाटे का दावा किया गया था। अप्रैल और नवम्बर 1965 में केरल उच्च न्यायालय ने सरकारी परिसमापक के दावे के पक्ष में डिगरी का फैसला दिया था जो 283.61 लाख रुपये का था। इन फैसलों के विरुद्ध प्रत्यार्थियों द्वारा की गई अपीलों (याचनाओं) को बाद में उक्त न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। एक को छोड़ कर शेष सभी सम्बन्धित निदेशकों ने उसी समय उच्चतम न्यायालय में अपील की थी और यह अपील अभी विचाराधीन है। सरकारी परिसमापक को शेष निदेशक की परिसम्पत्तियों के बारे में पता नहीं चला है जिससे कि उसके विरुद्ध डिगरी लागू की जा सके।

सबरीमाला (केरल) में व्यापक पर्यटन विकास योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव

1901. **श्री सी० जनार्दनन् :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावणकोर देवेस्वम बोर्ड, केरल और राज्य सरकार ने केन्द्र से सबरीमाला में, जहां पर धर्मसस्ता के विख्यात मन्दिर स्थित हैं, एक व्यापक पर्यटन विकास योजना प्रारम्भ करने में सहयोग करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ग) संघ सरकार का उस पर क्या निर्णय है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) ये प्रस्ताव ट्रावनकोर देवस्वम् बोर्ड, जो कि एक सांविधिक निकाय है, द्वारा 7.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से साबरीमाला, पम्पा, अरनमूला, वर्कला, तिरुवल्लम, अलवाय, एट्टूमनुर, वैकोम तथा नय्याटिनकारा पर आवास, जलसप्लाई, बिजली, शौच, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था एवं पहुंचमार्गों के निर्माण आदि के रूप में तीर्थयात्रियों के लिये सुविधाएं प्रदान करने से सम्बन्धित हैं।

(ग) साधनों के सीमित होने तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण केन्द्रीय सरकार देवस्वम् बोर्ड द्वारा प्रस्तावित विस्तृत योजना के लिये धन प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।

हथकरघा बुनकर उद्योग का पुनर्गठन

1902. **श्री सी० जनार्दनन्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा बुनकर उद्योग के पुनर्गठन के बारे में केरल के बुनकरों के एक प्रतिनिधि-मण्डल से कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां। केरल सालिया शोमा समिति कन्नाचेरी कोज़ीकोडे से।

(ख) ज्ञापन में उठाई गई मुख्य बातें ये हैं :—

(1) प्रत्येक बुनकर को 50 रु० की वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये।

(2) जिसके पास कार्ड हो उसके प्रति माह धागे के आठ बंडल दिये जाने चाहिये।

(3) बुनकर को आवश्यकता अनुसार 20, 40 काउंट का धागा सप्लाई किया जाना चाहिये।

(4) हथकरघा उद्योग के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये औपचारिक उपाय ढूंढने हेतु एक आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिये।

(5) जिन बुनकरों के पास इस समय कार्ड नहीं हैं उन्हें कार्ड जारी करने के लिये निर्देश दिए जाने चाहिये।

(6) प्रत्येक बुनकर गली में सामूहिक बुनाई केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिये।

(7) हथकरघा वस्तुओं के निर्यात के लिये दिये जाने वाले प्रोत्साहन जारी रखे जाने चाहिये।

(8) हथकरघा बुनकरों को धागे की उचित सप्लाई के लिये अखिल भारतीय नीति बनाई जाए।

(ग) (1) केरल में हथकरघा उद्योग के विकास का कार्य मुख्य रूप से केरल सरकार का है। अतः क्रमांक 1 से 3 तथा 5 से 6 के विषय केरल सरकार से संबंधित हैं।

(2) क्रमांक (4) के सम्बन्ध में एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है।

(3) सुझाव (7) तथा (8) नोट कर लिये गए हैं।

भारत और रूमानिया के बीच व्यापार-करार

1903. **श्री सी० जनार्दनन् :**

श्री एन० एस० संजीवी राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अभी हाल में रूमानिया के साथ किसी व्यापार-करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) तथा (ख) वर्ष 1974 के लिये भारत रूमानिया व्यापार संलेख पर 22 अक्तूबर, 1973 को बुखारैस्ट में हस्ताक्षर किये गए थे। संलेख में व्यवस्था है कि वर्ष 1974 के दौरान दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 90 करोड़ रुपये का होगा।

आयात की मुख्य वस्तुएं ये होंगी:–

(1) उर्वरक (2) रोल्ड इस्पात तथा इस्पात उत्पाद (3) आयल प्रास्पैक्टिंग तथा ड्रिलिंग उपस्कर (4) कार्बनिक तथा अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ (5) स्नेहक तेल (6) मशीनी औजार (7) रेल के वैगनों के लिये ह्वील सैट तथा अन्य संघटक (8) इलैक्ट्रोनिक संघटक।

निर्यात की मुख्य वस्तुएं ये होंगी:—

(1) लोह अयस्क (2) पटसन निर्मित माल (3) कमाई हुई तथा अर्ध-कमाई हुई खालें तथा चमड़ियां (4) तैयार किया हुआ चमड़ा (5) पैरोमैंगनीज़ (6) खली (7) काफी।

मशीनी औजार, रासायनिक पदार्थ, औषधिय उत्पाद तथा विविध इंजीनियरी माल जैसी गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के लिये भी व्यवस्था की गई है।

India's participation in International Trade Fairs during the last three years

1904. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of the international fairs held in foreign countries in which India participated during the last three years;

(b) the amount of foreign exchange spent by India on these fairs; and

(c) the benefits which accrued to India as a result thereof and in what form?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b) The requisite information is given in Annexure attached. [Placed in the Library. *See* No. LT-5790/73].

(c) Trade Fairs/Exhibitions are recognised as an essential adjunct to trade promotion and this medium is being increasingly taken advantage of in most of the countries with great success. India's participation in such fairs and exhibitions abroad has to be viewed as a long term investment. In addition to helping the projection of the image of modernising and industrialising India, such participation is making

vital contribution to the expansion of country's foreign trade. The results in terms of specific orders booked, business negotiated and trade enquiries received and disseminated following our participation in various Fairs/Exhibitions can be fully gauged over a period of time only. The interest generated amongst prospective buyers by such participations generally takes shape by further follow up action between the buyers and sellers.

Arrears of Income-tax Against Ministers of Central Government

1905. **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri G. P. Yadav :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to USQ No. 6354 on the 6th April, 1973 regarding the arrears of Income-tax against Ministers and Members of Parliament and state:

(a) whether the required information has since been collected; and

(b) if so, whether it will be laid on the Table?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) No, Sir. The earlier assurance will be implemented soon.

(b) Does not arise.

Decline in India's Foreign Trade during 1972-73

1906. **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri G. P. Yadav :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether India's foreign trade declined during the year 1972-73; and

(b) if so, the measures taken by Government to make good deficit and results thereof ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

गत 6 महीने में पकड़ी गई तस्करी की वस्तुएं

1907. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री बसंत साठे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अक्तूबर, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कठोर सतर्कता बरते जाने के बावजूद देश में तस्करी बढ़ रही प्रतीत होती है;

(ख) यदि हां, तो गत 6 महीनों में सरकार ने तस्करी का कितने मूल्य का सामान पकड़ा है; और

(ग) विशेषकर देश के पश्चिमी तट पर तस्करी को समाप्त करने के लिये सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। सरकार ने दिनांक 6 अक्तुबर, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित "कठोर सतर्कता बरते जाने के बावजूद तस्कर-व्यापार बढ़ रहा है" शीर्षक वाले समाचार को देखा है।

(ख) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अप्रैल से सितम्बर, 1973 तक की अवधि के दौरान पकड़े गए तस्कर आयात के माल का मूल्य लगभग 1606 लाख रुपये है।

(ग) तस्कर-व्यापार को रोकने के लिये सरकार द्वारा किये गए तथा इस बारे में किये जाने के लिए प्रस्तावित उपाय निम्नानुसार हैं:—

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर-व्यापार करने का संदेह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर संदेह हो उनकी तलाशी लेना तथा समुद्रतट और भूसीमाओं के सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों की निगरानी करना। तस्करी के माल को कारगार तरीके से मार्ग में रोकने, उसकी रोकथाम आदि के लिये समय-समय पर अतिरिक्त लांच-नौकाओं और वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। तस्कर-विरोधी कार्य की अनन्य रूप से देखभाल करने के लिये, सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में सीमाशुल्क के समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं तथा सहायक समाहर्ताओं के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। कतिपय वस्तुओं के अवैध आयात को रोकने और उनका पता लगाये जाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजन से विशेष उपाय करने के लिये 1969 में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। तस्कर-व्यापार संबंधी अपराधों के लिये और अधिक कठोर दण्ड देने तथा खामियों को दूर करने के लिये सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में, हाल ही में और संशोधन किया गया है।

तस्कर-व्यापार विरोधी कार्य में लगे कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने तथा समुद्र में तीव्र गति से चलने वाली लांच नौकाओं को प्राप्त करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

निरीक्षण के लिए उतारे गये सुधरे एवरो विमानों में पाये गये दोष

1909. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरीक्षण के लिये उतारे गये सभी एवरो विमानों को इस बीच सुधार दिया गया है तथा उड़ान के लिये उन्हें इंडियन एयरलाइन्स को सौंप दिया गया है;

(ख) क्या इस प्रकार सुधारे गये एक विमान को उड़ाने से फिर रोक दिया गया क्योंकि उस में अन्य दोषों का पता चला है और यदि हां, तो उस में क्या दोष पाए गए हैं;

(ग) क्या सुधारे गए विमानों की उड़ान लागत का अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो विमानों को उतारे जाने से पूर्व की स्थिति की तुलना में यह लागत कितनी न्यूनाधिक है; और

(घ) सुधारे गए विमानों का उचित 'पेलोड' क्या है तथा सुधार से पूर्व के 'पेलोड' में यह कितना न्यूनाधिक है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) 2-11-1973 को कलकत्ता में एक एच० एस०-748 विमान को जांच तथा कुछ त्रुटियों के निवारण के लिये उड़ानों से रोक दिया गया; किन्तु इन त्रुटियों का 'ऐल रान हिंज' की खराबी की समस्या से जिसके लिये पहले एवरो विमानों की उड़ानों को रोक दिया गया था, कोई सम्बन्ध नहीं था। खराबी ठीक कर दी गई और विमान को दो दिन बाद पुनः सेवा में चालू कर दिया गया।

(ग) और (घ) उक्त जांच और त्रुटि सुधार के कारण एच० एस०-748 विमान की परिचालन लागत अथवा अनुमत राजस्व-भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

बीमा शुदा मामलों तथा भुगतान न किये गये दावों के व्यपगत के अनुपात में वृद्धि

1909. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा गत तीन वर्षों में अपने नए व्यापार को दोगुना करने में सफल होने पर भी वर्ष 1972-73 के दौरान बीमा शुदा मामलों के व्यपगत अनुपात में तथा उनसे पूर्व वर्ष के आंकड़ों की तुलना में इसी अवधि में भुगतान न किये गए दावों के अनुपात में समानुपातिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या निष्पन्न बीमा के मामलों के निपटान के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई;

(ग) ऐसे मामलों के निपटान के लिये इस समय औसतन कितना समय लिया जाता है अथवा निर्धारित है तथा गत तीन वर्षों के आंकड़े क्या हैं तथा कितने मामले अनिर्णीत हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि पालिसीधारियों की जीवन बीमा निगम इष्टतम सेवा करता रहे, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा क्या ऐसे मामलों के निपटाने के लिये कोई समय-सीमा यदि अभी तक नहीं की गई तो निर्धारित की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क), (ख), (ग) और (घ), (i) व्यपगत पालिसियों की संख्या में से फिर से चालू की गई पालिसियों की संख्या को कम करके शेष संख्या का, पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में जीवन बीमा कारोबार के मध्यमान के प्रति अनुपात नीचे दिया गया है :—

1970-71	5.2 प्रतिशत
1971-72	5 प्रतिशत
1972-73	5.3 प्रतिशत

(ii) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के अन्त में बकाया रहे दावों की संख्या और रकमें नीचे दी गई हैं। कारोबार में वृद्धि के कारण केवल आंकड़ों से तस्वीर सही तौर से जाहिर

नहीं होती क्योंकि सामान्य प्रयोग में दावों के निपटान कार्य का अभिसूचक वह अनुपात होता है जो वर्ष में सूचित किये गए दावों के प्रति वर्ष के आखिर में बकाया दावों का होता है। वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के लिए अनुपात भी नीचे व्यक्त किये गए हैं :—

वर्ष	वर्ष के आखिर में बकाया दावे		वर्ष के आखिर में बकाया रहे दावों का वर्ष में सूचित किये गये दावों के प्रति अनुपात	
	संख्या (लाखों में)	रकम (करोड़ रु० में)	पालिसियों की संख्या के हिसाब से	रकम के हिसाब से
			प्रतिशत	प्रतिशत
1970-71 . .	0.89	20.53	26.70	23.60
1971-72 . .	0.63	17.81	19.38	19.38
1972-73 . .	0.70	21.26	18.82	20.63

(iii) दावों के निपटान में लगने वाले समय के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके इलावा दावों के निपटान के लिये मियाद बान्ध देना सम्भव नहीं हैं क्योंकि दावे कई ऐसे कारणों से बकाया रह सकते हैं जिनके ऊपर जीवन बीमा निगम की कोई वश नहीं चलता, जैसे भुगतान प्राप्ति फार्म/पालिसी दस्तावेज, आयु प्रमाण, मृत्यू दावों के सम्बन्ध में अधिकार प्रमाण आदि प्राप्त नहीं होते हैं। पालिसीधारकों को मिलने वाली सेवा में सुधार करने और दावों को जल्दी निपटाने की आवश्यकता का जीवन वीमा निगम को पूरा अहसास है। जो परिपक्वता दावे निगम के कार्यालय में 30 दिन से अधिक और जो मृत्यु दावे 60 दिन से अधिक निपटान के लिये बकाया रह जाते हैं उन पर जीवन बीमा निगम 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी अदा करता है।

जीवन बीमा निगम द्वारा सामूहिक बीमा योजना आरम्भ करना

1910. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने सामूहिक बीमा योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना से कुछ श्रेणी के ही व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब से लागू है तथा इस योजना के अन्तर्गत सामान्य सलाभ (एन्डोमेंट) नीति से अतिरिक्त लाभों को देखते हुये इस योजना पर क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(घ) क्या सरकार ने इस योजना को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू किये जाने की उपादेयता पर विचार किया है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) सामूहिक बीमा योजना, मुख्यतः किसी एक नियोजक के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के समूह के बीमे के लिये बनाई गई है। इस योजना के द्वार मजदूर संघ, व्यावसायिक संघ

जैसे संगठित समूह के लिये भी खोल दिये गए हैं, जिसमें शर्त यह है कि वे समूह इस प्रकार की बीमा योजना को लागू होने वाली जोखिम के प्रति सुरक्षा की शर्तें पूरी करते हों।

(ग) सामूहिक बीमा योजना इसके वर्तमान रूप में सन् 1962 में चालू की गई थी। इस योजना की शर्तों में हाल ही में काफी सुधार किये गए हैं जिससे किस्तों की दर घट गई है और लाभ भागीदारी की दर बढ़ गई है। इस कारण इस योजना की मांग में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों में 776 योजनाएं चालू की गयीं जिनके अंतर्गत 8,08,623 जीवनों का बीमा हुआ है। 31 मार्च, 1973 को स्थिति यह थी कि सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत कुल 814 योजनाएं चालू थीं जिनके अन्तर्गत 9,47,035 जीवनों का कुल मिला कर 407.13 करोड़ रु० की रकम के लिये बीमा आता है।

(घ) तृतीय वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये एक बीमा योजना चालू की जाय जिसके अन्तर्गत सभी कर्मचारियों के लिये 5 रु० प्रति मास की एकांकी दर से किस्त चुकाना आवश्यक हो और उस पेटे 5,000 रु० की बीमा पालिसी ली जाय जिससे सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की हालत में उसके परिवार को 5,000 रु० की रकम अदा की जा सके अन्यथा कर्मचारी की अधिवार्षिकी आयु चुकाने पर किस्तों की रकम बिना ब्याज के उसे वापस कर दी जाय। तृतीय वेतन आयोग की इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है।

अत्यावश्यक वस्तुओं के बारे में समिति

1911. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री अत्यावश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के बारे में 24 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 440 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा स्थापित की गई जन उपयोग की अत्यावश्यक वस्तुओं सम्बन्धी समिति ने जन साधारण को उचित मूल्यों पर अत्यावश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराये जाने के लिये अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विशेषकर अल्पकालिक उपायों के मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जन उपयोग की अत्यावश्यक वस्तुओं सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट के पहले भाग को अन्तिम रूप दे दिया है। रिपोर्ट का दूसरा भाग तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट का दूसरा भाग प्राप्त हो जाने पर, योजना आयोग समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर समग्र रूप से विचार करेगा।

(ग) इस समिति का उद्देश्य जनसाधारण को उचित मूल्यों पर अत्यावश्यक वस्तुओं की पूर्ति की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये अल्पकालिक एवम् दीर्घकालिक नीति का निर्माण करना है; अन्ततः इसका लक्ष्य-बिन्दु एक व्यापक संग्रहण और वितरण प्रणाली का निर्माण करना होगा। बहुत अधिक संख्या में वस्तुओं के लिए इस प्रकार की नीति बनाना एक जटिल कार्य है। समिति के विचाराधीन विभिन्न चुनी हुई वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु के उत्पादन संग्रहण तथा वितरण से सम्बन्धित समस्याओं की गहराई से जांच करने के लिए, समिति ने कार्य-दल नियुक्त किए हैं। उनकी रिपोर्टों के पेश करने तथा बाद में मुख्य समिति में उन पर विचार-विमर्श करने में स्वभावतः कुछ समय लग गया है। परन्तु, समिति का काम काफी हो चुका है।

समिति द्वारा रिपोर्ट पेश न किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि सरकार अत्यावश्यक वस्तुओं का और अच्छे ढंग से संग्रहण और वितरण करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अल्पकालिक उपायों को नहीं कर रही है । वास्तव में सरकार ने कमियों को पूरा करने के लिये चाहे वे राष्ट्रीय स्तर की हों या स्थानीय स्तर की, समय-समय पर विभिन्न उपाय किये हैं ।

बिहार में किसानों के लिए संस्थागत ऋण में वृद्धि करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से ऋण

1912. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन ने बिहार राज्य में किसानों के लिये संस्थागत ऋण में वृद्धि करने के लिये 320 लाख डालर का ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के 320 लाख डालर के ऋण से, बिहार राज्य में तिरहुट और दरभंगा प्रभागों में किसानों द्वारा नलकूपों और पम्प सेटों में पूंजी लगाये जाने के तीन-वर्षीय कार्य-क्रम की कुल परियोजना लागत के लगभग 63 प्रतिशत भाग की वित्त-व्यवस्था की जायेगी । ऋण की रकम कृषि पुनर्वित्त निगम, बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और वाणिज्यक बैंकों की मार्फत दी जायेगी ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में भारतीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपभोक्ताओं द्वारा अधिक ग्राह्यता

1913. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री आर० बी० स्वामिनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी यूरोप के देशों में भारतीय वस्तुओं की उपभोक्ताओं द्वारा अधिक मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो इन देशों के साथ व्यापार में और वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या कार्य-वाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां

(ख) पूर्व यूरोपीय देशों को उपभोक्ता वस्तुओं के भारतीय निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों में से कुछ निम्नांकित हैं :—

(1) वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के दौरान इसका भाग बढ़ाने तथा नई वस्तुएं आरंभ करने पर हमेशा जोर दिया जाता है ।
(2) मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ।
(3) व्यापारी फर्मों तथा उद्यमियों के प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान करना ।
(4) विशेषीकृत भारतीय संस्थानों द्वारा बाजार अध्ययन करना तथा वाणिज्यक प्रचार की व्यवस्था करना ।

दिल्ली ग्लाईडिंग क्लब के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें

1914. **श्री विरेन्द्र सिंह राव :**
श्री आर० एन० वर्मन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं और गबन करने की शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्लब ने किस प्रकार की अनियमितताएं की हैं; और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) जी हां। आरोप झूठे रिकार्ड बनाकर निधियों के गबन करने से संबंधित हैं।

(ग) अक्तूबर, 1972 में नागर विमानन विभाग के लेखा अधिकारी द्वारा क्लब के हिसाब-किताब तथा प्रशासन का 'टैस्ट आडिट' किया गया तथा नोटिस में आई विशेष अनियमितताओं से क्लब के प्रबंधक-वर्ग को अवगत करा दिया गया। उठाए गए समस्त मुद्दों पर क्लब के उत्तर प्राप्त होने पर आगे की यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

नायलन और रेयन यार्न के उत्पादन के लिये कच्चे माल की कमी

1915. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नायलन और रेयन यार्न के उत्पादन के लिए कच्चे माल की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या नायलन और रेयन यार्न की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो समस्या का समाधान करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) नायलोन के धागे तथा रेयन के धागे की कीमतें तथा वितरण कत्तिनों तथा बुनकरों के बीच स्वैच्छिक समझौतों के अनुसार चलते हैं। ये समझौते हैं:--

(क) **नायलोन धागा** : नायलोन धागे के 4 प्रमुख उत्पादकों के कुल उत्पादन का 75% निर्धारित कीमतों पर वास्तविक उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जाता है। उत्पादन के 25% की कत्तिना खुले बाजार में बिक्री कर सकते हैं। सरकार नायलोन धागे के तीन लघु उत्पादकों को भी इस समझौते में शामिल होने की सलाह दे रही है।

(ख) **रेयन धागा** :

(1) **विस्कोस स्टेपल रेशे का कता हुआ धागा** :
कत्तिनों तथा बुनकरों के बीच एक स्वैच्छिक समझौते के अन्तर्गत पारम्परिक रूप से सहमत कीमतों पर बुनकरों में वितरित किये जाने के लिए विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं का 100% धागा विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशकों को सप्लाई किया जाता है।

(2) **विस्कोस फेलामेंट धागा** ;

(क) रेयन फिलामेंट वस्त्रों के निर्यातों के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में उत्पादन का 10% सप्लाई किया जाता है। 120 डी० एन० धागे की कीमत प्रति किग्रा 12.97 रुपये है ।

(ख) उत्पादन का 60.5% भाग निर्धारित कीमतों पर बुनकरों/बुनकर एसोसियशनों को सप्लाई किया जाता है । 120 डी० एन० धागे की कीमत प्रति किग्रा 16.07 रुपये है ।

(ग) उत्पादन का 29.5 भाग कत्तिनों को खुले बाजार में बेचने की अनुमति है ।

2. केवल उस धागे की कीमतों में वृद्धि हुई है जो कि कत्तिनों द्वारा तथा उन बुनकरों द्वारा ले बाजार में बेचा जाता है जो कि स्वैच्छिक समझौते के अंतर्गत कोटा प्राप्त करके खुले बाजार में बेच देते हैं । करार के अंतर्गत बुनकरों के दिये जाने वाले धागे की कीमत से कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(घ) सरकार, विश्व बाजार में यथासंभव उपलब्ध कैपरोलैक्टम तथा रेयन ग्रेड की लुग्दी की यथा प्राय अधिकतम मात्रा उचित कीमतों पर प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है ।

पलाई सैंट्रल बैंक (परिसमापनाधीन) के खातेदारों को लाभांश

1916. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाई सैण्ट्रल बैंक (परिसमापनाधीन) के खातेदारों को लाभांश की पिछली घोषणा के बाद लाभांश की कोई अन्य घोषणा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दे दी गई है और ऋणदाताओं को अतिरिक्त लाभांश की घोषणा किस तारीख को की गई ; और

(ग) विभिन्न ऋणदाताओं के नाम, पते और उन्हें देय राशियों का व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 43 क (2) के अन्तर्गत 250 रुपये की अधिमान्य अदायगी करने के अतिरिक्त, निम्न-लिखित व्यौरों के अनुसार अब तक पांच लाभांशों की अदायगी केरल उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत पलाई सैन्ट्रल बैंक लिमिटेड (जिसका अब परिसमापन हो रहा है) के जमाकर्ताओं को की जा चुकी है :

	लाभांश की दर	लाभांश घोषित करने का मास और वर्ष	लाख रुपयों में चुकाई गई रकम
पहला लाभांश	रुपये में 40 पैसे	दिसम्बर 1961	292.72
दूसरा लाभांश	रुपये में 12 पैसे	अप्रैल 1963	87.72
तीसरा लाभांश	रुपये में 6 पैसे	जुलाई 1964	43.87
चौथा लाभांश	रुपये में 3 पैसे	जून 1967	21.94
पांचवां लाभांश	रुपये में 3 पैसे	जुलाई 1971	21.93
चुकाया गया कुल लाभांश	रुपये में 64 पैसे		468.18

जुलाई 1971 के बाद कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया।

(ग) बैंक के ऋणदाताओं के नाम और पते और उनमें से प्रत्येक को देय रकम का ब्यौरा पलाई सैन्ट्रल बैंक (जिसका परिसमापन हो रहा है) के परिसमापक के पास उपलब्ध हैं इनकी सूची बनाने में काफी समय लगेगा तथा काफी मेहनत भी लगेगी। तथापि रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर 1972 को बैंक के ऋणकर्ताओं को देय कुल रकम 259.13 लाख रुपये थी जिसमें से बैंक की 26,054 जमाकर्ताओं की जमा संबंधी देनदारी 258.85 लाख रुपये थी।

छोटी बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यवाही

1917. **श्री नारायण चन्द पाराशर**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में छोटी बचत योजनाओं को प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये क्या कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) क्या ब्याज की दर में कोई परिवर्तन किया जाएगा जिससे अधिक धनराशि जमा कराए जाने को प्रोत्साहन मिल सके?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न अल्प बचत प्रतिभूतियों तथा उन पर दिए जाने वाले ब्याज की निरन्तर समीक्षा की जाती है और इन्हें अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं। हाल ही में डाक घर बचत बैंक खातों के खाताधारियों के लिए एक इनामी योजना शुरू की गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण

1918. **श्री नारायण चन्द पाराशर**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों को उचित संख्या में रोजगार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिये निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1971-72 और 1972-73 तथा वित्तीय वर्ष 1973-74 के पूर्वार्ध के दौरान इन बैंकों द्वारा विज्ञापित प्रत्येक श्रेणी के रोजगारों पर वास्तव में कितने भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती किया गया?

वित मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सामान्य उड़ान गति से अधिक तेज उड़ान न भरने के लिये एवरो विमान चालकों को आदेश

1919. **श्री नारायण चन्द पाराशर:**
श्री डी० के० पण्डा:

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस ने एच० एस०-748 (एवरो) विमानों के अपने विमान चालकों को सामान्य उड़ान गति से अधिक तेज उड़ान न भरने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा आदेश देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में विमान चालकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) दिनांक 27-10-73 को एवरो विमान वी० टी०-ई० ए० टी० एक जांच उड़ान के दौरान हैदराबाद में एक घटना का शिकार हुआ था जिसमें दायीं ओर के "ऐलरोन" में बाह्य हिंग के ठीक बाहरी भाग में रचनात्मक खराबी उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप, नागर विमानन महानिदेशक के परामर्श से और आगे की जांच होने तक, एहतियात के तौर पर विमानों को निदेश जारी कर दिये गये थे कि वे सामान्य उड़ान गति (वी० एन० ओ०) का उल्लंघन न करें। आगे के जांच कार्य से पता चला कि विमान जांच उड़ान अनुसूची में निर्धारित चालन प्रक्रियाओं के अनुरूप चालन का दोषी था तथा विमान बेड़े के सभी विमानों के बारे में उपचारी कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तदनुसार विमान चालकों को जारी किये गये अनुदेश 31 अक्तूबर, 1973 को वापिस ले लिये गये।

(ग) भारतीय वाणिज्यिक विमान चालकों के संगठन ने 30 अक्तूबर को एयरलाइन के अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में इस मामले को उठाया था और उन्हें वास्तविक स्थिति समझा दी गई थी।

पांच कम्पनियों की पूंजी में वृद्धि करने की मंजूरी

1920. **श्री वी० वी० चन्द्र गौडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच कम्पनियों को अपनी पूंजी में वृद्धि करने की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी पूंजी की वृद्धि करने की मंजूरी दी गई है और उक्त कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) 7 सितम्बर, 1973 को पूंजी निगम नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी की गयी प्रेस प्रकाशनों के अनुसार पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन निम्नलिखित पांच कम्पनियों को 408.06 लाख रुपये की पूंजी जुटाने की मंजूरी दी गयी थी :--

कम्पनी का नाम	स्वीकृत रकम
	(लाख रुपयों में)
1. इंडियन ऐल्यूमिनियम कम्पनी लि०	319.05
2. इनसोव आटो लि०	50.00
3. महेन्द्रा इलैक्ट्रिकल्स लि०	14.97
4. कैपसूलेशन सर्विसेज प्रा० लि०	14.11
5. जयन्त पेपर मिल्स लि०	9.93
जोड़	408.06

पूर्व यूरोपीय देशों में भारत में बने टायरों को पसन्द किया जाना

1921. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व यूरोपीय देशों में भारत में बने टायरों को अधिकाधिक पसंद किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जो भारतीय टायरों और ट्यूबों का आयात कर रहे हैं; और

(ग) गत दो वर्षों में भारत ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां ।

(ख) पूर्व यूरोपीय देशों में से जो देश भारतीय रबड़ टायर तथा ट्यूबों का आयात करते हैं वे हैं, बल्गारिया, चैकोस्लोवाकिया, हंगरी, रूमानिया, सोवियत संघ तथा यूगोस्लाविया ।

(ग) 1971-72 और 1972-73 के दौरान पूर्व यूरोपीय देशों को टायरों तथा ट्यूबों के कुल निर्यात क्रमशः 489.4 लाख रुपये और 276.6 लाख रुपये के हैं ।

रक्षित स्वर्ण से अधिक मूल्य के छापे गये तथा परिचालित करेंसी नोट

1922. श्री एस० सी० सामंत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रक्षित स्वर्ण से अधिक मूल्य के छापे गये तथा परिचालित करेंसी नोटों की वास्तविक राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : करेंसी नोट प्रेस, नासिक में नोटों की छपाई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रेस को भेजे गये वार्षिक मांग-पत्र में दी गई अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। इस वर्ष 31 अक्तूबर 1973 की स्थिति के अनुसार, 2407.30 करोड़ रुपये के मूल्य के करेंसी नोट छापे गये थे। उक्त तारीख तक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग द्वारा चलने के लिए 5605.62 करोड़ रुपये के करेंसी नोट जारी किए गए थे बैंक द्वारा रखे गये सोने और जारी किये गये करेंसी नोटों में कोई अनुपातिक संबंध नहीं है क्योंकि 6 अक्तूबर 1956 को संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में अनुपातिक प्रारक्षित निधि प्रणाली के स्थान पर, निरपेक्ष रूप में, न्यूनतम प्रारक्षित निधियों की व्यवस्था की गई है। अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, सोने के सिक्कों, सोने के बुलियन और विदेशी प्रतिभूतियों सहित प्रारक्षित निधियों का कुल मूल्य 200 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा जिसमें केवल सोने का मूल्य 115 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा।

अपरिष्कृत ऊन के निर्यात की नीति में घोषित परिवर्तन का सौराष्ट्र और कच्छ की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

1923. श्री प्रभुदास पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित अपरिष्कृत ऊन के निर्यात की नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप सौराष्ट्र तथा कच्छ की अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो क्या नीति में परिवर्तन का उत्पादकों, खरीदारों तथा निर्यातकर्त्ताओं, सभी पर बुरा प्रभाव पड़ा है और क्या उन्होंने इस बारे में सरकार से शिकायत की है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये नीति में क्या परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) कच्ची ऊन के निर्यात के संबंध में नीति में परिवर्तन के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्वदेशी बाजार में कच्ची ऊन की कीमतें, संशोधित नीति घोषित होने के बाद स्थिर रहीं। फिलहाल, नीति में परिवर्तन करने की कोई प्रस्थापना नहीं है, लेकिन स्थिति पर ध्यान-पूर्वक निगरानी रखी जा रही है और लगभग दो महीनों के बाद शायद समीक्षा करनी पड़े।

विकलांग लोगों को ऋण देने के लिए स्टेट बैंक द्वारा आरम्भ की गयी योजना

1924. **श्री प्रभुदास पटेल** :
श्री जी० मायावन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विकलांग लोगों को ऋण सुविधायें देने के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने कोई योजना प्रारम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभेदी ब्याज दरों की जो योजना क्रियान्वित की जा रही है उसके अंग के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिय. भी विकलांगों से संबंधित संस्थाओं को लाभकारी धन्धे चलाने के लिये उनकी उपकरणों और कच्चे माल संबंधी आवश्यकताओं के लिये धन दे कर उन्हें सहायता प्रदान करता है।

विश्व मंडियों में पटसन के सामान की प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए पटसन उद्योग पर विकास उपकर लगाया जाना

1925. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय पटसन सामान की बढ़ती हुई प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिये सरकार पटसन उद्योग विकास उपकर लगाये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है; और

(ग) विश्व मंडियों में पटसन के सामान में इस भारी प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिये सरकार ने अन्य क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) पटसन माल के उत्पादन पर एक उपकर लगाये जाने की प्रस्थापना है, जिससे प्राप्त राशि का उपयोग पटसन माल के संबंध में गवेषणा, तथा विकास और साथ ही बाजार गवेषणा के लिये किया जायेगा।

(ग) पटसन निर्मित वस्तुओं के निर्यात संवर्धन के लिये जो विभिन्न उपाय किये गये हैं उनमें मिलों को कच्चे माल की विनियमित सप्लाई, लागत में कमी तथा विविधीकरण की दिशा में गवेषणा तथा विकास संबंधी कार्यकलाप अध्ययन दलों और प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से विदेशी बाजारों के बाजार सर्वेक्षण प्रचार आदि शामिल हैं

चाय और पटसन के मूल्यों में कमी

1926. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चाय और पटसन के मूल्य में पर्याप्त कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो छोटे चाय बागानों को बंद होने से बचाने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये हैं; और

(ग) पटसन उत्पादकों को इस संकट से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) (1) जहां तक चाय का सम्बन्ध है 1972-73 के मौसम में पिछले दो वर्षों की तुलना में कलकत्ता नीलामी में पत्ती तथा चूरे वाली दोनों प्रकार चाय की कीमतों में गिरावट आई परन्तु अब स्थिति में सुधार हो गया है । तथापि, चालू वर्ष के दौरान की कोचीन नीलामी में कीमतों में गिरावट है ।

(2) जहां तक पटसन का संबंध है यह कहना ठीक नहीं है कि इसकी कीमतों में अत्यधिक गिरावट आई है। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कलकत्ता में असम बाटम किस्म के कच्चे पटसन की न्यूनतम समर्थन कीमत 125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी । चालू वर्ष के दौरान पटसन की विद्यमान बाजार कीमत न्यूनतम समर्थन कीमत से अधिक है । वर्ष भर 157.68 रुपये प्रति क्विंटल की औसत कीमत सुनिश्चित करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ख) सरकार द्वारा स्थापित किये गये चाय संबंधी टास्क फोर्स ने बंद तथा संकट ग्रस्त बागानों के संबंध में कतिपय सुझाव दिये है, जो कि विचाराधीन हैं ।

(ग) भारतीय पटसन निगम ने उपजकर्त्ताओं से पटसन खरीदने के लिये क्रय केन्द्र तथा साथ ही सहकारी अभिकरण खोले हैं । इससे कीमतों में काफी स्थिरता आई है । नवम्बर के मध्य तक उन्होंने पटसन की 2.5 लाख गांठें खरीद ली थीं ।

आयकर अधिकारियों द्वारा कानपुर में छापा मारा जाना

1927. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने कानपुर में हथियारों के एक व्यापारी की दुकान पर छापा मारा था तथा वहां से लाखों रुपयों मूल्य के हथियार तथा गोलाबारूद के लेखा बाह्य सौदों से संबंधित दस्तावेज जब्त किये;

(ख) यदि हां, तो हथियारों के व्यापारी का नाम क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि अधिकारियों द्वारा यह मामला दबाया ना जाये सरकार क्या कार्यवाहीं कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) आयकर प्राधिकारियों ने ऐसा कोई छापा नहीं मारा था । तथापि धन-कर की अनिर्णीत पड़ी कुछ कार्यवाही के संबंध में आयकर अधिकारी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 133ए के अन्तर्गत मेसर्स यादव आर्मस कम्पनी, कानपुर के व्यापार परिसरों का दौरा किया था । खाता बहियों की जांच की गई । इस जांच कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से निर्धारिती स्वेच्छा से खाता-बहियां आयकर कार्यालय में लाया। इन खाता बहियों की विस्तृत जांच चल रही है ।

दिल्ली हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय स्वागत हाल की क्षमता को दुगना करने का प्रस्ताव

1928. **श्री के० लकप्पा :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का विचार दिल्ली हवाई अड्डे में अन्तर्राष्ट्रीय स्वागत हाल की क्षमता दुगुनी करने का है;

(ख) क्या नागर विमानन के लिये 75 फीट ऊंचा विमान नियंत्रण टावर बनाने के लिये कोई व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) यात्रियों तथा सीमाशुल्क और आप्रवास अधिकारियों के लिये अधिक स्थान की व्यवस्था करने के लिये भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आगमन हाल भवन के विस्तार का प्रस्ताव है। जितना विस्तार प्रस्तावित है उसके क्षेत्रफल का सही-सही हिसाब लगाया जा रहा है। इस के अतिरिक्त प्राधिकरण का नागर विमानन विभाग के लिये 100 फुट ऊंचा एक कंट्रोल टावर बनाने का भी प्रस्ताव है। प्रस्ताव में यात्रियों तथा दर्शकों के लिये अतिरिक्त स्थान, तथा सुख-सुविधाओं को दृष्टि में रखा गया है। उड़ान सूचना तथा घोषणा के लिये सुविधायें भी सम्मिलित की जानी हैं।

नारियल जटा के निर्यात को क्षति

1929. **श्री रण बहादर सिंह :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टीमरों के उपलब्ध न होने तथा अपर्याप्त नौवहन सुविधा के कारण विदेशों में भारत के नारियल जटा के परम्परागत अपरम्परागत तथा अन्य इच्छुक बाजारों में निर्यात समाप्त होता जा रहा है जबकि इस क्षेत्र में चीन अफ्रीका के बहुत-से देशों को तथा अन्यत्र पांवदान सप्लाई करने के मालले में भारत से गंभीर प्रतिस्पर्धा करता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जी नहीं। वर्ष 1972-73 के दौरान कयर की चटाइयों सहित कयर उत्पादों के निर्यातों में मूल्य की दृष्टि से गत वर्ष की तुलना में, वृद्धि हुई है। चालू वर्ष के दौरान निर्यात निरुत्साहित करने वाले नहीं हैं। निर्यात आंकड़े नीचे दिये गये हैं :–

(मूल्य लाख रुपये में)

	1971-72	1972-73	अप्रैल-सितम्बर 1973
कयर रेशा .	6.25	4.62	1.0
कयर धागा . .	722.42	818.58	309.65
कयर की चटाइयां .	507.50	526.60	258.77
अन्य उत्पादन	249.77	143.99	55.34
योग	14.8594	1493.79	624.76

Outstanding amount of U. S. Loan

1930. **Shri Rana Bahadur Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of loan which India owes to America at present;

(b) the annual amount of interest paid by India thereon; and

(c) the time by which this loan would be repaid?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) As on 30th September, 1973 the amount of debt repayment liability of Government of India to U.S.A. is Rs. 4088 crores.

(b) The amount of interest paid by Government of India during 1972-73 was Rs. 77 crores. The estimated interest liability during 1973-74 is Rs. 77 crores.

(c) Each loan is repayable over a period of years in accordance with the amortisation schedule applicable to it. The last of the loans taken so far is expected to be completely repaid by 2011 A.D.

Decline in Export of Plastic Goods

1931. **Dr. Laxminarain Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether export of plastic goods has considerably declined during the 1972-73 and first six months of 1973-74 as compared to the years 1970-71 and 1971-72; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken by Government to step up their exports ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) The exports of plastic manufactured goods has not shown any decline during the period.

(b) Does not arise.

नागर विमानन के क्षेत्र में भारत-रूस व्यापार

1932. श्री **कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अक्तूबर, 1973 के 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया था कि नागर विमानन के क्षेत्र में भारत-रूस व्यापार पर श्री ब्रेजनेव से चर्चा की जायेगी;

(ख) क्या कम समय में उड़ान भरने वाले और उतरने वाले बीच के दर्जे के कई परिवहन विमानों का रूस से आयात करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) श्री ब्रेजनेव भारत सद्भावना यात्रा पर आ रहे हैं । उनसे होने वाले विचार-विमर्श के विषय का पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

Indianisation of Foreign Tea Plantations

1933. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to indianise tea plantations owned by foreign industrialists;

(b) whether Government propose to impose compulsory levy on the tea industry; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) There is no such proposal under consideration of Government at present.

(b) Besides a cess on tea leviable on the tea produced in the country, there is no proposal under Government's consideration to impose a fresh levy on the tea industry.

(c) Does not arise.

पलाई सैन्ट्रल बैंक (परिसमापन की स्थिति में) के सरकारी परिसमापक द्वारा एकत्र की गयी राशि

1934. **श्री ई० आर० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाई सैन्ट्रल बैंक (परिसमापन की स्थिति में) के लेनदारों के लिये लाभांश की विगत घोषणा के पश्चात् बैंक के सरकारी परिसमापक ने कितनी राशि एकत्र की; और

(ख) क्या परिसमापक का विचार और लाभांश की घोषणा करने के लिये उच्च न्यायालय से अनुमति लेने का है और यदि हां, तो कितने लाभांश की तथा कब ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना दी है कि जुलाई 1970 में पलाई बैंक (परिसमापनाधीन) के जमाकर्त्ताओं के लिये घोषित अन्तिम लाभांश के बाद, सरकारी परिसमापक ने कुल 9,85,753 रुपये एकत्रित किये हैं । फिर भी, आय कर, अधिकर, कानूनी व्यय और प्रतिष्ठान व्यय के लिये व्यवस्था करने के बाद, 15-11-1973 को हाथ में 6,56,872 रुपये की वास्तविक राशि बची है ।

(ख) सरकारी परिसमापक का इस समय और लाभांश घोषित करने क लिये केरल उच्च न्यायालय से अनुरोध करने का कोई विचार नहीं हैं ।

ऋण विस्तार की वृद्धि दर

1935. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत "मन्दी के समय" के दौरान ऋण विस्तार की वृद्धि दर क्या थी; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान "मन्दी के समय" में ऋण संबंधी प्रवृत्तियां क्या थीं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 1973 के मंदी के मौसम (27 अप्रैल 1973 से 26 अक्टूबर 1973 तक) के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की रकम में 265.4 करोड़ रुपये या 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसी अवधि के दौरान अन्न वसूली के लिये दिये गये अग्रिमों की रकम में 58.2 करोड़ रुपये की कमी (—19.9 प्रतिशत) हुई । अन्न वसूली संबंधी अग्रिमों को छोड़कर, पिछले मंदी के मौसम के दौरान बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया रकम में 323.6 करोड़ रुपये या 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ख) एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है जिसमें मंदी के पिछले तीन मौसमों के दौरान बैंकों **द्वारा दिये गये ऋणों में हुई वृद्धि** का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

मंदी के मौसम के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में घट बढ़

(करोड़ रुपयो में)

	1971 का मंदी का मौसम निम्नलिखित तारीख को बकाया रकम			1972 का मंदी का मौसम निम्नलिखित तारीख को बकाया रकम			1973 का मंदी का मौसम निम्नलिखित तारीख को बकाया रकम		
	30 अप्रैल 1971	29 अक्तूबर 1971	घट-बढ़	20 अप्रैल 1972	27 अक्तूबर 1972	घट-बढ़	27 अप्रैल 1973	26 अक्तूबर 1973	घट-बढ़
कुल बैंक ऋण	4675.3	4838.1	+162.8	5193.0	5260.4	+67.4	6138.3	6403.7	+265.4
जिनमें			(+3.5)			(+1.3)			(+4.3)
(क) अन्न वसूली संबंधी अग्रिम	203.3	359.1	+155.8	288.0	226.8	—1.2	292.4	234.2	—58.2
			(+76.6)			(—0.4)			(—19.9)
(ख) अन्य अग्रिम	4472.0	4479.0	+7.0	4905.0	4973.6	+68.6			
			(+0.2)			(+1.4)	5845.9	6169.5	+323.6
									(+5.5)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घट-बढ़ के द्योतक हैं

93 *अनन्तिम

पांचवीं योजना के निर्यात लक्ष्य का पुनरीक्षण

1936. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में निर्यात लक्ष्य में 7.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्यात उत्पादन के लिये पूंजी निवेश आकर्षित करने संबंधी नीति क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) "मसौदा" दस्तावेज में दी गई औसत वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत है ।

(ख) निर्यात उत्पादन के लिये निवेश आकर्षित करने की नीति अन्य आर्थिक मंत्रालयों के साथ परामर्श करके बनाई जा रही है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तथा उसके बाद के लिये एक दीर्घकालिक निर्यात नीति की सिफारिश करने के लिये प्रोफेसर एस० चक्रवर्ती, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल भी स्थापित किया गया है । जब इस कार्यकारी दल द्वारा सिफारिशें कर दी जायेंगी उन्हें भी ध्यान में रखा जायेगा ।

इलायची व्यापार की डांवाडोल स्थिति शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1937. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 1973 के "इकानामिक टाईम्स" में (कारडामम ट्रेड इन डिसएरे) (इलायची व्यापार की डांवाडोल स्थिति) शीर्षक से प्रकाशित समाचर की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) एक दर्शनी हुंडी के आधार पर इलायची के निर्यात में कदाचार से बचने के लिये केवल अनिवार्य अप्रत्यादेय साख पत्र के आधार पर हीं इलायची के निर्यात की व्यवस्था प्रदान करने वाला एक विनियम प्रारंभ में 21 सितम्बर, 1973 से लागू किया गया । इस सुविधा के लिये कि इलायची के लदान अक्तूबर, 1973 में बिना किसी कठिनाई के किये जा सकें, उपर्युक्त विनियम के कार्यान्वियन को स्थगित किये जाने के लिये इलायची निर्यातकों द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर उसकी कर्यान्वियन की तारीख को बदल कर 1-11-1973 कर दिया गया । इसके अलावा, नीलामी केन्द्रों से बागान मालिकों को कतिपय सीमा के बाद की राशियों का चैकों द्वारा भुगतानों के संबंध में आनुदेशों को इलायची बोर्ड द्वारा आस्थगित रखा गया है ।

बंगलादेश से कच्चे पटसन का आयात

1938. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री एम० कतामुतु :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश सरकार भारत को कच्चे पटसन की 6 लाख गांठें निर्यात करने के लिये हाल ही में सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी हां।

(ख) बंगलादेश से आयात किये जाने वाला कच्चा पटसन नई फसल में से होगा और इसका उपयोग बफर स्टाक तैयार करने के लिए किया जाएगा। समग्र मात्रा भारतीय पटसन निगम के जरिए आयात की जाएगी।

दिल्ली के जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

1939. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के जीवन बीमा निगम के सभी वर्गों के कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) दिल्ली में उनके स्टाफ क्वार्टरों की संख्या क्या है ;

(ग) कितने कर्मचारियों को अपने मकान बनाने के लिये ऋण दिए गए हैं ; और

(घ) क्या जीवन बीमा निगम ने दिल्ली में क्वार्टर बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी) : (क) 2588।

(ख) 235।

(ग) 103 कर्मचारियों को तो ऋण सीधा ही दिया गया है। इसके अतिरिक्त 104 क्वार्टर दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदकर कर्मचारियों की आवास समिति को सौंपने का प्रस्ताव है। इन मकानों के लिए निगम ने सीधे ही दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान कर दिया है।

(घ) जी हां। 320 क्वार्टर शाहदरा में बन ही रहे हैं और 24 क्वार्टर दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 14 क्वार्टर और बनाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 9 तो जीवन बीमा निगम की दरियागंज वाली भूमि पर और 5 रोहतक रोड पर बनाये जायेंगे।

विदेशों में भारत निर्मित फर्नीचर का प्रचलित होना

1941 **श्री के० मालन्ना :**

श्री जो० वाई० कृष्णन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत निर्मित फर्नीचर विदेशों में प्रचलित होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों में और भारत ने गत तीन वर्षों में इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमायी है ; और

(ग) सरकार ने इस उद्योग को नौवहन सम्बन्धी अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपध्याय) : (क) जी हां।

(ख) 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान जिन देशों को भारतीय फर्नीचर का निर्यात किया गया है उनमें से कुछ हैं, आबुधबी, बहरीन द्वीपसमूह, बंगलादेश, दुबई, जर्मन संघीय गण-राज्य, कुवैत, मलेयेशिया, मस्कात, नेपाल, नाइजीरिया, सउदी अरब, सीरालियोन तथा ज़ांबिया।

1970-71, 1971–72 और 1972–73 के दौरान इस मद के निर्यातों का मूल्य क्रमशः 65 लाख रु०, 67 लाख रु० और 72 लाख रु० हैं।

(ग) उद्योग को नौवहन सुविधाएं दी जाती हैं जिनमें पर्याप्त तथा समय पर नौवहन स्थान देने और जहां व्यवस्था हो भाड़ा दर समायोजनों की व्यवस्थाएं शामिल हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज का आयात करने में विलम्ब

1943. **मोलाना इसहाक सम्भली** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से अखबारी कागज के आयात में विलम्ब करने के लिए राज्य व्यापार निगम उत्तरदायी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विलम्ब के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन

1944. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम अधिकारियों ने प्रबन्धक वर्ग द्वारा करार भंग करने के बारे में अपनी शिकायतों के समर्थन में 3 अगस्त, 1973 को विशाल प्रदर्शन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जीवन बीमा निगम के अधिकारियों के समायोजन भत्ते में वृद्धि की मांग के सम्बन्ध में उनके साथ हुए समझौते का प्रबन्धक वर्ग द्वारा कथित उल्लंघन किये जाने के विरोध में उन अधिकारियों ने 3 अगस्त, 1973 को प्रदर्शन किया था।

(ख) समायोजन भत्ते में वृद्धि के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय किया गया है :–

वेतन श्रेणी	समायोजन भत्ते में वृद्धि		
रु०	रु०		
	1-11-72	1-2-73	1-8-73
530-600	30	30	60
601-800	40	40	80
801-1250	--	80	40
1251-1675	--	--	120
	(1795.00 रुपये तक सीमान्त समायोजन के साथ)		

अक्तूबर, 1973 में अकबर होटल, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1945. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकबर होटल, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने अक्तूबर, 1973 में हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या थीं ; और

(ग) किन आधारों पर हड़ताल समाप्त हुई ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं । किन्तु 23-10-1973 को अकबर होटल के कुछ कर्मचारियों ने एक प्रदर्शन में भाग लिया । काम भी आंशिक रूप से रोक दिया गया था ।

(ख) उन्होंने 20 प्रतिशत बोनस की मांग की थी ।

(ग) यूनियनों ने आंशिक रूप से काम रोकने की अपनी कार्यवाही को बिना शर्त समाप्त कर दिया था ।

चोरी छुपे लायी गयी वस्तुओं का पकड़ा जाना

1946. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितने मूल्य की चोरी छुपे लायी जा रही वस्तुयें, जब्त की गयीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य इस प्रकार था :-

वर्ष	पकड़े गये माल का मूल्य
	(लाख रुपये)
1970-71	2281
1971-72	2034
1972-73	2704

पकड़ी गयी वस्तुओं में से अधिकांश वस्तुएं न्याय-निर्णय की कार्रवाई के परिणामस्वरूप जब्त की जाती हैं । इन तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान जब्त की गयी वस्तुओं का सही-सही मूल्य निकालना व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए न्याय-निर्णय की कार्रवाई सम्बन्धी हजारों ऐसी फाइलों की छानबीन करनी पड़ेगी जो प्रति वर्ष खोली जाती है ।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

1947. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्य सरकारों ने वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है और कितनी-कितनी राशि का ; और

42 LSS/73—8

(ख) उनसे ओवरड्राफ्ट की राशि वापस लेने के लिये क्या प्रयास किये गए हैं और कितनी सफलता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) राज्यों के बढ़ते जा रहे ओवरड्राफ्ट, जैसी कि उनकी 29 अप्रैल, 1972 को स्थिति थी, भारत सरकार द्वारा उन्हें अर्थोपाय अग्रिम देकर और अंशतः 1972-73 में केन्द्रीय करों में राज्यों का उन्हें देय भाग पेशगी देकर समाप्त कर दिये गए थे। 1972-73 में राज्यों को कुल मिला कर 510.67 करोड़ रुपये का अर्थोपाय संबंधी समर्थन दिया गया जिसमें से 420.55 करोड़ रुपया मध्यम अवधि के ऋणों में बदल दिया गया और शेष 1972-73 में वसूल कर लिया गया। अब राज्य सरकारों के लिये ओवरड्राफ्टों को बजट संबंधी साधन के रूप में प्रयोग करना संभव नहीं है। आयोजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तैयार की गई प्रक्रिया के अनुसार, जो पहली मई, 1972 से लागू हुई है, यदि किसी राज्य सरकार का लगातार सात दिनों तक ओवरड्राफ्ट बना रहता है तो रिजर्व बैंक अदायगियां निलंबित कर देगा जो तभी फिर से शुरू की जायेंगी जब ओवरड्राफ्ट समाप्त हो जाएगा।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	राज्य सरकारों द्वारा ओवरड्राफ्ट		
	31-3-1971	31-3-1972	31-3-1973
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	47.34	72.72	--
2. असम	20.29	41.65	--
3. बिहार	18.52	27.51	5.05
4. गुजरात	3.27	0.61	--
5. हरियाणा	5.41	30.30	0.25
6. हिमाचल प्रदेश	--	3.83	6.16
7. कर्नाटक	26.70	62.56	4.85
8. केरल	15.37	52.08	--
9. महाराष्ट्र	18.28	7.01	--
10. मणिपुर	--	--	0.05
11. मेघालय	--	--	0.76
12. उड़ीसा	--	1.50	--
13. राजस्थान	67.55	88.81	--
14. तमिलनाडु	25.35	64.31	--
15. उत्तर प्रदेश	--	14.16	13.03
16. पश्चिम बंगाल	6.39	33.75	21.79
जोड़ :	254.47	500.80	51.94

कलकत्ता में पटसन उत्पादकों का सम्मेलन

1948. **श्री वनमाली पटनायक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में सितम्बर, 1973 के दूसरे सप्ताह में पटसन उत्पादकों का दो दिन का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन बिषयों पर बिचार हुआ और क्या निष्कर्ष निकाले गये ; और

(ग) उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में चन्दन नगर में 8 तथा 9 सितम्बर, 1973 को पटसन उपजकर्ताओं का दो दिन का सम्मेलन हुआ था।

(ख) सम्मेलन में स्वीकार किये गये संकल्प में यह मांग की गई कि महाराष्ट्र के कपास उपजकर्ताओं की भांति पटसन उपजकर्ताओं को राज सहायता दी जाये, कच्चे पटसन की न्यूनतम कीमत 75 रु० प्रति मन निर्धारित की जाये तथा समस्त कच्चे पटसन तथा पटसन माल का निर्यात सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाये।

(ग) सरकार ने वाणिज्यिक आधार पर खरीदे जाने वाले पटसन के लिये पहले ही लाभकारी कीमत निर्धारित कर दी है, अतः पटसन खरीदने हेतु उपदान देने अथवा कीमत में वृद्धि करने में सरकार कोई औचित्य नहीं समझती । सरकार का उद्देश्य कच्चे पटसन के व्यापार में सरकारी क्षेत्र की भूमिका को धीरे-धीरे बढ़ाने का है परन्तु पटसन माल के निर्यात को अपने हाथ में लेने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

अत्यधिक आधुनातन मशीनरी तथा भारी इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात के रूप में भारत

1949. **श्री राजदेव सिंह:** क्या **वणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश गत 25 वर्षों के दौरान अत्यधिक आधुनातन मशीनरी तथा भारी इंजीनियरिंग उत्पादों के महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में उभरा है; और

(ख) यदि हां, तो किन उत्पादों को अच्छे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थान प्राप्त हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :(क) जी हां।

(ख) निर्यातित आधुनिक मशीनरी तथा भारी इंजीनियरी मदों के अधिक महत्वपूर्ण उत्पाद निम्नलिखित हैं :—

1. मोटर गाडियां
2. डीजल इंजन
3. बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर्स और स्विच गियर्स
4. वस्त्र मशीनरी
5. रेल के माल डिब्बे तथा सबारी डिब्बे
6. चीनी मिल की मशीनरी

7. थर्मल बायलर्स

8. सीमेंट तथा एस्बेस्टोस सीमेंट मशीनरी

9. औद्योगिक मशीनरी, चीनी तथा सीमेंट मशीनरी के अलावा

10. मशीनरी औजार

11. कार्यालय मशीनरी

12. वायु अनुकूलन तथा रफ्रिजरेशन

13. शक्ति चालित पम्प

14. संचार उपस्कर

अपरिष्कृत तम्बाकू के निर्यात में वृद्धि

1950. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरिष्कृत तम्बाकू का निर्यात प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में परिष्कृत तम्बाकू की खपत में भी वृद्धि हो रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है । तथापि 1973-74 के प्रथम सात महीनों में सोवियत संघ द्वारा कम माल उठाने के कारण निर्यातों में पिछले वर्ष की उसी अवधि के निर्यातों की अपेक्षा कुछ गिरावट आई ।

(ख) ब्रिटेन, सोवियत संघ, जापान, बंगलादेश, आइरिश गणराज्य, नेपाल, सोमालिया आदि मुख्य आयातक देश हैं ।

(ग) जी हां ।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया व्यापार

1951. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच महीनों में किये गये व्यापार में वर्ष 1972-73 की इसी अवधि के व्यापार की तुलना में 91.95 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) व्यवसाय में वृद्धि के कारण रूप में यह कहा जा सकता है कि चालू वर्ष के लिए निर्धारित उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये जीवन बीमा निगम के एजेंटों ने और सभी स्तरों पर कर्मचारियों ने प्रयास किये हैं ।

दिल्ली-लखनऊ-पटना-कलकता विमान सेवा की सुबह की दिल्ली से उड़ान तथा कलकता से शाम की उड़ान का वाराणसी हवाई अड्डे पर रुकना रद्द करने के बारे में किए गए निर्णय पर पुर्नविचार

1952. **श्री राजदेव सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-लखनऊ-पटना-कलकत्ता विमान सेवा की सुबह की दिल्ली से उड़ान तथा कलकत्ता से शाम की उड़ान का वाराणसी हवाई अड्डे पर रुकना रद्द करने के बारे में किये गये निणय पर पुर्नविचार करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या बिशिष्ट कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : दिल्ली-लखनऊ-वाराणसी-पटना-कलकत्ता सेवा संख्या आई० सी-409/410 का दिनांक 21-6-1973 तक वाराणसी में विराम हुआ करता था। उस तारीख से इसे दिल्ली/लखनऊ/पटना/कलकत्ता सेवा के रूप में परिचालित किया गया। 17-9-1973 से अब यह सेवा दिल्ली/लखनऊ/पटना के रूप में परिचालित की जा रही है। विमान बेड़े की तंग स्थिति के कारण फिलहाल इस सेवा के रूप में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दिल्ली/कलकत्ता टब प्राप्त सेवा संख्या आई०सी-411/412 वाराणसी में रुकती है।

विश्व के बाजारों में रेशमी वस्त्रों का लोकप्रिय होना

1953. **श्री जी० वाई कृष्णन : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के बाजारों में भारत के रेशमी वस्त्र लोकप्रिय हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन बाजारों में और किस प्रकार के वस्त्रों की मांग बढ़ रही है; और

(ग) गत छः महीनों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा कमायी गयी है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य बाजार ये हैं :—

(1) पश्चिम जर्मनी।

(2) मलयेशिया/सिंगापुर।

(3) अमरीका।

(4) ब्रिटेन।

(5) फ्रांस।

प्रत्येक किस्म के परिधानों के निर्यात के अलग आंकड़े नहीं रखें जा रहे हैं।

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान सभी किस्मों के परिधानों के निर्यात से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा 58.05 लाख रुपये थीं।

कच्चे रेशम का और निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए हथकरघा बुनकरों तथा निर्माता निर्यातकों से अभ्यावेदन

1954. **श्री जी वाई० कृष्णन : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा बुनकरों तथा निर्माता निर्यातकों के अभ्यावेदन के अनुसरण में कच्चे रेशम का और निर्यात करने पर दिसम्बर के अन्त तक प्रतिबंध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात नीति के संदर्भ में निर्यात के लिये पहले ही दिये गये कच्चे रेशम के कोटे की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार को हानि होने की संभावना है और यदि हां तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) (1) मैसर्स राजा सिल्क हाउस 14,000 कि० ग्रा०

(2) मैसर्स अशीश इंक० दिल्ली 5,000 कि० ग्रा०

(3) 5,000 कि० ग्रा० कच्चा रेशम केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के लिए अलग रखा गया था, क्योंकि उन्होने भी निर्यात बाजार में प्रवेश करने की योजना बनाई थी।

(ग) कच्चे रेशम के निर्यात से जितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है उसकी पूर्ति रेशमी फेब्रिक्स के निर्यात से पूरी किये जाने की संभावना है। इसलिए हानि का प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में पर्यटक आकर्षण केन्द्र

1955. **श्री वेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के पर्यटक आकर्षण केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) उनके विकास के लिये वर्ष 1973–74 में कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) 31 अक्तूबर, 1973 तक कितनी धनराशि व्यय की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) इससे पहली योजनाओं में केन्द्रीय क्षेत्र में अहमदाबाद, लोथल, ससनगिर, केशोद, पोरबंदर, चोरबाड़, नलसरोवर तथा साबरमती में पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था की जा चुकी है। चालू योजना में गांधी सागर में 3.30 लाख रुपये की लागत से एक ऐसा युवा होस्टल का निर्माण किया जा चुका है। ससनगिर में 13.11 लाख रुपये की लागत से एक रैस्टहाउस का निर्माण किया जा रहा है। युवा होस्टल का निर्माण पूरा हो चुका है, तथा रैस्टहाउस के निर्माण कार्य के जनवरी 1974 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है। इन दोनों प्रयोजनाओं पर 31 अक्तूबर, 1973 तक 11.30 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

सूती धागे और हौजरी की वस्तुओं के मुल्यों में लगातार वृद्धि

1956. **श्री वेकरिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती धागे के भाव खुले बाजार में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण हौजरी की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्चन्यायालयों के स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद विनिर्माताओं द्वारा बेचे गये सूत की कीमतों में अर्ध्वमुखी रुख रहा है। सूत की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयोजन से, सूत के उत्पादन पैटर्न कीमत-निर्धारण तथा वितरण पर मार्च, 1973 से उस समय कानूनी नियंत्रण लगाया गया था जबकि सूत का उत्पादन और सप्लाई कम हो रही थी। 4 मई, 1973 से इन आदेशों को रिट-याचिका द्वारा चुनौती दी गई है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय मालूम होने के बाद ही और आगे कार्यवाही की जा सकती है। इस बीच, सरकार ने, उत्पादन तथा सप्लाई में सुधार होने पर 80 काऊंट तक के सूत के वितरण पर लगे नियंत्रण में छूट दे दी है।

गुलाब का निर्यात गैर-सरकारी फर्मों को सौंपना

1957. **श्री बेकारिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलाब का निर्यात गैर-सरकारी फर्मों को सौंपने के क्या कारण हैं ; और

(ख) यह व्यापार किस फर्म को दे दिया गया है तथा किन शर्तों पर ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) गुलाब के निर्यात की किसी रूकावट के बिना अनुमति है तथा यह किसी अभिकरण के माध्यम से मार्गीकृत नहीं है।

देश में फ्लाईंग क्लबों और नागर विमानन केन्द्रों की संख्या

1958. **श्री मोहन राज** :

श्री सेझियान :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में देश में फ्लाइंग क्लबों और नागर विमानन केन्द्रों की संख्या कितनी थी और इसी अवधि के दौरान इन क्लबों और केन्द्रों में कितने विमान चालक प्रशिक्षित किए गए ; और

(ख) प्रत्येक विमान चालक के प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा व्यय की गई औसत राशि क्या है तथा प्रत्येक विमान चालक ने प्रशिक्षण काल के दौरान व्यक्तिगत रूप से कितना औसत व्यय किया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) देश में 22 उपदान-प्राप्त फ्लाइंग क्लब हैं। इन क्लबों के उन प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, जिन्होंने निजी विमानचालक लाइसेंस तथा वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस प्राप्त किए, संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन विभाग द्वारा नादिरगुल (हैदराबाद) में ऐसे 10/12 अभ्यर्थियों को, जिनके पास चालू निजी विमान चालक लाइसेंस हैं, उड़ान संबंधी उच्च प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्रीय उड़ान प्रशिक्षण स्कूल चलाया जा रहा है।

(ख) इस बात को मानकर चलते हुए कि निजी विमानचालक लाइसेंस के लिए 60 घंटे की उड़ान की तथा वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस के लिए 250 घंटे की उड़ान की आवश्यकता होगी, प्रशिक्षणार्थियों द्वारा देय फीस तथा सरकार द्वारा देय राजकीय सहायता, वर्तमान दरों पर निम्न प्रकार होगी :—

	प्रशिक्षणार्थियों द्वारा देय फीस	सरकार द्वारा देय उड़ान संबंधी राजकीय सहायता
निजी विमानचालक लाइसेंस के लिए	रुपए	रुपये
मैट्रिक्युलेट जो 22 वर्ष से कम आयु के हैं	1,680	5,610
अन्य	2,700	4,590
वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस के लिए		
मैट्रिक्युलेट जो 22 वर्ष से कम आयु के हैं	24,766	5,610
अन्य	25,785	4,590

टिप्पणी : 1 अप्रैल, 1971 से, क्लबों में उपदान-प्राप्त उड़ान को 60 घंटे प्रति प्रशिक्षणार्थी तक (अर्थात् निजी विमानचालक लाइसेंस स्तर तक) सीमित कर दिया गया है। इस प्रकार, क्लबों में वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस वाले प्रशिक्षणार्थियों को उपदान-प्राप्त उड़ान से अधिक की जाने वाली समस्त उड़ानों के लिए पूरी दर पर फीस देनी पड़ती है।

विवरण

फलाइंग क्लबों के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1972-73 के दौरान निजी विमान चालक लाइसेंस और वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस प्राप्त किये।

क्रम संख्या	फलाइंग क्लब का नाम	जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या	
		निजी विमान-चालक लाइसेंस	वाणिज्यिक विमान-चालक लाइसेंस
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब	13	7
2.	आसाम फ्लाइंग क्लब	9	2

1	2	3	4
3.	अमृतसर एविएशन क्लब	1	2
4.	बम्बई फ्लाइंग क्लब	8	4
5.	बिहार फ्लाइंग क्लब	3	3
6.	कोयम्बत्तूर फ्लाइंग क्लब . . .	6	1
7.	को-आपरेटिव हिन्द फ्लाइंग क्लब, लखनऊ (कानपुर और वाराणसी में अपनी शाखाओं सहित)	10	10
8.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब	15	7
9.	फ्लाइंग प्रशिक्षण संस्थान, बेहाला, कलकत्ता	4	—
10.	गुजरात फ्लाइंग क्लब .	3	2
11.	राजकीय फ्लाइंग प्रशिक्षण स्कूल, बंगलौर	8	1
12.	हिसार एविएशन क्लब	6	9
13.	जमशेदपुर फ्लाइंग क्लब	1	1
14.	करनाल एवियेशन क्लब	9	3
15.	केरल फ्लाइंग क्लब	10	3
16.	लुधियाना एवियेशन क्लब	4	1
17.	मद्रास फ्लाइंग क्लब	14	2
18.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब	4	3
19.	नागपुर फ्लाइंग क्लब .	6	7
20.	नार्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब, जलंधर	4	--
21.	उड़ीसा फ्लाइंग क्लब	5	—
22.	पटियाला एवियेशन क्लब	12	9
	योग	155	77

Grant of licences for spindles in Fifth Five Year Plan

1959. Shri Shiv Kumar Shastri: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether action is being taken to grant licence for additional 35 lakh spindles in the Fifth Five Year Plan for the development of Handloom Industry; and

(b) if so, the main features of the new scheme?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) In order to increase the availability of free yarn to the decentralised sector of handlooms and powerlooms and also to provide for more yarn to the organised sector of the cotton textile industry for production of cloth for internal consumption as well as for exports, there is a proposal to permit substantial further expansion of spindleage during the Fifth Plan period. But the quantum of such expansion and other relevant details have yet to be worked out.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्ड म कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व

1960. **श्री मधुदंडवते :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों को निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है ; और

(ख) किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों को ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ; और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रवन्धक और विविध व्यवस्था) योजना, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (ख) और (ग) के अनुसार 11 दिसम्बर 1972 को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के हर बोर्ड में बैंक के दो प्रतिनिधि, एक कर्मचारियों में से और दूसरा अधिकारियों में से नियुक्त किये गये ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

स्वतः रोजगार सम्बन्धी योजनाओं के लिये ऋण सहायता

1961. **श्री मधु दण्डवते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निदेश दिया गया है कि वे स्वत: रोजगार संबन्धी योजनाओं के रूप के लिये ऋण सहायता के आवेदन पत्रों का आर्थिक क्षमता के अच आधार पर दो महीनें के भीतर निपटान करें ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे आत्म-नियोजन की योजना के लिये ऋण सहायता संबन्धी आवेदन-पत्रों का दो मास के भीतर निपटान करने का प्रयत्न करें ।

'शोसल्ली परपजिव सेक्टर्स' में जीवन बीमा निगम द्वारा पुंजी निवेश

1962. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षो के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा किए गये कुल पूंजी निवेश में से 'सोशल्ली परपजिव सेक्टर्स' में किए गये पूंजी निवेश की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) इसी अवधि के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया ; और

(ग) एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग में सूचीबद्ध बड़े एकाधिकार गृहों में किए गए पूंजी निवेश की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) "सामाजिक प्रयोजन" क्षेत्र में भारत के जीवन बीमा निगम ने पिछले दो वर्षो में जो रुपया लगाया है उसका कुल निवेश के प्रति प्रतिशत अनुपात नीचे दिया गया है :—

1971-72	1972-73
46.25%	45.73%

(ख) जीवन बीमा निगम ने गैर-सरकारी क्षेत्र में 1971-72 में कुल 144.05 लाख रुपया और 1972-73 में 1809.33 लाख रुपया लगाया ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा सूचीबद्ध किये गये विशालतर और विशाल औद्योगिक गृहों के कारोबार में जीवन बीमा निगम ने जो रुपया लगाया है उसका जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में सामग्र निवेश के प्रति प्रतिशत अनुपात नीचे दिया गया है :—

1971-72	1972-73
43.5%	48.70%

गृह निर्माण के लिए दिए गए वैधक ऋणों की रकमें उपर्युक्त आंकड़ों में शामिल नहीं हैं।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाहपुर शाखा द्वारा मैसर्स जोली ब्रादर्स को दी गयी अग्रिम राशि

1963. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बम्बई डिवीजन की शाहपुर शाखा ने मैसर्स जोली ब्रादर्स को कागज लुगदी कारखाने की आस्तियां गिरवी रखकर लगभग 40 लाख रुपये का अग्रिम धन दिया है ;

(ख) क्या दिये गये अग्रिम धन की तुलना में आस्थियों की कीमत बहुत कम है ;

(ग) यदि हां, तो अनियमित ढंग से धनराशि दिये जाने में अन्तर्ग्रस्त प्राधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) संबन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यसवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सूचना का संबन्ध स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ग्राहक से है और बैंकों में प्रचलित प्रथा तथा व्यवहार के अनुसार तथा साथ ही भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अनुवन्ध के अनुसार बैंक ऐसी सूचना न देने के लिये कानूनी तौर पर बाध्य है।

(ग) और (घ) तथापि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सूचना दी है कि शाहपुर शाखा के मैनेजर को जिस पर मैसर्स जौली ब्रदर्स के कुछ अनियमित चैकों की खरीद करने का आरोप है, बैंक ने 20 मार्च, 1971 से निलम्बित किया हुआ है और बैंक के सेवा नियमों के अनुसार, जो उस पर लागू होते हैं उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की जा रही है।

भारत-बांगला देश सीमा क्षेत्र पर मुद्रा (करेंसी) की तस्करी

1964. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1400 किलोमीटर लम्बी भारत बंगलादेश सीमा पर मुद्रा (करेंसी) तस्करी की मुख्य वस्तु है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार का विचार, क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर गणेश) : (क) भारत-बंगलादेश सीमा पर मुद्रा, तस्करी की एक महत्वपूर्ण वस्तु है। जनवरी, 1973 से अगस्त, 1973 की अवधि के दौरान, भारत-बंगला देश सीमा पर पकड़ी गई भारतीय तथा बंगलादेश की मुद्रा 6 लाख थी जबकि पकड़े गये कुल माल का मूल्य 36 लाख रुपये था।

(ख) भारत तथा बंगलादेश के बीच माल की तस्करी को, जिसमें मुद्रा भी शामिल है, रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये है। सीमा पर, सीमा मुरक्षा दल के कर्मचारियों के अतिरिक्त सीमाशुल्क विभाग के ऐसे कर्मचारियों को तैनात किया गया है जिन्हें तस्करी-विरोधी कार्य के संबन्ध में सीमाशुल्क अधिकारियों के रुप में कार्य करने का भी अधिकार दिया गया है। इस संबन्ध में प्रवृत्तियों की संबन्ध अभिकरणों द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है और उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं। सीमा के आर-पार तस्करी से संबन्धित मामलों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करने तथा तस्करी को रोकने के लिये समन्वित कार्यवाही करने के लिये सीमाशुल्क विभाग के कर्मचारियों तथा सीमा सुरक्षा दल के बीच समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कलकत्ता गोदी तथा हवाई अड्डे पर तस्करी के प्रयत्न को निष्फल करने के लिये विशेष गुप्त सूचना एकक कायम किये गये हैं।

सामान्य बीमा कर्मचारियों की मांगें

1965. **श्री सरोज मुखर्जी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 28 सितम्बर, 1973 को सारे देश के सामान्य बीमा कर्मचारियों ने काम रोक दिया था,

(ख) उनकी मांग क्या थी ; और

(ग) क्या उनकी बोनस की मांग स्वीकार कर ली गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तीन संघों ने अर्थात् अखिल भारत विविध बीमा कर्मचारी संघ, विविध बीमा कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन तथा अखिल भारत बीमा कर्मचारी संघ ने 28 सितम्बर1973 को एक घंटे के लिए हड़ताल का आवाहन दिया। जिन कर्मचारियों ने हड़ताल की उनकी संख्या मालूम नहीं है।

(ख) वर्ष 1972 के लिए सकल वेतन के 15 प्रतिशत रकम बोनस के रूप में देने और गत वर्ष किसी कर्मचारी को उच्चतर रकम मिली हो तो उसको संरक्षण देने के अन्तिम निर्णय के विरुद्ध अखिल भारत विविध बीमा कर्मचारी संघ ने विरोध करने का आवाहन दिया। अन्य दो संघों ने सेवा की शर्तों तथा वेतनों के मानकीकरण में विलम्ब के विरुद्ध तथा अन्तिम रूप से घोषित बोनस की मात्रा के विरुद्ध भी अपना विरोध प्रकट करना चाहा था।

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित अलग-अलग कर्मचारियों को संरक्षण सुविधा सहित, सकल वेतन के 15 प्रतिशत रकम के बराबर बोनस देने का जो निर्णय किया गया है वह, लाभ की स्थिति गत वर्ष दी गई रकम का आकार, कर्मचारियों की सामान्य परिलब्धियों का औसत स्तर तथा सरकारी क्षेत्र में तुल्य नियोजकों द्वारा दिये गये बोनस की दरों को देखते हुए, उचित और न्यायसंगत ही लगता है।

भारत और जापान के बीच आर्थिक मामलों पर बातचीत

1966. **श्री एम० सुदर्शनम**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 1973 के अन्तिम सप्ताह में टोक्यो में आर्थिक मामलों पर जापान के साथ बातचीत हुई थी और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :(क) सितम्बर, 1973 के अन्तिम सप्ताह में जापान के साथ सरकारी स्तर पर कोई वार्ताएं नहीं हुई थी। तथापि, भारत-जापान व्यापार सहयोग समितियों की छठी संयुक्त बैठक 25 से 27 सितम्बर, 1973 तक कियोतों में हुई।

(ख) इस संबन्ध में अतारांकित प्रश्न सं० 1815 दिनांक 23-11-1973 के भाग (ख), तथा (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट संयुक्त विज्ञप्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

भारत और रूस के बीच रुई का दूसरा सौदा

1967. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के बीच रुई का दूसरा सौदा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उटना ।

सूती धागे के वितरण पर नियंत्रण में ढील देना

1968. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूती धागे के वितरण पर निगंत्रण में ढील दी है ?

(ख) यदि हां तो क्या उत्पादन प्रणाली तथा मूल्यों पर वर्तमान नियंत्रण चलता रहेगा ; और

(ग) दी गई ढील संबन्धी मोटी बात क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां। सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के अन्तर्गत 80 एस काउंटरों तक सूत के आवंटन पर सांविधिक नियंत्रण शिथिल कर दिया गया है।

(ख) उत्पादन के स्वरूप तथा कीमतों पर वर्तमान नियंत्रण जारी है।

(ग) निम्नोक्त श्रेणियों तथा विवरणों के सूत संबन्ध में आवंटन पर साविधिक नियंत्रण में ढील दे दी गई है :

(1) 80 एस तथा इससे कम के कांऊटों का सूत,

(2) 80 तथा इससे कम के काऊंटों का प्लाई का फोल्ड किया हुआ सूत,

(3) सभी काऊंटों का तथा इससे अधिक प्लाई का फोल्ड किया हुआ सूत,

(4) 33—प्रतिशत या उससे अधिक मात्रा में मानव निर्मित सेलूलोसिक अथवा गैर सेलूलोसिक, प्राकृतिक रेशम अथवा ऊनी रेशे वाला ब्लेंडेड सूत,

(5) मिश्रित सूत अर्थात् जिसमें एक ही हक अथवा कोन में विभिन्न काऊंटों का धागा शामिल हो, और

(6) हार्ड वैस्ट ।

तथापि उपर्युक्त श्रेणियों तथा विवरणों वाले सूत के संबन्ध में दी गई छूटें किन्ही ऐसी पक्की वचनबद्धताओं पर प्रभाव नहीं डालेगी, जो वस्त्र आयुक्त के साथ पहले ही की जा चुकी हो।

पांचवीं योजना में मूल्य नीति

1969. **श्री श्रीकिशन मोदी:**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना में मूल्य नीति के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इनके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) पांचवीं पंच वर्षीय आयोजना के लिए मूल्य संबन्धी नीति की मुख्य मुख्य बातें योजना आयोग के "पांचवीं आयोजना के प्रति दृष्टिकोण 1974-79" नामक प्रकाशन में दी गई हैं । निस्संदेह और विस्तृत ब्यौरा पांचवीं आयोजना के प्रलेख में दिया जायेगा, जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

जीवन बीमा निगम के प्रबंध पर व्यय

1970. **श्री विक्रम महाजन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध पर कुल कितना व्यय हुआ ;

(ख) क्या निम्न वर्ग के लोगों से मिलने वाले कारोबार में कमी हुई है और छोटी राशियों के बीमों की संख्या भी कम हो गई है और यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल कार्य करने और अपने कारोबार को केवल नगरीय क्षेत्रों में संगठित क्षेत्रों तथा समृद्ध व्यक्तियों तक ही सीमित न रखने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क)

1971-72	1972-73
(करोड़ रुपयों में)	
94.27	108.58

(ख) भारत में जो नया कारोबार हुआ उसका पालिसी के आकार के अनुसार ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है ।

पालिसियों की संख्या हज़ारों में
बीमा की गयी रकम (करोड़ रुपयों में)

बीमा की गयी रकम का वर्ग (रु०)	1971-72		1972-73	
	पालिसियों की संख्या	बीमा की गई रकम	पालिसियों की संख्या	बीमा की गई रकम
1,000 तक	108	10.49	95	10.36
1,001-2,000	252	47.94	232	44.88
2,001-3,000	250	71.91	242	69.04
3,001-5,000	580	283.13	628	308.95
5,001-10,000	429	389.49	484	447.04
10,001-25,000	222	423.94	268	509.17
25,000 से ऊपर	55	271.15	69	336.57

3,000 रुपये तथा उससे कम की बीमा पालिसियों की संख्या में कमी, जीवन निर्वाह मूल्य में और आमदनी के स्तरों में वृद्धि के कारण हुई लगती है । निम्नतर आय के वर्गों में स्थित लोगों की आमदनी के स्तर भी ऊपर उठ हुए हुए हैं और उन लोगों में बड़ी रकमों का बीमा कराने की प्रवृत्ति बन रही है। इस संदर्भ में यह दृष्टव्य है कि 3,001 रु० से 5000 रु० की रकम की बीमा पालिसियों की संख्या 1971-72 में जहां 5,80,000 थी वहां 1972-73 में बढ़कर 6,28,000 हो गई है ।

(ग) इस प्रयोजन के लिये की गई कार्यवाही के कुछ अंश नीचे दिये गये हैं :—

(1) देहातों में संगठन के कर्मचारियों आदि की संख्या में वृद्धि ।
(2) व्यापक प्रचार ।
(3) देहाती इलाकों में एजेंटों की नियुक्तियां ।
(4) आयु स्वीकार करने के लिये कार्यविधि को सरल बना दिया गया है ।
(5) कुछ चुने हुए इलाकों में बीमे की किस्तों की वसूली डाकखानों की मार्फत की जाती है ।

लद्दाख को पर्यटक यातायात के लिए खोलना

1971. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री लद्दाख को पर्यटक यातायात के लिये खोलने के बारे में 1 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 272 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार लद्दाख को पर्यटक यातायात के लिये खोलने का है और यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : सुरक्षा की वजह से प्रवेश पर लगे प्रतिबन्धों के कारण, लद्दाख के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन यातायात को प्रोत्साहन देना फिलहाल संभव नहीं है ।

तथापि, मामले पर विचार चल रहा है ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों को मिलावटहीन खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए स्टोरों की स्थापना का विचार

1972. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का देश में पर्यटक रुचि के ऐसे स्थानों पर अनेक स्टोर स्थापित करने का विचार है जहां प्रतिवर्ष भारत के सब भागों से तथा विदेशों से लाखों लोग एकत्र होते हैं, जिससे उन्हें वहां बिना मिलावट वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके ;

(ख) क्या देश में खाद्य सामग्री में मिलावट किये जाने के कारण विभिन्न पर्यटन स्थलों पर किये जाने वाले पर्यटकों की संख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय पर्यटन विभाग का विचार राज्य सरकारों के सहयोग से मिलावट करने वालों के विरुद्ध अभियान आरम्भ करने का है जिससे पर्यटकों का कल्याण हो सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) (क) जी, नहीं । तथापि, भारत पर्यटन विकास परिषद का यह प्रयत्न रहता है कि उनके द्वारा परिचालित होटलों/मोटलों/यात्री लाजों/रेस्टोरेंटों पर भोजन का विशुद्ध एवं बिना मिलावट वाला सामान मुहैया किया जाय ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । ऐसे कोई उदाहरण पर्यटन विभाग के नोटिस में नहीं आये हैं ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित कच्चे माल का अधिक मूल्य लिया जाना

1973. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य व्यापार निगम के विरुद्ध आयातित कच्चे माल की अधिक मूल्य लिये जाने के बारे में की गई शिकायतों के बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा विभिन्न कच्चा माल ऊंची कीमतों पर रिलीज किये जाने के बारे में सामान्य स्वरूप की शिकायतें आई हैं ।

(ख) एक अन्तः मंत्रालय मूल्य पुनरीक्षण समिति मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है जिसके आधार पर राज्य व्यापार निगम अपनी कीमतें निर्धारित करता है । समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि कच्चा माल न्यायोचित कीमतों पर उपलब्ध कराया जाता है और कीमतों क समय-समय पर आयातित लागत तथा ऊपरी खर्चों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता है

भारत की विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि में कमी

1974. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी :**

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि कम हो गई है; और

(ख) वर्ष 1971-72 में स्थिति क्या थी और अक्तूबर, 1973 में क्या थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 9 नवम्बर, 1973 को भारतीय रिजर्व बैंक के पास 378.52 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा थी, अर्थात् विनियम दर की घट-बढ़ के कारण होने वाले 54.8 करोड़ रुपये के लाभ की रकम को निकालने के बाद, इसमें चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से लेकर लगभग 58.3 करोड़ रुपये की कमी हो गई है । इस विदेशी मुद्रा के अलावा, बैंक के पास 182.53 करोड़ रुपये के मूल्य का सोना तथा उसी तारीख को 183.94 करोड़ रुपये के विशेष आहरण अधिकार भी थे ।

(ख) रिजर्व बैंक के पास 182.53 करोड़ रुपये के मूल्य के सोने के अलावा, 31 मार्च, 1972 को 420.82 करोड़ रुपये की तथा 2 नवम्बर, 1973 को 389.61 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा थी ।

इण्डियन एयर लाइन्स के यात्रियों से रात्रि का घटिया भोजन दिये जाने सम्बन्धी शिकायतें

1975. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि विभिन्न मार्गों पर इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों से यात्रा करने वालों ने बहुधा रात्रि के समय परोसे जाने वाले भोजन के घटिया होने की अनेक शिकायतें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

सचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) यात्रियों से समय-समय पर इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विमान पर दिये गये खाने के बारे में शिकायतें मिलती रहती हैं, जिनमें दिल्ली से कलकत्ता की शाम की उड़ान भी शामिल है । यात्रियों से प्राप्त ऐसी शिकायतों की जांच की जाती है तथा इन शिकायतों के कारणों को दूर करने तथा सेवा में यथा-वश्यक रूप से सुधार करने के प्रयत्न किये जाते हैं ।

गत तीन महीनों में इण्डियन एयर लाइन्स की उड़ानों में विलम्ब

1976. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **पर्यटक और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों, विशेषकर दिल्ली और कलकत्ते के बीच की उड़ानों में विलम्ब होने के क्या मूल कारण हैं; और

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के गैर वैज्ञानिक प्रशासनिक उपायों के कारणों का पता लगाने के बारे में कोई जांच की गई है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) अगस्त से अक्तूबर 1973 की अवधि के दौरान इस सेक्टर पर इस अवधि के लिए नियोजित 619 उड़ानों के मुकाबले में कुल 245 उड़ाने (रद्द हुई उड़ानों को मिलाकर) बिलम्ब से थीं। इस अवधि के लिए कुल मिला कर उड़ानों के यथा-समय निष्पादन का प्रतिशत 60.42 है।

विभिन्न कारणों से हुए बिलम्बों की संख्या को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5791/73]

(ख) प्रातःकालीन उड़ानों के प्रस्थान के बाद इंडियन एयरलाइन्स के परिचालन, इंजीनियरी तथा वाणिज्यिक विभागों से तीन अधिकारियों की एक समिति की प्रतिदिन बैठक होती है जो कि उस प्रात तथा पिछली सायं से संबन्धित बिलम्ब से हुई/रद्द हुई उड़ानों के कारणों का विश्लेषण करती है तथा जहां कहीं आवश्यक होता है उपचारी कार्यवाही करती है।

सूती कपड़ा निर्यात के लिए प्रोत्साहन कम करना

1977. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूती कपड़ा निर्यात के बारे में प्रोत्साहन को कम किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) भारतीय काटन मिल संघ सूती वस्त्रों के निर्यात के लिए स्वैच्छिक आधार पर नगद सहायता योजना चलाता रहा है। संघ ने अक्तूबर, 1973 मार्च, 1974 की अवधि के दौरान, विदेशों में मूल्य प्राप्ति में सुधार तथा बाजार में तेजी को देखते हुए सूती वस्त्र के निर्यातों पर प्रोत्साहन की दरें घटा दी हैं।

उत्तर प्रदेश की निजी कम्पनी को विषेश मार्गों पर उड़ान करने की अनुमति

1978. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश की एक निजी विमान कम्पनी को कुछ मार्गो पर, अन्य रुचि रखने वाली पार्टियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये बिना, उड़ाने भरने की अनुमति दी और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में किसी भी मार्ग पर कोई प्राइवेट एयरलाइन परिचालन नहीं कर रही है। इसलिये ये प्रश्न ही नहीं उठते।

आयात लाइसेंसों से लाभ उठाने वाली पार्टियों द्वारा निर्यात सम्बन्धी दायित्वों का पूरा किया जाना

1979. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि आयात लाइसेंसों से लाभ उठाने वाली पार्टियों निर्यात संबन्धी दायित्वों को पूरा करें ;

(ख) सरकार ने निर्यात संबन्धी दायित्वों को पूरा न करने की दोषी पार्टियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या निर्यात संबन्धी दायित्वों को लागू करने के बारे में हुई सार्वधिक प्रगति की समीक्षा करने के लिये नियुक्त अन्तःमंत्रालयी ग्रुप ने इस बारे में कोई समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जब किसी फर्म पर निर्यात दायित्व अधिरोपित किया जाता है तो नीति के अनुसार एक बैंक गारन्टी । कानूनी वचन ले लिया जाता है ताकि लाइसेंस प्राधिकारी इसके निर्यात निष्पादन पर निगरानी रख सकें चूक होने पर निम्नलिखित दंडिक कार्यवाही की जाती है :—

(1) जिस मामले में बैंक गारन्टी सहित बांड भरा गया हो उस मामले में बैंक गारन्टी का जब्त किया जाना। कानूनी वचन के मामले में नीति में इस आशय की व्यवस्थाएं की गई हैं कि फर्म राज्य व्यापार निगम अथवा सरकार द्वारा नामित किसी अन्य अभिकरण को निर्धारित निर्यात दायित्व और निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिये किये गये वास्तविक निर्यातों के बीच के अन्तर का दोगुना देगी। वह अभिकरण माल का निर्यात उन कीमतों पर करेगा जिन पर वह विदेशी बाजार में बेचा जा सकता था। इसके अतिरिक्त फर्म को निर्यात दायित्व के 5 प्रतिशत के बराबर निर्धारित क्षतिमूल्य देना होगा जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रु० होगी।

(2) यह निर्णय करने के लिये कि क्या फर्म को नियत अवधियों के लिए आगे लाइसेंस लेने से विवर्जित कर दिया जाना है, विभागीय कार्यवाहियां ।

(3) यह निर्णय करने के लिए कि क्या मुकदमा चलाया जाए या नहीं, अभिकरणों द्वारा जांच। दोषी के अपराध की गंभीरता पर निर्णय करते हुए तीनों में से कोई एक कदम अथवा तीनों ही कदम उठाये जाएगें ।

(ग) अप्रैल, 1970 के दौरान स्थापित किये गए निर्यात दायित्व संबन्धी अन्तः मंत्रालय अध्ययन ग्रुप की अब तक 6 बैठकें हो चुकी हैं । पूरे न किये गए निर्यात दायित्वों का पुनरावलोकन अध्ययन ग्रुप द्वारा किया गया है । इस पुनरावलोकन की मुख्य विशेषताएं ये हैं :—

(1) यह निर्णय करना कि क्या निर्यात ऐसी परिस्थितियों वश नहीं किये जा सके जो फर्म के नियंत्रण से बाहर थी ।

(2) यदि समिति इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि फर्म का निर्यात निष्पादन पर्याप्त रूप में संतोषजनक है और वह और समय की मांग करती है तो ऐसी अनुमति देना ;

(3) यदि वैकल्पिक मदों के निर्यात के लिए अनुरोध किये जाएं तो यह विचार करना कि क्या ऐसी अनुमति दी जानी चाहिये।

समिति का एक अन्य काम यह निर्णय करना भी है कि क्या दांडिक कार्यवाही तत्काल की जानी चाहिये अथवा वह फर्म के पूर्व निष्पादन को देखते हुए अपने निर्यात निष्पादन को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देकर किसी आगामी तारीख के लिए स्थगित कर दी जानी चाहिये।

निर्यात के लिए नगद प्रोत्साहन देने सम्बन्धी योजनायों का पुर्नविलोकन

1980. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात के लिये प्रोत्साहन देने, विशेषकर नगद सहायता सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के कार्यकरण का पुर्नविलोकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) नगद प्रतिकरात्मक समर्थन की, जो निर्धारित समय सीमा तक दिया जाता है तथा अन्य मामलों में, जहां पर लागत तथा प्राप्त कीमतों में काफी परिवर्तन प्रतीत होती है समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

(ख) चालू वर्ष की समीक्षा के परिणामस्वरूप निम्नलिखित उत्पादों के लिए सहायता में संशोधन किया गया है:—

1. फोर्क लिफ्ट ट्रक ।
2. फलों के रस, नेक्टर ।
3. फलों की लुगदी ।
4. डिब्बा बन्द शरबत में कटे हुए फल ।
5. एल्यूमिनियम कंण्डक्टर्स, इस्पात रीइनफोर्सड् ।
6. एल्युमिनियम कंडक्टर्स के साथ इंनसूलेटिड केबलस (1.1 किलोवाट तथा उससे ऊपर) ।
7. ट्रांसमिशन लाइन टावरस, माइल्ड स्टील, गल्वनाइसड ।
8. मशीनगन के लिए बोल्ट लिग्स ।
9. बांस की लुगदी ।
10. मशीन द्वारा टविस्टेड/कलर्ड कयर का धागा ।
11. कण्डैंसड दूध, मीठा मिलाया हुआ ।
12. जैम, जैली, मुरब्बा तथा फ्रूट चीज ।
13. अखरोट की गिरी तथा अखरोट ।

केन्द्रीय राजस्व, महालेखाकार, नई दिल्ली द्वारा सरकारी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि खातों की स्लिप जारी करना

1981. **श्री एम दीवीकन** :

श्री था किरुतिनन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय राजस्व, महालेखाकार, नई दिल्ली ने गत कुछ वर्षों से सरकारी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि खातों की स्लिपें जारी नहीं की हैं;

(ख) यदि हां, तो स्लिपों को जारी करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का ठीक नवीनतम लेखा स्लिपें जारी करने के बारे में शीघ्र कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1970-71 तक के लेखा विवरणपत्र जारी कर दिये गये हैं ।

वर्ष 1971-72 के सामान्य भविष्य निधि लेखों के जो लगभग 42,000 विवरणपत्र हाथ से तैयार करने की प्रणाली से रखे गये थे, वे जारी किये जा चुके हैं ।

वर्ष 1972-73 के सामान्य भविष्य निधि लेखों के लगभग 36,000 विवरणपत्र हाथ से तैयार करने की प्रणाली से रखे गये हैं और वे तैयार किये जा रहे हैं । वर्ष 1971-72 के लिये 90,000 अंशदाताओं के और वर्ष 1972-73 के 97,000 अंशदाताओं के सामान्य भविष्य निधि लेखे संगणक प्रणाली से रखे जा रहे हैं । ये तैयार हो रहे हैं इसलिये अभी जारी नहीं हो सके हैं ।

(ख) केन्द्रीय राजस्व महालेखाकार के कार्यालय में, बहुत सारे अंशदाताओं के सामान्य भविष्य निधि लेखे 1 अप्रैल 1970 से और 1 अप्रैल 1971 से दो किस्तों में करके संगणक प्रणाली से रखे गये हैं । काम को हाथ प्रणाली से संगणक प्रणाली में बदलने में संक्रमणकालीन कई कठिनाइयां और समस्याएं आई, जिनके कारण वर्ष 1971-72 के खातों को बन्द करने में विलम्ब हुआ । इसका प्रभाव 1972-73 के खातों को बन्द करने पर भी पड़ा । इसके अतिरिक्त, पिछले कई महीनों में नई दिल्ली में अपर्याप्त वोल्टेज की बिजली अनियमित रूप से मिलने के कारण भी काम में बाधा पड़ी क्योंकि संगणक पर्याप्त समय तक नहीं चल सके ।

(ग) बकाया काम को निपटाने की पूरी कोशिश की जा रही है । बकाया काम के निपटान के लिये संगणक का उपयोग अधिकतम उपलब्ध समय के लिए करने का इरादा है ।

Export of Kosa Cloth from Madhya Pradesh during 1972-73

1982. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the total value of the "Kosa" cloth exported from Madhya Pradesh during the year 1972-73; and

(b) the amount of foreign exchange earned thereby ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b) Rs. 147.73 lakhs.

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय बिक्री कर की बकाया राशि

1983. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 और 1971-72 में मध्य प्रदेश में केन्द्रीय बिक्री कर की कितनी राशि बकाया थी; और

(ख) उक्त बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : बिक्री कर (स्थानीय और केन्द्रीय दोनों) का प्रशासन राज्य सरकारों में निहित है। इसलिए, प्रश्न में मांगी गई सूचना मध्य प्रदेश सरकार से मगांई गई है और उपलब्ध होने पर सदन पटल पर रख दी जायगी।

"साइज्ड बीम्ज डिमांड फार प्रीमिया एलेज्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

1984. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 12 अगस्त, 1973 के 'इकानोमिक टाइम्स' में 'साइज्ड बीम्ज डिमाण्ड फार प्रीमिया एलेज्ड' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों को उनके विरुद्ध समुचित कानूनी कार्यवाही करने का पहले से अधिकार मिला हुआ है जो सूत नियंत्रण योजना के अन्तर्गत आदेशों का उल्लंघन करते हैं। वस्त्र आयुक्त ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम से भी कहा है कि वह अपने सूती धागे के उत्पादन को बुनकर सहकारी समितियों/संस्थाओं तथा राज्य वस्त्र निगमों को उपलब्ध करे जिससे कि वे आगे उसे बुनकरों को नियंत्रित कीमतों पर बेचें।

निगमित गैर-सरकारी क्षेत्र और कंपनियों को जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

1985. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगमित गैर-सरकारी क्षेत्र को जीवन बीमा निगम द्वारा अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) 20 बड़े औद्योगिक गृहों के प्रत्येक के नियंत्रण के अधीन कम्पनियों को जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) जीवन बीमा निगम की अधिकांश सहायता बड़े औद्योगिक गृहों को दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम ने 30 सितम्बर, 1973 तक गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को कुल 208.09 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये तथा 151.12 करोड़ रुपये के ऋण वस्तुतः दिये।

(ख) उक्त कम्पनियों में जीवन बीमा निगम के कुल निवेश, जिसमें मार्केट से खरीदे गये शेयर आदि शामिल नहीं हैं, नीचे दिये अनुसार हैं:—

समूह का नाम	स्वीकृत ऋण	वस्तुतः दिये गये ऋण
1	2	3
	(30 सितम्बर, 1973 तक करोड़ रुपयों में)	
1. ए०सी०सी० . .	4.33	4.27
2. एन्ड्रयू यूले . .	0.63	0.54

1	2	3
	(30 सितम्बर, 1973 तक करोड़ रुपयों में)	
3. वांगड़ . .	5.37	4.01
4. बर्ड हीलगरर्स	1.02	0.52
5. बिड़ला	20.65	15.49
6. गोयन्दका .	0.22	0.16
7. आई०सी०आई०	6.24	3.52
8. जे० के० (सिंघानिया)	2.64	1.61
9. किलाचन्द (तुलसीदास)	0.02	0.02
10. किलीक	7.20	6.48
11. माफतलाल .	6.87	6.66
12. मार्टिन वर्न .	0.38	0.38
13. साहू जैन	1.09	1.09
14. साराबाई .	—	—
15. सिंधिया स्टीम नेवीगेशन	—	—
16. श्रीराम	4.04	2.56
17. सूरजमल नागरमल	0.33	0.29
18. टाटा	25.79	17.13
19. थापर	1.10	1.02
20. वालचन्द	1.50	1.42
जोड़	89.42	66.17

(ग) जीवन बीमा निगम अपना निवेश, बीमा अधिनियम की धारा 27 A-(जिस रूप में वह जीवन बीमा को लागू है) की सीमा में रहते हुए करता है । कानून द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों की सीमा में रहते हुए जीवन बीमा निगम, गैर-सरकारी क्षेत्र में पैसा लगाने के ऐसे माध्यम ढूंढ़ता है जिनमें पूंजी की सुरक्षा के साथ-साथ अच्छी आमदनी भी मिल सके । औद्योगिक गृहों की पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में जीवन बीमा निगम अपना पैसा, अकेले तौर से अथवा अन्य सार्वजनिक वित्त संस्थाओं के के साथ मिल कर ऐसी परियोजनाओं के लिये लगाता है, जिनके लिये सरकार द्वारा आवश्यक औद्योगिक लाइसेंस अथवा आशय पत्र जारी किये गये हैं और इसलिए उन योजनाओं का कार्यान्वयन देश के आर्थिक विकास के आयोजित कार्यक्रम के अनुरूप होगा । यदि इस प्रकार की परियोजनाओं के लिये सावधिक ऋण के लिये अथवा अन्य रूप में निवेश के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त होती है तो जीवन बीमा निगम ऐसी प्रार्थना पर तभी विचार करता है जब वह उसके सम्बन्ध में प्रबन्ध योग्यता, आर्थिक सुदृढ़ता, व्यापारिक विकास क्षमता और अच्छी आमदनी की प्राप्ति की सम्भावना के बारे में सन्तुष्ट हो जाता है । इन्हीं कारणों से बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों को जीवन बीमा निगम से ऋण तथा अन्य प्रकार के निवेश के रूप में महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता मिल जाती है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा आवास योजनाओं के लिए पूंजी निवेश

1986. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972-73 में जीवन बीमा निगम द्वारा आवास योजनाओं के लिए पूंजी निवेश की कितनी प्रतिशतता है; और

(ख) 1972-73 के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 13.30 प्रतिशत।

(ख) 3.04 करोड़ रुपये।

बंगला देश के साथ किये गये व्यापार करार

1987. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगला देश और भारत के बीच अब तक कौन-कौन से व्यापार करारों पर हस्तारक्ष हुए हैं, और

(ख) इन करारों के अनुसार कौन-कौन सी वस्तुओं का निर्यात आयात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) बंगलादेश के साथ पहला व्यापार करार जो कि 28 मार्च, 1972 को सम्पन्न हुआ था, 27 सितम्बर, 1973 को समाप्त हो गया। व्यापार करार में व्यापार के दो स्तरों की व्यवस्था थी :—

(i) दोनों देशों के लिए विशेष दिलचस्पी की दोनों ओर से 25 करोड़ रु० की सीमा तक विशिष्ट वस्तुओं के आयात-निर्यात के लिए सीमित भुगतान व्यवस्था; तथा

(ii) सीमित भुगतान व्यवस्था के बाहर व्यापार, जिसका विनियमन सामान्य आयात, निर्यात तथा विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार किया गया।

2. 5 जुलाई, 1973 को बंगला देश के साथ एक नया व्यापार करार किया गया था। इस करार में भी, जो 28 सितम्बर, 1973 से लागू हुआ है, व्यापार के दो स्तरों की व्यवस्था है :—

(i) दोनों देशों के लिए विशेष दिलचस्पी की विशिष्ट वस्तुओं में दोनों ओर से 30.5 करोड़ रु० की सीमा तक सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान व्यवस्था; और

(ii) सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान व्यवस्थाओं के बाहर व्यापार, जिसका विनियमन सामान्य आयात, निर्यात तथा विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार होता है।

3. दोनों व्यापार करारों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—5792/73]

(ख) भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े, वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक-संकलन के महा-निदेशक द्वारा रखे जाते हैं। उनके द्वारा प्रकाशित जानकारी के अनुसार 1972-73 के दौरान 3.1 करोड़ रु० मूल्य के आयातों की तुलना में उसी अवधि के दौरान बंगलादेश को 158.3 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात किये गये। 1972-73 के दौरान बंगलादेश से आयातित तथा बंगलादेश को निर्यातित वस्तुओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। मार्च, 1973 के बाद आयात-निर्यात के वस्तुवार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

डाक-खाना बचत बैंक खाताधारियों के लिए पुरस्कार योजना

1988. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई पुरस्कार योजना की घोषणा के बाद से 15 नवम्बर, 1973 तक देश के डाकघरों में कुल कितने नये खाते खोले गए और इस प्रकार कितनी धनराशि जमा होने की सम्भावना है; और

(ख) क्या खाते में जमा 200 रुपये की राशि पर, जो साविधनिक्षेप खाते के समान सरकार के पास जमा रहेगी, कुछ अतिरिक्त ब्याज दिया जायेगा, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) इस योजना के अनुसार, डाक घर बचत बैंक के ये खाताधारी, इनामी लाटरी में भाग लेने के हकदार होने के अलावा, निर्धारित ब्याज भी कमायेंगे चाहे किसी खाताधारी का इनाम निकले अथवा न निकले। ये इनाम अपने आपमें अतिरिक्त प्रोत्साहन की किस्म के हैं और इन खातों में जमा रकमों पर निर्धारित दर के अतिरिक्त और अधिक ब्याज देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Request for Financial Assistance for U.P. for Economic Development

1989. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether during the President's Rule in Uttar Pradesh more financial assistance was sought from the Central Government for the economic development of Uttar Pradesh; and

(b) if so, the reaction of Central Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes Sir.

(b) In the programme of advance action for the Fifth Plan, assistance sanctioned for U.P. in the current year would be of the order of Rs. 22.17 crores.

Separate Corporation to Manage Purchase, Distribution and Export of Tobacco

1990. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the Central Cabinet has given approval for setting up of an autonomous Corporation to manage the purchase, distribution and export of tobacco; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya : (a) and (b) The setting up of a statutory Board for Tobacco has been approved in principle. Necessary Legislation in this regard will be introduced in the Parliament shortly.

Treatment of Reserved Vacancies as unreserved for SC and ST in State Bank of India

1991. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether any vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been treated as unreserved in the State Bank of India without intimation to his Ministry, Cabinet Secretariat and Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken in this regard?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) The procedure for dereservation of vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as prescribed in the instructions to the banks requires the prior approval of Board of Directors for posts in the supervisory cadre and that of Managing Director for posts in the award staff. The Board of Directors is also required to be apprised from time to time of the number of award staff vacancies dereserved. Moreover, in pursuance of a recommendation of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Government have asked the bank to send annual report regarding representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes indicating, **inter alia,** detailed reasons for which reserved posts could not be filled up by Scheduled Castes/Tribe candidates.

Percentage of Employees of S.C. and S.T. in State Bank of India

1992. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the percentage of the employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Supervisory Staff in State Bank of India is not even one percent; and

(b) if so, the outlines of the scheme for ensuring compliance on an uniform basis of all the orders regarding reservation?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) With a view to improving the representation of these communities in the supervisory cadre, the State Bank of India has taken the following measures:

(i) The educational qualifications in the case of Scheduled Caste/Tribe candidates applying for the post of Probationary Officer have been relaxed to graduation as against II class graduation for general candidates.

(ii) Relaxation in upper age limit by 5 years.

(iii) Relaxed standards are adopted both at the written test and the interview for the candidates belonging to these communities for appointment as Probationary Officers in the bank.

(iv) Unlimited number of chances to appear at the examination as against three chances for the general candidates.

(v) The examination fee has been reduced to Rs. 5/- as against Rs. 25/- for general candidates.

Enquiry made in regard to reservation of posts for Scheduled Castes in State Bank of India

1993. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether any enquiry has been made by his Ministry to ascertain the actual representation of Scheduled Castes on the posts reserved for them in the State Bank of India in 1971-72 and 1972-73;

(b) if so, the results thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Financc (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) The State Bank of India has furnished the following information relating to the calender year 1971 and 1972:

Category of staff	No. of vacancies reserved for Scheduled Castes		Appointment made against the reserved vacancies	
1	2		3	
	1971	1972	1971	1972
Supervising staff	50	49	3	4
Clerical & Cash Deptt. Staff	461	943	108	232
Subordinate Staff	172	263	219	342

वस्त्र उद्योग में निर्यात प्रधान क्षेत्र की स्थापना

1994. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वस्त्र उद्योग में निर्यात प्रधान क्षेत्र की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अखबारी कागज की सप्लाई के लिये कनाडा से करार

1995. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज की सप्लाई के लिये हाल ही में कनाडा से कोई करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हथकरघा उत्पादों के निर्यात में संकट

1996. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा उत्पादों का निर्यात संकट में है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें और कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गत तीन वर्षों के दौरान सी० सी० आई० एंण्ड ई० के कार्यालय से त्यागपत्र देने वाले/ सेवानिवृत्त होने वाले/बर्खासत किये गये अधिकारियों की संख्या

1997. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सी० सी० आई० एण्ड ई० के कार्यालय से और उसके शाखा कार्यालयों से कितने अधिकारियों ने त्यागपत्र दिया/कितने अधिकारी सेवा निवृत्त हुए अथवा कितने अधिकारियों को बर्खास्त किया गया; और

(ख) उनमें से कितने अधिकारी निजी संगठनों में काम कर रहे हैं तथा कितने अधिकारी अपना व्यापार कर रहे हैं और कितने अधिकारी आयात/निर्यात व्यापार से सम्बद्ध संगठनों में कार्य कर रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 189 ।

(ख) जब कोई अधिकारी सरकारी सेवा से त्याग-पत्र दे देता है अथवा बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसे गैर-सरकारी नौकरी अथवा अपना व्यापार करने के लिए सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, वह चाहे किसी भी वर्ग का अधिकारी रहा हो । सेवा निवृत्ति के पश्चात् वर्ग 2 तथा वर्ग 3 के अधिकरियों को भी ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती ।

इसी प्रकार किसी वर्ग के अधिकारी को सेवा निवृत्ति के पश्चात् अपना व्यापार करने के लिए सरकार अनुमति की आवश्यकता नहीं होती तथा इसलिए इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

2. केवल वर्ग 1 के अधिकारियों को सेवा निवृत्ति के दो वर्षों के भीतर गैर-सरकारी संगठनों में काम करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है ।

3. गत तीन वर्षों के दौरान वर्ग 1 के तीन अधिकारियों को निम्नलिखित संगठनों में सेवा निवृत्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर नौकरी करने की अनुमति दी गई थी । ये सभी संगठन आयात/निर्यात व्यापार से सम्बन्ध रखते हैं :—

(1) श्री पी० सी० गुप्त—नियंत्रक (सेवा निवृत्त)— मैं० मोरारका इंजी० वर्क्स, नई दिल्ली ।

(2) श्री आर० एल० वर्मा—आयात तथा निर्यात के उप-मुख्य नियंत्रक (सेवा निवृत्त)— मैं० वूल एण्ड वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल, लुधियाना ।

(3) श्री आर० डी० पवार—आयात तथा निर्यात के उप-मुख्य नियंत्रक (सेवा-निवृत्त)— आल इण्डिया एक्सपोर्टस एसोसिएशन, बम्बई ।

वाणिज्यिक नौकरी करने के लिए वर्ग 1 के दो अधिकारियों की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

राज्य व्यापार निगम में ड्राइवरों के वेतनमान

1998. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम में ड्राइवरों के वेतनमान क्या हैं और एक ड्राइवर को औसतन मासिक उपलब्धियां, जिनमें बोनस, समयोपरि भत्ता और अन्य भत्ते शामिल हैं, क्या हैं ; और

(ख) जनवरी से जुलाई, 1973 तक किस महीने में एक ड्राइवर को अधिकतम कितना समयोपरि भत्ता दिया गया ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) राज्य व्यापार निगम में ड्राइवरों के दो वेतनमान हैं अर्थात् 310-8-350-10-410-द०रो०-10-480 रु० तथा 355-13-485-द०रो०-20-745 रु० है । वेतनमानों के अन्तर्गत औसतन मासिक उपलब्धियां क्रमशः 710.13 रु० तथा 875.52 रु० होती है ।

(ख) मुख्य कार्यालय में ड्राइवर को 451.20 रुपये की राशि दी गई थी ।

"यूथ टु इण्डिया" कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी नवयुवकों द्वारा पहलगांव का भ्रमण

1999. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'यूथ टु इण्डिया' कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशों के 2,000 नवयुवक आगामी ग्रीष्मकाल में 15 दिन काश्मीर में पहलगांव में व्यतीत करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) और (ख) एयर इण्डिया ने, जो कि 'यूथ टु इण्डिया' कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, पर्यटन विभाग को सूचित किया है कि उन्हें आशा है कि अगले ग्रीष्मकाल में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 2,000 युवा पर्यटक भारत की यात्रा करेंगे । इन युवा पर्यटकों के लिये एक समूचे यात्रा कार्यक्रम (पैकेज डील) की व्यवस्था की जायेगी जिसमें दिल्ली तथा पहलगाम में एक सप्ताह का वास भी सम्मिलित होगा । उसके पश्चात् इन्हें यात्रा अभिकर्त्ताओं की एक सहकारी-संस्था (कंसार्शियम) द्वारा वैकल्पिक यात्राओं का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा । इन दलों के जुलाई-अगस्त, 1974 में एक-एक हजार के दो बैचों में आने की आशा है । युवा पर्यटकों के लिए उपयुक्त मनोरंजन, दर्शनीय स्थलों की सैर तथा शॉपिंग कार्यक्रम भी तैयार किए जाएंगे । उन्हें भारतीय विश्वविद्यालयों का भ्रमण करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा ।

राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये दिल्ली में फ्लैटों का निर्माण

2000. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार/निगम खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अपने कर्मचारियों के लिये दिल्ली में फ्लैटों का निर्माण किया है ;

(ख) क्या इन फ्लटों के अलाटियों ने इनके त्रुटिपूर्ण निर्माण, इनमें घटिया निर्माण सामग्री के प्रयोग किये जाने और निर्माण के लिये प्राप्त निर्माण सामग्री का दुरुपयोग किये जाने के बारे में आर्किटैक्टों/ और निर्माण ठेकेदारों के विरूद्ध गम्भीर शिकायत की है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) प्रबंधक वर्ग, अलाटियों तथा आर्किटेक्टों ने फ्लैटों के निर्माण में कुछ त्रुटियां देखी, तथा इन फ्लैटों के निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग के उदाहरण भी प्रबंधक वर्ग के ध्यान में लाये गये हैं। तथापि निर्माण सामग्री का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है।

(ग) ठेकेदारों से घटिया सामग्री को बदलने तथा अपने खर्च पर त्रुटियों को सुधारने के लिये कहा गया है और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए ठेकेदारों को भुगतान की जाने वाली काफी राशी रोक ली गई है।

मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा द्वारा बीमा प्रीमियम का भुगतान

2001. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या जीप निर्माता कम्पनी महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा द्वारा उन 550 जीपों की खरीद पर, जिनके लिये पैसा 1970 में किराया खरीद तथा बीमा कम्पनियों के साथ संघ द्वारा दिया गया था बीमा प्रीमियम का भुगतान कानून तथा अच्छी व्यापार प्रक्रिया के अनुरूप था ;

(ख) क्या बीमा प्रीमियम की राशि को आयकर की अदायगी के लिये 'घटाया जाने वाला व्यय' समझा जा सकता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा पर इस राशि पर भी आयकर लगाया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) (ख) तथा (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आन्ध्र प्रदेश के एडोनी शाखा को कम राशि के ऋणों के लिये आवेदनपत्र

2002. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडोनी के कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक कल्याण परिषद एडोनी (जिला कुरनूल) आन्ध्र प्रदेश से 29 अगस्त, 1973 को विभिन्न ब्याज योजना के अन्तर्गत 2,00 रुपये से 1,500 रुपये तक की कम राशि के ऋणों के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया, एडोनी शाखा (आन्ध्र प्रदेश) को 60 आवेदन पत्र दिये गये थे ;

(ख) क्या स्टेट बैंक ने इस दो महीनों में केवल 14 मामलों को ही मंजूरी दी थी ; और

(ग) अन्य आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क)से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अखिल भारतीय पेट्रोल व्यापारी संघ द्वारा अपने सदस्यों को तेल कम्पनियों से पेट्रोल न खरीदने के संबंध में दिये गये कथित निदेश

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं पेट्रोलियम और रसायन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

"अखिल भारतीय पैट्रोल व्यापारी संघ द्वारा अपने सदस्यों को तेल कम्पनियों से पैट्रोल न खरीदने के संबंध में दिये गये कथित निदेश तथा इस संकट को दूर करने के लिये की गयी कार्यवाही"

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : मैंने इस बारे में कल राज्य सभा में वक्तव्य दिया था और अखिल भारतीय पैट्रोल व्यापारी संघ से हड़ताल न करने की अपील की थी । मुझे प्रसन्नता है कि उक्त संघ के अध्यक्ष ने अपने सदस्यों को हड़ताल न करने का निर्देश दिया है, परंतु फिर भी यदि आप चाहें तो मैं वक्तव्य दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भी अब इसके लिये आग्रह कर रहे हैं?

श्री आर के० सिन्हा : मैं इसके लिये आग्रह करना चाहता हूं और मुझे इस बारे में कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : जब इसका आधार ही समाप्त हो गया है तो इससे भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आधार तो थे और मूल्य फिर बढ़ेंगे।

श्री देवकान्त बरुआ : आपकी अनुमति से मैं अपना वक्तव्य पढ़ता हूं ।

वक्तव्य

तेल कम्पनियों के पैट्रोल पम्पों पर मोटर स्पिरिट (पैट्रोल) तथा हाई स्पीड डीजल आयल के फुटकर विक्रय मूल्यों में फुटकर विक्रय व्यापारी के लिये सकल कमीशन शामिल है। इस समय यह कमीशन पैट्रोल के लिये 41.80 रुपये प्रति किलोलिटर (लगभग 4.2 पैसे प्रति लिटर) और हाई स्पीड डीजल आयल के लिये 17.60 प्रति किलोलिटर (लगभग 1.8 पैसे प्रति लिटर) है। ये दरें क्रमशः 1954 में तथा 1955 में निर्धारित की गई थीं और तब से इस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

2. अखिल भारतीय पैट्रोलियम व्यापारी संघ कमीशन की दरों में संशोधन किये जाने के लिये आंदोलन करता रहा है। इस विषय पर पहले रिटेल आऊटलेट कमेटी ने विचार किया था जिस ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1967 में प्रस्तुत की थी। इस समिति ने राय व्यक्त की थी कि इस ने इस विषय पर विस्तृत रूप से अध्ययन, जो निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिये आवश्यक था, नहीं किये थे। यह इस

तथ्य के कारण हुआ था क्योंकि इस विषय को उस समिति के विचारार्थ विषयों में शामिल नहीं किया गया था । तथापि समिति ने इस बात की सिफारिश की थी कि सरकार इस पहलू को विशेष रूप से अगली मूल्यांकन समिति के समक्ष रख सकती है।

3. तदनुसार, सरकार ने अपने 14 जून, 1968 के संकल्प के अनुसार इस समस्या को तेल मूल्यांकन समिति, जिसकी अध्यक्षता श्री शान्ति लाल एच० शाह ने की थी, के समक्ष रख दी थी। तेल मूल्यांकन समिति से अखिल भारतीय पैट्रोलियम व्यापारी संघ के अभ्यावेदन के संदर्भ में, और बातों के साथ साथ, मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल के बारे में व्यापारियों के कमीशन की दरों के निर्धारण पर जांच तथा रिर्पोट प्रस्तुत करने का विशेष रूप से, अनुरोध किया गया था।

4. तेल मूल्यांकन समिति ने अपनी रिर्पोट अक्तूबर, 1969 में प्रस्तुत की थी। इस ने पैट्रोल पर कमीशन की दर में वृद्धि करने की कोई सिफारिश नहीं की थी किन्तु इस बात की सिफारिश की थी कि हाई स्पीड डीजल आयल पर व्यापारियों की कमीशन 17.60 रुपये प्रति किलोलिटर की बजाये 37.60 रुपये प्रति किलोलिटर कर दिया जाये । यह सिफारिश करते हुए तेल मूल्यांकन समिति ने इस तथ्य को ध्यान में रखा था कि पैट्रोल पम्प के व्यापारी हाई स्पीड डीजल आयल की फुटकर बिक्री पर 2 पैसे प्रति लिटर के हिसाब से अनाधिकृत तौर पर सेवा-शुल्क ले रहें हैं। अतः तेल मूल्यांकन समिति ने सेवा-शुल्क को कमीशन के साथ मिला देने की सिफारिश की थी और यह भी लिखा था कि तत्पश्चात व्यापारी इस सेवा-शुल्क को न लें।

5. सरकार ने तेल मूल्यांकन समिति की विभिन्न सिफारिशों पर विचार किया था लेकिन हाई स्पीड डीजल आयल पर व्यापारी के कमीशन में वृद्धि करने से संबंधित सिफारिश को नहीं माना था जिस का मूल कारण यह था कि तेल मूल्यांकन समिति की यह सिफारिश व्यापारियों की लाभ-प्रदत्ता के किसी भी लागत अध्ययनों पर आधारित नहीं थी। आगामी पैट्रोल पम्पों की वृद्धि का नियन्त्रण करने के लिये भारत सरकार द्वारा जान बूझ कर लिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप प्रति पम्प औसतन बिक्री में उत्तरोत्तर वृद्धि को भी ध्यान में नहीं रखा गया था।

6. जब सरकारी निर्णय का पता चला, संघ ने अन्दोलन के हथकंडे अपनाने प्रारम्भ कर दिये तथा अनेक स्थलों पर हाई स्पीड डीजल तेल के फुटकर बिक्री पर 2 पैसे प्रति लिटर सेवा-शुल्क की वसूली को जारी रखने पर भी बल देते रहे। अतः सरकार ने पैट्रोल पम्पों की लाभप्रदता के लागत-अध्ययन एंव कमीशन के वर्तमान दरों की औचित्य तथा अनौचित्य के संबंध में सिफारिश करने के लिये व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान के राष्ट्रीय परिषद (एन०सी०ए०ई०आर०) की स्थापना की। एन०सी०ए०ई० आर० ने अपनी रिपोर्ट पिछले वर्ष दी। इस रिपोर्ट पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ तथा तेल कम्पनियों के साथ भी इस पर विचार किया गया । एन० सी० ए० ई० आर० ने सिफारिश की कि पैट्रोल एंव हाई स्पीड डीजल तेल पर डीलर की कमीशन क्रमशः 41.80 रुपये से 50.00 रु० एवं 17.60 रु० से 40.00 रु० प्रति लिटर कर दी जाए। सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है तथा इस संबंध में जल्दी ही निर्णय लेने की आशा है।

7. इस बीच कुछ और घटनाएं भी घटी हैं। अन्तिम निर्णय लेते समय, उन्हें भी ध्यान में रखना होगा। ये इस प्रकार हैं:—

सब से पहले, पैट्रोल पम्पों की संख्या में वृद्धि की गति धीमी रखी गई है, जिस के परिणाम-स्वरूप प्रति पैट्रोल पम्प की औसत मासिक विक्रय दर जो कि 1962 में 15.7 किलोलिटर थी, 1972 में बढ़कर 17.14 किलोलिटर हो गई है जो कि 10.8 प्रतिशत वृद्धि है। हाई स्पीड डीजल आयल के लिये प्रति पम्प औसतन बिक्री 1962 में 20 किलोलिटर से बढ़कर 1972 में 30.8 किलोलिटर हो गई थी जो कि 54 प्रतिशत वृद्धि है। मिट्टी के तेल का हाई स्पीड डीजल आयल में परिवर्तन किया जाना वस्तुत समाप्त हो जाने से हमें आशा है कि हाई स्पीड डीजल आयल की प्रति पैट्रोल पम्प मासिक औसतन बिक्री बढ़कर 40 किलोलिटर हो जायेगी। जोकि 1962 की तुलना में 100% की वृद्धि होगी।

दूसरी बात यह है कि संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिये तथा विश्व भर में कच्चे तेल की सप्लाई की कठिन स्थिति हो जाने से, प्रतिवर्ष 612 पम्पों, जिसकी रिटेल आउटलेट कमेटी ने सिफारिश की थी, की तुलना में प्रतिवर्ष केवल 200 पैट्रोल पम्प स्थापित करने का निर्णय किया है। पैट्रोल पम्पों की संख्या में निर्बाध वृद्धि कुछ कम रही है। उदाहरण के तौर पर, 1971 में पैट्रोल पम्पों में केवल 161 की वृद्धि हुई है। 1972 में पैट्रोल पम्पों में केवल 174 की वृद्धि हुई है। वृद्धि की दर में काफी कमी हो जाने से प्रति पैट्रोल पम्प की औसतन बिक्री और बढ़ जाएगी।

तीसरी बात यह है कि हाई स्पीड डीजल आयल के विक्रय मूल्य कुछ घटा दिये गये हैं और उस सीमा तक पैट्रोल पम्प व्यापारियों की कार्य पूंजी संबंधी आवश्यकता सीमांततः घट गई है। दूसरी ओर, पैट्रोल के मूल्य बहुत बढ़ा दिये गये हैं और इस से पैट्रोल पम्प व्यापारियों की कार्य पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं।

चौथी बात यह है कि चूंकि पैट्रोल के मूल्य में वृद्धि इस की खपत में भारी कमी किये जाने के लिये की गई है, प्रत्येक पैट्रोल पम्प में पैट्रोल की बिक्री घट जायेगी।

अन्त में सरकार ने मिट्टी के तेल की वर्तमान पैट्रोल पम्पों के माध्यम से बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया है और इससे उनका समस्त लाभ बढ़ जायेगा।

8. एक के बाद एक ये सभी घटनाएं जल्दी जल्दी घटी हैं, पैट्रोल पम्प व्यापारियों की लाभ प्रदत्ता में इन के सम्मिलित प्रभाव का सही ढंग से मूल्यांकन करना आवश्यक है तथापि, सरकार एन० सी०ए०ई०आर० के प्रस्तावों पर विचार कर रही है और इन पर शीघ्र निर्णय ले लेगी, ताकि पैट्रोल पम्प व्यापारियों को कुछ राहत मिल जाए। अपेक्षित अतिरिक्त राहत की सीमा, यदि कोई हुई, का किये जा रहे लागत-अध्ययन से शीघ्र निर्धारण किया जायेगा।

9. इसी बीच, मैं पैट्रोल पम्प व्यापारियों से हड़ताल न करने अथवा अनाधिकृत सेवा-शुल्क न लेने की अपील करूंगा।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अखिल भारतीय पैट्रोल व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने व्यापारियों को हड़ताल न करने को कहा है।

श्री आर० के० सिन्हा : हड़ताल के टल जाने पर मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। परन्तु मेरा कहना यह है कि यह संकट अभी भी चल रहा है। पैट्रोल के काला बाजार में बिकने के भी समाचार हैं। हमारे देश में छोटे से संकट अथवा हड़ताल की आशंका के कारण कमी का वातावरण बन जाता है।

42 LSS/73—10

देश में लगभग 11,000 व्यापारी हैं। ये सभी मध्यम वर्ग के लोग हैं। यह भी सच है कि 1954 अथवा 1955 से उनकी कमीशन की दरों में परिवर्तन नहीं किया गया है। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि ये लोग समाज के कार्यों में विघ्न डालें। उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 3 से 6 प्रतिशत सेवा प्रभार लिये जाते हैं। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का लाभ उठा कर मैं पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री से यह अपील करना चाहता हूं कि पैट्रोल तथा इसके अन्य उत्पादों के विक्रय मूल्य सारे देश में समान होने चाहिये। सेवा प्रभार के रूप में जो कुछ लिया जाता है उसे व्यापारियों अथवा तेल कम्पनियों द्वारा आत्मसात किया जाना चाहिये। इसके लिये सरकार को कोई ऐसा फार्मूला तैयार करना चाहिये जो कि जनता के लिये भी उपयोगी हो और व्यापारियों के भी हित में हो। पैट्रोल एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। सरकार उसकी खपत को कम करने के लिये जो भी उपाय करे वे स्वागत योग्य हैं, क्योंकि ये आज राष्ट्रीय संकट ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय संकट भी है। हम सरकार से सहयोग करने को तत्पर हैं परन्तु समाज के किसी वर्ग को यह अवसर नहीं दिया जाना चाहिये कि वे समाज के कार्यों में विघ्न उपस्थित कर सकें।

आज देश में तोड़फोड़ का वातावरण व्याप्त है। दिल्ली के जल प्रदाय विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की। उसमें तोड़फोड़ की आशंका है। उत्तर प्रदेश में भी इंजीनियरों ने तोड़फोड़ की। इस सब की कोई सीमा होनी चाहिये। लोगों में कुछ तो उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिये। हमें यह बात समझनी चाहिये कि न्यायोचित मांग तो मानी जा सकती है उस पर बात-चीत भी हो सकती है परन्तु किसी को समाज के रास्ते में रोड़े अटकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कालाबाजारी के लिये व्यापारियों को चेतावनी दी जानी चाहिये। सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये।

श्री देव कान्त बरुआ : यह सच है कि कमीशन की दर 1954 अथवा 1955 से बढ़ाई नहीं गई है परन्तु यह भी तथ्य है कि व्यापार में काफी वृद्धि हो गई है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी कुल आय में वृद्धि नहीं हुई है। मैं इस बात से भी सहमत नहीं कि ये सभी व्यापारी मध्यम वर्ग के हैं। इनमें से बहुत से लोग उच्च व्यापारी वर्ग से हैं। मिट्टी के तेल और डीजल की कीमतों में अन्तर के कारण मिट्टी के तेल की कालाबाजारी होती थी। अब दोनों उत्पादों का मूल्य समान कर दिया गया है जिससे कि वह अवसर न मिल सके।

उन्हें अधिक लाभ नहीं दिया जा सकता परन्तु हम यह भी नहीं चाहते कि उन्हें हानि हो। अतः हमने यह मामला औद्योगिक लागत व्यरो को निर्देशित किया है। वास्तव में तेल मूल्य समिति ने इसे बढ़ाने की सिफारिश करके कहा था कि सेवा प्रभार भी कमीशन में आत्मसात किया जाना चाहिये और इसे उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाना चाहिये। मैं भी इससे सहमत हूं (**व्यवधान**)।

डा० कैलाश (बम्बई-दक्षिण) : कल जिस अन्तरिम सहायता की आपने घोषणा की क्या वह भी उपभोक्ताओं पर लाद दी जायेगी?

श्री देवकान्त बरुआ : हमने यह सुझाव दिया है कि इसे उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाना चाहिये।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): I have started doubting about the intentions of the Government. We are not to consider here whether the dealer belongs to the middle or the affluent class. Dealer is a dealer after all. The hon. Minister has himself agreed that there has not been any revision in the Commission since 1954-1955. This question has been considered by many Committees and now the hon. Minister has another Committee headed by Mr. Marathe. He has also referred to

the developments that have taken place in the meantime. It has also been stated by him that the Commission should not be increased. The Committee has suggested that service charges should be included in the Commission. It is not legalising the illegal collection of service charges? Instead of this, action should have been taken against the dealers for collecting service charges, unauthorisedly.

This Government has the habit of sleeping over things. It awakes only when there is some agitation. The rates of Commission were fixed in 1954-55. It should see what was the informal value of rupee at that time and what is the value to-day. Are they getting proportionate money to-day?

Government has stated that the price of kerosene has been increased and Petrol Pumps have been authorised to sell kerosene oil, so that they could increase their income. Government has also stopped increasing the number of Petrol Pumps. But on the other hand, use of Diesel is increasing in villages. If the number of Petrol Pumps is not increased, villages would be required to spend their time and money for purchasing Diesel. It will have its own impact. Most of the Pumps are situated outside the villages. So the villagers would be required to go to these Pumps in order to obtain kerosene oil for their use. It would not be feasible for them to do so.

Government has appointed Marathe Committee. May I know as to when it would arrive at any decision and whether the decision would be given retrospective effect ?

This whole burden should not be passed on to the consumer. But it appears that the Government do not hold this view. It has been observed by the hon. Prime Minister that "an ordinary consumer would have little incentive for economy, unless he pays the actual cost of the energy".

Shri D. K. Barooah : I had stated in the beginning that the price of Crude oil is reflected in prices of Petroleum Production and unless the consumer has to pay the true cost of consumption would not be reduced. There is a shortage of Crude oil in the world and it has to be met by reducing consumption.

Oil is a commodity different from foodgrains. There have been fast changes in the business of oil. Therefore, it is not possible to fix its prices in the manner in which prices of foodgrains are fixed.

There are rich as well as middle class people who own Petrol Pumps. The Government has also sanctioned 500 retail outlets to the families of wounded and killed Army Personnel. It has also been decided to sanction 25 per cent retail outlets to persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. All these are poor people and hence the Government has to see that the new dealers are made liable.

Permission has been given to Petrol Pumps to sell kerosene alongwith Petrol. This has been done in order to break the monopoly of kerosene dealers.

In our country 84 per cent Petroleum Dealers sell Diesel and Petrol. But the remaining 16 per cent sell only Petrol. The consumption of petrol has gone down by 25 per cent hence such dealers who sell only Petrol are running in loss. It is our duty to think about them. Government has decided to make arrangements for

selling Diesel in Villages as it is required more there. If Diesel is in short supply in villages it would affect the agriculture.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तलीचेरी) : वर्तमान स्थिति का कारण हाल ही का तेल संकट और सरकार की मल्य नीति है। वक्तव्य के अन्तिम भाग में सरकार ने बताया है कि विक्रेताओं की संख्या को घटाया जायेगा। परन्तु सरकार ने शायद इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया कि कमीशन की दर 1954-55 में नियत की गई थी और वही आज भी चल रही है। कई समितियों ने इस मामले की जांच की है और अनेक सुझाव दिये गये परन्तु उस दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। स्वयं सरकार ने स्वीकार किया है कि इसी अवधि में रुपये का मूल्य गिर कर 31 पैसे हुआ है। इससे स्पष्ट है कि विक्रेताओं की आय भी उनकी 1955 की आय से कम हुई है। अतः इस तथ्य पर गंभीरता से विचार किया जाये। दूसरे विक्रेताओं के बारे में सोचते हुए हम केवल दिल्ली तथा अन्य बड़े नगरों का ही सोचते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि छोटे-छोटे नगरों एवं गांवों में भी पेट्रोल पम्प हैं जो कि पेट्रोल की बिक्री पर निर्भर रहते हैं। पेट्रोल के बढ़ते हुए मूल्यों की दृष्टि से पेट्रोल पम्प उनके लिये भार बन गये हैं। सरकार की मूल्य नीति का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जवानों के परिवारों, बेरोजगारों इंजीनियरों आदि को पेट्रोल पम्प देने का उद्देश्य यह था कि वे इसे अपनी जीविका का साधन बना सकें। अन्यथा पेट्रोल पम्प उनके लिये व्यर्थ हैं। अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व मंत्रिमण्डल को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिये।

दिल्ली जैसे बड़े नगरों में पेट्रोल पम्प बड़े-बड़े व्यापारियों के हाथ में हैं। ये लोग बनावटी कमी पैदा करते हैं। डीजल तेल में मिलावट करते हैं, पेट्रोल में मिलावट करते हैं और यह सब अपने लाभ के लिये किया जा रहा है। लोगों को बताया जाता है कि कमी है और फिर उसे काले बाजार में बेचा जाता है। ऐसे लोगों के बारे में सरकार का क्या करने का विचार है? इनके प्रति कठोरता बरती जानी चाहिये। यदि आवश्यकता पड़े तो इस प्रकार के पेट्रोल पम्पों को सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये।

मंत्री महोदय को इस बात का भी स्पष्टीकरण करना चाहिये कि यदि कमीशन बढ़ाई गई तो क्या वह वृद्धि सरकार वहन करेगी अथवा उसे उपभोक्ताओं से ही वसूल किया जायेगा ?

श्री देवकान्त बरुआ : हमारी व्यापारियों के साथ सहानुभूति केवल इस कारण है कि पुराने व्यापारियों के साथ-साथ युवा शिक्षित व्यक्तियों एवं युद्ध में हुए शहीदों की विधवाओं तथा अपंग-जवानों आदि ने भी इस व्यापार को अपनाया है। अतः सरकार इस दृष्टि से भी इस मामले पर विचार कर रही है।

जहां तक पेट्रोल की कमी की बात है वह केवल पेट्रोल पम्पों द्वारा काम करना बन्द कर देने के कारण थी। काम प्रारम्भ करने के साथ ही यह कमी दूर हो जायेगी।

वास्तव में सब से बड़ी समस्या यह है कि पेट्रोल पम्पों पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बड़े-बड़े व्यापारियों का नियंत्रण है। जहां तक संभव हो सके इसे समाप्त करना है। जो व्यक्ति कदाचार करते हैं उनके सम्बन्ध में सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत रक्षा नियमों का उपयोग किया जायेगा।

यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कमीशन में की जाने वाली वृद्धि की राशि उपभोक्ताओं से वसूल की जायेगी अथवा उसे सरकार वहन करेगी। सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है।

Shri Chandu Lal Chandrakar (Purg): The distribution of petrol is a matter that requires serious consideration. The petrol filling stations are making enormous gains. It is for this reason that private owners are prepared to pay forty to fifty thousand by way of 'Pugree' for getting the dealership of a petrol pump. The hon. Minister is still keen to increase their commission. It appears that the Government is prepared to patronise those who are after making easy money. Indian oil company dealers are threatening to go on strike. The Government should take over the petrol pumps from them and allot them to those defence personnel who have been crippled during the war or to the survivors of those who gave their life.

There are some people who own from 30 to 40 petrol pumps. Why is it so? The Government should consider the matter seriously.

In the tribal areas like Bastar; petrol pumps have been allotted to outsiders instead of the local people. The Government should look into this matter.

Shri D. K. Barooah: Mr. Chairman, we agree that the petrol dealers should get due profit but there should not be any unlawful gain. We have accepted the recommendations of National Council of Applied Research in this regard.

A number of monopolists have their own ten to twenty petrol pumps in big cities in different names. We want that such petrol pumps should also be distributed to others.

Regarding the distribution policy of petrol pumps, the Government has a definite policy that they will be given to the families of those who have lost their lives in the war.

Recently Prime Minister has announced that twenty five per cent of the petrol pumps should be reserved for Scheduled Tribes and Scheduled Castes.

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

श्री शिव शंकर प्रसाद यादव, संसद सदस्य, की गिरफ्तारी और रिहाई की सूचना अध्यक्ष को न दिया जाना

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को सूचित करता हूं कि यहां श्री शिवशंकर प्रसाद यादव द्वारा की की गई शिकायत और श्री शिवशंकर प्रसाद यादव, संसद सदस्य, की गिरफ्तारी तथा रिहाई के बारे में मुझे सूचना न देने संबंधी विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में, जिसे श्री मधुलिमये ने 15 और 20 नवम्बर, 1973 को उठाना चाहा था, गृह मंत्रालय ने अध्यक्ष के नाम सब-डिवीजनल आफिसर खगड़िया से प्राप्त दिनांक 18 अक्तूबर, 1973 के तार की एक प्रति, जिसमें 18 अक्तूबर, 1973 को सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई के बारे में सूचना दी गई है, और बिहार सरकार से प्राप्त दिनांक 16 नवम्बर, 1973 के पत्र की एक प्रति, जिसमें 18 अक्तूबर, 1973 को उक्त तार भेजे जाने के संबंध में ब्योरा दिया गया है, भेजी है।

चूंकि मुझे संबंधित तार प्राप्त नहीं हुआ, अतः इस बारे में डाक-तार प्राधिकारियों से जांच पड़ताल की जा रही है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गनेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 की धारा 51 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1022 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 1455 दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5776/73]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 417 (ङ) और 418 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सा० नि० 487 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 5777/73]

वायुयान अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी कि ओर से वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाएँ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक -एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ ।

(1) वायुयान (छटा संशोधन) नियम, 1973 में भारत के राजपत्र, दिनांक 6 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1112 ये प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(2) वायुयान (पांचवां संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1113 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(3) वायुयान (सातवां संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1172 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

[ग्रंथालय में रख गये। देखिए संख्या एल० टी० 5778/73]

काफी बोर्ड सेवक (आचरण) संशोधन नियम 1973, काफी बोर्ड के वर्ष 1971-72 के प्रमाणित लेखे और इलायची बोर्ड के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का शुद्धि पत्र

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं

श्री ए० सी० जार्ज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ

(1) काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत काफी बोर्ड सेवक (आचरण) संशोधन नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1067 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5779/73]

(2) काफी बोर्ड के वर्ष 1971-72 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5780/73]

(3) इलायची बोर्ड के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन के शुद्धि पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) इलायची बोर्ड के वर्ष 1970-71 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के शुद्धि पत्र की एक प्रति।

[ग्रंथालय मे रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5781/73]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से 26 नवम्बर, 1973 को शुरु होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :–

(1) आज की कार्य-सूची में शेष सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार

(2) भारतीय रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973
(विचार तथा पास करना)

(3) निम्नलिखित विधेयकों पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार तथा पास करना:–

(I) प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1973, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(II) उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 1973

(III) बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973

(IV) नौसेना (संशोधन) विधेयक, 1973

(V) संघ लोक सेवा आयोग के बाईसवे, प्रतिवेदन पर चर्चा।

Shri Madhu Limye (Banka): Mr. Speaker, Sir, arrangements should be made for the circulation of the next week bulletin along with the Agenda.

अध्यक्ष महोदय : महासचिव ने मुझे बताया है कि कार्यक्रम सूचना कार्यालय में उपलब्ध है और माननीय सदस्य वहां से उसकी एक प्रति ले सकता है ?

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): The hon. Minister had stated that there had been no cut in Defence services but 11 thousand persons of Defence institutions are going to be retrenched. The hon. Minister should explain whether it is also a fact that twelve to thirteen thousand employees of F. C. I are also going to be retrenched, if so, the reasons therefor ?

The hon. Minister had assured that the Bill regarding Schedule Tribes and Schedule Castes would be introduced soon. When should we expect it now ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यदि कर्मचारी 25 नवम्बर को हड़ताल पर जाने की बात पर अड़े रहेंगे तो मामला बड़ा गम्भीर हो जाएगा मुझे आश्चर्य है कि मंत्री महोदय इसे गंभीरता से क्यों नही ले रहे। मेरा अनुरोध है कि नागर विमानन मंत्री इस संबध में वक्तव्य दें क्योंकि 25 नवम्बर को तालाबंदी हो रही है ।

हमने आपसे कई बार अनुरोध किया है कि आप विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्री को दिल्ली के श्री राम इंस्टीच्यूट के बंद होने के संबंध में वक्तव्य देने को कहें । मुझे बताया गया है कि मंत्री महोदय श्री चरत राम के दबाव के कारण वक्तव्य नहीं दे रहे । श्री भरत राम और श्री चरत राम सर श्री राम के सुपुत्र हैं । श्री राम इंस्टीच्यूट में 200 कर्मचारी हैं जिन में वैज्ञानिक भी शामिल हैं । अतः मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें ।

जनगणना विभाग के 500 कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि उन्हें वैकल्पिक रोजगार प्रदान किए जाऐंगे । एक जनवरी 1974 से यह लोग बेकार हो जाएंगे ।

भारतीय खाद्य विभाग के जो 1000 कर्मचारी बेकार हो गए हैं उसके बारे में भी मंत्री महोदय वक्तव्य दें ।

अन्त में मैं आप से वेतन आयोग के प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसमें किए गए सुधारों पर चर्चा की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं क्योंकि कर्मचारी 1 दिसम्बर, 1973 को वेतन नहीं लेगें। यह बड़ा गभीर मामला हैं ।

श्री पी०जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान पिलानी, राजस्थान के बिड़ला इंस्टीच्यूट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां की स्थिति अभी भी गम्भीर है।

14 नवम्बर को उपशिक्षा मंत्री ने सभा-पटल पर एक वक्तव्य रखा था पर वास्तविक स्थिति वह नहीं है जो उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि विधार्थियों ने कुछ मांगे रखीं और 6 घंटे के भीतर उत्तर मांगा और कहा अन्यथा वह हड़ताल कर देंगे। वस्तु स्थिति यह है कि विद्यार्थी यह मांगे काफी समय से कर रहे हैं और अन्त में उन्हें हड़ताल का हथियार अपनाना पड़ा। इनमें से कुछ विद्यार्थी अहमदाबाद के हैं जिनके जरिए मुझे पता लगा कि कुछ विधार्थी पुलिस बारदात में जख्मी हुए। वक्तव्य में विद्यार्थियों के जख्मी होने की बात नहीं बताई गई इससे केवल कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के जख्मी होने की बात कही गई हैं। समाचारपत्रों में निदेशक द्वारा कहा गया है कि

हड़ताल खत्म हो गई है और विद्यार्थी मान गए हैं पर असलियत यह है कि स्थिति अभी भी गंभीर है। अतः मंत्री महोदय सभी पहलुओं के संबंध में विस्तृत विवरण दें। इंडियन एयरलाइन्स का मामला बड़ा गम्भीर है। आज भी 28 उड़ाने रद्द हुई हैं। यदि तालाबंदी हो जाती है तो यह बड़े दुखः की बात है। इसमें यात्रियों की सुरक्षा का प्रश्न है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है अतः इस पर वक्तव्य ही नहीं अपितु चर्चा का भी समय दिया जाए।

इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन ने कहा है कि वह संघों के साथ कई समझौते समाप्त करने जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए नागर विमानन मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें।

श्री फूलचन्द वर्मा (उज्जैन) : मैं नियम 373 के अन्तर्गत अविलम्बनीय महत्व के निम्न विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

यह समाचार प्राप्त हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने एक सब-इंस्पैक्टर और सामाजिक कार्यकर्त्ता को स्थान्ततरण की धमकी दी है क्योंकि उन्होंने हरण की गई एक 11 वर्षीय कन्या का मामला जनता के समक्ष लाया। हिमाचल प्रदेश के सिरमूर जिले में सारहन के जगलों में इस लड़की को एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा, जो एक राजनीतिक व्यक्ति है और जिससे दो सौ रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है, ले जाया गया और वह इसे देवी दुर्गा का अवतार बता कर भोले-भाले ग्रामीणों को ठगता रहा तथा उनसे भेंट लेता रहा और इस लड़की के साथ उसने बलात्कार किया।

This news has appeared in the 'Hindustan Times' under the heading 'Harijan Devi who was raped'. The Government always assures us in the House that the Harijans' interest will be safeguarded but Government does nothing in this regard.

Whatever has been done to Kamlesh is heart-rending and tragic. She was concealed in the forest for three months and was outraged.

When the Sub-Inspector and a social worker Shri Dharam Singh Anand dared to recover her, they are being prosecuted on fabricated grounds. I request the hon. Minister to get this matter investigated by C.B.I. and a judicial probe be held.

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान पानी के बन्द हो जाने से उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज सुबह से शहर में पानी नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): We have no connection with this strike. We are against strikes. My party's name is being dragged. This is not fair, rather I wish that strict action should be taken against those who have gone on strike.

श्री एच० एन० मुकर्जी : यह कैसी सरकार है कि राजधानी में पानी नहीं मिल रहा है। मंत्री महोदय को इस बारे में कुछ कहना चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : केवल वक्तव्य देने से काम नहीं चलेगा। पानी की सप्लाई के लिए शीघ्र व्यवस्था की जाए।

श्री के० रघुरामैया : निश्चय ही यह गंभीर स्थिति है। मैंने अपने सहयोगी श्री मोहसिन को मामले की तुरन्त जांच करने को कहा है।

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक

DIRECT TAXES (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद, 'कि आयकर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने तथा कतिपय सम्बद्ध मामलों का उपबध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये', जो 14 नवम्बर, 1973 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद, 'कि आयकर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने तथा कतिपय सम्बद्ध मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये', जो 14 नवम्बर, 1973 को स्थागित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was Adopted.

सभा का कार्य —(जारी)

BUSINESS OF THE HOUSE (Contd.)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Speaker, Sir, when the matter relating to the death of an agitator in Aligarh Jail was raised, you had asked the Home Minister to make a statement, but so far nothing has been done.

श्री एफ० एच० मोहसिन: आज इस मामले पर राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया गया था। वक्तव्य मेरे पास तैयार है ।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना अनुसार, हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत में खरखोदा पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत रिढाड गांव के निवासी 86 वर्षीय जीऊवहद फ़कीरा, जिसे दिल्ली के एक न्यायधीश ने भारतीय दंडसंहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अपराधी पाया था तथा जिसे 3/4 नवम्बर, 1973 को अलीगढ़ जिला कारागार में स्थानान्तरित किया गया था, उसे प्रवेश के समय निरन्तर खांसी (क्रानिक ब्रोन्काईट्स) तथा दमा का रोगी पाया गया था । उसका स्वास्थ्य भी बहुत कमज़ोर था परन्तु जेल अधिकारियों को उसके शरीर पर किसी चोट आदि के निशान नहीं मिले थे। बाद में जांच से पता चला कि उसे क्षय रोग है और इसलिये उसका विधिवत् इलाज आरम्भ किया गया तथा बाद में उसे सदर अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया। परन्तु 10 नवम्बर, 1973 के प्रातः 9-30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्योपरान्त चिकित्सा जांच से उसकी मृत्यु हृदय की श्वास-व्यवस्था बन्द हो जाने के कारण हुई पाई गई । उसके निधन की सूचना तार द्वारा

उसके निवास-स्थान पर उसके परिवार को सीध ही तथा जिला मजिस्ट्रेट तथा सोनीपत पुलिस सुपरिटेंडेंट के माध्यम से दी गई परन्तु अब 11 नवम्बर, 1973 के सायं 6 बजे तक भी किसी ने उसके परिवार के किसी सदस्य ने उसके शव को प्राप्त नहीं किया तो जेल अधिकारियों ने उसका दाह-संस्कार कर दिया।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha adjourned for lunch till fifteen minutes past fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर उन्नीस मिनट पर पुनः समवेत् हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at ninteen minutes past fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री सोमनाथ चटर्जी (वर्दवान) : मैंने नियम 377 के अधीन एक सूचना दी थी और क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने कुछ अन्य मामले ले लिये थे इसलिये मैं अपने नियम पर नहीं बोल सका था। अब मैं केवल एक मिनट ही लूंगा।

कलकत्ता के समाचार पत्रों में छपा है कि भारतीय खाद्य निगम के कोसीपुर स्थित गोदाम में चीनी के 800,000 बोरे नष्ट हो गये हैं। इन बोरों का मूल्य 6½ लाख रुपये हैं । 1½ लाख रुपये मूल्य की दाल भी मानव भोजन के योग्य नहीं रह गई हैं और यही हाल गेहूं तथा चावल का हो रहा है । जब देश में खाद्यानों तथा आवश्यक पदार्थों की इतनी कमी है तो सरकार को ऐसे मामलों की तुरन्त जांच करनी चाहिये, सही स्थिति का पता लगाना चाहिय और मंत्री महोदय यहां इस बारे में वक्तव्य दें।

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक—जारी

DIRECT TAXES (AMENDMENT) BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधयेक के विपय में प्रथम पाठ के समय मंत्री महोदय ने उस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने स्वीकार किया था और अब सरकार की ओर से इस संबंध में एक संशोधन पेश किया गया है। श्री सेझियान आपको कुछ कहना है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने मेरा सुझाव स्वीकार कर लिया है। अब मैं अपने प्रस्ताव पर जोर नहीं दूंगा परन्तु यह ज़रूर कहूंगा कि सरकार को चाहिये कि वह महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव भी तैयार करके लाया करे। अब मैं सभा से अपने प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति मांगता हूं :

सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया

The Motion was, by leave of the House, withdrawn.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि आयकर अधिनियम, 1961, धन कर अधिनियम, 1957 दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने तथा कतिपय सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 30 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री भगवती झा आजाद

(2) श्री ओंकार लाल बेरवा

(3) श्री रघुनन्दन लाल भाटिया

(4) श्री एम० भीष्म देव

(5) श्री जी० भुवाराहन

(6) श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट

(7) श्री सोमनाथ चटर्जी

(8) श्री यशवंतराव चव्हाण

(9) श्री एस० आर० दामाणी

(10) श्री बी०के० दासचौधरी

(11) श्री डी० डी० देसाई

(12) श्रीमती मारजोरी गाडफ्रे

(13) श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

(14) श्री समर गुह

(15) श्री श्याम सुन्दर महापात्र

(16) श्री कार्तिक उरांव

(17) श्री डी० के० पंडा

(18) श्री एच० एम० पटेल

(19) श्री रामजी राम

(20) श्री एन० के० पी० माल्वे

(21) श्री एन० के० सांघी

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि आयकर अधिनियम, 1961 धन कर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने तथा कपितय सम्बद्ध मामलों का उपवन्ध करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 30 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री भागवत झा आजाद

(2) श्री ओंकार लाल बेरवा

(3) श्री रघुनन्दन लाल भाटिया

(4) श्री एम० भीष्म देव

(5) श्री जी० भुवाराहन

(6) श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट

(7) श्री सोमनाथ चटर्जी

(8) श्री यशवन्तराव चव्हाण

(9) श्री एस० आर० दामाणी

(10) श्री बी० के० दासचौधरी

(11) श्री डी० डी० देसाई

(12) श्रीमती मारजोरी गाडफ्रे

(13) श्री दिनेश चन्द गोस्वामी

(14) श्री समर गुह

(15) श्री श्याम सुन्दर महापात्र

(16) श्री कार्तिक उरांव

(17) श्री डी० के० पंडा

(18) श्री एच० एम० पटेल

(19) श्री रामजी राम

(20) श्री एन० के० पी० साल्वे

(31) श्री एन० के० सांघी

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव––(जारी)

Motion Re: Annual Reports of University Grants Commission—(Contd.)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रो० एस० नुरुल हसन द्वारा 19 नवम्बर, 1973 द्वारा प्रस्तुत निम्न-लिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे :—

"कि यह सभा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदनों, जोकि क्रमश: 1 जून 1972 तथा 13 अगस्त, 1973 को सभापटल पर रखे गये थे, पर विचार करती है।"

श्री अनन्त प्रसाद धूसिया बोल रहे थे। वह अपना भाषण जारी करें।

Shri Anant Singh Dhusia (Basti): On 20th last I was referring to West German professors who, when posted to a University, continue to remain there throughout their service and do not rush up to other places out of greed. That is why that country has made exemplary progress in science and technology becouse of their devoted professors. In India, however, the things are reverse. We are not at all short of expert advice but the Commission has not taken up the aspect seriously, otherwise the position would have not been such. In big colleges students' unions have been dominating in our universities and there is an involvement of lakhs of rupees and that of big political leaderships for the elections

to these unions. Political parties back respective factions of the student folk and that is the reason for litigations, demonstrations and firing at many places. There has been a steep rise in the number of demonstrations and movements including violent ones, since 1964. Teachers, professors, students and management all are found involved therein. Similarly degree colleges and universities too are haunted and dominated by the politicians who are controlling almost all the affairs therein. It is not that the Scholars teach but contrary to that politicians are teaching the Scholars.

I urge upon the U.G.C. to stop all that otherwise our education would go worse.

Shri Ram Shekar Prasad Singh (Chhapara): Many scholarly educationist took part and gave them wise and expert opinion during this debate on the Report of University Grants Commission but I would offer what the common people and guardians desire of the U.G.C.

It is very true that number of Universities in the country has increased after Independence and in the recent ten years; and the number of colleges has also gone up three or four times, but the standard of our education has been declining ever since. As regards efficiency and ability, a ten years old graduate is far matured than that of today.

It is also a fact that for education is spreading and propagation is the responsibility of the State Government's but the Central Government too is to answer for their performance in at least Central Universities. They have not yet been able to set up an ideal university—a model university—which could be a source of inspiration for others.

Here I would like to mention the two great universities, *viz.* Aligarh Muslim University and Kanshi Hindu Vishwavidyalaya, both of whom were founded by greatmen. They had certain specific aims and goals for these big establishments but today, those aims and goals are being neglected.

Government's activeness in granting an amendment in regard to the affairs of Aligarh Muslim University does show that they neither want to change the historical set up nor do they want to interfere into the economic autonomy of this University. The Government as well as the Education Minister must be congratulated for the sacred spirit under which the above mentioned amendment was acceeded to. The hon. Education Minister is an educationist and I am sure he would spare no efforts for the all-round development of this great educational institution.

Similar is the case of Kanshi (Banaras) Hindu Vishwavidyalaya but different sections of people term the status of the University in different manner *viz.* some say that it is a regional versity and some say that it is communal establishment etc. But this institution was set up by Pt. Madan Mohan Malaviya, before Independence when none of us had ever thought of any University being termed as regional institution or a communal one. Big national leaders have been associated with this institutions and its aim has been to send out devoted patroits for the nation who could make the country progressive and prosperous.

Recommendations for opening two post graduate study centres in Bihar University were made to the University Grants Commission. Whereas Darbhanga has been provided with a University, Chhapara, the birth place of our revered President of India Late Dr. Rajendra Prasad has been left neglected since Independence. What to speak of having a University there, not even a post graduate college could be established. Records of the U.G.C. do not show that adequate money has been provided for or spent on such backward areas, where education has not been enough propagated. I think only those people get benefited who have got approach to the U.G.C.

Education does not mean only to cater for literary or linguistic knowledge, but also to prepare characterful citizens and for that we should have such characterful teachers also to follow and to honour and respect. But the situation is reverse. Teachers and professors are interested more in politics than in teaching, some professors have become the MLAs even drawing salaries, T.A. etc. from both sides. To me this is an immoral action. Therefore, we should have a committee of learned and expert people to look into such things and advice the Government.

You want to base the spread of education on the pattern of socialism whereas affluent people are running the educational institutions on commercial basis where the children of only the affluent people can get education and not those of poor folk. You should endeavour to secure equal occasions for all the people without any sort of discriminations.

I haven't got the experience as a scholar and have submitted the instances which I have personally come across. I hope the hon. Minister would consider these points and would, on the occasion of answering for the Demands for Grants, reply to those points.

प्रो० मधु दण्डवते : एक विश्वविद्यालय अध्यापक होने के नाते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1970-71 एवम् 1971-72 के प्रतिवेदनों पर चर्चा में मैं बहुत रुचि रखता हूं जिनमें विश्वविद्यालय को अनुदान, अग्रिम शिक्षा केन्द्र, कालेजों को सहायता, छात्र तथा अध्यापकों के कार्यक्रमों आदि का समावेश है ।

प्रतिवेदनों के अनुसार प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि होती है तथा मंत्रालय की आशा के अनुसार अगले पांच वर्षों में 16 लाख छात्र विश्वविद्यालयों में पहुंचेंगे । यह वृद्धि जोकि तथ्यपूर्ण है, वस्तुतः अत्यन्त असंतुलित है ।

विश्वविद्यालयों का जीवन नगरीय तथा मुफसिल केन्द्रों—इन दो भागों में बटा हुआ है । आज नगरीय क्षेत्रों में तो विश्वविद्यालयों के विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालय सर्वथा उपेक्षित हैं । शैक्षिक क्षेत्र में इस असन्तुलन को समाप्त किया जाना चाहिये । कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के विश्वविद्यालय बहुत बड़े केन्द्र हैं, जहां अत्यंत ही बड़ी संख्या में छात्र हैं जिसकी वजह से अनुशासनहीनता की समस्या भी खड़ी होती रहती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालय में छात्रों के लिये पर्याप्त आवास तथा अन्य सुविधाएं भी नहीं हैं । यह असंतुलन पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिये ।

इसलिये आवश्यकता इसे बात की है कि हमारे सभी विश्वविद्यालयों का विस्तार, उनका आकार तथा उनमें सुविधाएं सभी न्यायोचित आधार पर किये जायें।

आज छात्र और अध्यापक के मध्य कोई प्रभावी सहयोग नहीं है जिसके कारण ही अनुशासनहीनता बढ़ती है। यहां सभा में अनेकों बार छात्र-अनुशासनहीनता पर चर्चा होती है। मैं अपने जीवन के 25 वर्षों के मूल्यवान अनुभव के आधार पर यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि छात्र यह अनुभव करें कि अध्यापक तहे दिल से, सच्चे हृदय से उनके सामने विषय का प्रतिपादन करने का प्रयास कर रहा है—भले ही उसके पास समुचित अभिव्यक्ति कला तथा सुविधाएं नहीं हैं, तो भी छात्र पूरी तन्मयता के साथ उक्त पाठ का मनन करने को उद्यत हो जाते हैं, अध्यापक बात पर एकाग्रचित होकर ध्यान देते हैं, और अनुशासनहीनता नहीं हो पाती। यह तथाकथित अनुशासनहीनता विश्वविद्यालय-क्षेत्र के आंतिरक मामलों को लेकर पैदा होती है। छात्र की अत्यधिक संख्या, अपर्याप्त होस्टल सुविधाएं, एक-एक कक्षा में छात्रों की बहुत बड़ी संख्या होना, छात्रों तथा अध्यापकों के मध्य समुचित सहयोग तथा प्रेम-भाव न होना यह सब अनुशासनहीनता के जन्मदाता कारण हैं। रूस तथा अमरीका जैसे देशों में छात्रों तथा अध्यापकों के मध्य यथोचित समझ-बूझ के फलस्वरूप छात्रों को अनुसंधान प्रवृत्ति का बड़ा विकास होता है, उसके लिये वहां बड़ा अच्छा वातावरण पैदा होता है।

आपको यह जानकर हैरत होगी कि अमरीका तथा रूस जैसे देशों में अध्यापकों के लिये पदोन्नति का आधार केवल सेवा में वरिष्ठता नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं तथा यह विश्वास रखता हूं कि कभी-कभी एक नवयुवक किसी वरिष्ठ वयोवृद्ध से कहीं अधिक कार्य-कुशल होता है।

अन्य देशों के कुछ विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रश्नावलियां वितरित की जाती हैं जिनमें उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें आध्यापकों से उचित मार्गदर्शन मिलता है। इसी आधार पर आध्यापकों की पदोन्नतियां की जाती हैं। विद्यार्थियों में भी यह भावना आती है कि विश्वविद्यालय के क्रिया-कलापों में उनसे परामर्श लिया जा रहा है।

प्रतिवेदन में परीक्षा सुधार के बारे में भी कहा गया है। अप्रैल, 1969 के आरम्भ में विश्व-विद्यालयों के उप-कुलपतियों के सम्मेलन में भी परीक्षा सुधार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थीं। इस प्रतिवेदन में पाठ्य-पुस्तकों को नए रूप दिए जाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उदाहरण के लिए पाठ्य-पुस्तकों द्वारा इतिहास को बहुत ही पक्षपातपूर्ण तरीके से पढ़ाया जाता है। इतिहास केवल व्यक्तियों की बहादुरी और वीरता से संबंधित है। इतिहास की ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सर्वथा उपेक्षा की गई है। विश्वविद्यालय स्तर पर इतिहास की मुश्किल से ही ऐसी कोई पुस्तक होगी जिसमें इतिहास के उद्देश्यों तथा उसके प्रति वैज्ञानिक विश्लेषण पर जोर दिया गया है। वस्तुतः इन पुस्तकों में इतिहास का सैद्धान्तिक विवेचन नहीं के बराबर है। केवल इसमें यही पढ़ाया जाता है कि अमुक-अमुक व्यक्तियों ने क्या कार्य किए हैं तथा उनकी क्या उपलब्धियां तथा असफलताएं हैं। इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों को पूर्ण रूप से नए सिरे से लिखने की आवश्यकता है। यह काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वयं करना चाहिए।

मैं इस बात को जोर देकर कहूंगा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्य विवरणों में काफी सीमा तक एकरूपता होनी चाहिए। आज अध्यापकों और विद्यार्थियों में एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्व-विद्यालय में आने-जाने के मार्ग में जो कठिनाई उपस्थित होती है वह पाठ्य विवरणों में एकरूपता न होने के कारण भी है।

विश्वविद्यालय के पाठ्य विवरणों में एकरूपता होने से विद्यार्थी को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जाने से अपने शैक्षिक स्तर को बनाए रखने में आसानी होगी ।

शिक्षा के माध्यम के बारे में कुछ लोगों का विचार है कि इसका माध्यम अंग्रेजी रहना चाहिए । मेरा अपना विचार है कि साहित्य में शब्दों में जरा से अन्तर से पूरा अर्थ बदल जाता है परन्तु विज्ञान में भाषा प्रतीकों का रूप धारण कर लेती है । इसलिए विज्ञान का प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिंदी जैसी राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाना अपेक्षाकृत सरल है ।

कुछ लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालयों में भाषा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को जारी रखा जाए जबकि अन्य लोग प्रादेशिक भाषाओं को अपनाने के पक्ष में हैं, मेरे विचार में सभी भारतीय भाषाओं को महत्व दिया जाना चाहिए, एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में आने-जाने की सुविधाजनक बनाने के लिए प्रादेशिक भाषाओं के स्थान पर हिन्दुस्तानी अथवा हिंदी भाषा अपनाई जानी चाहिए । दक्षिण भारत के राज्यों में ऐसा करने से कठिनाई उत्पन्न हो सकती है परन्तु उत्तर के राज्यों के विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषाओं के स्थान पर हिन्दुस्तानी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है ।

स्कूल स्तर तक प्रादेशिक भाषाएं चल सकती हैं परन्तु विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम यथासंभव एक भाषा होनी चाहिए, चाहे यह भाषा हिन्दी ही अपनाई जाये, दक्षिण में अंग्रेजी या उनकी प्रादेशिक भाषाएं अपनाई जा सकती हैं, भाषा के प्रश्न पर मैं एक देश और दो भाषाओं का हिमायती हूं ।

यदि हमारे देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना है तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में और अधिक धन व्यय करें । दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र में कुल राष्ट्रीय आय का केवल 0.5 प्रतिशत व्यय किया जाता है, इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए । अन्त में मेरा अनुरोध है कि भारत के महान भौतिक शास्त्री प्रोफेसर बोस, जिसने अपने जीवन के 80 वर्ष पूरे किए हैं, का सम्मान किया जाना चाहिए । उन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर आंकड़ों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था । उनको स्थायी रूप से प्रोफेसर का पद दिया जाना चाहिए । यदि हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करते हैं तो इससे शिक्षा का स्तर सुधारने में मदद मिलेगी ।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : शिक्षा का एक उद्देश्य मानव को अपनी दैनिक आजीविका अर्जित करने के लिए तैयार करना है, परन्तु यह समूचा उद्देश्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव को इस योग्य बनाना है कि वह देश में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन कर सके, आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें शिक्षित तथा युवा वर्ग देश में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन ला सकें ।

समूची शिक्षा व्यवस्था को देखने से पता चलेगा कि हम इस मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहे हैं, यहां तक कि शैक्षणिक व्यवस्था के सीमित उद्देश्य को भी हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। ऐसा सुझाव दिया गया था कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को पांच वर्ष तक के लिए समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था युवा वर्ग को कुछ भी देने में असमर्थ रही है और इसीलिए उन्हें स्कूलों तथा कालेजों में अध्ययन कार्य जारी रखने को कहने में कोई लाभ नहीं है । इसका कारण उनके मन में भविष्य

के प्रति विश्वास का न होना है। एक नई शिक्षा पद्धति अपनाने से युवा वर्ग जीवन की चुनौतियों का सामना विश्वास के साथ कर सकेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के 26 वर्ष के पश्चात भी शिक्षा व्यवस्था युवा वर्ग को अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई है।

हम आज धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद आदि की बातें करते हैं परन्तु क्या हमारी पाठ्य पुस्तकों में इनकी सही अर्थों की व्यवस्था की गई है? आज का विद्यार्थी इनके अर्थों से अनभिज्ञ है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना वक्तव्य अगले सत्र में जारी रख सकते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOURCES

33वां प्रतिवेदन

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् (थंजावूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 33वें प्रतिवेदन से, जो 21 नवम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 33वें प्रतिवेदन से, जो 21 नवम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सरकार द्वारा त्यागपत्र देने की परम्परा डाले जाने के प्रस्ताव के बारे में

RESOLUTION RE: ESTABLISHMENT OF CONVENTION WHEN GOVERNMENT SHOULD RESIGN—CONTD.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय): देश की स्थिति में विरोधाभास होने के कई कारण हैं। एक ओर तो बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक तथा सामाजिक असमानताएं स्थिति को विस्फोटक बना रही हैं तो दूसरी ओर राजनीतिक स्थिति भी निराशाजनक है। मेरे संकल्प में राष्ट्रीय आय में 7 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की गई है तथा तदनुसार औद्योगिक और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि का आवाह्न किया गया है। यह भी मांग की गई है कि रोज़गार के अवसरों में वृद्धि की जाए तथा निर्धन व्यक्तियों के साथ न्याय किया जाये। परन्तु देश की स्थिति ऐसी है जिसमें हम आशावान नहीं हो सक रहे हैं। वातावरण निश्चय ही योजना के प्रतिकूल है। यही कारण है कि वर्ष 1966-67 से हम योजना अवकाश मना रहे हैं। परन्तु फिर भी हम अपना लक्ष्य ऊंचा रखने की बात करते हैं।

यदि मेरे संकल्प में उल्लिखित बातों को पूरा नहीं किया गया तो इसका परिणाम बुरा ही होगा। योजनाओं पर से विश्वास हटता जा रहा है और हम फिर भी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ऊंचा लक्ष्य रखने की बात करते हैं, ऐसी बातें सरकार से सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं जबकि वह चौथी योजना को सफलतापूर्वक कार्यरूप देने में असफल रही है। क्या इसका कारण दोषपूर्ण नियोजन है अथवा इसके क्रियान्वयन में शिथिलता है?

नियोजन में हम कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिसे प्राप्त करने के लिए सरकार और जनता प्रयास करती है। यदि हम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास न करें तो नियोजन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यदि हम यथापूर्व स्थिति को बदलना चाहते हैं तो सरकार और जनता द्वारा अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य अवास्तविक और अविवेकपूर्ण नहीं हैं।

यदि हम अन्य देशों के साथ तुलना करें तो यह पायेंगे कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे उनसे कम हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजनाओं की असफलता उसके लक्ष्यों का अवास्तविक होना है। मेरे विचार में इस असफलता का कारण राजनीतिक स्तर पर वर्तमान है, राजनीतिक स्तर से मेरा तात्पर्य राजनीतिक नेतृत्व से है जिसे इस सरकार ने प्रदान किया है। सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह ऐसा राजनीतिक नेतृत्व दे जो पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सके। यदि सरकार ऐसा करने में असफल रहती है, तो वह अपने कर्त्तव्य से चूक रही है।

यदि सरकार राष्ट्रीय योजना को स्वीकार करती है तो इसका तात्पर्य उसमें उल्लिखित लक्ष्यों को स्वीकार्य किया जाना है। सरकार यदि इन लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रहती है तो उसका सत्तारूढ़ बने रहने का कोई नैतिक औचित्य नहीं है। मेरे संकल्प का उद्देश्य यह है कि यदि सरकार योजना में निहित लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहती है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए।

माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि मैंने कुछ लक्ष्य अधिक ऊंचे रखे हैं। उदाहरण के लिए मैंने राष्ट्रीय आय में साल प्रतिशत वृद्धि की बात कही है। यह कहा जा सकता है कि जब हम योजना के इन वर्षों में राष्ट्रीय आय में चार प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने में असफल रहे हैं तो राष्ट्रीय आय में सात प्रतिशत की वृद्धि की आशा कैसे कर सकते हैं। आर्थिक नियोजन का विद्यार्थी जानता है कि हम 18–19 वर्षों में से 8–9 वर्ष राष्ट्रीय आय में 6.9 अथवा 7 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने में सफल रहे थे। जब यह वस्तु तथ्य है तो क्यों नहीं हम भविष्य में यह वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 7 प्रतिशत राष्ट्रीय आय की प्राप्ति के बिना जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में सम्माननीय स्थान को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी जो देश अपने सकल राष्ट्रीय आय में अपेक्षित वृद्धि करने में असफल रहे हैं, उन्हें भी अन्य बड़े देशों पर आश्रित होना पड़ रहा है। यदि हम भारतीय स्थिति को अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते हैं तो हम देश के नागरिक की हैसियत से अपने कर्त्तव्य पालन से विमुख हो रहे हैं।

राष्ट्रीय आय में 7 प्रतिशत की वृद्धि इसलिए भी आवश्यक हो जाती है क्योंकि हमें अपने स्तर को विश्व के समृद्ध देशों के जीवन स्तर के बराबर लाना है। यहां की जनता का जीवन स्तर बहुत गिरा हुआ है। 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की दर से हम अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। देश की जनता यह जानना चाहती है कि हम कब तक अपना जीवन स्तर समृद्धिशाली देशों के जीवन स्तर के बराबर ला सकेंगे।

यदि राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि से केवल सम्पन्न वर्ग को लाभ पहुंचता है तो इससे सामाजिक न्याय को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने इस बात पर जोर दिया है कि बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय का बराबर वितरण होना चाहिए। इसके लिए निर्धनता स्तर से नीचे वाले वर्ग की आय में सात प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होनी चाहिए, तभी देश में निर्धनता का उन्मूलन किया जा सकता है।

42 LSS/73—12

राष्ट्रीय आय का समुचित वितरण हम रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर कर सकते हैं। रोजगार के अवसरों और कुशलता के बढ़ने से निर्धनता के स्तर के नीचे रहने वाले करोड़ों लोगों की आय बढ़ेगी। इसलिए मेरे संकल्प में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयत्न करने चाहियें ताकि प्रतिवर्ष बढ़ने वाली श्रमशक्ति के लिये रोजगार पैदा हो सके। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बेरोजगारी के कारण जनता में असंतोष धीरे-धीरे पनपता है जो किसी भी समय विस्फोटक रूप धारण कर सकता है। देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और यदि हमने समय रहते स्थिति को नहीं सुधारा तो यह बेकाबू हो जाएगी।

प्रतिवर्ष जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि की अपेक्षा है 1971-81 के दौरान जनसंख्या के 25 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। अर्थात वर्ष 1981 तक 3 करोड़ 75 लाख लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस उद्देश्य के लिये प्रतिवर्ष 35 लाख रोजगार पैदा करने होंगे। यदि गैर-कृषि क्षेत्र में इनको खपाना है तो इस क्षेत्र में रोजगार प्रति वर्ष 6.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ाये जाने की आवश्यकता है परन्तु वस्तुतः यह केवल 3.6 प्रतिशत है, इसके अतिरिक्त असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों को भी इसमें खपाये जाने की आवश्यकता है। इसलिये कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योगों में रोजगार के और अधिक अवसर बढ़ाये जाने चाहिये कृषि क्षेत्र में भी ऐसा किये जाने की आवश्यकता है। यदि बेरोजगार व्यक्तियों को संगठित और यौगिक क्षेत्र में खपाना है तो इसमें रोजगार के अवसर 11.6 प्रतिशत की दर से बढ़ाये जाने चाहिये।

कृषि क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि से जनता की आय में वृद्धि होगी। इसलिए इसमें उत्पादन में वृद्धि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से होनी चाहिये। अभी यह दर केवल 3 प्रतिशत के आस-पास है।

कृषि के क्षेत्र में नई विधियों को अपना कर तथा सरकार के प्रोत्साहन से उत्पादन में वृद्धि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से की जा सकती है। चूंकि देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या इसमें लगी है इसलिये उनकी आय में वृद्धि करने के लिये यह लक्ष्य सर्वोत्तम है।

संकल्प में औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि का सुझाव दिया गया है। 1958-1965 तक औद्योगिक लक्ष्य में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जबकि वर्ष 1965 से हम पीछे रहे हैं। यह लक्ष्य प्राप्त करना अधिक कठिन नहीं है। यदि हम औद्योगिक उत्पादनों में 10 प्रतिशत एवं कृषि उत्पादन में 5 प्रतिशत वृद्धि कर पाते हैं तो समग्र रूप से 7 प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी। योजना के 18-19 वर्षों में ही 9 वर्ष हम लक्ष्यों को प्राप्त कर पाये थे।

विश्व के आयोजित योजना वाले देशों में यदि कोई व्यक्ति अथवा मंत्री विफल रहता है, तो उसे पद त्यागना पड़ता है।

रूस में भी लक्ष्यों की पूर्ति न किये जाने के कारण मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा है। हमारे देश में लक्ष्य प्राप्त हो अथवा न हो, मंत्री लोग अपने पदों पर बने रहते हैं। इस स्थिति को बदला जाना चाहिए।

सरकार उच्चतम न्यायालय के समक्ष निदेशक सिद्धान्तों को मूलभूत सिद्धान्तों के समान ही नहीं बल्कि अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की चेष्टा करती है। भारत के गरीब लोगों के लिये हम 15 वर्षों में यह मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाये हैं।

निदेशक सिद्धान्त पर सरकार को निदेश देते हैं कि खाद्य, निवास और नौकरियां लोगों को दी जायें। यदि सरकार इसमें विफल रहती है तो यह अपनी प्राथमिक उत्तरदायित्व में विफल रहती है। यदि देश के हालात इसी प्रकार बिगड़ते गये तो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त बिगड़ जायेगी।

इन शब्दों के साथ म संकल्प को सभा में रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि एक ऐसी परिपाटी की स्थापना की जाये कि यदि सरकार निम्नलिखित आधारभूत कार्यक्रम पूरा न कर सके तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये :

(एक) राष्ट्रीय आय में 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि ;

(दो) गरीबी स्तर से नीचे के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि ;

(तीन) कृषि उत्पादन में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि ;

(चार) औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि ;

(पांच) वार्षिक मूल्य वृद्धि को 5 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखना ; और

(छः) रोजगार के अवसरों में कम से कम उतनी वृद्धि करना जो श्रमिकों की संख्या में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि के अनुरूप हो।"

श्री आर० पी० बड़े (खरगोन): मैं अपने संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dansa) : I oppose this Resolution. Though the Resolution has been prepared in appealing language but the motive of the mover is mere political. This resolution indicates the atmosphere of frustration prevailing in the country.

The persons elected by the people have a responsibility towards the people. The people have a right to reject them in next elections.

Five elections have been held in this country and it has been revealed that the elections were impartial and people took interest in them.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

[Shri K. N. Tiwari in the Chair.]

If we have faith in the power of the people then there is no need to put up such resolutions. There is no second opinion that the conditions of agricultural labour should improve, the small industries should develop and that there should be repid industrialisation. Such matters can be discussed while discussing Five year Plans.

There were several other countries that were liberated along with India but their democratic systems have failed. In India quite a lot has been done in the last 25 years. Still we are on with the job of development.

Over opposition members formed 4 party alliance in order to overthrow the Government but failed. They may make similar other attempts. This type of resolution should take form of their election manifesto. A Government cannot be forced to resign by this kind of resolutions.

The hon. Member should give a re-thinking in the matter.

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : शासक दल को हर बात में राजनीतिक उद्देश्य नजर आता है। अविश्वास प्रस्ताव को भी ऐसी ही संज्ञा दी गयी थी। कोई हड़ताल या बन्द होता है तो उसे भी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बना दिया जाता है। संभवत: उनके पास इस प्रकार के संकल्पों के विरुद्ध और कोई तर्क नहीं है।

अच्छा होता यदि श्री श्याम नन्दन मिश्र ने संविधान संशोधन विधेयक पेश किया होता क्योंकि शासक दल का परम्पराओं में विश्वास नहीं है।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता प्राप्त करने के लिये आश्वासन दिये जाते हैं। 'गरीबी हटाओ' में कहां तक कार्य हुआ है ? हम अपने वचन का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। 4½ वर्ष इस प्रकार चलता है और फिर अपने चुनाव के लिये कोई अन्य वचन दे दिया जाता है ।

इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव से पूर्व उर्वरक, सीमेंट आदि उपलब्ध कर दिये गये हैं। ऐसी व्यवस्था अनुचित है।

मिश्र जी के संकल्प में कोई ऐसी बात नही है जो किसी भी सरकार की पहुंच के बाहर की बात हो। स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने कई योजनायों के लक्ष्य निर्धारित किये । प्रश्न यही है कि लक्ष्य निर्धारित तो किये जाते हैं प्राप्त नहीं किये जाते। सरकार की इस विफलता पर जनता का क्या उत्तरदायित्व है ? पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने जनता की कठिनाइयों का समाधान किया है कि उसे पांच वर्ष प्रतीक्षा करनी चाहिये बीच में आन्दोलन नहीं करने चाहिये। विचित्र तर्क है। संकल्प में कोई भी बात पहुंच से बाहर हो, ऐसा नहीं है। सदा यही कहा जाता है कि उनके साथ व्यापक बहुमत है। तो क्या बहुमत के रहते उनको आश्वासनों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है ?

सरकार को इस संकल्प की भावना का स्वागत करना चाहिये था और यदि वे जनता कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ नहीं हैं तो उन्हें स्वत: ही त्याग पत्र दे देना चाहिये।

मेरे राज्य में 1972 के चुनाव के दौरान एक लाख नये रोजगारों का वचन दिया गया था। परन्तु 40,000 पदों की व्यवस्था करके भी एक भी पद भरा नहीं गया। 17000 पदों के लिये 15 लाख युवकों से 22½ लाख रुपया एकत्र किये गये और अभी तक एक भी पद किसी को दिया नहीं गया ।

हमारे संविधान में निर्वाचित सदस्यों को वापस बुलाए जाने एवं जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अभाव में यदि सरकार अपने ही बनाये लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य नहीं करती, तो वह जनता के साथ खिलवाड़ करती है।

मैं इस संकल्प की भावना का समर्थन करता हूं और शासक दल से इसे स्वीकार करने का आग्रह करता हूं।

Shri Chandulal Chandraker (Durg): Probably the mover has forgotten the discussion on 'No confidence motion' and discussions on the Planning Ministry. Such things should have been better taken up in the course of discussion on planning. It would have been better if he had demanded agricultural facilities in 5 lakh 37 thousand villages and also drinking water for them.

The hon. Member had been in Planning Commission and numerous Law production is made. He has placed this resolution like a manifesto. His proposals that as they have failed to provide employment to people, they should resign, is not practicable.

Shri Ramavatar Shastri (Patna): It is well known that during the past 25 years our problems have not been solved but they have become more complicated. The main reason for this is that even today capitalistic economy is having its way in our country. I thought that the members would state as to Low national income can be raised, unemployment removed and rise in prices can be done away with. But on the other hand the Government proposals for nationalization etc. are opposed by Shri Shyam babu and his party.

We talk of green revolution and self reliance. This can be done only if we give land to the tillers. All the elements that are against the distribution of land have joined hands irrespective of their party ideologies. All parties having faith in socialism should unitedly act against capitalism.

Unless these problems are not discussed, neither the unemployment would end nor the incomes would rise. It is, therefore, necessary that we get rid of capitalistic structure. The Government merely raises certain slogans outwardly and practically act otherwise.

श्री डी० के० पण्डा (भन्जनगर) : अगला संकल्प मेरे नाम में । कृपया समय को इस प्रकार नियमित करें सांय 5 बजे तक मंत्री महोदय के उत्तर के पश्चात् भी मुझे अपना संकल्प प्रस्तुत करने का अवसर मिल जाये अन्यथा मेरी वरीयता समाप्त हो जायेगी ।

सभापति महोदय : समय को नियमित करना केवल मेरे वश में नहीं है आप यहां अपने मित्रों से भी यह निवेदन कीजिए ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : विकल्प यह है कि आप सभा का समय बढ़ा दीजिये ।

सभापति महोदय : मैं नित्य प्रति समय बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं । आज तो कदापि नहीं । फिर भी अन्त में विचार करेंगें ।

Shri Shiv Nath Singh (Jhunjhunu): Shri Mishra's Resolution despite being so much beautiful from upward, is very complicated and impracticable since it asks for the resignation of the Government in case they fail to fulfil any of the conditions laid down in the Resolution. On such conditions no Government can remain into existence for more than a year.

Then these conditions are based on very rigid thinking. The hon. Member wants employment for the total labour force increasing every year but the Government's target is to provide employment to all the unemployed in the country. As regards his demand for a five percent annual increase in Agricultural field, we say that this increase should be in accordance with increase in population so that we could meet the needs of our people. Similar may be the case with industrial production.

The mover of the Resolution has fixed certain percentage at random without going into the factual implication thereof, and then he seeks the resignation in case those percentages are not concerned, can he cite any country where the Government come out successful in practising such a time and percentage bound programme? The mover has not put forth any solid suggestions to augment our agricultural production. On the other hand he is opposed to land ceiling and food grains' take over and also the land reforms measures which are very vital things for the farmer who wants a well and pre-decided prices of his produce.

Therefore, the Resolution is of no use at all, the Government and our party are heading on with a definite programme and it appeals the hon. Members to extend their valuable support and help thereto.

Shri R. V. Bade (Khargone): I support the Resolution moved by Shri Mishra.

It has first now been pointed out by one hon. Member that as many as five lakh villages are not having roads. The roads should be constructed and the villages developed. Our Five Year Plans are having far more high target than those proposed in the present Resolution, but could any of those be ever achieved? No, then why should not the Government be punished for their failures? That is what the Resolution seeks.

Corruptions and inefficiency has been the principal feature of the Congress rule during the last 25 years. The Department of Development should be named as the "Department of Destruction". 65 lakh Adivasis of Madhya Pradesh are living in such a miserable condition as if there were no administration or Government for them. In Bastar, they still live naked and have seen no ray of development. That is this Resolution seeks the resignation of the Government that failed in their duty.

As regards the demand for employment for the annually increased labour force, the purpose is to secure minimise unemployment among labour categories of workers. Since the hon. Member has not suggested any percentage, I have suggested that through my amendment that the unemployment should be reduced by 20 per cent every year.

This Resolution is not meant to express no confidence against the Government. He has simply said that if the Government is not capable of working it should quit. And, therefore, I support the Resolution.

डा० हेनरी ग्रास्टिन (एर्नाकुलम्): इस संकल्प में प्रस्ताव की नीयत पर तो सन्देह नहीं है परन्तु उन्होंने इसकी राजनीतिक गंभीरता को शायद नहीं समझा। अपने भाषण में श्री मिश्र ने हमारी अर्थ व्यवस्था के विकास के बारे में तो बहुत जोर दिया है परन्तु इसके गंभीर राजनैतिक पहलू पर उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया। फिर उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर में हमारे रक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री पहल ही बहुत कुछ बता चुके हैं अतः इस संकल्प की तो आवश्यकता भी नहीं थी। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि श्री मिश्र जैसे नेता ने भी यह नहीं समझा कि इस प्रकार की वैधानिक तथा संवैधानिक पाबन्दियों में बाध्य कर कोई सरकार कैसे कार्य कर सकती है। श्री मिश्र जी स्वयं योजना आयोग में रहे हैं ग्रौर उन्हें मालूम है कि आयोजन कैसे किया जाता है। सभी समस्याग्रों के सभी पहलुग्रों पर दृष्टिपात करने के बाद कोई योजना तैयार की जाती

है। तथा उसमें सभी क्षेत्रों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है। यह संभव है कि उन्होंने किसी क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती, उसका कोई न कोई कारण भी हो सकता है। अब जैसे पेट्रोल की बात ले लीजिये। यह कहना गलत होगा कि यह समस्या हमारे राजनैतिक नेतृत्व की असफलता के कारण पैदा हुई है और यदि सारा मंत्री मंडल इसके कारण त्यागपत्र दे दे तो मैं नहीं जानता कि इसके क्या परिणाम निकलेंगे।

माननीय सदस्य जानते हैं कि गतिशीलता तथा अर्थ-व्यवस्था के तेजी से विकास की बातों को लेकर ही हमारे दल में विभाजन हो गया था। हम सामाजिक क्रांति तथा आर्थिक गतिशीलता चाहते थे परन्तु माननीय सदस्य श्री श्याम बाबू इसके विरोधी लोगों का साथ देना उचित समझा था जोकि प्रगति में बाधा डालते थे। हम कहते हैं कि हम अमुक समय में इतना कुछ कर लेंगे बशर्ते कि अन्य हालात अनुकूल रहे। परन्तु इस संकल्प में उन हालात की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया है। यह बड़ी ही नासमझी की बात है कि बिना कोई ठोस सुझाव दिये ही विकास की गति तेज़ करने की पाबन्दियां लगाने का प्रस्ताव किया जाता है। कल की चर्चा में एक भी रचनात्मक सुझाव नहीं दिया गया कि कैसे आर्थिक स्थिति का सुधार किया जाये। संकल्प में कहा गया है कि यह परम्परा बनाई जाये कि यदि सरकार अपने किसी भी लक्ष्य में असफल रहती है तो वह त्याग पत्र दे दे।

श्रीमन् परम्परायें संकल्पों से नहीं बनायी जा सकती उनका तो विकास किया जाता है। इसके लिये हमें समय की प्रतीक्षा करनी होगी।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर: यदि इस संकल्प का अभिप्राय केवल इतना है कि आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर और आगे चर्चा यहां सभा में की जाये तो मैं भी चाहूंगा कि सभा में ऐसे मामलों पर सार्वजनिक दृष्टिकोण का पता लगाया जाये परन्तु यदि श्री मिश्र जी वस्तुतः गंभीरतापूर्वक इस संकल्प को क्रियान्वित चाहते हैं तो मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता क्योंकि जैसा कि डा० हेनरी आस्टिन ने कहा है केवल संकल्पों अथवा संसदीय अधिनियमों द्वारा परम्परायें स्थापित नहीं की जा सकतीं। परम्परायें जनमत के आधार पर बनती हैं।

मैं यह भी मानता हूं कि यह संकल्प वर्त्तमान सरकार का विरोध करने के लिये नहीं पेश किया गया है। वह चाहते हैं कि यह संकल्प सभी दलों की सरकारों पर लागू हो। परन्तु यह अवश्य कह सकता हूं कि वस्तुतः यह वर्त्तमान सरकार की आलोचना पर जरूर आधारित है क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि आगामी अनेक वर्षों तक कांग्रेस दल की ही सरकार बनेगी और अभी ऐसा कोई राजनैतिक दल नहीं है जो इसे उखाड़ कर उसका स्थान ले सके। मैं उनसे सहमत हूं कि इन बातों पर सभी लोग विचार करें। परन्तु फिर इस संकल्प की पांच या छः बातें, सुन्दर होते हुए भी, किसी भी सरकार के बने रहने के लिये आवश्यक नहीं है। संकल्प के अनुसार सरकार यदि निर्धारित लक्ष्यों की प्रतिशतता में आधा प्रतिशत भी कम रह जाये तो श्री मिश्र के अनुसार सरकार बर्खास्त हो जानी चाहिये। यदि ऐसा हो तो फिर शायद कोई भी सरकार नहीं टिक सकेगी क्योंकि किसी भी सरकार को सफलताओं और असफलताओं दोनों को लेकर चलना पड़ता है। किसी नियमित अवधि के पश्चात् ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई सरकार अपने लक्ष्यों में कहां तक सफल हो पाई है चाहे वह अवधि चार वर्ष हो पांच या सात वर्ष हो। किसी एक मद में सफलता या असफलता के आधार पर आप किसी सरकार की योग्यता की जांच नहीं कर सकते। उसके कुल कार्यकरण पर दृष्टिपात करना जरूरी है।

फिर इस संकल्प में उल्लिखित बातें ही तो किसी सरकार के योग्यता या अयोग्यता का प्रमाण नहीं दे सकतीं। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मामले भी हैं, विदेश नीति है पिछली बार चुनावों में कांग्रेसी सदस्यों ने बंगलादेश के मामले को रखकर चुनाव जीते। अतः आंतरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में सरकार की योग्यता की जांच होती है।

श्री मिश्र जी अपने संकल्प में यह कहते कि सरकार को इस संकल्प में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिये तो बात समझ में आती। ये बड़े अच्छे उद्देश्य हैं परन्तु ये केवल निदेशात्मक या मार्गदर्शी सिद्धांत हो सकते हैं परन्तु कानून नहीं इन उद्देश्यों के आधार पर आप किसी सरकार को त्यागपत्र देने को बाध्य नहीं कर सकते।

अतः इस संकल्प के उद्देश्य तो बहुत अच्छे हैं परन्तु उनमें निहित पाबन्दियां किसी लोकतंत्रात्मक शासन के लिये उचित नहीं हैं।

इसलिये श्री मिश्र जी को ये बातें यहां न रखकर सार्वजनिक रूप से जनता के सामने रखनी चाहियें कि यदि सरकार कतिपय उद्देश्यों की पूर्ति न कर सके तो जनता उसे अपदस्थ कर दे। देश के चुनाव कर्ता ही ऐसा कर सकते हैं और उसके लिये जनता से अपील की जाये।

श्री पी० आर० शिनॉय (उदीपी) : इस संकल्प में वर्णित भावना तो बहुत उत्तम है परन्तु यह संकल्प व्यवहार्य कदापि नहीं है। किसी प्रतिशतता-बद्ध कार्यक्रम पर कोई सरकार टिक नहीं सकती है। हो सकता है कि कभी उत्पादन अधिक हो जाये और कभी कम रह जायें।

पांचवीं योजना में हमने वृद्धि दर का लक्ष्य 5.5 प्रतिशत रखा है। हमें बेरोजगारी—ग्रामीण तथा नगरी–अशिक्षित तथा शिक्षित को कम करना है। न्यूनतम आवश्यकताओं तथा मजूरी नीति की बात भी हमारे सम्मुख है। हम क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना चाहते हैं तथा पिछड़े वर्गों व क्षेत्रों की दशा सुधारना चाहते हैं। साथ ही देश के उत्पादन के उचित वितरण का उद्देश्य भी हमारे सामने है। अतः हम इस संकल्प में सुझाये गये 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि-दर का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। दूसरे संकल्प में उल्लिखित 5 प्रतिशत वार्षिक कृषि-वृद्धि एक सामान्य मांग है परन्तु फिर कुछ वर्ष बुरे भी तो हो जाते हैं। जब तक हम सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये जल की समुचित व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक हमें ऋतुओं की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा ठीक हो जाये तथा ऋतु भी अनुकूल रहे तो उत्पादन अच्छा हो जाता अन्यथा अकाल तक पड़ जाते हैं। इसलिये प्रतिशतता-बद्ध हो कर कार्य करना बड़ा कठिन है।

***श्री ई० आर० कृष्णन् (सलेम)** : मैं द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम की ओर से इस संकल्प के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

इस संकल्प में जो बातें कही गई हैं यदि उनकी पूर्ति न होने पर सरकार द्वारा त्याग-पत्र की व्यवस्था को मान लिया जाये तो यह सुनिश्चित हो जाये कि सरकार दृढ़ता के साथ देश की प्रगति के लिये काम करेगी।

परन्तु कांग्रेस इस समय भारी बहुमत से सत्तारूढ़ है। स्वस्थ परम्परा तो यह होगी कि जो सरकार उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रहे कांग्रेस दल स्वयं ही उस सरकार को बदल दे नई सरकार बनाये और पुराने मंत्री मण्डल को हटादे क्योंकि वह आधारभूत कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण।

*Summarised Hindi version of English Translation of speech delivered in Tamil.

में असफल रहा है। बहुमत दल द्वारा ऐसा किया जाना एक अत्यन्त स्वस्थ परम्परा होगी और इससे लोकतंत्र की जड़ें देश में मजबूत होंगी।

श्री मिश्र जी से मेरा अनुरोध है कि वह अपने इस संकल्प में दो तीन बातें और जोड़ दें जिनके पूरा न करने पर सरकार अपना त्यागपत्र दे।

इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री भी अपने वक्तव्य में अर्थ-व्यवस्था की असफलता के लिये अपनी सरकार के दोषों को छिपाकर कालाधन, कर अपवंचन तथा विपक्ष के रवैये को दोषी ठहराती रही हैं। इस प्रकार मंत्रीगण भी एक ओर तो मूल्य में गिरावट का दावा करते रहे दूसरी ओर कई आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ते गये। वित्त मंत्री, पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने इसी प्रकार के वक्तव्य दिये थे जबकि डबलरोटी, मिट्टी के तेल तथा पेट्रोल आदि के मूल्यों में वृद्धि हुई। अतः यदि मंत्री-गण गलत वक्तव्य देते हैं या यहां सभा में कुछ कहते हैं तो बाहर कुछ दूसरी ही बात कहते हैं—तो जबकि वे लोग यहां सभा में शपथ-बद्ध होते हैं तो ऐसे मंत्रियों द्वारा त्याग-पत्र की व्यवस्था इस संकल्प में की जानी चाहिये। ऐसे लोगों को मंत्रीमण्डल में नहीं रहना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : उक्त संकल्प से प्रस्तावक माननीय सदस्य की असन्तुलित विचारधारा का आभास होता है। अविश्वास प्रस्ताव पर दो दिन की लम्बी चर्चा को सुनकर तो माननीय सदस्य को अपना यह प्रस्ताव स्वयं ही वापस ले लेना चाहिये था। परन्तु उन्होंने अपने दलगत स्वार्थों की पूर्ति के लिये यह प्रस्ताव यहां पेश किया है और यदि वह इस संकल्प की स्वीकृति के पश्चात् पैदा होने वाली परिस्थितियों का अनुमान कर लेते तो उन्हें सही दिशा का पता चल जाता।

कृषि का विषय राज्यों तथा केन्द्र दोनों का है। अब यदि कोई राज्य सरकार अपने कार्यक्रम में असफल रही तो क्या उस राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों को त्याग-पत्र दे देना चाहिए। फिर तो केन्द्र और राज्य सरकारों के लिये वार्षिक चुनाव हुआ करेंगे क्योंकि इस संकल्प के अनुसार किसी सरकार की कार्यकुशलता प्रतिवर्ष आंकी जायेगी जबकि अनेक कार्यक्रम की पूर्ति ही कई-कई वर्षों के बाद हो सकती है। सड़क के निर्माण में तीन-तीन चार-चार वर्ष लग जाते हैं। अतः इस संकल्प में वर्णित किसी भी कार्यक्रम को व्यवहृत करना असंभव ही नहीं बल्कि अविचारणीय भी है।

हम पहले ही एक स्वस्थ परम्परा डाल चुके हैं। वर्ष 1970 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी को सन्देह हुआ कि जनता उनकी नीतियों से सहमत नहीं है और प्रिवी पर्सेज़ का विधेयक राज्य सभा में गिर गया तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया तथा जनता से फिर से समर्थन प्रकट करने को कहा। इससे स्पष्ट है कि हम अपने दायित्व के प्रति सचेत हैं। हम देश की प्रगति के लिए आवश्यक प्रत्येक उद्देश्य के प्रति पूरी तरह निष्ठावान हैं।

माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि परम्परा में सांविधिक संकल्पों अथवा नियम निर्धारण से नहीं बनती हैं उनका क्रमिक विकास होना है। संसदीय तथा लोकतंत्रात्मक प्रक्रियाओं के कार्यकरण के आधार पर उनका जन्म का उद्भव होता है।

अतः माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह इस संकल्प के परिणामों को ध्यान में रखते हुए उसे वापस ले ले।

Shri Ram Kanwar (Tonk): I rise to support the Resolution moved by Shri Shyam Nandan Mishra. In these days of roaring prices, great hardship is being caused to those who wish to earn their livelihood honestly and by working very hard for 8 hours a day. Unemployment problem is feering at educated and uneducated both, unlike in other countries where too prices have gone quite high. In such circumstances, it is quite laudable that Shri Mishra has moved such a fine piece of Resolution which, however, has caused great upsetting for the treasury benches here in this House. This Resolution resembles the recent No-Confidence Motion. It is very sad that Government never wishes to accept anything from Opposition side however it may be true and logical. Our revered Pt. Jawahar Lal Nehru had formulated certain targets to achieve and now his daughter is the Prime Minister. But she cares the least to achieve those laudable aims. Who else then would care? I, therefore, support this Resolution and urge that in case the Government is not able to solve the problems of unemployment and cannot augment the industrial progress, it should quit.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): Despite the fact that the spirit of the Resolution moved by Shri Mishra is very laudable, I am sorry, it is not at all practicable. Both in our election manifesto as well as Five Year Plans, we have already said that we are committed to the upliftment of agricultural labour, development of industries, eradication of unemployment etc. and that we would endeavour to get collective support from our masses including the opposition here.

A period of five or twenty years is very little in the life of a big nation where we came across many difficulties and problems arising out of famine, drought, floods, scracity etc. These evils bring about a number of failures despite concerted efforts made in the direction of development. According to Shri Mishra and in case his Resolution is adopted, the Government would be compelled to resign now and then.

The factual spirit behind this Resolution is that Shri Mishra does not like our Government to continue. Quite much was enunciated during the debate on No-Confidence Motion. He should have put forth certain good ideas and suggestions.

I, therefore, request the mover to withdraw his Resolution.

Shri Madhu Limaye (Banka): I don't understand why this Resolution is purported to be impracticable. Also why do they talk about the inner motive of Shri Mishra? Let us look into the spirit of the Resolution and not that of the mover. The Resolution wants that if the Government is not capable of achieving certain targets, it should resign. That's all. Why certain hon. Members get irritated on the name of resignation? Do you mean that despite your going back your many promises, programmes and affirmations before the electorates, you should not be asked to resign? If that is so, I have nothing to say.

We are a democratic people. As regards the figure 7 per cent in the context of augmenting the national income, it is for your kind information that in many countries including Communist countries viz. U.S.S.R., Romania, China etc. have achieved the target of 10 to 15 per cent. Japan is a non-Communist nation. But we are living with the back bone made of aid and grants from America, U.S.S.R., E.E.C. etc. Our entire economy is based on foreign aid and grants.

Our system of having mixed economy is nothing but a bad combination of evil aspects communism and capitalism.

Although as many as three hon. Ministers spoke yesterday but none of them put forth anything useful except the criticism of various opposition parties. The main issue was whether the Government was able to honour their own programmes, plans and policies and could achieve even those targets at least which they themselves had laid down. If not, then you should quit. None of three hon. Ministers including the hon. Prime Minister, did the gesture of admitting their follies too.

Today, Shri K. R. Ganesh is to reply, and I would like to know whether he has gone into the census figures and whether he is aware that they have increased the number of uneducated in the country by 5 crores between the year 1961 to 1971? There has been an increase of 9 per cent in the number of agricultural labour too.

You are talking of 'Garibi Hatao' whereas the country is getting on to "Kangali Karo". Whatever little progress you could make in the industrial field, the benefit thereof has gone to rich people who form only 1½ per cent of our total population.

So it is the minimum that we should have a target of 7 per cent increase in our national income.

Secondly, the mover has sought a minimum increase of 7 per cent per year in the income of the poor folk. It is very just demand and would lead to the removal of disparity.

In the end I would like to request that Government should put a ban on the production of the luxurious goods like automobiles, refrigerators, air conditioners and televisions etc., the rich people consume and goods of consumption of common people should be produced. By this kind of reorientation you will be able to achieve the targets.

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : यह संकल्प सुविचारित नहीं है क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार के अस्तित्व को आर्थिक लक्ष्यों से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्यों ने अपने देश की तुलना रूस, चीन और जापान आदि से की है किन्तु वहां पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन हमारे यहां से भिन्न है। अतः हमारे देश में आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदेश नहीं दिये जा सकते। यदि सरकार का इस आधार पर पतन हो भी जाता है, तो कौन सा दल वैकल्पिक सरकार बनायेगा? इस प्रकार प्रतिवर्ष चुनाव हुआ करेंगे। इस दृष्टि से मैं इस संकल्प का कड़ा विरोध करता हूं।

Shri Anadi Charan Das (Jaipur): Sir, the Resolution says that Government should resign if targets fixed by them are not fulfilled. Assuming that existing Government resign, the elections will follow. I would like to ask whether it will result in the increase in the national income. In my opinion there will be no use of establishing such a convention. This resolution has been brought to defame the Government. So I request the mover of the Resolution to withdraw it.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : श्री श्यामनन्दन मिश्र के संकल्प को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग में उन्होंने औद्योगिक और कृषि उत्पादन प्रगति दर और राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किये जाने की बात कही है और दूसरे भाग में उन्होंने यह मांग की है कि यदि सरकार निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहती है, तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। जहां तक लक्ष्य निर्धारित किये जाने की बात है उसमें मत की विभिन्नता हो सकती है। जहां तक लक्ष्य प्राप्त करने का सम्बन्ध है, सरकार लक्ष्य प्राप्ति के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार है। किन्तु माननीय सदस्य की यह मांग कि यदि लक्ष्य प्राप्त न हो तो सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए, उचित नहीं है और ऐसी परम्परा विश्व में किसी भी संविधान सम्मत लोकतंत्र में नहीं है। साथ ही मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि हमारे देश में लोकतंत्र केवल संसद के सदनों अथवा विधान-मण्डलों के सदनों तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह जनता में निहित है और इस प्रकार जनता सरकार पर नियंत्रण रखती है। निर्वाचन के रूप में जनता प्रति पांच वर्ष बाद अपने सरकार पर नियंत्रण के अधिकार को कार्यरूप देती ही है।

आर्थिक स्थिति निस्सन्देह संकटपूर्ण है और उसके बारे में संसद में कई बार चर्चा की जा चुकी है। किन्तु यह सोचना गलत है कि राष्ट्रीय स्थिति विषम है, इसलिए इससे सभी प्रिय वस्तुओं एवं परम्पराओं का विनाश हो जायेगा। हमारा देश पहले भी कई बार ऐसी ही कठिन स्थिति से गुजर चुका है और उसका सामना कर चुका है। यह अनुमान लगाना गलत है कि वर्तमान विकट स्थिति से देश का संकट भयावह होता जायेगा। मैं अपने माननीय मित्र के इस मत से सहमत हूं कि प्रगति की दर बहुत कम है। किन्तु माननीय सदस्य ने किसी ऐसे विकल्प का सुझाव नहीं दिया जिससे प्रगति की दर 7 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो जाये। मैं श्री लिमये के इस सुझाव से भी सहमत हूं कि देश में उत्पादन का विद्यमान ढांचा बदला जाना चाहिए और जनसाधारण की आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ना चाहिए। किन्तु उन्होंने भी ऐसा विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह परिवर्तन सुगमतापूर्वक लाया जा सके। मैं माननीय सदस्य की इस आलोचना से सहमत नहीं हूं कि वर्तमान कठिनाइयों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रतिष्ठा गिरी है। वर्तमान परिस्थितियों में भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा योगदान महत्वपूर्ण रहा है। माननीय सदस्य की इस टिप्पणी से मैं सहमत हूं कि प्रत्येक क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिएं और असफलता के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए। हमारी लोकतांत्रिक सरकार में नियंत्रण की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है। हां, प्रत्येक कार्य के सफल निष्पादन में समय लगता है। इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सभापति महोदय, श्रीमन्, इस संदर्भ में जो संवैधानिक प्रश्न उठाये गये हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। श्री मावलंकर का कहना है कि कुछ विशिष्ट मुद्दों पर सरकार द्वारा किये गये वायदों के पूरा न किये जाने पर उसे त्याग-पत्र देने की परम्परा डालनी चाहिए। किन्तु मेरा मत यह है कि यदि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल रहती है किन्तु आर्थिक क्षेत्र में असफल रहती है तो भी उसे त्याग-पत्र दे देना चाहिए। इंगलैण्ड में श्री चर्चिल ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था। यद्यपि श्री चर्चिल की पार्टी युद्ध जीत गई थी किन्तु उसे आर्थिक मुद्दों पर सत्ता से हटना पड़ा।

डा० पांडेय ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाया है। यदि किसी राज्य में कृषि के क्षेत्र में असफलता मिलती है तो क्या उसके लिए भी केन्द्रीय सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए? मेरे विचार से

इसके लिए केन्द्रीय सरकार भी उत्तरदायी है क्योंकि योजना पूरे देश की राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकार की जाती है और उसमें सभी राज्यों के मुख्य मंत्री होते हैं। कृषि सम्बन्धी लक्ष्य पूरे न होने पर राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को साथ-साथ पद्च्युत्त हो जाना चाहिए।

यह भी कहा गया है कि यदि ऐसी परम्परा डाल दी गई तो कोई भी सरकार जिन्दा नहीं रह सकती, क्योंकि विश्व में शायद ही कोई सरकार ऐसी हो जो निर्धारित लक्ष्यों को प्रतिवर्ष पूरा कर लेती हो। परिस्थितियों के सामान्य न होने पर लक्ष्य प्राप्ति में असफलता के लिए सरकार को त्याग-पत्र देने की शर्त से मुक्त किया जा सकता है। जहां तक श्री चटर्जी के इस सुझाव का सम्बन्ध है कि यह संकल्प संविधान में लिखा जाना चाहिए, मेरा यह निवेदन है कि यह संकल्प या ऐसी परम्परा स्वयं में संविधान का एक अंग है। यदि निदेशक सिद्धांतों को उचित रूप से लिया जाये, तो यह स्पष्ट हो जाता है। श्री रामावतार शास्त्री ने कहा है कि पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में लक्ष्य प्राप्त ही नहीं किये जा सकते। मेरे विचार से मिली जुली अर्थ-व्यवस्था प्रगति करने के लिए और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम है। जहां भी योजना सफल नहीं हो पा रही है, वहीं समाजवादी व्यवस्था खतरे में है।

मंत्री महोदय मेरे संकल्प के उद्देश्य से तो सहमत हैं कि वह प्रस्तावित परम्परा डालने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि हमारी शासन व्यवस्था में नियंत्रण एवं संतुलन के लिए प्रावधान है और जनता तथा संसद उन नियंत्रणों को कार्यरूप दे सकती है। किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक उन नियंत्रणों को कार्य रूप क्यों नहीं दिया गया। राष्ट्रीय आय में 4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का लक्ष्य क्यों प्राप्त नहीं किया जा सका? क्या विकास की वर्त्तमान दर से हमारा लोकतंत्र जिन्दा रह सकता है? आर्थिक क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति न कर पाने से क्या हम अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? शासक दल ने कुछ योजना लक्ष्यों को स्वीकार किया और उन्हें लेकर वह जनता के समक्ष निर्वाचन में गई थी। जनता ने निर्वाचन में उन्हें जिताया। अब यदि शासक दल उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है तो उसे पदारूढ़ रहने का कोई हक नहीं है।

सभापति महोदय: अब मैं श्री बड़े द्वारा पेश किया गया संकल्प का संशोधन, जिस पर वह बल दे रहे हैं, मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

श्री श्यमनन्दन मिश्र: यह संकल्प बड़ा ही महत्वपूर्ण और यह सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा संकल्प करती है कि एक ऐसी परिपाटी की स्थापना की जाये कि यदि सरकार निम्नलिखित आधारभूत कार्यक्रम पूरा न कर सके तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए :—

(एक) राष्ट्रीय आय में, 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि;

(दो) गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि;

(तीन) कृषि उत्पादन में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि;

(चार) औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि;

(पांच) वार्षिक मूल्य वृद्धि को 5 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखना ; और

(छ) प्रति वर्ष रोजगार के कम से कम उतने अवसर पैदा करना जो श्रमिकों की संख्या में होने वाली वार्षिक वृद्धि के अनुरूप हो।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

The Resolution was negatived.

एशिया में सामूहिक सुरक्षा के बारे में संकल्प
Resolution Re. Collective Security in Asia.

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : श्रीमान्, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में आशावादी परिवर्तन तथा एशियाई राष्ट्रों में बढ़ती हुई आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इस सभा की राय है कि भारत को अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ मिल कर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और बांडुंग घोषणा के सिद्धांतों के आधार पर एशिया में सामूहिक सुरक्षा पद्धति की सृष्टि करने हेतु आवश्यक पहल करनी चाहिए, जिससे कि——

(एक) अपनी स्वतंत्रता सुदृढ़ की जा सके और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके;

(दो) एशियाई क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम रखी जा सके;

(तीन) साम्राज्यवाद तथा नव-उपनिवेशवाद की शक्तियों के विरुद्ध अपने संघर्ष को तीव्र किया जा सके; और

(चार) द्रुत आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिये एशियाई राष्ट्रों में पूरा-पूरा पारस्परिक सहयोग स्थापित किया जा सके।"

मैं अपने संकल्प के बारे में संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रखें।

दिल्ली में जल-पूर्ति की स्थिति के बार में वक्तव्य

Statement Re. Water Supply position in Delhi

सभापति महोदय : आज प्रातः अध्यक्ष महोदय के सामने माननीय सदस्यों ने दिल्ली में जल-सप्लाई की समस्या उठाई थी और मंत्री से उस बारे में वक्तव्य की मांग की थी । बाद में उन्होंने इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी भेजा है । अब श्री मोहसिन इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहते हैं। यदि आज वह वक्तव्य देते हैं तो सोमवार को इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं होगा। सभा को इस बारे में निर्णय करना है ।

Shri N. K. P. Salve (Betul): Sir, people want water............not the Call Attention Motion. He should tell us as to when water supply will be resumed. There is no need of Call Attention Motion, if water is being supplied normally.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): Water is being supplied.

श्री पी० जी० मावलकर (अहमदाबाद) : मंत्री महोदय हमें जल दें। फिर हमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लाने की क्या आवश्यकता है ।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa): Call Attention Motion can be scrapped if hon. Minister makes a statement regarding water supply situation.

श्री समर गुह (कन्टाई) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अपेक्षा जल अधिक महत्वपूर्ण है । हम यह जानना चाहते है कि क्या हमें जल मिलेगा अथवा नहीं ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि सभा की यह राय है कि मंत्री महोदय अब वक्तव्य दें और सोमवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव न लाया जाये ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : श्रीमान दिल्ली जल सम्भरण तथा मल निस्सारण संस्थान में 5 नवम्बर 1973 की मध्य रात्रि से कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी उन की मांग थी कि उनके वेतनों में 66 प्रतिशत की वृद्धि की जाये । नगर निगम के आयुक्त ने हड़ताली कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था । उनकी मांगे जल सम्भरण तथा मल निस्सरण संस्थान का समिति के समक्ष रखी जायेगी । इस समिति ने इस मामले पर 13 नवम्बर 1973 को विचार किया था । इस मामले पर 22 नवम्बर 1973 को पुन: विचार किया जाना था । किंतु वजीराबाद वाटर वर्क्स के कर्मचारियों ने इससे पूर्व ही 22 नवम्बर 1973 को 8 बजे प्रात: से काम बन्द कर दिया और परिणामत: सम्पूर्ण जल पूर्ति व्यवस्था ठप्प हो गई । साथ ही यह पता चला की कुछ तोड़ फोड़ के कार्य भी किये गये, जिससे वितरण व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई । जल बन्द होने की सूचना मिलने पर कुछ इंजिनियर पुलिस बल के साथ वहां गये और कुछ गैर-हड़ताली कर्मचारियों की सहायता से 3.30 बजे शाम अशोधित जल का पहला पम्प चालू किया गया। 3 नवम्बर 1973 को दिल्ली प्रशासन ने जल सप्लाई सेवा को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया था । पुलिस ने 62 व्यक्ति गिरफतार किये । इस कार्य में सेना की सहायता भी ली गई । अगले दिन सुबह के 2 बज तक सम्पूर्ण जल सम्भरण संयंत्र अपनी पूरी शक्ति से काम करने लग गया था और 8 बजे तक वजीराबाद और चंदरावल में तथा अन्य जलाशयों में स्थिति को सामान्य बनाया जा सका और प्लांटों को पहुंचाई गई क्षति ठीक कर दी गई। चूंकि अधिकांश जलाशयों में कल पानी नहीं रहा था और बहुत सी मुख्य लाइने रुकी पड़ी थीं इसलिये नगर के अधिकतर भागों में जल सप्लाई रुक गई थी । अब नगर में जल की सप्लाई सामान्य हो गई है। दूरस्थ स्थानों में स्थिति आज रात तक सामान्य हो जायेगी । यूनियन के नेताओं ने यह सूचना दी है कि हड़ताल समाप्त कर दी गई है । मुझे दुख: है कि दिल्ली के नागरिकों को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ा ।

****खाद्यान्नों का वसूली तथा वितरण मूल्य**

Procurement and Distribution Price of Foodgrains.

सभापति महोदय : अब श्री समर गुह द्वारा आधे घंटे की चर्चा आरम्भ की जायेगी ।

**आधे घंटे की चर्चा

Half-an-hour Discussion

श्री समर गुह (कन्टाई) : सरकार के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होते ही सरकार ने कल रोटी के दाम बढ़ा दिये। यह घटना जितनी छोटी और साधारण लगती है, स्वयं में यह उतनी ही गम्भीर है। प्रत्येक स्थान पर गेहूं और चावल के कोटे में कटौती की जा रही है। यह माना जा रहा है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात वर्तमान खाद्य संकट भयंकरतम है। हालांकि सरकार सूखे अथवा बाढ़ की स्थिति को इसके लिये जिम्मेदार ठहरा रही है। परन्तु गत वर्ष बाढ़ और सूखे से फसल प्रभावित तो हुई थी, किंतु यदि कार्य ठीक से किया गया होता तो इतना भयंकर संकट न आता। पिछले 12 महीनों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बाजार के खुदरा मूल्यों में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साथ ही काला बाजार भी जो अब सफेद बन चुका है, पनपता जा रहा है। सरकार बड़े गर्व से कह रही है कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के सूखाग्रस्त लोगों को भोजन देने की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ली है।

राशन तथा उचित मूल्य दूकानों के माध्यम से खाद्यानों के वितरण की बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। परन्तु पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति को देखें तो प्रतीत होगा कि वितरण व्यवस्था केवल नाम-मात्र विद्यमान है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र, कन्टाई पिछले चार वर्ष चार बार बाढ़ से प्रभावित हुआ है और सरकार के आंकड़ों के अनुसार भी इस क्षेत्र के 12 लाख लोगों में से केवल 7 लाख लोगों को राशन की दुकानों अथवा उचित दर की दुकानों से गेहूं मिल रहा है। इसकी मात्रा भी केवल 50 ग्राम है। यह स्थिति केवल एक क्षेत्र की नहीं सारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों की है।

यदि सरकार समाजवाद के सिद्धांतों के अपने आश्वासनों को पूरा करना चाहती है तो लोगों को उचित दर दुकानों पर अनाज दे सकती है। सरकार को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राशन की दुकानों से लोगों को अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के कदम उठाने चाहिये। यदि सरकार पहले से ही ऐसा करती तो देश के सामने आज जो खाद्य संकट उपस्थित है वह न होता।

सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण का निर्णय किया है। खाद्य निगम के कर्मचारियों ने वसूली नीति के बारे में कुछ ठोस सुझाव दिये। परन्तु उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। परन्तु सरकार अनाज उपलब्ध कराने में असफल हो रही है। इसका कारण खाद्य निगम द्वारा गोलमाल है और राज्य सरकारों तथा शासक दल एवं अन्य निहित स्वार्थों से है। सरकार इनको नाराज नहीं करना चाहती और इसके कारण सरकार का रवैया ढुलमुल हो रहा है।

चावल व्यापार के सरकारीकरण की भी बात की जाती है। कुछ राज्य सरकारों को इसकी अनुमति दी गई है और कुछ अन्य को अपने मन के अनुसार करने को छोड़ दिया गया है। इससे सरकार की अनिश्चितता की नीति स्पष्ट होती है। इसके साथ ही यह सिद्ध होता है कि सरकार समाजवादी सिद्धांतों के आश्वासनों को पूरा करने में भी असफल है।

सरकार को बिक्री योग्य फालतू अनाज को बाजार में लाने और उसकी वसूली के लिये ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के लिये सांविधिक राशन लागू करके उचित वितरण व्यवस्था करनी चाहिए। इस व्यवस्था के माध्यम से सरकार 1 रु० प्रति किलो की दर से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 500 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कर सकती है।

हां सरकार की ढुलमुल नीति और खाद्य निगम के गोलमाल के कारण यह संभव नहीं । आंकड़ों के अनुसार वसूली मूल्य और बिक्री मूल्य में 15 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये। परन्तु इस समय यह अन्तर 25 से 33 प्रतिशत तक है । सरकार की कार्यवाही से लोगों को कम मूल्य पर अनाज दिलाया जा सकता है । मैं इस सारी उपरोक्त स्थिति के कारण जानना चाहता हूं ।

यह सब को मालूम है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज लाने-ले जाने में 25 प्रतिशत अनाज नष्ट हो जाता है । सरकार इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है । वसूली के दौरान खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा जिला स्तर पर नकद राशि बांटी जाती है । परन्तु उस राशि पर केन्द्र का नियंत्रण रहता है । इसके फलस्वरूप बैंक व्याज की हानि होती है । इसमें सुधार के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या सरकार का विचार पुराने निष्प्रभावी हो चुके तथा भ्रष्ट निगम का पुनर्गठन करने का है । यह निगम गोलमाल करने और भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया है । क्या सरकार का विचार इसके ढांचे को जीवन बीमा निगम के ढांचे की तरह बनाने का है ? इसे चार जोनों में बांटा जाना चाहिये और बम्बई, मद्रास, दिल्ली तथा कलकत्ता में चारों जोनों के मुख्यालय बनाये जाने चाहिये ।

हमें रूस से 7 वर्ष के ऋण के आधार पर 20 लाख टन चावल मिल रहा है । क्या वसूली तथा बिक्री मूल्य निर्धारित करते समय इस ऋण की सुविधा के प्रभाव को भी विचार में रखा जायेगा ?

पश्चिम बंगाल के समाचार पत्रों में गेहूं तथा चावल की काफी मात्रा में सड़ने के समाचार प्रकाशित हुए हैं । सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और अनाज को सड़ने देने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं गेहूं तथा चावल के वसूली मूल्यों में वृद्धि का स्वागत करता हूं । मेरा प्रारंभ से ही यह मत रहा है कि कृषक को लाभदायक मूल्य मिलना चाहिये ।

कृषकों के अखिल भारतीय फेडरेशन के अध्यक्ष ने वक्तव्य दिया है कि वसूली मूल्य कृषि की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों से सम्बद्ध नहीं अतः सरकार को गेहूं का वसूली मूल्य बढ़ाना चाहिये अन्यथा गेहूं की खेती की भूमि में कमी होने की संभावना है । क्या यह सच है और यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये क्या कार्यवाही की है कि गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों की खेती की भूमि में कमी न आ पाये ? खाद्यान्नों के मण्डियों में आने के समय उनके मूल्य कम होते हैं परन्तु अब वे बढ़ रहे हैं । सरकार ने उन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

यह आरोप लगाये गये हैं कि खाद्य निगम के उपरि व्यय बहुत अधिक हैं अतः उनकी जांच की जरूरत है । यदि यह सच है तो सरकार ने इन खर्चों को घटाने के लिये क्या कार्यवाही की है जिससे कि वसूली मूल्य और बिक्री मूल्य के अन्तर को घटाया जा सके ?

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किये जा रहे खाद्यान्नों के सड़े होने के बारे में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं । ये शिकायतें केवल पश्चिम बंगाल से ही नहीं देश के अन्य भागों से भी हैं । अतः क्या सरकार इस बात को देखने के लिये कोई जांच करायेगी कि अनाजों के सड़ने के क्या कारण हैं?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचेरी) : बिक्री मूल्य के बढ़ाने के दो कारण बताये गये हैं । पहला तो यह कि वसूली को सफल करना है और दूसरा यह कि किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन देना आवश्यक है । वास्तव में दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं । पिछले सप्ताह एक प्रश्न के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के समान वर्तमान मुद्रा-स्फीति के संकट का सामना करने का यह भी एक उपाय है । यदि यह सच है तो यह असंख्य गरीब लोगों पर अप्रत्यक्ष कराधान है । मैं जानना चाहता हूं कि यह स्पष्ट किया जाये कि क्या यह वास्तव में अप्रत्यक्ष कराधान है अथवा इसका कारण वह है जो इस उत्तर में बताया गया है ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Whether it is a fact that farmers are not getting agricultural inputs at fair price and production gets down because of shortage of water with the result that production cost increases? If so what steps Government propose to take to remove these difficulties?

Is it a fact that there is a widespread discontentment due to irregular supply of foodgrains on fair price shops? How Government propose to remove it?

Whether it is a fact that due to corruption in the F. C. I. controlled godowns Fair Price Shop owners do not get supplies and they are charged more money? If so, what steps Government propose to take to check this corruption?

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों के हित में गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने को तत्पर है? क्या अनिवार्य लेवी को सिद्धान्त रूप से स्वीकृत किया गया है और यदि हां तो क्या राज्य सरकारों को इस सिद्धान्त का पालन करने के लिये आवश्यक अनुदेश जारी किये गये हैं? जहां तक उड़ीसा राज्य का संबंध है अनिवार्य लेवी के सिद्धान्त का पालन नहीं किया जा रहा और इसके परिणामस्वरूप बड़े-बड़े भूमिपति जो कि भूमि मालिकों का केवल 0.02 प्रतिशत ही है और जिनके पास कुल भूमि 21.67 प्रतिशत भाग है इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

जहां तक वसूली मूल्य का संबंध है गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य 80 रु० प्रति टन नियत है। कई बार सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि गन्ना उत्पादकों को गन्ने का लाभदायक मूल्य मिलना चाहिये।

गरीब उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चावल नहीं मिलता। सरकार को यह प्रयास करने चाहिये कि लोगों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो सके। परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। क्या इन्हें उपलब्ध कराने के लिये सरकार मूल्य नियत करेगी?

वसूली का काम भारतीय खाद्य निगम और सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है । भारतीय खाद्य निगम मिल मालिकों के माध्यम से विक्रय करती है और ये मिल मालिक सरकार को धोखा दे रहे हैं। अतः वसूली की पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : माननीय सदस्यों ने वहस के दौरान जो बातें उठाई हैं उनमें से कुछेक का उत्तर सदन में एक या दूसरे रूप में दिया जा चुका है। अतः मैं केवल महत्वपूर्ण बातों का ही उत्तर दूंगा।

यह ठीक है कि पिछले वर्ष का सूखा बहुत ही अभूतपूर्व था और उसके परिणामस्वरूप उत्पादन में बहुत अधिक कमी हुई । परन्तु देश राज्य सरकारों तथा सामान्य जनता के सहयोग से उस स्थिति का सामना करने में सफल हुआ। अब संकट दूर हो चुका है। इस वर्ष फसल की सम्भावनाएं बहुत अच्छी हैं और कीमतों के कम होने की आशा है। मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि अब कोई कठिनाई नहीं होगी परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि हम पिछले 8-9 महीनों की अपेक्षा अपनी खाद्य स्थिति से सुगमता से निपट सकेंगे ।

सदस्यों के मन में संशय है कि सरकार ने वसूली मूल्य क्यों बढ़ाया है ? वास्तव में इस बारे में सरकार का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण था । इस सभा के सभी वर्गों की मांग थी कि वसूली मूल्य बढ़ाये जाएं और देश में उत्पादन के प्रोत्साहन के लिये सभी प्रयास किये जायें । अतः भारत सरकार ने वसूली मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया । यद्यपि खाद्य स्थिति अभी भी कठिनता के दौर में है वसूली के आंकड़ों से पता चलता है कि किसान सरकार के मूल्य संबंधी निर्णय को स्वीकार कर रहे हैं । यह ठीक है कि उपलब्धी के बारे में कोई अनुमान लगाना इस समय कठिन है क्योंकि कुछ स्थानों पर वसूली 15 दिसम्बर के पश्चात् बल पकड़ती है । वसूली के परिणामस्वरूप प्रतिदिन 30,000 से 35,000 टन अनाज सरकार को प्राप्त हो रहा है । इससे हमारी अर्थव्यवस्था की अवस्था पता लगती है ।

यदि विक्रय मूल्य न बढ़ाये गये होते तो हमें बहुत अधिक धनराशि राज सहायता के रूप में देनी पड़ती और उसका अर्थ था घाटे की अर्थ व्यवस्था । इस वर्ष भी बजट में 130 करोड़ रुपये की राज सहायता की व्यवस्था थी जो कि अपर्याप्त राशि है । इसलिये हमारे मंत्रालय ने राज सहायता की राशि में वृद्धि के लिये 120 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की है । इसके दो कारण हैं । अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों से खरीदे खाद्यान्नों पर राज सहायता दी जानी होगी । बिक्री मूल्य में वृद्धि और वसूली मूल्य में वृद्धि के अन्तर के संबंध में मुझे यह कहना है कि विक्रय मूल्य में वृद्धि के बावजूद सरकार भंडार तथा परिवहन आदि की लागत लगाकर वसूली लागत की पूरी राशि नहीं ले सकी है । अतः यह आरोप लगाना कि वसूली मूल्य और बिक्री मूल्य में अधिक अन्तर रख कर सरकार लाभ कमा रही है, ठीक नहीं है । खाद्य अर्थ व्यवस्था को बहुत अधिक राज सहायता बहुत खतरनाक बात है । अतः सरकार का यह निर्णय राष्ट्रीय हित में है ।

एकाधिकार वसूली, लेवी आदि का भी उल्लेख किया गया है । किसी भी प्रणाली के प्रति सरकार विरोधी नहीं है । इस कारण सरकार ने राज्य सरकारों को छूट दे रखी है । श्री समर गुह ने सुझाव दिया कि एकाधिकार वसूली की जानी चाहिये । वास्तव में व्यक्तिगत रूप से मेरा मत है कि अनिवार्य लेवी लागू की जानी चाहिये और समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकतायें पूरी करनी चाहिएं परन्तु इस उद्देश्य को दीर्घावधि नीति के रूप में मानकर भी हमें इसे व्यावहारिक रूप देना है । खाद्य अर्थ-व्यवस्था एक बहुत ही अहम मामला है अतः इस बारे में बहुत अधिक सावधानी अपेक्षित है ।

जहां तक सरकारी क्षेत्र का संबंध है कि हम चाहते हैं, उसमें कमियों के होते हुये भी अन्तत: वसूली और वितरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। इसे यह कार्य सहकारी समितियों, राज्य अभिकरणों और भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से करना है। इसके लिये हमें उचित वितरण व्यवस्था पर बल देना है। ऐसा किये बिना यह समस्या हल नहीं होगी।

जहां तक खाद्य निगम की कमियों की बात है मैं यह दावा नहीं करता कि उसमें कोई कमी नहीं। वास्तव में सरकार निगम के संबंध में अति चिंतित है। किस्म, नियंत्रण, माल के नष्ट होने व दुर्विनियोग आदि की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार ने निर्णय किया है कि भारतीय खाद्य निगम के साथ-साथ इस कार्य के लिये राज्य निगमों एवं सहकारी समितियों का भी योगदान हो। इसके साथ ही भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिये निरन्तर प्रयास किये जायेंगे।

जहां तक लागत का संबंध है एक समिति द्वारा इस पहलू पर विचार किया जायेगा। हमारा यह प्रयास है कि लागत कम की जाय और मितव्ययता हो सके। श्री गुह ने खाद्य निगम के कलकत्ता कर्मचारियों की समस्याओं का उल्लेख किया। सरकार के सामने कुछ दुर्विनियोग के मामले आए हैं सरकार इस बारे में जांच कर रही है।

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 26 नवम्बर, 1973/5 अग्रहायण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November 26, 1973/Agrahayana 5, 1895 (Saka).

MGIPRRND—42 LSS/73—Sec. VII—5-3-74—490.

©

PLS. 48 XXXII .10 .73 (N)
490

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1974.